अ़ताए रसूल

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

या

नमाज़े रसूल

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

मुअल्लिफ़

शैख़ मुईनुद्दीन अहमद क़ादरी रज़वी नूरी

प्रकाशक:

मकतबा कादरीया

ऊपर की मस्जिद, सिलावट वाड़ी, उदयपूर

Ph : 7014185153

फहरिस्त मजामीन

मौअल्लिफ

सगे गोस शेख मोइनुद्दीन अहमद

क़ादरी रज़वी नूरी

सिलावटवाड़ी, उदयपुर

अर्ज़ मोल्लिफ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

मैं पुरी आजीज़ी व इनकसारी के साथ अपनी यह तालिफ आक़ाऐ नामदार दो आलम के मालिक व मुख़्तार सैय्यदे आलम नूरे मुजस्सिम हज़रत मुहम्मद मुस्तफा रसुले अकरम गैब की खबरें बताने वाले आका सल्लला हुअलेयही व स्ल्लम की बारगाहे अक्दस में पेश करते हुऐ। इसका नाम "अताऐ रसूल" रखने की सआदत हासिल करता हूं। उस ज़ाते गिरामी के हुजूर में जिस पर कुरआन करीम नाज़िल किया गया और जिसने आलम में इस्लाम का पर्चम लहराया। शिर्क व बुत परस्ती की जड़ काट दी। मखलूक को इस फानी दुनिया और दायमी आखिरत के लिए आमाल हसना की तालीम दी। उस सरतापा नूरे हिदायत के हुज़ूर में जो अपने खुलके अज़ीम, अक़्ली बरतरी और अक़ीदा की पुखतगी में उस बुलन्दी तक पहुंचा जहां ना किसी दूर रस की निगाह पहुंच सकती है। ना उससे बाला कोई रफअत व बुलन्दी है और न ही किसी बुलन्द से बुलन्द तर साहीबे अज़्म व हिम्मत कि उस से उपर रसाइ मुमकिन है। वह ज़ाते गिरामी जिस की खुद रब्बुल इज्ज़त ने मदह व सना फरमाई और जिस की शान में फरमाया।

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

बिला शुबाह आप अखलाके फाज़ला की अज़ीम बुलन्दियों पर फाईज़ हैं" या रसूल्ललाह! ये यह हुजूर की आंखों की डण्डक यानि नमाज का बयान है। मैं हुजूर के लुत्फे बे पांया का ख्वाहॉ और रज़ामंदी का तलबगार हूँ।

इस किताब की तालीफ से मेरी मंशा सिर्फ हक़ तआला की खुशनुदी, रसूले अमीन की बरकत का हुसूल और आम्मातुल मुसलिमीन की ख़िदमत करना है।

मौअल्लिफ

सगे गोस शेख़ मोइनुदीन अहमद
क़ादरी रज़वी नूरी

—:मसाईल की चन्द इसतिलाहें:—

मसाईल को पढ़ने से पहले चन्द इसतलाही बोलियों को समझ लेना ज़रूरी है। इससे मसअलों को समझने में हर जगह बहुत सहुलियत और आसानी हो जायेगी।

फर्ज़ :— फर्ज़ वह है जो शरीअत की यकीनी दलील से साबीत हो। इसका करना और बगैर किसी उज़र (मजबुरी) के इसको छोड़ने वाला फ़ासिक़ (गुनाहगार) और जहन्नमी है। फर्ज़ का इन्कार करने वाला काफिर है। जैसे नमाज़, रोज़ा, हज़ और जकात वग़ैरा।

फर्ज़ेऐन :— जिस का अदा करना हर आकिल बालिग़ मुसलमान पर ज़रूरी है जैसे नमाज़ पंजगाना, रोज़ा वग़ैरा।

फर्ज़ किफाया:— ज़िस का करना हर एक पर ज़रूरी नहीं बल्कि कुछ लोगों के अदा कर लेने से सब की तरफ से अदा हो जायेगा। और अगर कोई भी अदा न करे तो तमाम (सब) मुसलमान गुनाहगार होंगे। जैसे नमाज़ जनाज़ा वग़ैरा।

वाजिब :— वाजिब वह है जो शरीअत की ज़ीन्नी (कयास) दलील से साबित हो। इसका करना ज़रूरी है। और इसके बिना किसी तावील और बगैर किसी मजबूरी के छोड़ देने वाला गुनाहगार और अज़ाब का मुस्तहक है। मुजतहीददलील शरई से इसका इन्कार कर सकता है। इसका एक बार भी कसदन छोड़ना गुनाह सग़ीरा है।।

सुन्नते मौयक्किदा:— वह है जिसको हुजुर नबी करीम सलल्लला हु

अलैही व सल्लम ने हमेशा किया हो। अलबत्ता बयाने जवाज़ के लिये कभी कभी छोड़ भी दिया हो। इसको अदा करने में बहुत बड़ा स्वाब है। और उसको इत्तेफाक से छोड़ देने से अल्लाह रसूल का अताब और उसको छोड़ देने की आदत डालने वाले पर जहन्नम का अज़ाब होगा। जैसे नमाज़े फज्र की दो रकाअत नमाज़ सुन्नत। और नमाज़े जुहर की चार रकाअत फर्ज़ से पहले और दो रकअत फर्ज़ के बाद, और नमाज़ मग़रीब की दो रकअत बाद फर्ज़, और नमाज़ इशा के बाद दो रकअत सुन्नत। यह नामज़ पंजगाना की बारह रकअत सुन्नतें सब सुन्नते मोवाक्किदा हैं।

सुन्नतेगैर मोवक्किदा :— वह है जिसको हुज़ूर अकदस सलल्लला हु अलैहि व सल्लम ने किया हो। और बग़ैर किसी उज्र (मजबुरी) के कभी कभी इसको छोड़ भी दिया हो। इसको अदा करने वाला स्वाब पायेगा। और इसको छोड़ने वाला गुनाहगार नहीं। जैसे अस्र के पहले की चार रकअत सुन्नत, और इशा से पहले कि चार रकअत सुन्नत कि यह सब सुन्नते गैर मौवक्किदा हैं। सुन्नते गैर मुवाक्किदा को सुन्नते ज़ायदा भी कहते हैं।

मुस्तहब :— हर वह काम है जो शरीअत की नज़र में पसंदिदा हो। और उसको छोड़ देना शरीअत की नज़र में बुरा भी न हो। चाहे इस काम को हुज़ुरे अकरम ने किया हो या उसकी तरगीब (रगबत, चाहत) दी हो। या उलमा सालेहीन ने इस को पसन्द फरमाया। चाहे हदीसो में उसका ज़िक्र न आया हो। मुस्तहब को करना स्वाब और उसको छोड़ देने पर न कोई अज़ाब है न कोई अताब। जैसे वजु मे क़िबला की तरफ मुह करके बैठना, मीलाद शरीफ, वग़ैरा। मुस्तहब को मनदूब भी कहते हैं।

मुबाह :— वह है जिस का करना और छोड़ देना दोनों बराबर हो। जिसके करनेमें न कोई स्वाब हो, और छोड़ने में न कोई अज़ाब। जैसे लज़ीज गीज़ाओ का खाना और नफीस कपड़ों का पहनना वग़ैरा।

हराम :— हराम वह है जिसका सबूत यकीनी शरई दलील हो। उसका

छोड़ना ज़रूरी और एकमर्तबा भी कसदन (जान बुझकर) करने वाला फासिक व जहन्नमी और गुनाहे कबीरा का मुरतकिब है। और इसका इन्कार करने वाला काफिर है। खूब समझ लो कि हराम फर्ज़ के मुकाबिल (सामने) है यानि फर्ज़ का करना जरूरी है और हराम का छोड़ना ज़रूरी है।

मकरूह तहरीमी :— वह है जो शरीअत की ज़ीन्नी दलील से साबीत हो इसका छोड़ना लाज़िम और बाइसे स्वाब है। और इसका करने वाला गुनहगार है। अगरचे इसके करने का गुनाह हराम के करने से कम है। मगर बार—बार इसको करना गुनाहे कबीरा है (बड़ा गुनाह है) अच्छी तरह ज़हननशीन करलो कि यह वाजिब का मुकाबिल है यानि वाजिब को करना ज़रूरी और मकरूह तहरीमी को छोड़ना ज़रूरी है।

इसाअत :— वह है जिसका करना बुरा। और कभी इतेफाकिया करने वाला लाइके इताब (नाराज़ी, गुस्सा) और उसको करने की आदत बना लेने वाला मुस्तहके अज़ाब है। याद रहे कि यह सुन्नते मौवक्किदा का मुकाबिल है। यानि सुन्नते मौवक्किदा का करना स्वाब और ना करना बुरा है। और इसाअत को छोड़ना स्वाब और करना बुरा है।

मकरूह तन्ज़ीहि :— वह है जिसका करना शरीअत को पसन्द नहीं मगर इसके करने वाले पर अज़ाब नहीं होगा। यह सुन्नते गैर मोवक्किदा का मुकाबिल है।

खिलाफे औला :— वह है कि इसको छोड़ देना बेहतर था। लेकिन अगर कर लिया तो कुछ मुज़ायका नहीं। यह मुस्तहब का मुकाबिल है।

बिस्मिललाह हिर्रहमानिर्रहीम

" अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। "

—:इमाने मुफस्सल :—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

ایمانِ مفصّل اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَ

میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور

كُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ

اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور

وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

بری تقدیر کا خالق اللہ ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम्

आमन्तु बिल्लाहि व मला इ क तिही व को तो बिही व रोसोलेही वल यौमिल आखिरे वल कदरे ख़ेरेही व शर्रेही मिनल्लाहि तआला वल बाअ्सि बाअ्दल मौति

तर्जुमा :– मैं ईमान लाया अल्लाह पर। और उस के फरिश्तों पर। और उसकी किताबों पर। और उसके रसूलों पर। और कियामत के दिन पर। और उस पर कि अच्छी और बुरी तक़दीर का खालिक अल्लाह है। और मौत के बाद उठाए जाने पर।

—: इमान मुजमल :—

बिस्मिललाहिर्रहमानिर्रहीम

ایمانِ مجمل | اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ کَمَا ھُوَ بِاَسْمَآئِہٖ

میں ایمان لایا اللہ پر جیساکہ وہ اپنے ناموں

وَصِفَاتِہٖ وَقَبِلْتُ جَمِیْعَ اَحْکَامِہٖ اِقْرَارٌ

اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اسکے تمام احکام قبول کئے زبان

بِاللِّسَانِ وَتَصْدِیْقٌ بِالْقَلْبِ ط

سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔

आमन्तु बिल्लाहि कमा हु व बि असमाएही व सिफ़ातिही व कबिल्तु जमी अ़ अहकामिही ईकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिल कलिबि ।

तर्जुमा :— मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसाकि वह अपने नामों ओर अपनी सिफतो के साथ है। और मेने उसके तमाम एहकाम क़बुल किये, जुबान से इकरार करते हुऐ और दिल से तस्दीक करते हुऐ।

—: ईस्लाम के छः कलमें :—

<u>पहला कलमा तैय्यब</u> :— لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"ला ईलाहा ईलल्ल ला हु मुहम्मदुर्र रसुल ल्लाह"

तर्जुमा:— अल्लाह के इलावा कोई भी ईबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्ल ला हो अल्यही व स्वल्ल्म अल्लाह के रसुल हैं।

दुसरा कलमा शहादत :— أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

अशहदु अँल्लाइला ह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरी क लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अ़बदोहू व रसूलोहू

तर्जुमा :— मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा (इलावा) कोई मअ़बूद नहीं वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूं कि वेशक मुहम्मद सल्ललाहु अलैहि वे स्ल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं।

तीसरा कलिमा तमजीद :—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

सुबहानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि व ला इ ला ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हो ल व ला कू व त इल्ला बिल्लाहिल अ़लीइल अ़ज़ीम

तरजुमा :— अल्लाह पाक है और सब तारीफ अल्लाह के लिये है। और अल्लाह के इलावा कोई मअ़बूद (पूजने योग्य) नहीं। और अल्लाह बहुत बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक नहीं मगर अल्लाह की तरफ से जो बहुत बुलंद अज़मत वाला है।

-:चौथा कलिमा तौहीद:-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ
وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا ذُو الْجَلَالِ
وَالْاِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

लाइला ह इल्लाल्लाहु वहदहू ला शरी क लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहई व योमीतु व हो व हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा॰ ज़ुल जलालि वल इक्रामि बि य देहिल ख़ैर॰ व हु व अ़ला कुल्ले शयइन क़दीर

तरजुमा :- अल्लाह के इलावा कोई मअ़बुद (पूजने लायक) नही वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं उसी के लिये है बादशाही और उसी के लिये तारीफ है। वही ज़िन्दा करता है और मारता है। और वह ज़िन्दा है उस को हर्गिज़ कभी मौत नही आएगी। बड़े जलाल और बज़ुर्गी वाला हैं। उसके हाथ में भलाई है। ओर वह हर चीज़ पर क़ादीर है।

-: पांचवा कलिमा ईस्तिगफार :-

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهٗ
عَمَدًا اَوْ خَطَاً سِرًّا اَوْ عَلَانِيَةً وَّاَتُوْبُ
اِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِيْ اَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنْبِ
الَّذِيْ لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ
وَسَتَّارُ الْعُيُوْبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوْبِ وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

अस्तग़फिरुल्ला ह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन अज़नबतुहू अ म दन अव ख़ त अन सिर्रा औ अ़लानि य तवँ व अतूबु इलैहि मिनज्ज़म्बिल लज़ी आअ्‌ ल मु व मिनज्ज़म्बिल्लज़ी ला आअ्‌लमु इन्न क अन त अ़ल्लामुल गुयूबि व सत्तारुल ओ़युबि व ग़फ़्फ़ारु ज्जुनुबि व ला हव ल व ला कू व त इल्ला बिल्लाहिल अ़लीइल अज़ीम

तर्जुमा :– मैं अल्लाह से मआ़फी मांगता हुं जो मेरा पालन हार है। हर गुनाह से जो मैंने जान बुझ कर किया या भूल कर। छुप कर किया या ज़ाहिर होकर और मैं उसकी बारगाह मैं तौबा करता हुं उस गुनाह से जिस को मैं नहीं जानता (ऐ अल्लाह) बैशक तू ग़ैबों (छिपी चीजों) को जानने वाला हैं और ऐबों का छिपाने वाला और गुनाहों को बखशने वाला है। और गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद से जो बहुत बुलंद अज़मत वाला है।

—: छठा कलिमा रद्दे कुफ़्र :—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَیْئًا
وَّاَنَا اَعْلَمُ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَاۤ اَعْلَمُ بِهٖ تُبْتُ
عَنْهُ وَتَبَرَّاْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ
وَالْغِیْبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِیْمَةِ وَالْفَوَاحِشِ
وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِیْ كُلِّهَا وَاَسْلَمْتُ وَاَقُوْلُ
لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

अल्लाहुम्म इन्नी अऊ जु बि क मिन अन उशरि क बि क शयऔ व अना

आ़ ल मु बिही व अस्तग़फिरो क लिमा ला आ अ्ल मु बिही तुब्तु अनहु व तबर्रातु मिनल कुफरि वश्शिर्के वल किज़बि वल गी ब ति वल बिद अ़ति वन्नमी म ति वल फ्वाहिशि वल बुहतानि वल मआ़सी कुल्लिहा व अस्लम्तु व आमनतु व अकूलु लाईला ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह.

तरजुमा – ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं। इस बात से कि मैं किसी शै को तेरा शरीक बनाऊं जान बुझ कर और बख्शिश मांगता हूं तुझ से उस (शिर्क) की जिस को मैं नहीं जानता और मैंने उससे तौबा की और मैं बेज़ार हुआ कुफ्र से और शिर्क से और झुँठ से और ग़ीबत से और बिद्अ़त से और चुग़ली से और बेहयाइयों से और बुहतान से और में कहता हुँ कि अल्लाह के इलावा कोई एबादत के लाइक नहीं और मुहम्मद सल्लला हु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसुल हैं।

कुरआन पाक की दस सुरतें

नोट :– कुरआन शरीफ को पढ़ने का यह मतलब है कि तमाम हरूफ मखारिज से अदा किये जाये। इस तरह कि हर हरफ दूसरे हरफ से सही तौर पर अदा हो जाऐ। इसलिये हम यहां अरबी मैं भी सुरतें लिख रहे हैं। आपका सबसे पहला फर्ज़ है कि जहां–जहां अरबी की सूरते वग़ैरा हों उन्हें किसी मौलवी साहब से और हो सके तो हाफिज व क़ारी से सही तरह मखारिज के साथ सिख लें। कारी हज़रात आप को मखारिज सिखा देंगे याद रखें अगर आप ने इस से लापरवाही बरती तो आप की नमाज़े अकारत जाऐंगी। नमाज हरगीज़ ना होगी। क्योंकि मखारिज से कुरआन पढ़ना सिखना 'फर्ज़े ऐन' हैं।

सुर फील

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ (١٩) (١٠٥) اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम्

अ–लम् त–र कै–फ़ फ–अ–ल रब्बु–क बि–अस्हाबिल्फ़ील □ अ–लम् यज्–अ़ल् कैदहुम् फ़ी तज़्लीलिंव □ व अर्स–ल अलैहिम् तैरन् अबाबील □ तर्मीहिम् बिहिजा–रतिम् मिन सिज्जीलिन् □ फ़–ज–अ़–लहुम् क–अस्फ़िम – मअ्–कूल □

तर्जुमा :– ऐ मेहबुब क्या तुम ने ना देखा, तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया। क्या इन का दांव तबाही में ना डाला। और इन पर परिन्दों की टुकड़ीया भेजी। कि उन्हें कन्कर के पत्थरों से मारते। तो उन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती ।

सूर-कुरैश

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ (١٠٦) (٢٩) اٰيَاتُهَا ٤ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ

جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

लि – ईलाफि कुरैशिन ☐ ईलाफिहिम् रिह–ल–तश् – शिताई वस्सैफ ☐ फ़ल्यअ्–बुदू रब–ब हाजल्बैति ☐ ल्लज़ी अत्–अ–महुम् मिन जूअिव– 0व अमना हुम मिन खौफ0

तर्जुमा :– इसलिये कि कुरैश को मेल दिलाया। उनके जाड़े ओर गर्मी दोनों के बीच में मैल दिलाया तो उन्हें चाहिये इस घर के रब कि बन्दगी करें। जिसने उन्हें भूख में खाना दिया। और उन्हें एक बड़े खौफ से अमान बख्शा।

सूरः माऊन

﴿ سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ ﴾ (١٠٧) (١٧)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

बिस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्रहीम

अ—र—ऐ—तल्लजी युकज़िजबु बिद्दीन ☐ फ़—जालिकल्लजी यदुअ़—अुल्—यतीम☐ व ला यहुज़्जु अला त़आमिल् — मिस्कीन ☐ फवैलुल—लिल्मुसल्लीन ☐ अ्ल्लज़ी—न हुम् अ़न् स़लातिहिम् साहुन ☐अ्ल्लजी—न हुम् युराउ—न ☐ व यम्न—अूनल—माअून☐

तर्जुमा :— भला देखें तो जो दीन को झुठलाता है। फिर वह वो है जो यतीम को धक्के देता है। और मिसकीन को खाना देने की रगबत नहीं देता। तो उन नमाज़ियों की खराबी है। जो अपनी नमाज से भुले बैठे हैं। वह जो दिखावा करते हैं। और बरतने की चीज़ मागने से नहीं देते।

سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ (١٠٨) (١٥)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ②

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ③

•बिस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्रहीम•

इन्ना अअ़तैना कल कौसर □ फसलिल लि रब्बिक व नहर □

इन्न शानि अ क हुवल अब्तर □.

तर्जुमा :— ऐ महेबुब बेशक हमने तुम्हे बेशुमार खुबीया अता फरमाई। तो तुम अपने रब के लिये नमाज़ पढो। और कुर्बानी करो। बैशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है।

سُورَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ (١٠٩) (١٨)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ① لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ② وَلَاۤ

اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ③ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ④ وَلَاۤ

اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ⑤ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ⑥

• बिस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्रहीम •

कुल या अय्युहल काफ़िरून ☐ ला अअ़बुदु मा ताअ़बुदू न वला अनतुम आबिदू न ना अअबूद☐ वला अना आबिदुम मा अबत्तुम व ला अनतुम आबिदू न मा अअबुद☐ लकुम दीनुकुम वलियदीन ☐

तर्जुमा :– तुम फरमाओ। ऐ काफिरों। ना मैं पुजता हूँ जो तुम पुजते हों। और ना तुम पुजते हो जो मैं पुजता हूं। और ना मैं पुजुंगा जो तुम ने पुजा। और ना तुम पुजोगे जो मैं पुजता हूं। तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे मेरा दीन।

सूरए नसर

آياتها ٣ (١١٠) سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ (١١٤) ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ
يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

• बिस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्रहीम •

इज़ा जा अ नसरूल्लाहि वल फतहु☐ वर अैतन्ना स यद खुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा ☐ फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फिरहु इन्नहु का न तौवाबा ☐

तर्जुमा :– जब अल्लाह की मदद और फतह आये। और लोगों को तुम देखों कि अल्लाह के दीन में फौज–फौज दाखिल होते हैं। तो अपने रब कि सना करते हुये उसकी पाकी बोलो। और उससे बखशीश चाहो। बैशक वह बहुत तौबा कबुल करने वाला है।

آیاتہا ۵ (۱۱۱) سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ (۶) رکوعہا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

॰बिस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्रहीम॰

तब्बतयदा अबी लह बिवँ व तब्ब ☐ मा अग़ना अनहु मालुहू वमा क स ब ☐ स यस्ला नारन ज़ा त ल ह बिवँ ☐ व मर अ्तुहू हम्मा लतल हत़बि ☐ फी जीदिहा हब्लुम मिम्मसद☐

तर्जुमा :— तबाह हो जाऐं अबु लहब के दोनों हाथ और वह तबाह हो ही गया। उसे कुछ काम न आया उसका माल। और न जो कुछ कमाया। अब धन्सता है लपट मारती आग में वह और उसकी जोरू। लकड़ीयों का गट्ठा सर पर उठाती। उसके गले में खजुर की छाल का रस्सा।

सूरऐ इख्लास

(۱۱۲) سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ (۲۲)

اٰيَاتُهَا ٤ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

॰बिस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्रहीम॰

कुल हु वल्लाहु अहद ☐ अल्लाहुस समदु ☐ लम यलिद वलम यूलद ☐ वलम य कुँल्लहू कुफुवन अहद ☐

तर्जुमा :– तुम फरमाओ वह अल्लाह है वह एक है। अल्लाह बे नियाज है। न उसकी कोई औलाद। और न वह किसी से पैदा हुआ। और न उसके जोड़ का कोई।

सुर:फलक

(۱۱۳) سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ (۲۰)

اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

0 कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़ ल कि 0 मिन शर्रि मा ख़लक़ 0 मिन शर्रि ग़ासिकिन इज़ा वकब 0 व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल ओ क़ दि 0 व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद 0

तर्जुमा :– तुम फ़रमाओ में उसकी पनाह लेता हूं जो सुबह का पैदा करने वाला है। उसकी सब मख़लुक के शर से । और अन्धेरी डालने वाले की शर से जब वह डुबे। और उन औरतों के शर से जो गिरहों में फुंकती हैं। और हसद वालों के शर से जब वह मुझ से जलें।

सूरए नास

(١١٤) سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ (٢١)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

.बिस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्रहीम.

कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नासि ☐ मलिकिन्नासि ☐ इल्लाहिन्नासि ☐ मिन शर्रिल वस्वासिल ☐ ख़न्नासिल. लज़ी यु व स्विसु फी सुदूरिन्नासि ☐ भिनल जिन्नति वन्नास ☐

तर्जुमा :– तुम कहो में उसकी पनाह में आया जो सब लोगों का रब है। सब लोगों का बादशाह। सब लोगों का खुदा। उसके शर से जो दिल में बुरे खतरे डाले। और दुबक रहें। वह जो लोगों के दिलों में वस वसे डालते

हैं जिन और आदमी।

नोट :– नमाज वग़ैरा में उपर की तरतीब से ही सुरते पढ़े। मसलन यू ना पढ़े की पहली रकात में कुल हो वल्लाह पढ़ी और दूसरी में 'तब्बतयदा' इसकी मुमानिअत है और यूं पढ़ना गुनाह है।

अक़ीदे का बयान

नमाज़ का बयान करने से पहले कुछ सही अक़ाईद का बयान ज़रूरी समझते हुऐ चन्द अकीदे पेश हैं। चूंकि तमाम दीनी काम (नमाज, रोज़ा, जकात वग़ैरा) के सही होने के लिये शर्त है कि अक़ाईद सही हों। बग़ैर अक़ीदा सही किये कोई ईबादत फर्ज़ वाजिब निफल वगैरा क़बुल नहीं हो सकते। क्योंकि सही अक़ीदा ही मुसलमान होने की शर्त है।

बहुत से मुसलमान ऐसे हैं कि उसुल मज़हब से आगाह नहीं। ऐसे लोगों के लिये सच्चे अक़ीदे की बहुत शदीद ज़रूरत है। खास तौर से ऐसे ज़माने में कि गन्दुम नुमा जौ फरौश बहुत से हैं। कि अपने आप को मुसलमान कहते बल्कि आलिम कहलाते हैं। और हकीक़तन इस्लाम से उनको कुछ ईलाका नहीं। ना वाकिफ मुसलमान उनके फरेब में आकर मज़हब और दीन से हाथ धो बैठते हैं। लिहाजा मुसलमान भाईयों के लिये सच्चे अकीदे जो निहायत ज़रूरी हैं बयान किये जाते हैं। बिरदराने इस्लाम इनको पढ़ कर इमान ताज़ा करें। यह तमाम अक़ीदे किताब बहारे शरीअत के पहले हिस्से से नक़ल किये गये हैं।

-: अल्लाह के मुताल्लिक अकीदे :-

1. अल्लाह एक है। कोई उसका शरीक नहीं ना ज़ात में ना सिफात में ना अफ़आल में ना अहकाम में ना इसमा में।

2. वह वाजिबुल वजुद है यानि उसका वजुद ज़रूरी है। और अदम (यानि ना होना) ना मुमकिन है।

3. वह क़दीम है यानि हमेशा से है। अज़ली के भी यही मानी हैं। वह बाक़ी है यानि हमेशा रहेगा। और इसी को अबदी कहते हैं।

4. सिर्फ वही इसका मुस्तहक़ है कि उस की ईबादत (पुजा) की जाये।

5. वह बेपरवाह हैं किसी का मोहताज नहीं और तमाम जहान उसका मोहताज।

6. जिस तरह उसकी ज़ात कदीम, अज़ली, अबदी, है सिफात भी क़दीम, अज़ली, अबदी हैं।

7. ना वह किसी का बाप ना बेटा ना उसके लिये बीबी जो उसे बाप या बेटा बताये या उसके लिये बीबी साबित करे क़ाफिर है।

8. वह 'हय्य' है। यानि खुद ज़िन्दा और सब की ज़िन्दगी उसके हाथ में है। जिसे जब चाहे ज़िन्दा करे। और जब चाहे मौत दे।

9. हयात कुदरत, सुनना, देखना, कलाम, इल्म, ईरादा उसकी सिफाते ज़ातिया हैं। मगर कान, आंख, जुबान से उसका सुनना देखना कलाम करना नहीं कि ये सब इजसाम (जिस्म के हिस्से) हैं। और ईजसाम या जिस्म – से वह पाक है। हर पस्त से पस्त आवाज को सुनता और हर बारीक से बारीक को जो खुर्दबीन से भी महसूस न हो देखता है।

10. हकीकतन रोज़ी पहुंचाने वाला वही है। मलायका (फरिश्ते) वग़ैरा वसाईल वसाईत (वास्ता) हैं।

11. जो अच्छा काम करे उसे अल्लाह की तरफ से होना समझे। और जो बुराई सरज़द हो उस को शामते नफ्स (अपने नफस की खराबी) तसव्वुर करे।

-: एक खास और जरूरी मसला :-

अल्लाह तआला सिम्त (यानि पूरब, पच्छिम, उत्तर, दक्षिण उपर–निचे, दायें–बायें) से पाक है। यह कहना कि अल्लाह आसमान पर है। व ज़मीन पर हम गलत है। या यूं कहना की उपर वाला जाने यह भी गलत है।

अगर कोई अल्लाह के लिये मकान (जगह वगैरा) साबित करे वह काफिर

यह कहना कि वह हर जगह मौजूद है। यह कहने से भी जगह सावित होती है। इसलिये ऐसा कहना भी कुफ्र है। वह जगह (स्थान) से पाक है।

यह हिन्दुओं का अक़ीदा है कि ईश्वर कण कण (ज़र्रे ज़र्रे) में है ओर हर जगह मौजूद है। लेकिन हमारा अक़ीदा है कि वह जगह हरकत, सुकुन, शकल, सूरत, निचे–उपर वग़ैरा–वग़ैरा से पाक है।

हाँ यूं कह सकते हैं कि उसकी कुदरत हर जगह पर कार फर्मा है। हर जगह और हर चीज़ पर उसका हुकम चल रहा है। कोई शै (चीज़) उससे ओझल नहीं। वही परवर दिगार,मुदब्बिरे कुल कायनात है। उसके हुकम के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। वह सब का पालने वाला है। वही रोजी देने वाला। जिलाने व मारने वाला है।

हिन्दुओं का अकीदा (मत) है कि ईश्वर सर्वव्यापक यानि हर जगह, हर चीज़ में मौजूद है। तो क्या हर मादा की फुरज़, हर आदमी की मक़अ़द (पाखाने की जगह) हर पाखाने की ढेरी में मौजूद होना बल्कि घुला मिला होना साबित। निजासत का कीड़ा भी इतना घिनौना नहीं होता। क्या इन्होंने खुदा को पहचाना? इनका अक़ीदा है क वह सब जगह में रमा हुआ हैं फर्ज़ करो एक शख़्स ने दूसरे के जुता मारा तो ये जिस हवा में चल कर जुता उसके बदन पर पड़ा तो इस रास्ते में उनका ईश्वर था या नही? नही क्यों होगा। वह सब जगह है और जब यहां भी था तो जुता आते हुऐ देख कर हट गया? हट तो सकता नही वरना हर जगह न रहा। यह जगह खाली रह जायेगी। तो ज़रूर जुता उसमें से गुज़रा। अजीब ईश्वर है कि जुते से फट गया। फिर उस सख्श के जिस हस्से पर जुता पड़ा वहां भी ईश्वर था या नहीं 'ना' केसे होगा। वरना हर जगह ना रहा और जब हर जगह है तो वहां भी था। तो अब बताओं ये जुता किस पर पड़ा। और ये लोग यह भी मानते हैं कि वह उलटा भी है और सीधा भी। तो काश सिर्फ उलटा होता तो जुता पांव पर लगा। सीधा भी है तो जुता सिर पर पड़ा। यह है आर्य समाजियों

और हिन्दुओं का ईश्वर। क्या इन्होंने खुदा को जाना?

खूब ध्यान रखें,गैर मुस्लिमों का यह अकीदा कि ईश्वर हर जगह मोजुद है। इसी तरह जाहिल मुसलमान भी बक देते हैं कि खुदा हर जगह मौजुद है। आप पर फर्ज़ है फौरन तोबा करें और पढ़े –

"ला इलाहा इलल्ललाहु मुहम्मदुर रसुलुल्लाह"

अल्लाह तआला सब सुन्नी मुसलमानों को हिदायत दे और सच्चे दीनी अक़ीदे सीखने की तौफिक अता करे। आमीन।

(इसकी ज़्यादा तफसील देखनी हो तो फतावा रज़वीया जिलद अव्वल पढ़िये)

12. उसका इलम हर शै को घेरे हुवे हैं यानि हर चीज़, हर हिस्से, कुल चिज़े, मौजूद हो या न हो, मुमकिन नामुमकिन सब कुछ सब को अज़ल से जानता था और अब जानता है और अबद तक जानेगा। चिज़े बदलती है और इसका इल्म नहीं बदलता।

13. दिलों के खतरे वसवसे सब से बा खबर और हर ज़र्रा उस के पेशैनज़र। उसके इल्म की कोई इन्तिहा नहीं। वह हर गायब व हर हाज़िर को जानता है।

14. इलमे ज़ाती उस का खासा है। जो सख्श इलमे ज़ाती गैब या शहादत का गैर खुदा के लिये साबित करे काफिर है। इल्मे ज़ाती के ये मानी हैं कि बगैर खुदा के दिये खुद हासिल हो।

15. वह हर चीज़ का खालिक व मालिक है।

16. वह जैसा और जो चाहे करे। किसी को उस पर काबू नहीं और न कोई उसके ईरादे से बाज़ रखने वाला। उसको न उंघ आये न नींद। तमाम आलम व कुल मखलुक का निगाह रखने वाला न थके न उसे उंघ आये।

17. तमाम आलम का पालने वाला है। माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान, रहम वाला। उसी की रहमत टूटे दिलों का सहारा है। उसी के लिये बड़ाई अज़मत

है। माँओं के पेट में जैसी चाहे सूरत बनाने वाला। गुनाहों का बख़शने वाला। तौबा क़बुल करने वाला। कहर व गजब फरमाने वाला उसकी पकड निहायत सख्त है। जिससे बे उसके छुडाये कोई छूट नहीं सकता।

18. वह चाहे तो छोटी चीज को बड़ी कर दे और बड़ी को छोटी। जिस को चाहे बुलन्द कर दे, जिसको चाहे परत। ज़लील को इज्जत दे दे और इज्ज़त वाले को ज़लील करदे। जिसको चाहे राह पर लाये, जिस को चाहे सीधी राह से अलग कर दे। जिसे चाहे अपने नज़दीक बनाले और जिसे चाहे मरदुद कर दे। जिसे चाहे दे और जो चाहे छीन ले। वह जो कुछ करता है या करेगा। अदल व इन्साफ है। वह ज़ुलम से पाक व साफ है।

19. मज़लूम की फरयाद को पहुंचता और ज़ालिम से बदला लेता है। उसकी मर्ज़ी व इरादे बगैर कुछ नहीं हो सकता। मगर अच्छे से खुश होता है और बुरे से नाराज़।

20. आंख देखती है, कान सुनता है। आग जलाती है, पानी प्यास बुझाता है। मगर वह चाहे तो आंख सुने, कान देखे। पानी जलाऐ आग प्यास बुझाये। न चाहे तो लाख आंखें वाला हो दिन को पहाड़ न दिखे। करोड़ा आगें हों एक तिनके पर दाग न आये। किस कहर की आग थी जिसमें इब्राहीम अलैहि सलात व स्सलाम को काफिरो ने डाला। कोई पास न जा सकता था। गौफन में रख कर फैंका। जब आग के मुकाबिल पहुंचे जिब्राईल अमीन हाज़ीर हुवे और अर्ज़ कि इब्राहीम कुछ हाजत है। फरमाया है मगर तुम से नहीं। अर्ज की फिर उसी से कहिये जिससे हाजत है। फरमाया जिससे हाजत है वह खुद जानता है कि मुझे क्या हाजत है। फिर क्या कहूं।

अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने इर्शाद फरमाया "ऐ आग ठंडी व सलामती हो जा इब्राहीम पर" इस इर्शाद को सुन कर रूऐ ज़मीन पर जितनी आगें थी सब ठंडी हो गई। कि शायद मुझी से फरमाया जा रहा है और यह आग तो ऐसी ठडी हुई कि आलिम फरमाते है कि अगर इस इर्शाद के साथ 'सलामुन'

का लफज ना फरमाया जाता कि इब्राहीम पर ठंडी और सलामती हो जा तो इतनी ठंडी हो जाती कि उसकी ठन्डक से तकलीफ होती।(माखूज़ इज बहारे शरीअत हिस्सा अव्वल)

नबुवत के बारे में अक़ीदे

(माखूज़ इज़ बहारे शरीअत)

मुसलमान के लिये जिस तरह ज़ात व सिफात का जानना ज़रूरी है। क्योंकि किसी ज़रूरी बात का इन्कार या ना मुमकीन को मुमकीन कह देने से काफिर ना हो जाय।

इसी तरह यह जानना भी जरूरी है कि नबी (पैगम्बर) के लिये क्या ज़ाईज है। और क्या वाजिब और क्या नामुमकिन। क्योंकि वाजिब का इन्कार और नामुमकिन का इकरार काफिर बना देता है। इसलिये यह हो सकता है कि आदमी नादानी से गलत अक़ीदा रखे या गलत बात जुबान से निकाले और हलाक हो जाऐ यानि काफिर हो जाये।

अक़ीदा :– नबी उस बशर को कहते हैं। जिसे अल्लाह तआला ने हिदायत के लिये 'वहीय' भेजी हो। और रसुल बशर ही नहीं होता बल्कि फरिश्तों में भी रसुल हैं।

अक़ीदा :– अम्बिया सब बशर थे ओर मर्द न कोई जिन नबी हुआ न औरत।

अक़ीदा :– नबी होने के लिये उस पर 'वहीय' नाज़िल होना ज़रूरी है। चाहे फरिश्ते के मार्फत हो या बगैर वास्ते के।

अक़ीदा :– नबीयों पर अल्लाह तआला ने आसमानी किताबें नाज़ील फरमाई। उनमें से चार किताबे बहुत मशहुर हैं।

(1) तोरेत :– हज़रत मुसा अले यहि स्सलाम पर (2) ज़बुर :– हज़रत दाऊद अलैय्य हिस्सलाम पर। (3) इन्जील :– हज़रत ईसा अलैय्य हि स्सलाम पर।

(4) कुरआन अज़ीम :— कि सब से अफ़जल किताब है। सब से अफ़जल रसूल हुजुर पुरनूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तुफा सल्लला हु अलैहि व सल्लम पर। कलामे इलाही में बाज का बाज में अफज़ल होना उसके ये मानी हैं। कि हमारे लिये इसमें स्वाब ज़्यादा है। वरना सब आसमानी किताबें और सहीफे हक़ हैं और सब कलामे ईलाही हैं। उन में जो कुछ इर्शाद हुआ सब पर इमान ज़रूरी है। मगर यह बात हुई कि अगली किताबों की हिफाज़त अल्लाह तआला ने उम्मत के सुपुर्द की थी। उनसे उसकी हिफाज़त न हो सकी। कलामें इलाही जैसा उतरा था उनके हाथों में वैसा बाकी न रहा। बल्कि उन के बदमाशों ने तो यहां तक किया कि उसमें फैर बदल कर दिया। यानि अपनी ख्वाहीश के मुताबिक घटा बढ़ा दिया।

अक़ीदा :— 'वहीय' नबुवत अम्बिया के लिये खास है। जो उसे किसी गैर नबी के लिये माने काफिर हैं। नबी को ख्वाब में जो चीज़ बताई जाये वह भी 'वहीय' है। उसके झुठे होने का खतरा नहीं। वली अल्लाह के दिल में किसी वक़्त सोते या जागते में कोई बात इलका (डाली जाती है) है। इसको इलहाम कहते हैं।

और 'वहीय शैतानी' कि शैतान की तरफ से दिल में कोई बात डाली जाये ये काहीन नजुमीयों, ज़ादुगरों, काफिरों और फुस्साक (गुनाहगारों) के लिये होती है। इसलिये आज के झुटे बे नमाजी जाहील फकीर, गांजा चरस पीने वाले भी पहुंचे हुए, बाबा, हज़रत फकीर सूफी वग़ैरा वग़ैरा बन बेठे हैं। और मुसलमान उस को 'वलीअल्लाह' समझने लगते हैं। हालांकि वह 'वलीये शैतान' शैतान का दोस्त होता है। क्योंकि शैतान उसको अपने रास्ते पर लगा लेता है। और कुछ बाते उस के दिल में डाल देता है या कोई ऐसी वैसी बात जाहीर कर देता है। जिस से मुसलमान गुमराह हो कर उसे 'वली अल्लाह' समझता है। जबकि वह शैतानी चक्कर होता है।

लिहाजा एक बहुत बड़े फकीर सूफी ने जो सुफीयों के इमाम थे फरमाया

कि अगर तुम किसी को आसमान पर उड़ता देखों या पानी पर चलता देखों लेकिन अगर उसका एक भी कदम शरीअत के खिलाफ हो तो उसका यकीन ना करो। क्योंकि पेगम्बरे खुदा के ख़िलाफ रास्ते पर चलने वाला कभी मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच सकता।

अक़ीदा :– नबुवत कसबी नही। यानि कोई खूब इबादत करके हासिल कर ले ये नही हो सकता। बल्कि ये तो सिर्फ़ अताऐ इलाही है। कि जिसे चाहता है अपने फज़ल से देता है।

अक़ीदा :– नबी का मासूम होना ज़रूरी है और ये असमत नबी और मलक (फरिश्ते) का खासा है (यानि खास इन्हीं के लिये है) कि नबी व फरिश्ते के सिवा कोई मासूम नहीं। इमामो को अम्बिया की तरह मासूम समझना गुमराही व बद दीनी है।

अक़ीदा :– अल्लाह तआला ने अम्बिया को अपने ग़यूब (गैब की बातें) पर इत्तला दी है।

ज़मीन व आसमान का हर ज़र्रा हर नबी के पेशे नज़र हैं मगर ये इल्में गैब के उनको है अल्लाह के देने से है। लिहाजा इनका इल्म अताई (अता किया हुआ) हुआ और इल्म अताई अल्लाह तआला के लिये नामुमकिन है। क्योंकि अल्लाह तआला की कोई सिफत कोई कमाल किसी का दिया हुआ नहीं हो सकता बल्कि ज़ाती (स्वयं का) हैं जो लोग अम्बिया बल्कि सैय्यदुल अम्बिया सल्ल ला ही अलैहिव सल्ल्म से मुतलक (बिलकुल) इलमे गैब का इन्कार करते है वह लोग कुरआन अज़ीम की इस आयत का मिसदाक है।

"कुरआन मजीद की बाज़ बाते मानते हैं। बाज़ के साथ कुफ्र करते हैं।"

(तुर्जुमा कुर्आन)

यह लोग आयते नफी (इन्कार वाली आयत) देखते और उन आयतो से जिन में अम्बिया को गैब अता किया जाना बयान किया गया हैं का इन्कार करते हैं। हालांकि इन्कार व इकरार दोनों हक़ है। मगर कुरआन में जहां

इल्में गैब ना देने का बयान है। वह इलमे ज़ाती के लिये है। क्योंकि इल्में ज़ाति सिर्फ खुदा के लिये है और जहां इल्में गैब देने का बयान कुरआन में है वह इल्में गैब अताई का ज़िक्र है। और ये अम्बिया कराम का इल्म गैब अताई ही है। यानि अल्लाह तआला का दिया हुआ है।

लेकिन यह कहना कि हर ज़र्रा का इल्म नबी के लिये माना जाये तो खालीक़ व मखलूक में बराबरी हो जायेगी सो यह बात बातील महज़ है। कि बराबरी तो जब लाज़िम आये कि अल्लाह तआला के लिये भी इतना ही इल्म साबित किया जाय और ऐसी बात काफिर के सिवा कौन कह सकता है।

और जब ज़ाती इल्में गैब और अताई इल्में गैब का फर्क़ बयान करने समझाने के बाद भी कोई बराबरी का इलज़ाम दे तो यह साफ ज़ाहीर है कि यह सख्श इसलाम के खिलाफ है।

अम्बियाऐं कराम गैब की खबर देने के लिये ही आते हैं। जन्नत, दोजख, हशर नशर व अजाब स्वाब गैब नहीं तो क्या है ?

अक़ीदा :– अम्बिया कराम तमाम मखलुक यहां तक की फरिश्तों के रसुल से भी अफज़ल हैं। वली कितना ही बड़े मर्तबा वाला हो किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। जो किसी गैरनबी को किसी नबी से अफज़ल या बराबर बताये काफ़िर हैं।

अक़ीदा :– नबी की ताज़ीम फर्ज़ ऐन बल्कि तमाम फराईज़ की जड़ है। किसी भी नबी की थोड़ी सी तोहीन या उसे ना मानना कुफ्र है।

अकीदा :– तमाम अम्बिया अल्लाह तआला के हुजुर बहुत बड़ी वजाहत, इज्जत, अज़मत वाले हैं। उनको अल्लाह तआला के नज़दीक चुड़े चमार की तरह कहना साफ खुली हुई गुस्ताखी है और कलमा ऐ कुफ्र है।

अक़ीदा :– हुजुर सल्ल ला हो अलैही व सल्लम खातीमुल नबीय्यीन हैं। यानि अल्लाह तआला ने सिलसिला ऐं नबुवत हुजुर पर ख़त्म कर दिया।

कि हुज़ुर के ज़माने या बाद कोई नया नबी नहीं हो सकता। जो शख़्स हुज़ुर के ज़माने में या हुज़ुर के बाद किसी को नबुवत मिलना माने या जाईज़ जाने काफीर है।

अक़ीदा :– हर इन्सान के ज़िम्मे हुज़ुर की ईताअत फर्ज़ है। इसी तरह हर मखलूक पर हुज़ुर की फरमाबरदारी ज़रूरी है।

अक़ीदा :– तमाम अव्वलीन व आखरीन हुज़ुर के नियाजमन्द हैं। यहां तक कि हज़रत इब्राहीम खलीललुल्लाह अलैय्यही स्सलाम।

अक़ीदा :– क़यामत के दिन मर्तबा शफाअते कुबरा हुज़ुर के खसाईस से है (यानि ये मर्तबा सिर्फ हुज़ुर को ही मिलेगा) जब तक हुज़ुर शफाअत का दरवाजा ना खोलेंगें। शफाअत न फरमायेंगे किसी और दूसरे को शफ़ाअत की मजाल ना होगी। बल्कि हक़ीक़तन जितने शफ़ाअत करने वालें हैं हुज़ुर के दरबार में शफाअत लायेंगे और अल्लाह तआला के सामने मखलुकात में सिर्फ हुज़ुर ही शफीअ (शफाअत कराने वाले) हैं ओर ये शफाअते कुबरा हर एक के लिये है चाहे वह काफ़ीर हो या मौमीन गुनाहगार सब को मिलेगी।

और हुज़ुरे अकरम बहुत से लोगों को बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमायेंगे। जिन की तादाद चार अरब नब्बे करोड़ हैं। इससे भी ज़्यादा वह है जिसकी तादाद अल्लाह व रसूल के इल्म में है। बहुत से ऐसे होंगे जिन का हिसाब हो चुका है और जहन्नम के मुस्तहक़ हो चुके उनको भी जहन्नम से बचायेंगें और बहुत सो की शफ़ाअत करके जहन्नम से निकालेंगें।

अक़ीदा :– हरक़िसम की शफाअत हुज़ुर के लिये साबित है। जैसे शफ़ाअत बिलवजाहत, शफाअत बिलमुहब्बत, शफाअत बिल अज़न। यानि आपको आपकी अज़मत से शफाअत का हक, अल्लाह से मोहब्बत की वजह से शफ़ाअत, अल्लाह के हुकम से आप शफाअत फरमायेंगे। इनका इन्कार वहीं करेगा जो गुमराह हो।

अक़ीदा :– हुज़ुर की इताअत (हुकम मानना) ऐन गोया खुदा ही की

इताअत है। अल्लाह की इताअत हुजुर की की इताअत के बगैर नामुमकिन है। यहां तक कि अगर आदमी फर्ज़ नमाज़ में हो और हुजुर उसे बुलाऐं तो फौरन जवाब दे और चल कर खिदमते अक़दस मे हाजिर हो जाये। यह आदमी कितनी ही देर हुजुर से बातचीत करे वह नमाज़ ही में है। उसकी नमाज़ में कोई खलल या खराबी नहीं।

अक़ीदा :— हुजुर अकदस सल्लला हो अलैहि व सल्लम की ताज़ीम यानि आप कि अज़मत पर ऐतिमाद रखना ईमान का हिस्सा व रूकन ईमान है। ताज़ीम का काम करना इमान लाने के बाद हर फर्ज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। देखों हज़रत अ़लि ने आप के आराम में खलल ना पड़े। इसलिये अपनी असर की नमाज़ छोड़ दी। यह बहुत मशहुर वाक़िया है। जो सब जानते है। लिहाज़ा साबित हुआ कि हुजुर की ताज़िम फर्ज़ से ज़्यादा ज़रूरी है।

साबित हुआ कि जुमला फराईज़ फरोअ़ है।
असल ल ऊसुल बन्दगी उस ताजवर की है।।

अक़ीदा :— हुजुर की ताज़ीम व तौकीर जिस तरह उस वक्त थी कि हुजुर इस आलमे जाहिरी में निगाहों के सामने तशरीफ फर्मा रहे थे। अब भी इसी तरह 'फर्ज़े आज़म' है। जब हुजुर का ज़िक्र आये तो बा कमाल खुशुअ व खुजुअ (बहुत आज़ीज़ी व इन्कसारी व दिली मोहब्बत व लगाव के साथ) ब इन्कसार बा अदब सुने ओर नाम पाक सुनते ही दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है।

"अल्ला हुम्मा सल्ले अला सैय्यदिना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सैय्यदना व मौलाना मोहम्मद व आलेही व असहाबे ही व बारिक व सल्लम।"

और हुजुर से मोहब्बत की ये निशानी है कि बक़सरत आप का ज़िक्र करे। उनके अज़ीम व बुलन्द मर्तबे का ख़्याल दिल में हर वक्त रखे और उन पर उठते–बैठते, चलते–फिरते, खड़े व बैठे हर तरह हर वक्त दुरू शरीफ पढ़ता

रहे।

नामे पाक लिखे तो उसके बाद सल्ल लाहो अलैहि व सल्लम लिखे। बाज़ लोग मुख्तसर करके सल्अम या सिर्फ स्वाद का निशान बना देते हैं। यह नाजाईज व हराम है। और मोहब्बत की ये भी अलामत है कि आल व असहाब व मुहाजरीन व अन्सार व कुल ताल्लुक रखने वाले और जो–जो उनसे निसबत रखते हैं उन सब से मोहब्बत रखे और हुजुर के दुश्मनों से अदावत रखे चाहे वह अपना बाप या बेटा या भाई या कुन्बा के ही क्यों ना हो। और चाहे वे कैसा ही आलिम, फ़ाजिल, पीर फकीर, उस्ताद वग़ैरा वग़ैरा ही क्यों ना हो। क्योंकि इनकी ईज्ज़त व अज़मत इसीलिये की जाती है। कि ये खुद हुजुर से मोहब्बत रखने वाले हैं। और जब ये ही हुजुर के दुश्मन हों या उनकी शान में गुस्ताखी या बे अदबी करें। या कम से कम ऐसे लोगों को जो आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की शाने पाक में गुस्ताख़ी कर चुके, को मुसलमान ही समझें तो भी वह काफीर है।

यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह रसुल से भी मोहब्बत हो और उनके दुश्मनों से भी उल्फत। एक को इख्तियार कर क्योंकि ज़िदें जमा नहीं हो सकती। चाहे जन्नत की राह चल या जहन्नम को जा।

और आप की मोहब्बत की यह भी निशानी है कि शाने अक़दस में जो अलफाज़ इस्तेमाल करे वह अदब में डूबे हुए हो। कोई ऐसा लफ्ज़ जिसमें कम ताज़ीमी की बू भी हो कभी ज़ुबान पर ना लाये।

अगर हुजुर को पुकारे तो नामे पाक के साथ निदा न करे। क्योंकि यह जाईज नहीं यानि यूं ना कहे 'या मोहम्मद' या यूं भी ना कहे– 'या अहमद' बल्कि यूं कहे या 'नबी अल्लाह' 'या रसुल्ल्लाह' या 'हबीब अल्लाह' या रहमतुल्लिल आलेमीन' 'या सैय्यदुल मुरसलीन' 'या ख़ातीमुन्ननबीयीन' 'या मुस्तफा' 'या मुजतबा' वग़ैरा वग़ैरा मगर ख़ास नामे अकदस 'मोहम्मद' व 'अहमद' के साथ 'या' का इस्तेमाल ना करें क्योंकि अल्लाह तआला ने सूराऐ

नूर में हम को इससे मना फरमा दिया है।

(देखों तफसीर जलालैन—फतावा रिज़विया, बहारे शरीअत वगैरा)

और यह भी कि अगर मदीना तैय्यबा की हाज़री नसीब हो तो रोजा शरीफ के सामने चार हाथ के फासले से दस्त बस्ता बा अदब नज़रे निचे किये जैसे नमाज़ में खड़े होते हैं। बा अदब खड़ा होकर सर झुकाऐ सलात व सलाम अर्ज़ करे।

बहुत करीब ना जाऐ। ईधर—उधर ना देखे ओर ख़बरदार ख़बरदार हरगीज़ कभी भी आवाज़ बुलन्द ना करना वरना उम्र भर का सारा किया कराया अकारत जायेगा। किसी काम ना आयेगा।और हुजुर की मोहब्बत कि ये भी निशानी है कि हुजुर के अक़वाल (फरमान) अफ़आल (काम) ऐहवाल (हालचाल) लोगों से मालूम करे और उन पर चले वरना वह मोहब्बत के दावे में सच्चा नहीं हो सकता। (फतावा रज़विया शरीफ—बहारे शरीअत)

अक़ीदा :— हुजुर के किसी क़ौल व फैल व अमल को जो हिकारत (नफरत) की नज़र से देखे काफिर है।

अक़ीदा :— आप सल्ल ला हु अलैही व सल्लम अल्लाह तआला के नायबे मुतलक़ हैं। तमाम जहान हुज़ुर के ज़ेरे तहत कर दिया गया है। जो चाहे करें। जिसे जो चाहें दे। जिस से जो चाहें वापस लें। तमाम जहांन में उनके हुकम को फैरने वाला कोई नहीं। तमाम जहांन उनका ताबेदार है। और वह अपने रब के सिवा किसी के ताबेदार नहीं। तमाम आदमियों के मालिक हैं। जो उन्हें अपना मालिक ना जाने 'हलावते सुन्नत' से महरूम रहे। तमाम ज़मीन उनकी मिलकियत है। तमाम जन्नतें इन की जागीर हैं। सारी ज़मीन व आसमान के फरिश्ते आप के ज़ेरे फरमान है। जन्नत दोज़ख की कुन्जियां दस्ते कुदरत में दे दी गई। रिज़क व खैर और हर किस्म की अताऐं हुजुर ही के दरबार से तकसीम होती हैं। दुनिया व आखिरत हुजुर की अता का एक हिस्सा है।

शरीअत के तमाम ऐहकाम हुजुर के कबज़ा में दे दिये गये। कि जिस पर जो चाहें हराम फरमा दें और जिस के लिये जो चाहे हलाल कर दें और जो फर्ज़ चाहें माफ फरमा दें। हर चीज़ का इख्तियार हुजुर को हासील है। (बहारे शरीअत)

अक़ीदा :– हुजुर नबीऊल अम्बिया हैं। यानि नबीयों के भी नबी हैं। रोज़े मिसाक़ तमाम अम्बिया से हुजुर पर इमान लाने और हुजुर कि नुसरत (मदद) करने का अहद लिया गया और इसी शर्त पर उन सब को ये नबुवत का मन्सब (ओहदा) अता किया गया। तमाम अम्बिया हुजुर के उम्मती हैं। लिहाजा हुजुर नबीऊल अम्बिया हैं।

मलायका यानि फरिश्तो का बयान

फरिश्ते नुरी जिसम के हैं। इनको अल्लाह तआला ने यह ताकत दी है कि जो शकल चाहें बन जायें। कभी वह इन्सान की शक्ल में ज़ाहीर होते है। कभी दूसरी शक्ल में।

अक़ीदा :—फरिश्ते वही करते हैं जो हुकमें इलाहि हैं। खुदा के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करते ना जान बुझकर न भुल से ना गलती से। फरिश्ते अल्लाह के मासूम बन्दे हैं। हर किस्म के छोटे बड़े गुनाहों से पाक हैं।

अक़ीदा :– फरिश्ते ना मर्द हैं ना औरत।

अक़ीदा :– उनको कदीम मानना या खालिक जानना कुफ्र है।

अक़ीदा :– किसी भी फरिश्ते के साथ अदना (मामूली) गुस्ताखी कुफ्र हैं जाहिल लोग अपने किसी दुश्मन या जिससे नफरत करते हैं उन्हें देख कर कह देते हैं कि मलेकुल मौत या ईज़राईल आ गया यह कलमा कुफ्र के क़रीब है। यानि इस बात के कहने से काफिर होने का सख़्त अन्देशा है।

अक़ीदा :– फरिश्तों के वजुद का इन्कार या ये कहना कि फरिश्ता नेकी की ताकत को कहते हैं इसके सिवा कुछ नहीं, ये दोनों बातें कुफ्र हैं।

अक़ीदा :– किसी फरिश्ता की अदना (मामूली) सी गुस्ताखी करने से

आदमी काफिर हो जाता है।

अक़ीदा :– फरिश्तों की तादाद अल्लाह ही जानता हैं जिस ने इनको पैदा फरमाया है ओर अल्लाह के बताने से रसुल भी जानते हैं। इन में चार फरिश्ते बहुत मशहुर हैं। जो सब फरिश्तों से अफज़ल व आला हैं।

1. हज़रत जिब्राईल अलैहि स्सलाम।

2. हज़रत मिकाईल अलैहि स्सलाम।

3. हज़रत इसराफिल अलैहि स्सलाम।

4. हज़रत इज़राईल अलैहि स्सलाम। (बहारे शरीअत)

जिन' का बयान

ये आग से पैदा किये गये है। इनमें भी किसी–किसी को यह ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहें बन जायें। इनकी उम्र बहुत लम्बी सेकड़ों हज़ारों साल की होती है। इनके बदमाशों, शरीरों को 'शैतान' कहते है। यह सब इन्सान की तरह अक़ल वाले, रूह वाले व जिस्म वाले है। उनमें औलाद भी होती है। खाते पीते जीते मरते हैं।

अक़ीदा :– इनमें मुसलमान भी है, और काफिर भी।

अक़ीदा :– इनके वजूद का इन्कार या बदी की कुव्वत का नाम 'जिन' या 'शैतान' रखना कुफ्र है।

आसमानी किताबें

अक़ीदा :–अल्लाह तआला ने जितने सहीफे और किताबे आसमान से नाज़िल फरमाइ हैं सब हक़ हैं। और सब अल्लाह का कलाम हैं। इन किताबों में जो कुछ इर्शादे खुदावन्दी हुआ सब पर इमान लाना और उन को सच मानना ज़रूरी है। किसी एक किताब का इन्कार करना कुफ्र है।(इसकी तफसील कुछ नबुवत के बयान में आगई है वहां देखें)

अक़ीदा :– दीने इस्लाम चुंकि हमेशा रहने वाला दीन है। लिहाजा कुरआन

मजीद की हिफाज़त की जिम्मेदारी अल्लाह तआला ने उम्मत के सिपुर्द नहीं फरमाई। बल्कि इस की हिफाजत खुद अल्लाह तआला ने अपने ज़िम्मे रखी। चुनाचे इर्शाद फरमाया कि :—

"बैशक हमने कुरआन उतारा और. यक़ीनन हम खुद इस के निगाहबान हैं।'

(कुरआन मजीद)

इसलिये कुरआन मजीद में कोई कमी बेशी कर दे यह मुहाल (नामुमकीन) है और जो यह कहे कि कुरआन मजीद में किसी ने कुछ रद्द व बदल या कम ज़्यादा कर दिया है वह काफिर है।

अक़ीदा :— अगली किताबे सिर्फ नबीयों ही को याद होती थी। लेकिन यह हमारे नबी और कुरआन का मो अजिज़ा है कि कुरआन मजीद को मुसलमान का बच्चा—बच्चा हिफ्ज़ कर लेता है।

तक़दीर का बयान

आलम में जो कुछ भला बुरा होता है सबको अल्लाह तआला उनके होने से पहले हमेशा से जानता है। और उसने अपने इसी ईल्म अज़ली के मुवाफिक हर भलाई बुराई मुकद्दर फरमा दी है। तकदीर इसी का नाम है। जैसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था। उसको अल्लाह तआला ने अपने इल्म से जाना और उसी को लोह मेंहफूज़ पर लिख दिया। तो ये न समझो कि जैसा उसने लिख दिया मजबूरन हमको वैसा ही करना पड़ता हैं बल्कि वाकिया यह है कि जैसा हम करने वाले थे वैसा उसने लिख दिया। जैद के ज़िम्मे बुराई लिखी इसलिये की ज़ैद बुराई करने वाला था। अगर ज़ैद भलाई करने वाला होता तो वह ज़ैद के लिये भलाई लिखता। तो अल्लाह तआला ने तकदीर लिख कर किसी को भलाई या बुराई करने पर मजबूर नहीं कर दिया।

अक़ीदा :— तकदीर पर ईमान लाना भी ज़रूरीयात दीन में से है। तकदीर के इन्कार करने वाले को नबी अकरम सल्ललाहुं अलैहि व सल्लम ने इस उम्मत का 'मजुसी' बताया है। (यानि आग की पूजा करने वाला)

अक़ीदा :— तक़दीर के मसाईल आम लोगों की समझ में नहीं आ सकते। इसलिये तकदीर के मसाईल में ज़्यादा गौर व फिक्र व बहस मुबाहिसा करना हलाकत का सबब है। अमीरूलमोमीनीन हज़रत अबुबकर सिद्दीक व अमीरूल मौमीनीन हज़रत उमर फारूक़ रज़ि अल्लाहु तआला अनहुमा तक़दीर के मसलों में बहस करने से मना फरमाये गये हैं। फिर भला हम तुम किस गिनती में हैं। कि इस मसला में बहस व मुबाहीसा करें। हमारे लिये यही हुकम है कि तकदीर पर ईमान लायें और इस मुशकिल और नाजुक मसला में हरगीज़ हरगीज़ कभी बहस व मुबाहिसा और हुज्जत व तकरार ना करें। इसी में ईमान की सलामती है। (बहारे शरीअत जिलद अव्वल)

आलमे बरज़ख

मरने के बाद और कयामत के दिन से पहले दुनिया व आखिरत के बीच एक और आलम है। जिस को 'आलमे बरज़ख' कहते हैं। तमाम इन्सानों और जिनों को मरने के बाद इसी आलम में रहना होता है। इस आलमे बरज़ख में अपने—अपने आमाल के ऐतबार से किसी को आराम मिलता है और किसी को तकलीफ। यह आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है।

अक़ीदा :— मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक बदन के साथ बाकी रहता हैं अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई है। मगर बदन पर जो आराम या तकलीफ होगी रूह ज़रूर इस को महसूस करेगी और मुतास्सीर होगी। जिस तरह दुनयावी जिन्दगी में बदन पर जो आराम या तकलीफ पड़ती है उसकी लज़्ज़त और कुलफत (तकलीफ) रूह को पहुंचती है। इसी तरह आलमें बरज़ख में भी यही होता है।

अक़ीदा :— मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्ब मर्तबा (मर्तबे के लिहाज से) मुखतलिफ मकामों (जगहों) में रहती है। बाज़ की कब्र पर, बाज़ की चाह ज़म ज़म शरीफ में, बाज की आसमान व ज़मीन के बीच में, बाज की आसमानों से भी बुलन्द और बाज़ (कुछ) की रूहें अर्श के निचे क़न्दीलों में, कुछ की 'आला अलययीन' में मगर कहीं हो। अपने जिस्म से उनको ताल्लुक बदस्तुर रहता हैं। जो कोई क़ब्र पर आये उसे देखते, पहचानते और इसकी बात सुनते हैं। बल्कि रूह का देखना कब्र पर जाने से ही खास नहीं इसकी मिसाल हदीस शरीफ में यूं फरमाई है कि एक परिन्दा पहले पिन्जरे में बन्द था और अब आजाद कर दिया गया है।

अईम्मा कराम फरमाते हैं 'बेशक पाक जाने जब बदन से अलग होती हैं आलमे बाला से मिल जाती है और सब कुछ ऐसा देखती सुनती हैं। जैसे यहां हाज़ीर हैं।'

जब मौमिन मरता है उस की राह खोल दी जाती है। जहां चाहे जाये। शाह अब्दुल अज़ीज साहब लिखते हैं

'रूह रा कुरब व बुअद मकानी यकसां अस्त' यानि रूह का पास या दुर होना बराबर है।

काफिरों की खबीस रूहें बाज़ (कुछ की) उन के मरघट या कब्र पर रहती हैं। बाज़ कि चाह बरहुत (बरहुत के कुंआ में) में कि यमन में एक नाला है। बाज़ की पहली दुसरी सातवीं ज़मीन तक बाज की उसके भी निचे 'सज्जियीन' में और वह कहीं भी रहे जो उस कि कब्र या मरघट पर गुज़रे उसे देखते पहिचानते उस कि बात सुनते हैं। मगर कहीं आने जाने का इख्तियार नहीं क्योंकि कैद हैं।

अक़ीदा :— यह ख्याल की रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है। चाहे वह आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का, जिसको 'तनासुख' और 'आवागौन' कहते हैं। महज़ बातील और इसका मानना कुफ्र है। (यह

हिन्दुओं का अक़ीदा है कि रूह दुसरे जिस्म में दाखिल हो कर वापस पैदा हो जाती है)

अक़ीदा :– मौत के मानी रूह का जिस्म से जुदा हो जाना है। ना यह कि रूह मर जाती हो। जो रूह को फना माने बदमजहब है।

अक़ीदा :– मुर्दाकलाम (बातचीत) भी करता है और उसके कलाम को अवाम जिन और इन्सान के सिवा (इलावा) तमाम हैवानात वग़ैरा सुनते भी हैं।

अक़ीदा :– जब आदमी मर जाता है तो अगर गाड़ा जाये तो गाड़ने के बाद और ना गाड़ा जाये तो वह जहां भी हो और जिस हाल में भी हो उस के पास दो फरिश्ते आते हैं। एक का नाम 'मुनकिर' दूसरे का नाम 'नकीर' हैं ये दोनों फरिश्ते मुर्दा से सुवाल करते हैं। कि तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और हज़रत मोहम्मद रसुल्ललाह सल्ललाहु अलैही व सल्लम के बारे में पूछते हैं कि यह कौन हैं?।

अगर मुर्दा ईमानदार हुआ। तो ठीक–ठीक जवाब देता है। कि मेरा रब 'अल्लाह' है। मेरा दीन इस्लाम है और हज़रत मोहम्मद सल्लला हो अलैही व सल्लम अल्लाह के रसुल हैं। फिर इस के लिये जन्नत की तरफ खिड़की खोल देते हैं। जिस से ठंडी–ठंडी खुशबुदार हवाऐं जन्नत से आती रहती हैं और मुर्दा आराम व चैन के मज़ा में पड़ कर अपनी क़ब्र में सुख की नींद सो रहता हैं

और अगर मुर्दा इमानदान ना हुवा तो सब सवालेां का जवाब यही देता है कि "मुझे मालुम नहीं।" फिर उसकी क़ब्र में दोज़ख की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है और जहन्नम की गरम गरम बदबुदार हवाऐं कब्र में आती रहती है।और मुर्दा तरह–तरह से सख़्त अज़ाबों में गिरफ्तार होकर तड़पता और बेक़रार रहता हैं फरिश्ते उस को गुरज़ो से मारते रहते हैं और उसके बुरे काम सांप बिच्छु बन कर उसे अज़ाब पहुंचाते रहते हैं।

अक़ीदा :– क़ब्र में जो कुछ अज़ाब व स्वाब मुर्दे को दिया जाता है। ओर जो कुछ उस पर गुज़रती हैं वह सब चीज़े मुर्दा को मालुम होती हैं। ज़िन्दा लोगों को इसका कोई इल्म नहीं होता। जैसे सोता हुआ ख्वाब में आराम व तकलीफ और किस्म–किस्म के मनाज़िर सब कुछ देखता हैं लज्ज़त भी पाता है। और तकलीफ भी उठाता हैं मगर उसके पास ही में जागता हुआ इन्सान इन सब बातों से बेखबर रहता है।

अक़ीदा :– मुर्दा अगर कब्र में दफन ना किया जाये तो जहां पड़ा रहा या फैंक दिया गया। गरज कहीं हो। उस से वहीं सुवालात होंगे और वहीं स्वाब या अज़ाब उसे पहुंचेगा। यहां तक कि जिसे शैर खा गया तो शैर के पैट में सुवाल व स्वाब व अज़ाब जो कुछ हो पहुंचेगा।

अक़ीदा :– अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया कराम व उलमाऐ दीन, व शहीदों व हाफ़िज़ाने कुरआन मजीद कि कुरआन पर अमल करते हों और वह जो मनसबे मोहब्बत पर फाईज़ हैं। ओर वह जिस्म जिसने कभी अल्लाह तआला की मआसियत (गुनाह) ना की। ओर वह कि अपने औकात दुरूदशरीफ में मुस्तग़रक रखते हैं। यानि हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। इन सब के बदन को मिट्टी नहीं खा सकती। जो सख्श अम्बिया कराम की शान में ये खबीस कलाम कहे कि "मर के मिट्टी में मिल गये" गुमराह बददीन, खबीस मुरतकीब तौहीन काफिर है।

मआद व हशर का बयान

(यानि क़ियामत का बयान)

बेशक ज़मीन व आसमान और जिन व इन्सान व फरिश्ते सब एक दिन फना होने वाले हैं। सिर्फ एक अल्लाह तआला के लिये हमेशगी व बक़ा है। दुनिया के फना होने से पहले चन्द निशानीयां ज़ाहीर होगी।

(1) तीन आदमी जमीन में धंस जायेंगे। (2) इल्म उठ जायेगा (3) जिहालत की कसरत होगी (4) ज़िना (बलात्कार) की ज़्यादती होगी। (5)

मर्द कम औरतें ज़्यादा होगी (6) दज्जाल के अलावा (30) तीस दज्ज़ाल और होंगे सब नबुवत का दावा करेंगे (7) दौलत की कसरत होगी नहर फरात अपने खज़ाने खोल देगी के सोने के पहाड़ होंगे। (8)अरब में खेती बाग व नहरें हो जाऐगी (9) दीन पर चलना मुश्किल हो जायेगा जैसे मुट्ठी में अंगारा (10) वक़्त में बरकत न होगी, साल महीने की तरह और महीना हफ्ते के बराबर और हफ्ता मिसल दिन के हो जायेगा। (11) ज़कात देना लोगों पर भार महसूस होगा कि इसको तावान (जुर्माना) समझेंगे। (12) इल्मेदीन पढ़ेंगे मगर दीन के लिये नहीं (13) मर्द अपनी औरत का गुलाम होगा। (14) माँ बाप की नाफरमानी करेगा। (14) अपने दोस्तों से मैल जौल रखेगा। (16) मस्जिद में लोग चिल्लाऐंगे। (17) गाने बाजे की कसरत होगी। (18) दरिन्दे जानवर आदमी से बातें करेंगे।

(19) कोडे की फन्ची जुते का तसमा (लैस) बातें करेगा।

(20) ज़लील लोग जिन्हें जुतियां नसीब न थी बड़े–बड़े महलों में राज करेंगे।

(21) दज्जाल ज़ाहीर होगा और दुनिया में अजीब गरीब चीजे दिखाऐगा। उस वक्त हजरत मसीह अलैहि स्सलाम आसमान से दमिश्क की जामा मस्जिद में नजुल फरमायेंगे। इमाम मेहदी को नमाज़ का हुक्म देंगे वह नमाज़ पढायेंगे। वह दज्जाल ईसा मसीह की सांस की खुशबु से पिघल जायेगा। ईसा अलेयही स्सलाम सलीब (+ क्रौस) को तोडेंगे। खंज़ीर को क़त्तल करेंगे। वग़ैरा (तफसील बहारे शरीअत पहला हिस्सा में देखें)

(22) याजुज माजुज ज़ाहीर होंगे ।

(23) धुवां ज़ाहीर होगा जिससे ज़मीन से आसमान तक अंधेरा हो जायेगा।

(24) दाबतुलअरद़ का निकलना ये एक जानवर है उसके हाथ में असाऐ मूसा और सुलैमान अलैही स्सलाम की अंगूठी होगी। असा (लकड़ी) से हर मुसलमान की पैशनी पर एक नूरानी निशान बनाऐगा। और अंगूठी से हर काफीर की पैशानी पर एक सख़्त सियाह धब्बा । उस वक्त सब मुस्लिम

व काफिर ऐलानिया ज़ाहीर होंगे।

(25) सुरज का मगरिब (पच्छिम) से निकलना इसके ज़ाहीर होते ही तोबा का दरवाज़ा बंद हो जायेगा उस वक्त का इस्लाम मौअतबर नहीं।

(26) वफात सैय्यदना ईसा अलैह स्सलाम के एक ज़माना बाद जब कयामत को 40 चालीस साल रह जायेंगे। एक खुशबुदार ठंडी हवा चलेगी जो लोगों की बगलों के निचे से गुज़रेगी जिसका असर ये होगा के मुसलमान की रूह कब्ज़ हो जायेगी। और काफिर ही काफिर रह जायेंगे और उन्हीं पर क़ियामत क़ायम होगी।

अक़ीदा :– हश्र सिर्फ रूह का नहीं बल्कि रूह व जिस्म दोनों का होगा। जो कहे सिर्फ रूहें उठेगी जिस्म ज़िन्दा ना होंगे वह भी काफिर है।

अक़ीदा :– कियामत के दिन सब अपनी–अपनी कबरों से ज़िन्दा उठेंगे। और सब मैदान हशर में जायेंगें। ज़मीन हमवार कर दी जायेगी। ज़मीन तांबे की और सूरज एक मील के फासले पर होगा। लोग पसीने में डूबते होंगे। तरह तरह के अज़ाब व मुसिबतों में फंसे होंगे। सब मिल कर आदम अलैहि स्सलाम के पास जायेंगे। कि वह सिफारिश कर दें। मगर वह इन्कार फर्मा देंगे। फिर सब पैगम्बरों के पास होते हुवे आखिर में हुजुर पुरनूर रसुले खुदा के पास हाज़िर होंगे। ओर आप की तारीफ बयान करेंगे। आखिर कार आप शिफाअत फरमायेंगें। जिस के दिल में राई के दाना से भी कम इमान होगा उसके लिये भी शफाअत फरमायेंगे।

औलिया कराम, शहीद, उलेमा, हाफिज़ हाजी बल्कि हर वह सख्श जिस को कोई मन्सबे दीनी ईनायत हुआ। अपने–अपने मुताल्लैक़ीन की शफाअ़त करेगा।

अक़ीदा :– हिसाब का मुनकर (इन्कार करने वाला) काफिर है।

अक़ीदा :– क़ियामत के दिन हर सख्श को इसका नामाऐं आमाल दिया जायेगा।

अक़ीदा :– होज़े कौसर कि नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम को मिला हुवा है। हक़ है। इस हौज़ की मुसाफत (दुरी) एक महीना की राह है। उसके किनारों पर मोती के कुब्बे हैं। इसकी मिट्टी निहायत खुशबुदार मुश्क की है। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफेद शहद से ज़्यादा मीठा और मुश्क से ज़्यादा पाकिजा और उस पर बर्तन सितारों से भी गिनती में ज़्यादा। जो उस का पानी पीयेगा कभी प्यासा न होगा।

अक़ीदा :– मीज़ान (तराजु) हक़ है उस पर लोगों के आमाल नेक व बद तोले जायेंगे।

अक़ीदा :– हुजुर अकदस सल्ल लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह अज्ज़ा व जल्ला मुकामे मेहमुद अता फरमायेगा। कि तमाम अव्वलीन व आख़ीरीन हुजुर की हम्द व सताईश करेंगे।

अक़ीदा :– हुजुर अकदस को एक झंडा दिया जायेगा। जिसको "लिवाऊलहम्द" कहते है। तमाम मौमीनीन हज़रत आदम अलैहि स्सलाम से आखीर तक सब उसी के निचे होंगे।

अक़ीदा :– सिरात हक है। यह एक पुल है। जिको जहन्नम के उपर लगाया जायगा। बाल से बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। जन्नत में जाने का यही रास्ता हैं सब से पहले नबी सल्ललाहु अलैही व सल्लम गुज़र फरमायेंगे। फिर अम्बिया व मुर्सिलीन फिर ये उम्मत, फिर दूसरी उम्मते गुज़रेगीं। यहां भी हुजुर पुर नूर गुनाहगारों की मदद फरमायेंगें। खुदा से हर वक्त बा कमाल गिरया व ज़ारी (रोते हुऐ) अपनी उम्मत आसी की निजात कि फिक्र में अपने रब से दुआ कर रहे होंगे। 'रब्बे सल्लिम' 'रब्बे सल्लिम' इलाही इन गुनाहगारों को बचाले बचाले। और हुजुर उस दिन हर जगह दौरा फरमायेंगे कभी मीज़ान पर जिसकी नेकीयों में कमी देखेंगे उसकी शफाअत फरमा कर निजात दिला देंगे। कभी हौज़ कौसर पर प्यासों को सैराब फरमायेंगे। और वहां से पुल सिरात पर गिरतो को बचाने पहुंच जायेंगे। गरज़ हर जगह

उन्ही की दुहाई। हर सख़्श उन्ही को पुकारता उन्हीं से फरियाद करता है। और उनके सिवा (इलावा) किस को पुकारे कि हर एक को तो अपनी फिक्र है। दुसरो को क्या पूछे। सिर्फ एक यही हैं जिन्हें अपनी फिक्र कुछ नहीं। और तमाम आलम का बार इनके जिम्में। कियामत का एक दिन पचास हज़ार साल के बराबर होगा।

अक़ीदा :– जन्नत दोज़ख हक़ हैं। इनका इन्कार करने वाला काफ़िर है।

अक़ीदा :– जन्नत दोजख़ को बने हुऐ हज़ारों साल हो गये। वह अब भी मौजुद हैं। यह नही क़ी इस वक़त तक नहीं बनी अब कियामत के दिन बनाई जायेगी बल्कि अल्लाह तआ़ला दोनों को पहले ही बना चुका है।

जन्नत का बयान

जन्नत एक मकान है कि अल्लाह तआला ने इमान वालों के लिये बनाया है इस में वह नैमतें मुहय्या की हैं जिन को आंखों ने देखा ना कानों ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर इन का खतरा गुज़रा। जो कोई मिसाल उस की तारीफ में दि जाये समझाने के लिये है। वरना दुनियां की आ़ला से आ़ला शै (चिज़) को जन्नत कि किसी चीज़ के साथ कुछ बराबरी नहीं।

वहां की कोई औरत अगर ज़मीन की तरफ झांके तो ज़मीन से आसमान तक रौशन हो जाये। और खुशबु से भर जाये। और चांद सुरज की रौशनी जाती रहे। और उसका दुपट्टा दुनियां जहान से बेहतर। और एक रिवायत में यूं है कि अगर हुर अपनी हथैली ज़मीन व आसमान के दरम्यान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से दुनिया फितने में पड़ ज़ायें। अगर जन्नती का कंगन ज़ाहीर हो तो सूरज की रौशनी मिटा दे।

जन्नत बहुत बड़ी है। जिसका हाल खुदा ही जाने एक हदीस में है कि जन्नत में एक दरख़्त है जिसके साया में सौ बरस तक तेज़ घौड़े सवार चलता रहे तो साया ख़तम न हो। दरवाज़े इतने बड़े हैं कि उनके बीच तेज घोड़े

को सत्तर साल तक दोडायें तब रास्ता पुरा हो।

जन्नत में किस्म किस्म के जवाहर के महल होंगे। इसकी दिवारें सोने चांदी की, ईटों और मुश्क के गार से बनी हैं। ज़मीन ज़ाफरान की, कंकरियों की जगह मोती याकूत हैं। अम्बर की मिट्टी। जन्नत में एक एक खेमा मोती का होगा जिसकी ऊंचाई 60 मील है।

जन्नत में चार दरिया है। एक पानी का, दुसरा दुध का, तीसरा शहद का, चौथा शराब का। फिर इन से नहरें निकल कर हर एक के मकान में बहती हैं। वहां की शराब दुनिया की तरह नहीं जिसमें बदबु ओर कड़वाहट और नशा होता है। और पीने वाले बे अक़ल हो जाते हैं। आपे से बाहर होकर बेहुदा बकते हैं। वह पाक शराब इन बातों से पाक है।

जो खाना चाहेंगे बना बनाया हाज़ीर हो जायगा। पीना चाहेंगे तो कुज़े अपने आप हाथ में आजायेंगे। वहां गन्दगी, पाख़ाना, पैशाब, रींठ, कान का मैल, बदन का मैल, थुक, खेंखार कुछ ना होगा।

हर सख्श के सिराहने दस हज़ार खादीम खडे होंगे। हर एक के हाथ में चांदी का व दुसरे हाथ में सोने का प्याला होगा। हर प्याले में नये–नये रंग की नैमत होगी। जितना खाता जायेगा। लज्ज़त में कमी ना होगी। बल्कि ज़्यादा होगी। हर निवाले में सत्तर मज़े होंगे। हर मज़ा दुसरे से अलग होगा।

सब जन्नती जवान होंगे। सब में इत्तेफाक होगा। सब एक दिल होंगे। कोई इख़तिलाफ व बुगज़ ना होगा। जन्नतीयों के चेहरे चोहदवीं के चांद की तरह चमकते होंगे। हर एक को कम से कम दो बीवीयां हुरे अैन में से मिलेगी कि सत्तर–सत्तर जोड़े पहने होगी फिर भी लिबासों और गोश्त के बाहर से उनकी पिन्डलियों का मग़ज़ दिखाई देगा। वह हर बार कुंवारी रहेगी। अगर हुर समन्दर में थूंक दे तो वह समुद्र शहद से ज़्यादा मीठा हो जाये। हर जन्नती को जन्नत में अल्लाह का दिदार होगा। जन्नत की इस कदर नैअमतें है कि बयान नहीं हो सकती। ओर यह भी कि जन्नत सिर्फ मुसलमानों

के लिये ही है। काफीर मुशरिक हरगीज़ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता।

दोज़ख का बयान

यह एक मकान है कि उस क़हर वाले व जब्बार के ज़लाल व गुस्से का ज़ाहीर करने का ज़रीया है। जिस तरह उस की नैमत की इंतिहा नहीं कि इन्सानी खयालात व तसव्वुरात जहां तक पहुंचे उसकी बेशुमार नैमतों का एक ज़र्रा हैं। उसी तरह उस के गज़ब व क़हर की कोई हद नहीं की हर वह तकलीफ व अज़ीयत कि जो ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा सोच ली जाये वह भी उसके अज़ाब का एक मामूली हिस्सा हैं। यानि अल्लाह तआला जब्बार व कहहार का अज़ाब बेहद व बे हिसाब और बहुत सख़्त से सख़्त है। कि हम उसको बर्दाश्त करने की ज़र्रा बराबर ताकत नहीं रखते।

कुरआन मजीद व हदीस शरीफ में उसकी जो जो सखतियां बयान हुई उनमें से कुछ मुख्तसर बयान करता हूं। कि मुसलमान देखें ओर उस से पनाह मांगे और उन आमाल और ऐसे बुरे कामों से बचे जिन की सज़ा जहन्नुम है।

हदीस शरीफ में है कि 'जौ बन्दा जहन्नुम से पनाह मांगता हैं जहन्नुम कहता है। ऐ रब ये मुझ से पनाह मांगता है। तु उसको पनाह दे। कुरआन मजीद में कई जगह इर्शादे रब्बानी हुआ कि जहन्नम से बचो दोज़ख से डरो।

हमारे आक़ा व मौला सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हम को सिखाने के लिये कसरत के साथ उससे पनाह मांगते। जहन्नम के शरारे (लिपटे) ऊंचे-ऊंचे महलों के बराबर उडेंगे। गोया ज़रद उंटों की कतार। ओर यह लपटे लगातार उड़ती रहेंगी। आदमी और पत्थर उस का ईंधन है. यह जो दुनिया कि आग है उस आग के सत्तर हिस्से में से एक हिस्सा है।

जिसको सब से कम दर्जा का अज़ाब होगा उसे आग की जुतियां पहना दि जायेंगी। जिससे उसका दिमाग ऐसा उबलने लगेगा जैसे तांबे की डेगची

में उबाल आता है। वह समझेगा कि सब से ज़्यादा अज़ाब इसी पर हो रहा है। हालांकि उस पर सबसे हल्का है।

सबसे हल्के दर्जे का जिस पर अज़ाब होगा उससे अल्लाह तआला पूछेगा कि अगर सारी ज़मीन तेरी हो जाये तो क्या तु इस अज़ाब से बचने के लिये खेरात में दे देगा। यह अर्ज़ करेगा, हां। फरमायेगा जब तु आदम की पुश्त में था, तो हम ने इस से बहुत आसान चीज़ का हुक्म दिया था। कि कुफ्र ना करना। मगर तुने ना माना। जहन्नम की आग हज़ार बरस तक धोंकाई गई। यहां तक कि सूर्ख (लाल) हो गई। फिर हज़ार बरस तक और धोंकाई गई यहां तक कि सफैद हो गई। फिर हज़ार बरस और यहाँ तक की काली हो गई। अब वह बिलकुल काली है। जिसमें रौशनी का नाम नहीं।

जिब्राईल अलेहिस्सलाम ने नबी सल्ल लाहु तआला अलैहि व सल्लम से कसम खा कर अर्ज़ कि के अगर जहन्नम से सुई के नाके कि बराबर खोल दिया जाय। तो तमाम दुनिया वाले सबके सब उसकी गर्मी से मर जायें।

और क़सम खा कर कहा कि अगर जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया वालों पर जाहीर हो तो ज़मीन के रहने वाले सब के सब उसकी शकल देख कर मर जाये। और बकसम बयान किया कि जहन्नमियों की ज़न्ज़ीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ों पर रख दी जाये तो कांपने लगें। और वह लरज़ती रहें यहां तक की ज़मीन में धंस जायें।

यह दुनिया की आग जिसकी गर्मी और तेज़ी से कौन वाकिफ नहीं कि बाज़ मौसम में तो उसके करीब जाना भी मुशकिल होता है। फिर भी यह आग खुदा से दुआ करती है कि उसे जहन्नम में फिर ना ले जाये।

मगर ताज्जुब है कि इन्सान जहन्नम में जाने का काम करता है। और उस आग से नहीं डरता जिस से दुनिया की आग भी डरती और पनाह मांगती है।

दौज़ख की गहराई को खुदा ही जाने कि कितनी गहरी है। हदीस शरीफ में है कि अगर पत्थर की चट्टान जहन्नम के किनारे से उसमें फेंकी जाये तो

सत्तर बरस में भी तह तक ना पहुंचेगी। और इन्सान के सर बराबर सीसा का गोला आसमान से ज़मीन को फैंका जाये तो रात आने से पहले ज़मीन तक पहुंच जायेगा। हालांकि यह पांच सौ बरस की राह है।

जहन्नम में अलग–अलग तबकात, धाटीयां वादिया कुंऐ वग़ैरा हैं। वादीयां ऐसी हैं कि जहन्नम भी हर रोज सत्तर मर्तबा या ज़्यादा उन से पनाह मांगता हैं। यह खुद उस मकान यानी जहन्नम की हालत है कि खुद पनाह मांगता है। अगर इसमें और कुछ अजाब ना होता तो यही क्या कम था। मगर कुफ्फार को सज़ा देने के लिये तरह–तरह के अज़ाब बनाये गये हैं।

लोहे के ऐसे भारी गुर्ज़ो से फरिश्ते मारेंगे की अगर कोई एक गुर्ज़ ज़मीन पर रख दिया जाय तो तमाम जिन व आदमी मिल कर उसको उठा नहीं सकते। उंट की गर्दन के बराबर बिछु और अल्लाह ही जाने किस कदर बड़े–बड़े सांप कि अगर एक मर्तबा काट लें तो उसकी जलन दर्द व बैचेनी हज़ार बरस तक रहे।

तैल की जली हुई तलछट की तरह का सख़्त उबलता हुआ पानी पीने के लिये दिया जायेगा। कि मुंह के करीब लाते ही उसकी तेज़ी से चेहरे की खाल गल कर गीर जोयगी। सर पर गर्म पानी बहाया जायेगा। जहन्नमीयों के बदन से जो पीप बहेगी वह पीलाई जायेगी। कांटेदार थूहड़ खाने के लिये दिया जायगा। वह ऐसा होगा कि अगर एक कतरा दुनिया में आये तो उसकी जलन व बदबु तमाम एहले दुनिया को बर्बाद कर दे। और वह गले में जाकर फन्दा डालेगा। उसके उतारने के लिये पानी मागेंगे। उन को वह उबलता हुआ पानी दिया जायगा कि मुंह के करीब आते ही मुह की सारी खाल गल कर उस में गीर पड़ेगी। और पेट में जाते ही आंतों के टूकडे–टूकडे कर देगा। और वह शोरबे की तहर बह कर कदमो की तरफ निकलेंगी।

प्यास इस कदर होगी कि उस पानी पर ऐसे टूट कर पडेंगे जैसे प्यास के मारे हुऐ ऊंट। फिर कुफ्फार जान से घबरा कर आपस में मशविरा करके

जहन्नम के दरोगा हज़रत मालिक अलैहिस्सलात व स्सलाम को पुकारेंगे। ऐ मालिक तेरा रब हमारा किस्सा तमाम कर दे। मालिक अलैहि स्सलातु व स्सलाम हज़ार बरस तक जवाब न देंगे। हज़ार बरस बाद फरमायेंगे मुझ से क्या कहते हो। उस से कहो जिसकी नाफरमानी की है। फिर सें हज़ार बरस तक रब्बुल इज्ज़त को उसकी रहमत के नामों से पुकारेंगे। वह हज़ार बरस तक जवाब ना देगा। उसके बाद फरमायेगा। तो यह फरमायेगा। दूर हो जाओ, जहन्नम में पड़े रहो मुझ से बात ना करो। उस वक़्त कुफ्फार हर किस्म् कि खैर से ना उम्मीद हो जायेंगे। और गधे की आवाज की तरह चिल्ला कर रोयेंगे। शुरू में आंसू निकलेगा जब आंसू खत्म हो जायेंगे। तो खून रोयेंगे। रोते–रोते गालों में खन्दको की तरह गड्डे पड़ जायेंगे रोने का खून व पीप इस कदर होगा कि अगर उस में कशतीयां डाली जायें तो चलने लगें।

जहन्नमीयों की शकले ऐसी बदसूरत होगी कि अगर दुनियां में कोई जहन्नमी उसी सूरत पर लाया जाये तो तमाम लोग उसकी बदसूरती और बदबू की वजह से मर जायें। और बदन इनका ऐसा बड़ा कर दिया जायेगा कि एक कन्धे से दुसरे तक तेज सवार के लिये तीन दिन की राह है। एक दाड़ ओहद के पहाड़ के बराबर होगी। खाल की मोटाई बयालिस ज़राअ की होगी। जबान ढेड़ किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक मूंह से बाहर घसटती होगी। कि लोग इसको रोन्देंगे। बेठने की उतनी जगह होगी कि जैसे मक्का से मदीना तक। और वह जहन्नम में मुंह सिकोड़े होंगे कि उपर का होट सिमट कर बीच सर को पहुंच जायेगा। और निचे का लटक कर नाफ को आ लगेगा।

इन बातों से यह मालूम होता है कि कुफ्फार की शकल जहन्नम में इन्सानी शक्ल न होगी। क्योंकि यह शकल अहसने तक्वीम है। और यह अल्लाह अज्ज़ा व जल्ला को मेहबूब है। कि उसके मेहबूब की शकल से मिलती है। बल्कि जहन्नमीयों का वह हुलिया है जो उपर बयान किया गया। फिर आखिर

में कुफफार के लिये यह होगा कि उसके कद बराबर आग के सन्दुक में उसे बन्द करेंगे फिर उसमें आग भडकायेंगे। और आग का कुफल (ताला) लगाया जायेगा। फिर यह संदूक आग के दूसरे संदुक में रखा जायेगा। और इन दोनों के दरम्यान आग जलाई जायेगी। और उसमें आग का ताला लगा दिया जायगा। अब तो हर काफीर यह समझेगा कि उस के इलावा अब कोई आग में ना रहा। और यह अज़ाब के उपर अज़ाब है। और अब हमेशा उसके लिये अज़ाब है।

जब सब जन्नती जन्नत में दाखिल हो लेंगे। और जहन्नम में सिर्फ वही रह जायेंगे। जिनको हमेशा के लिये इसमें रहना है। उस वक्त जन्नत व दोज़ख के दरमियान मौत को मेंढे की सुरत ला कर खड़ा करेंगे। फिर आवाज देने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा। वह दौड़ते हुए झाकेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां से निकलने का हुकम हो। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा। वह खुश होते हुए झाकेंगे कि शायद इस मुसीबत से रिहाई हो जाये। फिर इन से पूछेगा कि इसे पहचानते हो सब कहेंगे कि हाँ यह मौत है। वह जब्ह कर दी जायगी।

वह कहेगा कि ऐ ऐहले जन्नत अब हमेशगी है अब मरना नही और एक ऐहले नार हमेशगी है अब मौत नही। अब उस वक्त उन के खुशी पर खुशी है। और उनके लिये गम बालाए ग़म।

ईमान व कुफ्र का बयान

ईमानः– सच्चे दिल से उन सब बातो की तस्दीक करना यानी मानना और सही समझना जो दीन की ज़रूरी–ज़रूरी बातें हैं। और जुबान से भी इन सब का इक़रार करने को ईमान कहते है।

ज़रूरियाते दीन क्या है? जरूरीयाते दिन वह मसाइले दीन है जिनको हर सख्श खास व आम जानते है। जैसे अल्लाह एक है। अम्बिया की नबुवत,

जन्नत, दोज़ख, कियामत हशर नशर यानि ये अकीदा कि मरने के बाद वापस पैदा किये जायेंगे। और मैदान हशर में हिसाब किताब होगा, फरिश्तों को और जिन्नात वग़ैरा–वग़ैरा को मानता हो।

और मसलन ये ऐतिक़ाद के हुज़ुर खातिमुन्ननबीयीन हैं। हुज़ुर के बाद कोई नया नबी नही हो सकता। और यह भी अकीदा रखे कि इस्लाम सच्चा और अच्छा दीन हैं जो कुछ इसमें है हक़ है। और उन पर इमान रखता हो। यह सब बातें मुसलमान होने के लिये ज़रूरी है। इमान के बगैर कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता।

अक़ीदा :– मुसलमान होने के लिये यह भी शर्त है कि जुबान से किसी ऐसी चीज़ से इन्कार ना कर दे जो ज़रूरीयाते दीन से हैं। चाहे बाकी बातों को मानता हो। तो भी उस एक ज़रूरीयात से इन्कार करने की वज़ह से काफिर हो गया। चाहे वह यह कहे कि सिर्फ जुबान से इन्कार हैं दिल से इन्कार नहीं तो भी काफीर हैं।

मसला :– कोई सख्श कलमाए कुफ्र कहने पर मजबुर किया जाये यानि उसे मार डालने या उसके बदन का कोई हिस्सा काट डालने की सही धमकी दी गई कि ये धमकाने वाले इस बात के करने के काबिल हैं। तो ऐसी हालत में उस को छुट दी गई है। मगर शर्त ये है कि दिल में वही इतमीनाने इमानी हो जो पहले था। मगर अफज़ल यही है कि कत्ल हो जाये और कलमए कुफ्र ना कहे।

मसला :– अमल (काम) इमान की बुनियाद नही। अलबत्ता कुछ काम जो कतअन इमान के खिलाफ हो उनके करने वाले को काफिर कहा जायेगा। जैसे बुत (मुर्ति) या चांद सूरज को सज़दा करना या कुरआन पाक या काबा शरीफ की तौहीन करना। या नबी की तौहीन करना। या किसी सुन्नत को हलका बताना ये बाते यकीनन कुफ्र हैं।

कुछ काम ऐसे है जो कुफ्र की निशानी हैं। जैसे जुन्नार (जनेऊ) बांधना।

सर पर चोटी रखना, टीका लगाना, काफिरों के मैलें त्यौहार में जाना और उन के मेले की शान बढ़ाना ये बातें यक़ीनन कुफ्र हैं। इनके करने वाले को नये सिरे से इस्लाम लाने और बीवी रखता हो तो दो बारा निकाह दोहराने का हुक्म दिया जायगा। दिवाली दशहरा वग़ैराह इनके त्यौहार है लिहाज़ा दिवाली देखने जाना या रावण देखने जाना इनके त्यौहार मनाने के सिवा कुछ नहीं मुसलमानों को इससे बचना फर्ज़ है।

अक़ीदा :– जिस चीज़ को कुरआन पाक ने हलाल क़रार दे दिया हो। उसे हराम कहना। और जिसका हराम होना यक़ीनी है। उस चीज़ को हलाल बताना कुफ्र है।

मसला :– ईमान कम या ज़्यादा नहीं हो सकता।क्योंकि कमी बेशी उसमें होती हैं जिसमें लम्बाई चौड़ाई या कोई तादाद वग़ैरा हो। ईमान तसदीक है और तसदीक कैफ यानि हालत का नाम है। लिहाजा यूं नहीं कह सकते कि फला में 100 प्रतिशत सौ फिसदी इमान है और फला में 90 प्रतिशत नब्बे फी सदी। हां कुछ आयतों में ईमान ज़्यादा होना जो फरमाया गया है। उससे मुराद इमान का ज़्यादा मज़बुत और ज़्यादा इतमीनान होना है।

ईमान घटता बड़ता नही अलबत्ता मजबुत व कमज़ोर ज़रूर होता है।

अक़ीदा :– ईमान व कुफ्र में कोई रिश्ता वास्ता नहीं। यानि आदमी या तो मुसलमान होगा या काफिर तीसरी सूरत कोई नहीं कि ना तो कोई मुसलमान हो ना काफिर।

अक़ीदा :- शिर्क :– शिर्क के माने गैर खुदा को वाजिबुल वजुद या मुस्तहक इबादत जानना। (यानि खुदा के इलावा किसी को भी इबादत के लायक समझना) या उलुहियत में दूसरे को शरीक करना (यानि खुदाई में) और ये कुफ्र की सबसे बदतर क़िस्म है।

अक़ीदा :– बड़े गुनाह को करने वाला भी मुसलमान है।जन्नत में जायेगा। चाहे अल्लाह अपने फज़ल से उसकी मग़फिरत फरमा दे। या हुज़ुर अक़दस

की शफाअत के बाद या अपने किये की कुछ सजा पाकर। उसके बाद कभी जन्नत से ना निकलेगा।

मसला :– जो किसी काफिर के लिये उसके मरने के बाद (चाहे मां या बाप ही हों) मगफीरत की दुआ करे। या किसी मुर्दा हिन्दु को बैकुन्ठ बाशी या स्वर्गवाशी कहे या किसी मुर्दा मुरतद को मरहुम या मग़फुर कहे। वह खुद काफिर है।

अक़ीदा :– मुसलमान को मुसलमान और क़ाफिर को काफिर जानना बहुत जुरूरी है। यह दीन के जुरूरीयात में से है कि काफिर को काफिर ही समझा जाये। कतई काफिर के कुफ्र में शक करने से भी आदमी काफिर हो जाता है।

नोट :– बाज़ काफिरो ने अपना कुफ्र छिपाने के लिये यह मशहुर कर रखा है। कि काफिर को भी काफिर ना कहो। पता नहीं कब इमान ले आये। तो हम कहते हैं कि फिर मुसलमान को भी मुसलमान मत कहो पता नहीं कब कुफ्र कर बैठे और काफिर हो जाये।

मुसलमानों खबरदार इनके चक्कर से बचों याद रखों जब तक काफिर है। काफिर ही कहना पड़ेगा। खुद अल्लाह तआला ने कुरआन पाक मैं फरमाया है–

'कुल या अय्योहल काफिरून'

(कुर्आन पाक़)

'ऐ रसूल कह दो इन काफिरों से' जब खुदा खुद काफिरों को काफिर फर्मा रहा है तो फिर हम को कौन मना कर सकता है। हमें भी हुक्म है कि हम भी काफिरों को काफिर ही कहें। वहाबी बोहरे, शीया, देवबन्दी, जमाअ़ते इस्लामी वाले वगैरा, वग़ैरा सब काफिर हैं।

एक हदीस शरीफ (तम्बीह ज़रूरी)

हदीस शरीफ में है– 'यह उम्मत तिहत्तर (73) फिरके हो जायेगी सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। बाकी सब जहन्नुमी' सहाबा ने अर्ज कि या रसूलल्लाह वह जन्नती फिरका कौन सा है। फरमाया वह जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। यानि सुन्नते रसूल पर चलने वाले। और फरमाया जो उससे अलग हुआ जहन्नुम मे जायेगा। इसी वजह से इस जन्नती फिरके का नाम 'एहले सुन्नत वल जमाअत' हुआ।

उन गुमराह फिरको में बहुत से पैदा होकर खत्म हो गये। बहुत से हिन्दुस्तान में नहीं मगर कुछ यहां भी है जैसे (1) कादयानी (2) राफजी या खारजी इन्हें शिया भी कहते हैं। (3) बाहबी या देव बन्दी इन्ही में ऐहले हदीस भी हैं।

इन जहन्नुमी फिरको का कुछ मुख्तसर बयान और इनके नापाक मजहब के चन्द नमूने आप की मालुमात (जानकारी) के लिये यहां लिख रहे हैं। वह भी इसलिये की आप इन को जान कर होश्यार हो जाऐं|इन से नफरत करें इन्हें अपने से दुर व खुद इनसे दुर रहें। इनसे सलाम कलाम बन्द करदें। वरन् खबरदार इमान जाते क्या देर लगती है। क्योंकि हदीस शरीफ में आया है कि 'अपने को उन से दुर रखो और इन्हें अपने से दुर करो। कहीं वह तुमको गुमराह ना करदें। कहीं तुमहे फितना में ना डाल दें।

क़ादयानी :– कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादयानी की पैरवी करने वाले हैं। इस सख्श ने अपनी नबुवत का दावा किया। और आम्बिया ऐ कराम की शान में बहुत गुस्ताखियां बे अदबियां की। हजरत ईसा रूहुल्लाह की और इनकी मां की शान में बहुत बेहुदा कलमात इस्तैमाल किये। जिनके ज़िक्र से मुसलमानों के दिल हिल जाते हैं। उसने हुजुर पुर नूर को आखरी नबी नहीं माना। पैगम्बरों की तौहीन की। अपने आप को नबी से अच्छा बताया। हुजुर की शान में जो आयतें थी उन्हें अपने उपर जमा लिया। हुजुर के मौअ्ज़िजात को मिरभमरेज़म कहा। और लिखा की कुरआन में गन्दी–गन्दी गालियां भरी हैं। वगैरा वगैरा खुराफात मलऊना काफीराना करता रहा। ऐसो

को काफिर ना समझना खुद काफीर होना है।

(इस फिरके के ज़्यादा अकीदे जानना चाहें तो बहारे शरीअत पहला हिस्सा पेज 56 से 61 मुलाहीजा फरमायें)

-: राफजी या शिया या बोहरो :-

इनके मज़हब की कुछ तफसील अगर कोई देखना चाहें तो किताब 'तोहफा इसना अशरीया 'देखे। चन्द मुख्तसर बातें इनके मज़हब की यह हैं।

(1) सहाबा कराम रज़िअल्लाह तआला अनहुम की शान में ये फिरका बहुत गुस्ताख है। उन्हें गालियां देता ओर उन को काफ़िर व मुनाफ़िक करार देता है। और सहाबा को काफिर या मुनाफ़िक कहने वाला खुद काफिर है। लिहाजा बोहरे शीया वग़ैरा काफिर हैं।

(2) अईम्मा अतहार (इमामों) को अम्बिया अलैयहिस्सलाम से अफज़ल मानता है। और ये बात बिइजमाअ कुफ्र है। कि गैर नबी को नबी से अफज़ल कहना है। यह भी कुफ्र है।

(3) कुरआन पाक को मेहफूज नही समझता। इनका अकीदा है कि कुरआन पाक के कुछ पारे या सुरते या आयतें हज़रत उस्मान गनी रज़ि अल्लाही तआला ने कुरआन में से निकाल दिये। और यकीनन यह कुफ्र है।

(4) एक अकीदा यह है कि अल्लाह तआला कोई हुक्म देता है फिर यह मालुम करके कि भलाई इस हुक्म के खिलाफ है अल्लाह पछताता है। यह भी यकीनन कुफ्र है। कि खुदा को जाहिल बताता है।

(5) इनका एक अकीदा यह है कि नेकियों का पैदा करने वाला अल्लाह है। और बुराईयों के पैदा करने वाले यह खुद हैं। मजुस (पारसी) ने तो दो ही खुदा माने थे। एक यज़दान खालिके खैर व दूसरा अहरमन खालिके शर, मगर इन के खालिको की गिनती ही नहीं अरबो संखों खालिक है।

हजरत खुलफाऐ सलासा (तीनो पहले ख़लीफा) रज़ि अल्लाह तआला अन्हुम की खिलाफत को खिलाफते ग़ासबा कहता है। और मौला अलि ने

जो उनकी खिलाफतें तसलीम की और उनकी तारीफ की उनके फज़ाईल बयान किये इसको तकीय्या बुज़दिली समझता है। क्या? मुनाफेक़िन व काफ़िरीन के हाथ पर बैअत करना और उम्र भर उन की तारीफ करना ये बातें हज़रत अली, डर की वजह से करते थे? क्या हज़रत अली बुज़दील थे? क्या शैरें खुदा की ये शान हो सकती है? नहीं बल्कि वह दिल से आप तीनों खलिफाओ को मानते और तारीफ करते थे। इसलिये उनके हाथ पर बैअत की थी।

और गौर का मुक़ाम यह है कि मौलाऐं कायनात हज़रत अलि तो अपनी साहब जादी हज़रत फारूके आज़म के निकाह में दें। और यह फिरक़ा कहे कि तकीय्यतन (डर की वजह से) ऐसा किया। क्या जान बुझ कर कोई मुसलमान अपनी बैटी काफिर को दे सकता है? और सुनो हज़रत रसुले अकरम की दो साहब ज़ादियां हज़रत उस्मान ग़नी के निकाह में आई। और हजरत सद्दीके अकबर और फारूके आज़म की साहब ज़ादिया शर्फ जोज़ियत से मुशर्रफ हुई। यानि हजरत उम्र व अबुबकर रसुले अकरम के सुसर थे। हज़रत अलि हज़रत उमर फारूक के ससुर थे। और उमर फारूक हज़रत अली के दामाद। क्या हुजुर और खुलफाऐ कराम के ऐसे ताल्लुक जिन से हो उनकी निसबत वह मलऊन अलफाज़ कोई अदना अक़्ल वाला एक लम्हा के लिये जाईज़ रख सकता है?

शियाओं की किताबों में हज़ारों खुराफात मलऊना भरी पड़ी हैं मगर हम 'चन्द' आपकी नज़र कर रहे हैं आप देखें की किस तरह यह अपने नापाक मज़हब को सच्चा समझे हुऐ हैं। लाअनतुल्लाह अलल काफिरीन।

(1) यह कि अपनी छोकरियों और बीबियों की शर्म गाहों को मेहमानों और दोस्तों को बतोर आरियत (उधार) सुपुर्द करना बहतरीन इबादत ख्याल करते हैं। और बड़ी ताअत जानते हैं और इसपर बहुत स्वाब मिलने की रिवायत करते हैं। (तोहफा इसना अशरिया पेज 585)

(क्या कोई अपनी बीवी या लडकी को बुरे कामों के लिये देना जाईज समझेगा? मगर शीयाओं बोहरों के यहां यह काम स्वाब हैं।)

(2) इब्ने बाबविया से रिवायत नकल की है। वह हज़रत इमाम ज़ाफर सादीक से रिवायत करता है कि अगर काई किसी औरत से मुतआ करे खालिस और सिर्फ अल्लाह ताआला के लिये तो जो बात भी इस से करे उस पर हक तआला एक नेकी उसको अता फरमाये। और जब उसके साथ सोहबत करे। तो हक़ अज्ज़ा असमा इस के तमाम गुनाह बख्श दें। और जब गुसल करे तो हक़ ताआला हर बाल के बदले जिस पर पानी बहे उस की मग़फिरत करे उस पर रहमत बरसाये।

इसी तरह शीयाओं की उपरोक्त तफसीर में रिवायत हज़रत रिसालत मुआब से लाया कि जो दुनिया से चला गया हो उसने मुतआ ना किया हो तो बरोज़ कियामत बद मन्ज़र और बद हैयत (खोफनाक) उठेगा। इस शख्स की तरह जिस की नाक काट ली गई हो। और इसी तफसीर में आंहज़रत से रिवायत करता है 'कि जो एक बार मुतआ करे तो उसका दर्जा हज़तर हुसैन के दर्ज़ा के बराबर हों। और जो दो बार मुतआ करे उसका दर्जा हज़रत हसन का सा हो। और जो तीन बार मुतआ करे उसका दर्जा अली जैसा हो। और जो चार बार मुतआ करे उसका दर्जा मोहम्मद जैसा हो।

(तोहफा इसना अशरीया पेज 585–86)

मुसलमानों यह है शीयाओं राफज़ियों बोहरों का नापाक मज़हब ऐसी सेकड़ो गन्दी बाते इनकी किताबों में भरी पड़ी है।

(3) इनके मज़हब में गुसल जिनाबत के साथ वजु हराम है। मौजा, टोपी, इज़ारबन्द, कमर बन्द ईमामा और जो कुछ नमाज़ी के बदन पर हो। इन पर निजासत लग जाये चाहे वह खफीफा हो या गलीज़ा यानि टट्टी पेशाब मनी वग़ैरा तो नमाज़ जाईज़ है। नमाज़ में कोई खलल नहीं होता। (तोहफा इसना अशरीया पेज 394)

(5) एक और अजीब बात इनके मज़हब में यह है कि 'इन में से अकसर

के नज़दीक लड़के के साथ दुबर में (टट्टी करने की जगह में) वती करने सें रोज़ा फासीद नहीं होता। (यानि लड़के के साथ बद फैली करने से रोज़ा नहीं टूटता)

(6) एक यह कि अगर एक शख्स एक खुबसूरत औरत को अपनी बगल में दबा ले और उसकी वजह से उसका लिंग सख़्त हो जाये और उसके लींग को उस औरत के सुराख (पैशाब की जगह) के सामने रख दे जिस से उसकी मज़ी (एक रतुबत लैसदार निकलती है उसे मज़ी कहती है) उसकी पिन्डली तक बह निकले तो ऐसी हालत में भी उस की नमाज़ जाईज़ है।

यह चन्द नमूने के तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दिये ताकि आप इन जहन्नुमी फिरके वालों शियाओं राफज़ीयों से अलग रहो ताकी अपना इमान सलामत रख सको।

वहाबी :- (देवबन्दी)

यह नया फिरका है जो 1209 हिजरी में पैदा हुआ। इस मजहब का बानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी था। जिसने तमाम अरब खास तौर से मक्का व मदीना में बहुत शदीद फितने फैलाये। ब.ड़े–बड़े आलिमों को क़तल किया। सहाबा ऐ किराम और इमामों व उलेमा व शहीदों की कबरे खोद डाली। मज़ारात गिरा दिये। बीबी फातमा व हज़रत उस्मान ग़नी का मज़ार शहीद कर दिया।

रोज़ाऐ अनवर का नाम (मुआज़अल्लाह) सनमें अकबर (बड़ा बुत) रखा था और इसने तरह–तरह के ज़ुलम किये।

हदीस शरीफ में हुजुरे अकदस सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने खबर दी थी कि नजद से फितने उठेंगे और शैतान का गिरोह निकलेगा'

वह गिरोह बारह सौ बरस बाद जाहीर हुआ। अल्लामा शामी ने उसे खारजी बताया। इस अब्दुल बहाब के बेटे ने एक किताब लिखी जिसका नाम 'किताबुल तौहीद' रखा इसका तर्जुमा हिन्दुस्तान में इस्माइल देहलवी

ने किया। जिसका नाम 'तकवीयतुल ईमान' रखा। हिन्दुस्तान में उसी ने वहाबीयत फैलाई इन वहाबियों का एक बहुत बड़ा अकीदा यह है कि

'जो उन के मज़हब पर न हो वह काफिर मुशरिक है। यही वजह है बात–बात पर बिला वजह मुसलमानों पर कुफ्र व शिरक का हुकम लगाते हैं। तमाम दुनिया को मुशरिक बताते है। इसीलिये 'तकवीयतुल इमान सफा 45 पर वह हदीस लिख कर कि

"आखिर ज़माना में अल्लाह तआला एक हवा भेजेगा जो सारी दुनिया से मुसलमानों को उठा लेगी' उसके बाद साफ लिख दिया 'सो पेगम्बर खुदा के फरमाने मुताबिक हुआ। यानि वह हवा चल गई और कोई मुसलमान रुऐ ज़मीन पर ना रहा।

मगर यह ना समझा कि इस सूरत में तो वह खुद भी काफिर हो गया।

इस मज़हब का एक बहुत बड़ा रूकन बुनयादी यह है कि अल्लाह की तोहीन करना और उसके मेहबुब बन्दों को ज़लील करना है। हर काम में वही बात इख्तियार करेंगे जिससे इन का ऐब निकलता हो।

इस गिरोह के सरबराहों कि कुछ बातें हम यहां आपकी जानकारी कि गरज़ से लिख रहे है। ताकि भोले भाले मुसलमान उनके धोखे में न आयें।

बिरादराने इस्लाम ! बगौरे सुनिये। इमान में तोलिये ओर बताईये कि 'इमान' से ज़्यादा अज़ीज़ मुसलमानों के नजदीक कोई चीज़ है? ईमान ही सबसे अज़ीज और सब से बड़ी दौलत है। इमान अल्लाह व रसुल की मोहब्बत व ताज़ीम ही का नाम है। ईमान के साथ–साथ जिस कद्र और जितनी दूसरी फज़ीलतें मुसलमान में पाई पायेगी। वह मुसलमान उसी कद्र फजिलत वाला व इज्ज़त वाला होगा।

लेकिन अगर ईमान नहीं है तो वह शख्स मुसलमानों के नजदीक कुछ नहीं। वह कुछ वकअत नहीं रखता चाहे वह कितना ही बड़ा आलिम, फाज़िल, ज़ाहीद, आबीद, सूफी, फकीर बनता हो।

मतलब यह है कि जब उसमें ईमान नही तो तुम उसके मौलवी, आलिम, फाज़ील, पीर, सूफी, वगैराह होने की वजह से उन्हें अपना पैशवा ना समझो उसके पास ना बेठो,उसे अपने पास ना आने दो वह इज्ज़त अज़मत के लायक नहीं,क्योंकि जब इमान नहीं तो वह अल्लाह व रसुल का दुश्मन और पुरा काफिर है।

क्या यहुदी और इसाई बल्कि हिन्दुओं में भी उनके मज़हब के आलिम या तारिकुदुनियां नहीं होते? क्या तुम उनको अपना पैशवा तस्लीम कर सकते हो। हरगिज़ नहीं। इसी तरह ये लामज़हब, व बद मज़हब तुम्हारे पैशवा हरगिज़ नहीं हो सकते।

इन्ही लामज़हब व बद मज़हबो के चन्द इकीदे (इनअकीदों से मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं। इन अकीदों को मानने वाले सिर्फ वहाबी देव ब्रन्दी लोग हैं) आपको सिर्फ मालुमात में इज़ाफा करने को लिखे जा रहें हैं। ताकि आप इनसे खबरदार, होशियार रहें। और आपको इन वहाबीयों के गन्दे अकीदों की जानकारी हो जाये,ताकि आप अपने भोले–भाले सुन्नी भाईयों को भी बताकर खबरदार कर सकें कि इन लोगों के ऐसे–ऐसे गन्दे नापाक अकीदे है। ताकि वह इनसे दुर व नफुर रहें।

यह अकीदे वहाबियों की कीताबों में लिखे हुए है। हमारा चैलेंज है कि अगर कोई वहाबी यह साबित कर दे कि यह उन की तसनीफ शुदा किताबे नहीं है तो 'फि' किताब दस हजार रुपया इनाम देने को तैयार हैं।

(1) वहाबीयों का अक़ीदा है 'कि हुजुर सल्ल्म का मज़ार गिरा देने के लायक हैं। अगर मैं इसके गिरा देने पर कादिर हो गया तो गिरा दूंगा। (वहाबी मजहब का बानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़दी किताब ओज़ाहअल बराहीन)

(2) इनका यानि वहाबियों का अकीदा है कि मेरी लाठी मोहम्मद सल्लम से बेहतर है क्योंकि इस से सांप मारने का काम लिया जा सकता है। और

मोहम्मद मर गये। इन्हें कोई नफा बाकी ना रहा।

(किताब औज़ाह अलबराहीन पेज 10 मुसन्निफ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़दी)

→ (3) वहाबियों का एक और मशहुर अक़ीदा यह है कि 'गैब की बातों का इल्म रसुल्ल्लाहि अलैही व सल्लम को है ऐसा इलमे (गैब) ज़ैद व उमर, बच्चों, पागलो, बल्कि तमाम जानवरों (यानि सुअरो, कुत्तो, गधों, बैलों) को भी है। रसुल की कोई खसुसीयत नहीं ।

(हवाले के लिये देखीये किताब हिफज़ुल इमान पेज 8 मुसन्निफ (लिखने वाला) मौलवी अशरफ अलि थानवी। (यह मौलवी वहाबियों का बहुत बड़ा पैशवा है)

→ (4) इन वहाबियों ने हुज़ुर के इल्म से ज़्यादा इल्म वाला शैतान को माना है। इनके नज़दीक शैतान का इल्म ज़्यादा है। लिहाज़ा इसद नौलवी खलील अहमद अम्बैठवी ने अपनी किताब 'बराहीन कातिआ' के पेज 55 पर लिखा कि

"शैतान व मलैकुल मौत को तमाम रूऐ ज़मीन का इल्म है और हुज़ुर अलैही स्सलाम से ज़्यादा है।"

मुसलमानों बताओं क्या ये मौलवी और इनके मानने वालों को तुम अब भी मुसलमान कहोंगे?

→ (5) वहाबियों के एक बहुत बडे मौलवी जिसका नाम 'इस्माइल देहलवी' है और यह वहाबी इसे 'शहीद' भी कहते हैं। यह मौलवी अपनी किताब 'सिराते मुस्तकीम' के पेज 95 पर लिखता है कि

"नमाज़ में हुज़ुर अलैही स्सलाम का ख़्याल किसी रण्डी (तवाईफ) के तसव्वुर और उसके साथ ज़ना (बलात्कार) के ख्याल से भी बुरा हैं और गधे और बैल के ख्याल में डूब जाने से ज़्यादा बदतर है"

(वहाबियों की किताब 'सिराते मुस्तकीम' (लिखने वाला) इस्माईल देहलवी)

(6) खलील अहमद देव बन्दी हुजुर अलैहीस्सलाम के लिये उर्दु ज़ुबान का इल्म देव बन्द के उलमा से आना बताते हैं (यानि हुजुर ने उर्दु देव बन्द के आलिमों से सीखी) (किताब बराहीने कातिआ पेज 30)

(7) इन वहाबियों ने अपनी किताब बलगतुल हिरान नाम की एक किताब में पेज 8 पर हुजुर अलैही स्सलाम का पुलसिरात से (दोज़ख में) गिरना लिखा और लिखा कि मैंने उन्हें (यानि हुजुर को) गिरने से रोका।

(8) और बराहीन कातिआ पेज 55 पर यह भी लिखा की 'रसुल को दिवार के पिछे का इल्म नहीं ।

(9) इन्ही वहाबियों की किताब 'तकवीयतुल ईमान पेज 50 पर लिखा कि "रसुल के चाहने से कुछ नहीं होता।"

(10) हुजुर अलैही स्सलाम की ताअज़िम बड़े भाई की सी कीजिये

(किताब तकवीयतुल इमान पेज 53)

मुसलमानों! ऐ सुन्नी मुसलमानों बताओं क्या यह लोग मुसलमान कहलाने के लायक है।आपको खुदा की क़सम है इन्साफ से कहो। क्या कोई मुसलमान ऐसी बातें कह सकता है।

पादरियों पण्डितों वग़ैरा—वग़ैरा साफ खुले काफिरों, मुशरिकों की किताबे देखों उन्होंने भी ऐसे खुले व नापाक लफज़ तुम्हारे नबी की शान में नहीं लिखे।

इन्साफ से कहो क्या यह कलमात कह कर यह लोग (बहाबी—देवबन्दी) काफिर नहीं हो गये???

मुसलमानों अब इन्साफ़ आप के हाथ है। बताओं यह वहाबी देवबन्दी, तबलीगी मुसलमान कहलाने के लायक है? क्या यही मुसलमानी है?

हां हां इनके कुफ्र और काफिर होने में कोई शक नहीं। अब अगर यह सब जान कर भी जो इन्हे काफिर न कहे काफिर न समझे। वह खुद काफिर है।

वहाबी सहाबो मुसलमान बनना चाहते हो तो रसुले खुदा की अजमते

सवीद अपने दिल में जमाओ। जो उनकी जनाब में गुस्ताखी बे अदबी करे अगर तुम्हारा बाप भी हो अलग हो जाओ। जिगर का टूकड़ा हो तो उसे दुश्मन समझो। उसके साये से भी नफरत करो। वरना अगर वह तुम्हें अल्लाह व रसुल से ज़्यादा अज़ीज हैं तो सुनो लाख बार इस्लाम का नाम लिये जाओ। हकीकत और चीज़ हैं सिर्फ नाम लेने से मुसलमान नहीं रह सकते।

इन्साफ से कहो अगर काई तुम्हारे बाप को गाली दे तो तुम उसके खून के प्यासे बन जाओं, सुरत देखने के रवादार न हो। अगर तुम्हारा बस चले तो उसे कच्चा चबा जाओ। ना कोई बहाना बनाओं ना उसकी गालियों का दुसरा मतलब निकालो ना सीधी बात हैर फैर में डालो। लेकिन हुजुर के बारे में वह बाते सुनो जो उपर लिखी हैं तो भी आप की आंख मैंली ना हो? और उसी की इमामत व पैशवाई की हामी भरते रहो और उसे वलि मानों। इमाम जानों और कोई उन्हें बुरा कहे तो उसी से दुश्मनी करने लगो ।क्या यह इन्साफ है। क्या यही मुसलमानी है?

उन नापाक मुस्ताखे रसुल की हिमायत में हुजुर की अजमत को ध्यान में न रख, उन्ही कि तरफ़दारी करो। क्या ये इसलाम है?? क्या इसी को मुसलमानी कहते हैं?

मुसलमानों! क्या जिसके दिल में हुजुर की मोहब्बत और ताज़ीम होगी। वह हुजुर के बुरा कहने वालों की इज्ज़त व वकअत कर सकेगा? चाहे वह उसका पीर या उस्ताद या बाप हीं क्यों न हो।

जिसके दिल में मोहम्मद सल्ल्लाहु अलैही व सल्लम तमाम जहान से ज़्यादा प्यारे हो। वह उनके गुस्ताख से फौरन सख़्त शदीद नफ़रत ना करेगा। चाहे वह उसका दौस्त या भाई या लड़का ही क्यों ना हो।

मुसलमानों ! तुम्हे मालुम हो चुका है कि इन वहाबियों देव के बन्दों तबलीगी जमाअत वालों के अकीदे क्या हैं। अब तुम पर लाज़िम है कि उनसे अलग हो जाओ। दूध से मक्खी की तरह निकाल फैंको। उनकी सुरत उनके नाम

से नफ़रत करो। अपने रिश्ते नाते दोस्ती, उल्फत का कुछ ख्याल ना करो।

अब तुम पर फर्ज़ है कि उनकी मौलवीयत बुजुर्गी, फज़िलत को खतरे में लाओ, ना उन्हें पास बुलाओ। क्योंकि यह सब कुछ इसलिये था कि वह हुजुर की गुलामी में थे। अब जबकि वह उन्हीं की शान में गुस्ताख हुआ तो फिर हमे उससे क्या ताल्लुक रहा।

फरैब

यह फिरके अपने आप को छिपाने के लिये व सुन्नियों को जाल में फाँसनें के लिये खुद को हनफी ज़ाहीर करते हैं। कहते है बाबा यह देवबन्दी बरैलवी तो बाद की पैदावार है हम तो हनफी हैं। इमाम आज़म की तक़लीद करते हैं। वग़ैरा–वग़ैरा तरिके अपना कर खुदा रसूल का नाम लेकर कहते है कि आओ बैठो कुछ देर खुदा रसूल की बाते होंगी नमाज पढ़ना, कलमा पढ़ना सिखाया जायगा। मुसलमानों को फरेब से जाल में फंसाना इसी नाम से तो हो सकता है?

मज़ारात की हाज़री, फातिहा, दुरूद, रसूले अकरम का इल्म ग़ैब इनको हर चीज़ से इन्कार हैं बहुत–बहुत तरकीबों, झुठे किस्सों और कुरआन व हदीस का गलत तर्जुमा करके आपको बहका देंगें।

मसलन मज़ारात की हाज़री यह कर रोकेंगे कि 'हम चूंकि उनका उतना अदब नहीं कर सकते जैसा करना चाहिये लिहाज़ा मज़ार पर जाकर बेअदबी करने से हमारी आक़बत ख़राब क्यों कराऐं वग़ैरा वग़ैरा हीले बहाने किस्से सुनायेंगे।

भोला–भाला मुसलमान जब देखता है कि यह लोग खुदा रसूल का कलिमा सिखा रहें हैं तो वह इस को अच्छा जान कर उनके लिये हमदर्दी करने लगता है।

ज़रा इन तबलीगी जमाअत वालों से इन देवबन्दीयों वहाबियों से पूछ देखों कि आप लोग मौलवी अशरफ अली थानवी, खलील अहमद अम्बैठवी, रशीद

अहमद गगूंही, इस्माईल देहलवी वग़ैरा–वग़ैरा के बारे में क्या कहते हो। तो या तो वह इनको बहुत बड़ा आलिम और पेशवा कहेगा या चालाक होगा तो गोलमाल जवाब देगा "मियां हम इन मौलवियों के झगड़ें में क्यों पड़े' हमारे लिये देवबन्दी भी मुसलमान और बरेलवी भी वह जाने और उनका काम। यह तो मौलवियों की लड़ाई है। हमें इससे क्या लेना।" वग़ैरा वग़ैरा। मुसलमानों! इन्साफ से कहो जिन मौलवियों को अरब व अजम के सेकड़ों आलिमों मुफतीयों ने रसुलल्लाह की शान में तोहीन करने की वजह से खुदा रसुल की शान में गन्दे–गन्दे कलिमात लिखने की वजह से काफिर बद्‌दीन गुमराह होने के फतवें जारी किये। और यहां तक लिखा कि "अगर कोई **इन लोगों को यानि अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगूही, ख़लील अहमद अम्बैठवी को काफीर न कहे या इनके कुफ्र में शक करे तो खुद काफीर हैं ।" क्या ये ईमान की बात नही कि खुदा रसुल की तौहीन करने वाला काफिर है। क्या उन्हें मुसलमान जानना खुद को काफिर बनाना नहीं है। जब यह ईमान व कुफ्र की बात है। तो इसको मौलवीयों का झगड़ा कहकर टाल देना कहां का इन्साफ हैं ? क्या इमान व कुफ्र में फर्क साबित करना मौलवीयों की लड़ाई है ? क्या हमें इससे आखें बन्द रखनी चाहये? क्या हमको इनसे कोई मतलब नहीं है?** और बेशक काफिर को काफिर कहना इमान है ।यह हमारा अक़ीदा है। और खुदा का हुकम भी है कि काफिर को काफिर ही कहा जाय। अब ज़रा आप किसी भी सुन्नी मुसलमान से पूछ कर देखिए कि आप कौन से मुसलमान है। तो वह फौरन बिना झिझक पुकार उठेगा में सुन्नी मुसलमान हूं मैं बरैलवी हूं। क्योंकि बरैलवी ही ख़ुदा रसुल के आशीक और हुजुर की सुन्नत पर चलने और चलाने वाले है।

देवबन्दी से पूछो आप कौन से मुसलमान है कहेगा हम तो भाई सिर्फ मुसलमान है यह फिरके तो मौलवियों के बनाये हुए हैं। देखा मुसलमानो!

ग़ोर करो मेरे और तुम्हारे - - - - - - आक़ा तो फरमाये कि सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही जन्नत में जायेगा और फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरके होगी। वग़ैरा जैसा की हदीस शरीफ में है। ओर यह कहता है यह फिरके तो मौलवियों के झगड़े हैं।

अब ज़रा इससे पूछिये की अगर तु मुसलमान है और फिरके वग़ैरा को नहीं मानता तो ज़रा यह तो बता कि 'मुसलमान' की नमाज़ का तरीका क्या है? अब अगर वह हाथ छोड़ कर नमाज़ पढेंगे तो 'शिय्या' हो जाऐंगे। हाथ बांध कर नमाज़ पढ़ेंगे तो सुन्नी और अगर हाथ नाफ पर बाधेंगे तो हनफी। सिने पर बांधेंगे तो वहाबी। लिडर साहब जो यह कहते है कि हम ना सुन्नी है ना शिय्या ना हनफी ना वहाबी हम सिर्फ मुसलमान हैं अब बताऐं की 'मुसलमान' की नमाज़ कौन सी है?

लिहाजा आप से गुजारिश है कि आप इनकी नमाज़, रोज़ा, शक्ल पर ना जाऐं उनके और उनके धोके में न आऐं।

-: एक अहम और ज़रूरी बात :-

वहाबियों के यहां 'बिदअत' का बहुत चर्चा है। जिस चीज़ को देखिऐ 'बिदअत' 'बिदअत' कि रट लगायें रहतें हैं। लिहाजा बिदअत किसे कहते हैं। उसे बयान कर देना मुनासिब मालुम होता है।

बिदअत :– बिदअत की दो किसमें हैं–

(1) बिदअते हसना (2) बिदअते सिय्या । यानि अच्छी बिदअत और बुरी या खराब बिदअत। बिदअत जो खराब और ना पसंदिदा है। वह है। जो किसी 'सुन्नत' के खिलाफ हो या सुन्त से टकराती हो। और यह मकरूह या हराम है।

बिदअत हसना यानि अच्छी बिदअत वह है जो मुस्तहब बल्कि सुन्नत वाजिब तक होती है। मसलन हज़रत अमीरूल मौमीनीन उमर फारूक रज़िअल्लाहों तआला तरावीह के बारे में फरमाते हैं। "नैअमतिल बिदअत

हाजा' यानि ये अच्छी बिदअत है। हालांकि तरावीह सुन्नत मौवक्किदा है। जौ बात शरअ शरीफ से साबित हो वह हरगिज़ बिदअत कबीह (खराब) नहीं हो सकती। वरना खुद वहाबियों के मदरसे और वाअज़ के जलसे जिस खास तरीके से होते हैं। जरूर 'बिदअत' होंगे। फिर उन्हें क्यों नहीं रोकते। मगर इनके यहां तो यही ठहरी है कि मेहबूबाने खुदा की अज़मत के जितने काम हैं। सबको बिदअत कहें। और जिसमें इनका मतलब हो वह सब हलाल व सुन्नत 'लाहोला व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह' हिल अलियिल अज़ीम।

—:'इमामत का बयान':—

इमामत दो किस्म की हैं। सुगरा (छोटी) व कुबरा (बड़ी)। इमामत सुगरा इमामत नमाज़ है। इमामत कुबरा नबी सल्ल लाहु अलैहीं व सल्लम की नियाबत (खिलाफत) कि हुजुर की खिलाफत से मुसलमानों के तमाम दीनी व दुनयावी कामों में शरअ के मुताबिक हुकमे आम का इख्तियार रखे। और अच्छे और शरई हुक्म में उसकी अताअत और फरमा बरदारी तमाम जहान के मुसलमानों पर फर्ज़ हो।

इस इमाम के लिये मुसलमान आज़ाद आकिल, बालिग़ कादिर कुरैशी होना शर्त है।

मसला :— इमाम की ताबेदारी मुतलकन हर मुसलमान का फर्ज़ है। जबकि इसका हुकम शरीअत के खिलाफ ना हो। खिलाफे शरीअत बातों में किसी की अताअत नहीं।

अकीदा :— नबी सल्लल्लाहु अलैही व सल्लम के बाद खलिफाऐ बरहक व इमामे मुतलक सैय्यदना हज़रत अबु बकर सिद्दीक हैं।

फिर हज़रत अमर फारूके आज़म हैं। फिर हज़रत उस्मान ग़नी है।

फिर हज़रत अलि शैरे खुदा। फिर छः महीने के लिये हज़रत ईमाम हसन मुजतबा रज़िअल्लाह तआला अन्हु हुऐ। इन हज़रात को खुलफाऐ राशदीन

और इनकी खिलाफत को खिलाफते राशिदा कहते हैं। क्योंकि उन्होंने हुजुर की सच्ची नियाबत का पुरा–पुरा हक अदा फरमाया।

अक़ीदा :– अम्बिया मुरसलीन के बाद तमाम मखलुकाते ईलाही इन्सानों व फरिश्तों से अफज़ल सिद्दीके अकबर हैं। फिर उमर फारूक फिर हज़रत उस्मान ग़नी। फिर मौलाये कायनात हज़रत अलि। रज़ि अल्लाह वजहुलकरीम जो शख्स हज़रत अलि को सिद्दीके अकबर या फारूके आज़म से अफज़ल बताये वह गुमराह व बदमज़हब है।

अक़ीदा :– चारों खलिफाओं के बाद अशरा मुबश्शरा (वह दस सहाबा जिनको हुजुर ने जन्नत की बशारत उनकी जिन्दगी में ही दे दी थी) वह हज़रत हसन व हुसैन व असहाबे बद्र व असहाबे बैअत रिज़वान के लिये अफज़िलियत है। और यह सब कतई यक़ीनी जन्नती है।

अक़ीदा :– तमाम सहाबा अच्छे और भलाई वाले हैं। ओर सब के सब आदिल इन्सफ वाले हैं। उनका जब ज़िक्र किया जाये। तो अच्छाई के साथ ही होना फर्ज़ है।

अक़ीदा :– किसी भी सहाबी के साथ सूऐ अकीदत (खराब समझना या बुरा जानना) बदमज़हबी व गुमराही है। और वह जहन्नुम का हक़दार है। ऐसा शख्स राफज़ी शिय्या या बोहरा और काफिर है।

अकीदा :– कोई वली कितने ही बड़े मर्तबा वाला हो। किसी भी सहाबी के बराबर या मर्तबा पर नहीं पहुंच सकता।

मसला :– सहाबाऐ कराम के बीच जो वाकेआत (जंगे वग़ैराह) हुऐ। उनमें पड़ना हराम हराम सख़्त हराम है (यानि उनकी लड़ाई झगड़े के बारे में किसी को भी अच्छा या बुरा कहना हराम है।) मुसलमानों को सिर्फ यह देखना है कि वह सब हज़रात आकाऐ दो आलम के ज़ानिसार और सच्चे गुलाम है।

अक़ीदा :– तमाम के तमाम सहाबा जन्नती हैं। वह जहन्नुम की भनक भी न सुनेंगे। और हमेशा अपनी मनमानी मुरादो में रहेंगे। मैहशर की वह

बड़ी घबराहट उन्हें गमगीन न करेगी। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। और कहेंगे की यह है वह दिन जिसका तुम से वादा था। यह उपरोक्त सभी बातें सभी मज़मुन कुरआन पाक में मौजूद हैं।

—: विलायत का बयान :—

विलायत (यानि अल्लाह का वली होना) एक खास नजदीकी है अल्लाह तआला से। जो कि मौला करीम अपने खास खास बन्दों को सिर्फ अपने फज़लो करम से अता करता है।

मसला :— विलायत (वली अल्लाह) सिर्फ अल्लाह तआला की तरफ से अता (दी हुई) की हुई होती है।

यह ऐसी चीज़ नहीं कि कोई शख्स मुश्किल से मुश्किल इबादत और तकलिफें उठाकर खुद हासिल कर सके। कोई भी इबादत रियाजत से 'वलिअल्लाह' नहीं बन सकता। अलबत्ता अच्छे काम इस अतियाऐं इलाही के लिये ज़रिया होते हैं। और कुछ को शुरू में अल्लाह तआला अता फरमा देता है।

मसला :— विलायत बगैर इल्म वाले (जाहील) को नहीं मिल सकती। चाहे इलमे ज़ाहिर तरीके से हासिल किया हो या इस मर्तबा पर पहुंचने से पहले अल्लाह तआला ने उसको कई इल्म सिखा दिये हो। या उस पर इल्म खौल दिये हों। (बहारे शरीअत)

अक़ीदा :— तरीकत शरीअत के खिलाफ नहीं। वह यानि तरीकत शरीअत ही का बातनी (अन्दर का) हिस्सा है। कुछ जाहिल सूफी बनने वाले जो यह कह देते हैं। कि शरीअत अलग है। और तरीकत अलग उनकी यह बात सिर्फ गुमराही हैं। और इस ज़ौमे बातिल की वजह से झुठा घमण्ड अपने आपको शरीअत से आज़ाद समझना साफ-साफ कुफ्र व बेदीनी है। (बहारे शरीअत जिलद पेज 87)

मसला :– ऐहकामे शरीअत की पाबन्दी से कोई वली चाहे कैसा ही अज़ीम (बड़ा) हो बच नहीं सकता। कुछ जाहिल जो यह बक देते हैं। कि शरीअत रास्ता है। रास्ते की ज़रूरत उसे है जो मकसूद तक ना पहुंचे हों। हम तो पहुंच गये। सैय्यदुल तायफा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ि अल्लाह तआल ने उनके लिए फरमाया 'वह सच कहते हैं बेशक पहुँचे, मगर कहाँ ? ''जहन्नुम''में। (बहारे शरीअत जिलद 1 पेज 87)

अक़ीदा :– करामाते औलिया हक़ है उसका मुनकर (इन्कार करने वाला) गुमराह है।

मसला :– मुर्दा ज़िन्दा करना, मादरज़ाद अन्धे, और कौढ़ी को शिफा देना। मशरिक से मगरिब तक सारी ज़मीन एक कदम में तय करना। गरज़ खुवारिके आदत (करामात) औलिया अल्लाह से मुमकिन है।(बहारे शरीअत)

मसला :– औलिया अल्लाह से मदद मांगना जाईज़ है। यह मदद मांगने वालों की मदद फरमाते हैं। अल्लाह ने इनको यह ताकत अता की है कि यह दूर से ही हमारी पुकार सुनते और मदद करते है।

मसला :– इनके मज़रात पर हाज़री मुसलमान के लिये सआदत व इसकी वजह से बरकत होती है। (बहारे शरीअत)

मसला :– इनको दूर व नजदीक से पुकारना सैकड़ों साल से हमारे बुजुर्गो का तरीका रहा है। (इसको शिरक कहना वहाबियों का मज़हब है जो आज कल की पैदावार हैं।)

–: शरीअत व तरीकत :–

सरकारे गौसे आज़म रज़िअल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं। 'शरीअत की हदों में खलल आया तो जान ले कि तु फितना में पड़ा हुआ है। **बेशक शैतान तेरे साथ खेल रहा है। तो अब तुझ पर लाज़िम है कि फौरन शरीअत की तरफ पलट आ। और इससे लिपट जा।** और अपनी

ख्वाहीशे नफसानी छोड़। इसलिये कि जिस हकीकत की शरीअत तस्दीक ना फरमाये (यानि वह हक़ीक़त शरीअत के खिलाफ हो) वह हक़ीक़त खारीज है। (तबकाते औलिया जिलद अव्वल मतबा मिस्र पेज 131)

सकार गौंसे आज़म फरमाते हैं। **'जब तू अपने दिल में किसी की (किसी आलिम, मौलवी, सूफी, पीर,फक़ीर) दोस्ती या दुश्मनी पाये तो उसके कामों को कुरआन व हदीस के मुताबिक हैं या नहीं जांच कर। अगर उनके काम कुरआन व हदीस के मुताबिक हों तो उससे मोहब्बत रख। ओर अगर उसके काम या बातें कुरआन व हदीस के खिलाफ हों। या शरीअत में नापसंदिदा हों। तो उनसे दूर रह। ताकि तू अपनी मर्ज़ी से ना किसी को दोस्त रखे ना दुश्मन।** (क्योंकि किसी से भी दोस्ती रखनी है तो अल्लाह के लिये हो और वह अगर दुश्मने खुदा है, तो उसको तु भी दुश्मन रख यही फरमाने खुदा ··· है।) अल्लाह तआला का कुरआन में फरमान है कि 'ख्वाहिश की पैरवी ना कर वह तुझे राहे खुदा से बहका देगी'। (तबकाते कुबरा)

सरकारे गौंसुल वरा फरमातें हैं। 'शरीअत वह आफताब है जिस की चमक से तमाम जहां की अन्धेरियां जगमगा उठीं। शरीअत की पैरवी यानि शरीअत पर चलना ही दोनों जहां की भलाई बखश्ती है।

खबरदार इसके दायरे से बाहर मत जाना खबरदार ऐहले शरीअत की जमाअत से अलग ना होना (बहजतुल इसरार)

सैय्यदना हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं।

'मैरे पीर हज़रत सीरी सकती रहम तुल्लाह अलैहि ने मुझे दुआ दी 'अल्लाह तुम्हें हदीस दॉं करके सूफी बनाये। और हदीस दॉं होने से पहले तुम्हें सूफी ना करे' (अहया ऊल उलुम जिलद अव्वल)

सूफियाऐ किराम फरमाते हैं। कि 'सूफी बे इल्म मसखराये शैतान अस्त' उस बेइल्म को पता भी नहीं चलता और शैतान उसको अपनी

बागडोर पर लगा लेता है।

इसलिये हदीस शरीफ में इर्शाद हुआ। **'अल मुताअब्बिद बगेरि फिक़ाह कल हम्मार फित्ताहुन' यानि बगैर फिका (मसाईले शरीअत) के आबिद बनने वाला ऐसा है जैसे चक्की का गधा' कि सखत मेहनत करे लेकिन हासिल कुछ नहीं। क्योंकि इल्मे दीन सिखे बगैर कोई भी इबादत दुरस्त नहीं हो सकती। इसीलिये इल्मे दीन के मसाइल सीखना कुरआन मजीद हिफ्ज करने से ज़्यादा अफज़ल है।**

—: सूफी कौन है :—

हज़रत सीरी सकती फरमाते हैं। **कि सूफी वह है जिस की माअरिफत का नूर उसकी परहैज गारी के नूर को ना बुझादे। यानि खुदा के ऐहकाम पर चलता हो। और शरीअत का पक्का और सच्चा ताबेदार हो।**

तसव्वुफ यह है कि **सूफी सूफ का लिबास पहने और नफस को बला व जफा में मुबतला करे। और दुनिया को पीठ पिछे डाल दे। और हुजुर सल्ल लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत पर चले।**

(हज़रत बु अली रूदवारी 322 हीजरी)

तसव्वुफ की असल यह है कि 'कुरआन व हदीस का पाबंद और इसके एहकाम को अपने पर लाज़िम करले। और ख्वाहीशात व गैर शरई बातों से दुर हो जाये। और बुजुर्गों की ताज़िम व तकरीम करे। (हज़रत अबुल कासिमबिन इब्राहीम 367 हिजरी)

जो शख्स शरीअत के रास्ते को एक लखता (एक सैकन्ड भी) भी अपने हाथ से फैंक देगा वह हलाक (खत्म) हो जायेगा।

(हजरत शैख माहीयूद्दीन इब्ने अरबी र.अ.)

कल कियामत के रोज़ शरीअत की बाबत पूछेंगे और तसव्वुफ (सूफीयत) के बारे में कुछ ना पूछेंगे। जन्नत में दाखिल होना और

दौजख से बचना 'शरीअत' के हुकम पर चलने पर ही मुन्हसीर है। (अजरत मुजद्दीद अलफ सानी र.अ.)

तरिकत और शरीअत एक दूसरे की ऐन हैं। और बाल भर इनके दरमियान फर्क नहीं है। लिहाजा जो कुछ शरीअत के खिलाफ है। मरदुद व काबिले नफरत है। (हज़रत मुजद्दीक अलफ सानी र.अ.)

तमाम सआदतों, भलाईयों, नेकियों, अच्छाईयों का सरमाया सुन्नत की ताबेदारी है। और तमाम फिसादों, झगड़ों, लड़ाईयों की जड़ शरीअत की मुखालिफत है। (हज़रत मुजद्दीद अलफ सानी र.अ.)

कोई करामत इमान और सुन्नते रसुल से बड़ी नहीं। कोई करामत अल्लाह की मोहब्बत ओर हुजुर की पैरवी और मजबुती से इसी पर जमे रहने से बढ़ कर नहीं। यानि यही सबसे बडी करामत है कि आदमी अल्लाह व रसुल की मोहब्बत और सुन्नत पर मजबुती से पुरा–पुरा आमील (चलता हो) हो।

कुछ फितना के मारे हुए ने सूफियों का लिबास पहन रखा है। कि वह सूफी कहलाऐं। हालांकि **उनको सूफियों से कोई ताल्लुक नहीं।**

हज़रत सीरी सक़ती रहमतुल्लाह अलैय्यही ने इस तरफ इशारा फरमाया कि। जिसने पहले हदीस व इलमेंदीन हासिल करके तसव्वुफ में क़दम रखा (सूफी बना) फलाह (भलाई) को पहुंचा। **मगर जिसने इल्मे दीन हासिल करने से पहले सूफी बनना चाहा उसने खुद को हलाकत (मौत के मुंह) में डाला।**

हज़रत सीरी सकत रहमत तुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि जिसने कुरआन याद ना किया ना हदीस शरीफ का इलम सीखा। यानि जो इल्में शरीअत से जाहिल है, तरीक़त के मामले में उसकी पैरवी (उसके हुकम पर चलना) ना करें। उसको अपना पीर या उस्ताद ना बनायें। क्योंकि हमारा यह इल्मे तरीकत पुरी तरह किताब (कुरआन) व सुन्नत का पाबन्द हैं। (यानि शरीअते मोहम्मदी का पाबन्द है।) (रिसाला कीशीरिया)

हज़रत सैय्यदना बायज़ीद बुस्तामी रज़ि अल्लहा अन्हों ने अपने एक रफीक (दौस्त) से फरमाया।

'चलो उस शख्स को देखे जिसने अपने आपको इमामे विलायत मशहुर किया है। हजारों लोग उसके पास जाते थे और इबादत में मशहुर था। जब वहा तशरीफ ले गये तो आपने देखा की उस शख्स ने क़िबला की तरफ थूकां। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ि अल्लाह तआला अन्हु फौरन वापस लौट आये और उस से सलाम अलैयक तक ना कि और फरमाया। ये शख्स रसुलल्लाह सल्ल्लला अलैही व सल्लम के आदाब में से एक अदब पर अमीन नहीं (यानि आप की एक हुकम कि के काबा की तरफ ना थूंको। के उपर ही अमल ना कर सका) तो जिस चीज़ यानि (विलायत) का दावा कर रहा है उस का क्या अमीन होगा? (रिसाला किशीरिया)

हजरत सैय्यदना अबु उस्मान हीरी रहमतुल्लाह ने वक़्त इन्तेंकाल अपने साहब ज़ादा अबुबकर रहमतुल्लाह अलैही से फरमाया **'ऐ मेरे बेटे ज़ाहीर में सुन्नत के ख़िलाफ चलने वाला हो तो यह इस बात की निशानी है कि वह बातीन में 'रियाकार' हैं ।** (रिसाला किशीरिया)

हज़रत जुनैद बगदादी जो सूफीयों की जमाअत के सरदार व ईमाम है ने फरमाया 'कि हमारी किताब कुरआन शरीफ सब किताबों की सरदार व मुकम्मिल है। और हमारी शरीअत सब शरीअतों से साफ रौशन और अदक (बारीक) है। और सूफियों का तरीक़ा कुरआन व सुन्नते रसुल के साथ मज़बुत किया गया है। जो शख्स कुरआन व सुन्नत ना जानता हो (यानि आलिमे दीन ना हो) ना उनके मानी समझता हो। उसको पीर बनाना और उसकी इज्ज़त करना ठीक नहीं।

आप अपने दौस्तों व मुरीदों को फरमाया करते थे। 'अगर तुम किसी आदमी को हवा में चार जानु बैठा देखों, तब भी उसकी बताई बात पर ना चलो। जब तक कि तुम हलाल व हराम में और जाईज़ ना जाईज़ में उसकी

जांच ना करलो। अगर तुम देखों के वह खुदा के हुक्म पर कार बन्द और शरअ के खिलाफ जो कुछ भी है उससे परहैज करता है। तो उसको सच्चा जानो और उसका इत्तेबा करो। **लेकिन अगर वह शरीअत के ख़िलाफ चलने वाला है तो उस से परहैज करो। उससे दुर रहो।**

क्योंकि अगर वह 'शरीअत' की कसौटी पर पुरा ना उतरे तो उससे दुर ही रहना चाहिये। मिशकात शरीफ में है कि रसुले करीम ने एक शख्स को क़िबला कि तरफ थूंकते देखा तो आपने फरमाया कि ये शख्स तुम्हारी जमाअत ना कराऐ। उसने फिर जमाअत का ईरादा किया तो लोगों ने उसे मना किया और बताया कि हुजुर ने तुम्हारे पिछे नमाज़ पढ़ने से मना किया है।

इस बात से हमें समझ लेना चाहिये कि दीन में अदब की किस कदर अहमीयत है। मुसलमानों इन्साफ अब तुम्हारे हाथ है। इन्साफ से कहो जो शख्स पुरा सर से पैर तक बेअदब गुस्ताख हो सुन्नत के खिलाफ चलता हो, बेनमाज़ी हो और जमाअत को बिला उज़र छोड़ने का आदी हो। शरीअते मुस्तफा का व कुरआन का इल्म ना रखता हो। ढोल सारंगी तबला के साथ कव्वाली सुनने वाला हो (क्योंकि यह हराम हैं) या गांजा चरस पीने पिलाने वाला हो औरतो की सी लम्बी लम्बी चोटीयां रखने वाला हो कई–कई नग व कई–कई अगूंठियां पहनने वाला। ख़शख़शी दाड़ी रखने वाला या सफा चट हो। ऐलानियां गालियां बकनेवाला हो वग़ैरा–वग़ैरा। क्या ऐसा शख्स 'वली अल्लाह' सूफी, पीर फकीर कहलाने का हकदार है? नहीं हरगीज़ नहीं। ऐसा सख्श तो शैतान का बन्दा और वलि उश्शैतान है।

तसव्वुफ के जानने वालों में से एक बहुत बड़े इमाम कुतुबुल वासलीन, गौसुल आरफ़ीन, हज़रत अबदुल अज़ीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैही ने तिबरीज़ में इर्शाद फरमाया कि 'सिर्रे इलाही (राज़ेइलाही) और इसरारे ईलाही (अल्लाह के भेदों को) का हासिल करना अगरचे कमाल है। मगर इससे निजात हासिल नहीं हो सकती। **निजात का दारो मदार वह कानूने इलाही है। जिसका नाम 'शरीअत' है।** (तीबरीज़ पेज 23)

आपने यह भी इर्शाद फरमाया कि **बक़ाये आलम और अमन आलम का दारोमदार अल्लाह तआला ने 'शरीअत' पर ही रखा है। यानि शरीअते मोहम्मदी ही वह शै है जिसपर चलकर हम अमने आलम को कायम कर सकते है।**

—: पीरी मुरीदी :—

पीरी मुरीदी जाईज़ है। और इसका सबूत हदीस शरीफ में मौजूद है। यहां तक की कुरआन पाक में 'बैअत रिज़वान' या दरखत के निचे बैअत का ज़िक्र मौजूद है। खुद हुजुर ने दरखत के निचे सहाबा से बैअत ली। मगर यहां यह साबित करना मकसूद नहीं। क्योंकि यह हर शख्स जानता है।

हम यहां चन्द ऐसी बातें आपको बताना ज़रूरी समझते है कि आप कहीं पीर के बजाएं शैतान के मुरीद ना बन जायें।

पीर अगर बदमज़हब हुआ तो ईमान भी हाथ से गया। आजकल बहुत से इमान के डाकू पीरों के लिबास में फिरते है। अपने आपको सैय्यद कहते और खिलाफे शरीअत कामों में मशगुल रहते हैं। दाड़ी मुण्डे, खशखशी दाड़ी वाले। लम्बे–लम्बे औरतो के से बाल रखने वाले कई नग की व कई अंगूठियां पहनने वाले। कव्वाली सुनने वाले यहां तक के इस हराम को हलाल कहने वालों को लोग पीर बना लेते हैं। औरत से बेपर्दा मिलना जुलना उन्हें पास बैठाना क्या शरीअते मोहम्मदी में हलाल है? जब यह हराम है तो आप क्या कर रहे हैं। जो हराम कार है क्या पीर बन सकता है? वह खुद ही गुमराह है दूसरें को क्या राह पर ला सकता है। आज का पीर टी.वी., वी.सी.आर. फिल्में देखता है फोटों खिचवाता और इसको घर में रखने के लिये मुरीदों को देता है।

क्या शरीअत में यह सब काम हराम नहीं हैं? जब हराम है तो फिर आप का ज़मीर कहा दफन हो गया है। जो यह सब देख सुन कर आप ख़ामौश

है। क्या अल्लाह रसुल के हुकम को छोड़ कर इस फासिक फाजिर का लिहाज़ किया जायेगा? और खुदा रसूल के कानून की तरफ से आँख बन्द कर लोगे?

पीर होने की यूं तो बहुत शर्ते हैं मगर कम से कम चार शर्तो का पीर में होना बेहद ज़रूरी है।

पहली शर्त (1) सुन्नी सहीऊल अक़ीदा (सही अकीदे वाला) होना चाहिये।

दूसरी शर्त (2) आलीम हो और अक़ीदे का आलिम हो। अक़ीदे का पक्का हो। वरना जहालत से कुफ्र बक देगा और उसे पता भी ना चलेगा कि वह काफिर हो गया। और उसका सिलसिला काफिर हो जाने की वजह से हुजुर पुर नूर से मुत्तसिल (लगातार) ना रहा। कट गया। अगर ऐसा हो जाये तो उसकी बैअत से उसके सारे मुरीद निकल गये। अब अगर तौबा की तौफिक हो गई तो खैर यह मुसलमान हो गया पर जो सिलसिला ट गया था। वह वापस कैसे जुड़े। उसे फिर अपने पीर से बेअत होना होगा ओर अपने सारे मुरीदो को वापस अपनी बैअत में लेना होगा। लेकिन शर्म की वजह से वह यह सब कर नहीं सका तो उसके मुरीदों की सिफारिश व भला नहीं कर सकता। क्योंकि जब खुद ही खारीज़ हो गया। और पहली बात तो यह कि उसे खबर ही नहीं होगी की वह काफिर होकर खारीज हो गया है। इसिलिये पीर अकीदे का पक्का और अकीदे का अच्छा आलिम होना शर्त है। जाहील हरगीज़ पीर नही हो सकता।

(3) तीसरी शर्त :– उसका सिलसिला ओर सिजराऐ तरीकत रसुलुल्ल्लाह सल्ल्लाहु अलैही व सल्लम से मुतेसिल (कहीं दूटा हुआ ना हो) होना शर्त है। वरना

उधर से फैज ना आयेगा। सिर्फ किसी सिलसिला में मुरीद हो जाने से वह दूसरों को मुरीद नहीं कर सकता। उसे जब तक खिलाफत ना मिले तब तक वह किसी को मुरीद नहीं कर सकता।

(4) चोथी शर्त :– फासिके मुअलिन ना होना चाहिये। इसकी तफसील आप नमाज़ कि इमामत के बारे में पढेंगे कि कौन–कौन लोग फासिके मुअलिन हैं। यहां भी कुछ तफसील दी जा रही है।

फासिके मुअलिन वह है जो खिलाफे शरअ काम ऐलानिया करता हो। मसलन कोई दाड़ी हद्दे शंरअ से कम कराऐ तो वह भी फासिके मुअलिन है।

निचे लिखे लोग फासिके मुअलिन है– (1) दाड़ी मुण्डा या खशखशी दाड़ी रखने वाला। (2) कव्वाली सुनना हराम है सो कव्वाली सुनने वाला भी फासिके मुअलिन हैं। (3) कन्धे से निचे औरते के से बाल रखने वाला। (4) कई अंगूठियां या कई नग की एक अगूठी या सोना तांबे पितल जस्ता वग़ैरा धातु या किसी धातु की अंगूठी पहनने वाला। (मुसलमान मर्द को साढ़े चार माशा से कम चांदी की एक नंग की अंगूठी पहनना जाईज है।) अपने आप को दुसरों से अच्छा समझने वाला यानि दूसरों को हकीर या ज़लील समझता हो।

(5) फहश गालियां बकने वाला। (6) गैर मेहरम औरतों से बेपर्दा मिलने या उनके साथ उठने बैठने वाला। उनके साथ फोटो खिचवाने वाला। (7) तस्वीर, फोटो, विडियों फिल्में देखने उतरवाने वाला। या हराम (MUSIC) बाज़ों को जाईज समझने वाला। (8) नमाज़ बाजमाअत ना पढ़ने वाला। या गंडेदार नमाज़ पढ़ने वाला। (9) बिला उज़र नमाज़ कज़ा करके या दैर करके पढ़ने वाला की मकरूह वक्त आजाये। (10) ज़ानी (बलात्कारी) (11) वह जो मुसलमानों को सताऐ परेशान करे या डराये धमकाऐ या बेइज्ज़ती करने वाला। (13) शराबी गंजेडी चरसी वग़ैरा।

इनके आलावा जो भी शख्स ऐलानिया खुदा रसुल की नाफरमानी करते है वह सब फासिके मुअलिन है। ऐसे पीरों के हाथ में अपना हाथ ना दें उन्हें पीर ना बनायें।

यह बाते तो सुन्नी आलिमो व पीरों के बारे में थी। लेकिन अगर वह शख्स

बदमज़हब मसलन राफज़ी, बोहरें, खारजी, वहाबी, देवबन्दी शिय्या वगै़रा वगै़रा फिरके का है। तो वह चाहे कितना ही पाकबाज़ बनता हो, परहैज़गार हो, आलिमे बाअमल हो आलिम फाज़िल मुत्तकी वगै़रा वगै़रा हो । तो भी वह पीर बनाने के लायक नही। बल्कि वह मुसलमान ही नही है। इनको पीर बनाना या मुसलमान समझना ही कुफ्र है। **नोट : इस किताब में**

यहाँ तक हमने अक़ाईद वगै़रा का मुख्तसर (कुछ) जिक्र कर दिया ताकि इनको अच्छी तरह पढ़ समझकर आप अपने ईमान की हिफाज़त कर सकें।

हम पहले भी अर्ज़ कर चुके कि नमाज़, रोज़ा, हज ज़कात वगै़रा वगै़रा कुल इबादतें ईमान के बगैर हो ही नहीं सकती ओर क़बुल नहीं बल्कि मरदुद है। इसलिये हमने इस नमाज़ की किताब में यह सब कुछ बयान करने की कोशिश की जिससे इमान सलामत रहे।

अब आखिर में हम कुछ कलमाते कुफ्र और बयान करेंगे ताकि आप इनसे भी बचें इसके बाद नमाज़ से मुताल्लिक बयान शुरू होगा।

—: कलमाते कुफ्र का बयान :—

मसला :— जिस शख्स को अपने ईमान में शक हो। यानि कहता है कि मुझे अपने मौमीन होने का यक़ीन नहीं। या कहता है कि मालुम नहीं मैं मौमीन हुं या काफिर। वह काफिर है। लेकिन इसका मतलब अगर वह यह समझे के मालुम नहीं मेरा खातमा ईमान पर होगा या नहीं तो काफिर नहीं है। जो शख्स ईमान व कुफ्र को एक समझे यानि यह कहता है कि सब ठीक है खुदा को सब पसन्द है वह काफिर है। इसी तरह जो शख्स ईमान पर राज़ी नहीं या कुफ्र पर राज़ी है वह भी काफिर है। (आलम गीरी)

मसला :—एक शख्स गुनाह करता है लोगों ने उसे मना किया तो कहने लगा इसलाम का काम इसी तरह करना चाहिये। यानि जो गुनाह या मअसियत को इसलाम कहता है। वह काफिर है।

मसला :— इसी तरह किसी ने दुसरे से कहा में मुसलमान हूं उसने जवाब

में कहा तुझ पर भी लाअनत और तेरे इस्लाम पर भी लाअनत ऐसा कहने वाला काफिर है। (आलम गीरी)

मसला :– अगर ये कहे खुदा मुझे इस काम के लिये हुकम देता जब भी ना करता तो काफिर हैं यूं ही एक ने दूसरे से कहा मैं और तुम खुदा के हुकम के मुवाफिक काम करें, दूसरे ने कहा मैं खुदा का हुकम नहीं जानता या कहा यहां किसी का हुकम नहीं चलता तो वह काफिर है। (आलम गीरी)

मसला :– कोई शख्स बिमार नहीं होता या बहुत बुढ़ा है मरता नहीं उसके लिये ये कहना कि उसे अल्लाह मीयां भूल गये हैं। या किसी जुबान दराज़ आदमी से यह कहना कि खुदा तुम्हारी जुबान से मुकाबला कर ही नही सकता में किस तरह करूं। यह कुफ्र है। (खुलासतुल फतावा)

मसला :– इसी तरह एक ने दूसरे से कहा अपनी औरत को काबू में नहीं रखता उसने कहा औरतों पर खुदा को तो कुदरत है नहीं मुझको कहां से होगी तो भी यह कहने से काफिर हो गया। (बहारे शरीअत जिल्द ९.)

मसला :– खुदा के लिये मकान साबित करना कुफ्र है कि वह मकान से पाक है यह कहना कि उपर खुदा है निचे तुम यह कलमाऐं कुफ्र है। (बहारे शरीअत –खानिया)

मसला :– किसी से कहा गुनाह ना करो वरना खुदा तुझे जहन्नुम में डालेगा। उसने कहा मैं जहन्नुम से नहीं डरता। या कहा खुदा कि कुछ परवाह नहीं या एक ने दूसरे से कहा कि तू खुदा से नहीं डरता, उसने गुस्से में कहा नहीं। या कहा खुदा क्या कर सकता हैं इसके सिवा क्या कर सकता है कि दोज़ख़ में डाल दे। या कहा खुदा से डरों उसने कहा खुदा कहां है? यह सब कुफ्र के कलमात हैं। यानि इन सब या एक भी बात कहने से काफिर हो जायगा। (बहारे शरीअत जिल्द ९.)

मसला :– किसी से कहा इनशा अल्लाह तुम इस काम को करोगे। इसने कहा में बगैर इन्शाअल्लाह करूंगा या एक ने दूसरे पर जुलम किया मज़लुम

ने कहा खुदा ने यही मुकद्दर किया था। ज़ालिम ने कहा मैं बगैर अल्लाह के मुकद्दर किये करता हूं। यह कुफ्र है। (आलम गीरी)

मसला :— किसी मिसकीन ने अपनी मुहताजी को देख कर यह कहा ऐ खुदा फलां भी तेरा बन्दा है उस को तूने कितनी नैअमते दे रखी है। और मैं भी तेरा बन्दा हूं मुझे किस कदर रंज व गम व तकलिफ देता हैं आखीर यह क्या इन्साफ है। ऐसा कहना कुफ्र है। (आलमगीरी)

मसला :— एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा हैं उसका लड़का बाप को तलाश कर रहा था और रोता था किसी ने कहा चुप रह तेरा बाप अल्लाह अल्लाह करता है ये कहना कुफ्र नहीं क्योंकि इसके मानी ये हैं कि खुदा को याद करता है। (आलमगीरी—बहारे शरीअत) कुछ जाहिल यह कहते हैं कि 'लाइलाहा' पढ़ता है यह बहुत खराब बात है कि 'नफी' (सिर्फ इन्कार है) महज़ है। जिसका मतलब ये हुआ कि कोई खुदा नहीं और ये मानी कुफ्र है।

मसला :—अम्बिया अलैय्यही मुस्सलात व स्सलाम की तौहीन करना। इन की जनाब में गुस्ताखी करना या इनको फवाहीश (गन्दी बातों) व बे हयाई की तरफ मन्सुब करना (यानि गन्दी व बेहयाई की बातों से उनका काइे भी ताल्लुक बताना) कुफ्र है। मसलन मुआज़ अल्लाह (अल्लाह पनाह में रखे) यूसूफ अलैही स्सलाम को ज़िना की तरफ निस्बत करना।

(बहारे शरीअत जिलद 9 पेज 144)

मसला :— जो शख्स हुजुर अकदस सल्ल लाहु तआला अलैही व सल्लम को तमाम अम्बिया में आखिर नबी ना जाने या हुजुर की किसी चीज़ की तौहीन करे या ऐब लगाऐ। आप के मुऐ मुबारिक को तहकीर (बेअदबी) से याद करे। आपके लिबास को गन्दा और मैला बताऐ। हुजुर के नाखून बड़े—बड़े कहे। यह सब बातें कुफ्र है इनके कहने से आदमी काफिर होकर इस्लाम से खारीज़ हो जाता है।

बल्कि अगर किसी के कहने पर कि हुजुर को कददू (लाकी) पसन्द था।

कोई कहे मुझे यह पसंद नही तो काफिर है। इसी तरह किसी ने यह कहा कि हुजुर अकदस सल्ल लाहु तआला अलैही व सल्लम खाना खाने के बाद अपनी उंगली मुबारक को तीन बार चाट लिया करते थे। इस बात पर किसी ने कहा यह अदब के खिलाफ है या सुन्नत की तौहीन करे मसलन दाड़ी बढ़ाना मुंछे कम करना, इमामा बांधना (साफा बांधना) या शुमला लटकाना इन की तौहीन कुफ्र है। जबकी सुन्नत की तौहीन मकसूद हो।

(बहारे शरीअत जिलद–9 पेज 144)

मसला :– अब जो अपने को कहे मैं पैगम्बर हूं और इसका मतलब यह बताये कि मैं पेगाम पहुंचाता हूं। वह काफिर है। (आलम गीरी)

मसला :– हज़रात शैखीन (हजरत अबुबकर व उमर) रजिअल्लाह तआला अनहुमा की शान पाक में सब्ब व सितम (गाली गलोच वग़ैरा करना) करना तबर्रा (लानत पढ़ना बुरा कहना) या हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ि अल्लाह तआला अन्हु की शाने पाक व खिलाफत से इन्कार करना कुफ्र है।

(आलम गीरी –बहारे शरीअत)

मसला :– दुश्मन या जिस से नाराज़ी सखत हो को देख कर यह कहना कि मलेकुल मौत आगये। या कहा उसे वैसा ही जानता हूं जैसा मलकुल मौत को। इस में अगर मलकुल मौत को बुरा कहता है तो कुफ्र है। यूंही जिब्राईल या मिकाईल या किसी फरिश्ते को जो शख्स ऐब लगाये या तौहीन करे काफिर है। (बहारे शरीअत.)

मसला :– कुरआन की किसी आयत को ऐब लगाना या उस की तौहीन करना या उस के साथ मसखरा पन करना कुफ्र है। मसलन दाड़ी मुंडवाने से मना करने पर अकसर दाड़ी मुण्डे कह देते है। 'कल्ला सोफा तअ़लमुन' जिसका यह मतलब बयान करते हैं कि 'कल्ला साफ करो' यह कुरआन शरीफ की तेहरीफ (बदलना) है व तबदीली भी है। ओर इसके साथ दिल लगी व मज़ाक भी है। और यह दोनों बातें कुफ्र है। इसी तरह अकसर बातों

में कुरआन मजीद की आयतें बे मौका पढ़ दिया करते हैं। और मकसूद हंसी करना होता है। जैसे किसी को नमाज़ जमाअत के लिये बुलाया वह कहने लगा में ज़माअत से नहीं बल्कि तन्हा पढूंगा क्योंकि अल्लाह तआला फरमाता है। 'इन्नरस्सलात तन्हा' यह सब कुफ्र है। (बहारे शरीअत जिल्द 9.)

मसला :– किसी से नमाज़ पढ़ने को कहा उसने जवाब दिया नमाज़ पढ़ता तो हूं मगर इसका कुछ नतीज़ा नहीं। या कहा तुम ने नमाज़ पढ़ी क्या फायदा हुआ या कहा नमाज़ पढ़ कर क्या करू किस के लिये पढूं। मां बाप तो मर गये या कहा बहुत पढ़ ली अब दिल घबरा गया। या कहता है पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर है। गर्ज़ इस किस्म कि बात करना जिस से फर्ज़ियत का इन्कार समझा जाता हो या नमाज़ की तौहीन होती हो यह सब कुफ्र है।

(बहारे शरीअत जिल्द 9.)

मसला :– कोई शख्स सिर्फ रमज़ान में नमाज़ पढ़ता है। बाद में नही पढ़ता और कहता यह है कि यही बहुत है। या जितनी पढ़ी यही ज़्यादा है। क्योंकि रमज़ान में एक नमाज़ सत्तर नमाज़ के बराबर है ऐसा कहना कुफ्र है इसलिये कि इससे नमाज़ की फर्ज़ियत का इन्कार मालूम होता है। (बहारे शरीअत जिल्द 9.)

मसला :– अज़ान की आवाज सुनकर यह कहना कि क्या शौर मचा रखा है। अगर यह कौल बरवजह इन्कार हो कुफ्र है। (आलम गीरी)

मसला :– रमजान का रोज़ा नहीं रखता और कहता है कि रौज़ा वह रखे जिसे खाना ना मिले। या कहता है जब खुदा ने खाने को दिया है तो भुखे क्यों मरे। या इसी किस्म की बाते जिससे रोज़ा की तौहीन हो कुफ्र है।

(बहारे शरीअत जिल्द 9.)

मसला :– उलमाऐ दीन और इल्मे दीन की तौहीन बेसबब यानि सिर्फ इस वजह से कि आलिमें दीन है कुफ्र है। यूंही आलिमे दीन की नक्ल करना मसलन किसी को मिम्बर वग़ैरा किसी उंची जगह पर बैठाएं और उससे मसाईल बतौर मज़ाक के पुछे फिर उसे तकिया वग़ैरा से मारे और मज़ाक

बनायें यह कुफ़्र है। (आलम गीरी)

मसला:— **शरअ (शरीअत) की तोहीन करना। मसलन कहे मैं शरअ वरअ नहीं जानता। या आलिमे दीन मुहतात का फतवा पेश किया गया उसने कहा मैं फतवा नहीं मानता या फतवा को ज़मीन पर फैंक दिया या फाड़ दिया तो भी वह काफिर है।**(बहारे शरीअत जिल्द 9.)

मसला :— **किसी शख्स को शरीअत का हुकम बताया कि इस मामले में यह हुकम है उसने कहा। हम शरीअत पर अमल नही करेंगे ऐसा कहना कुफ़्र है।** (आलम गीरी)

मसला :— शराब पीते वक़्त या ज़िना करते वक़्त या जुआ सट्टा खेलते वक़्त, या चोरी करते वक़्त, या दाड़ी मूंडते वक़्त बिस्मिल्लाह कहना कुफ़्र है। यानि हर हराम काम के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़नेसे काफीर हो जाऐगा। दो शख्स झगड़ रहे थे एक ने कहा 'लाहोल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह' दूसरे ने कहा लाहोल का क्या काम है लाहोल को में क्या करूं। या लाहोल रोटी की जगह काम ना देगी। इसी तरह 'सुबहान अल्लाह' और 'लाइलाहा इलल्ल ला' के बारे में कहा तो इस किस्म के अलफाज कहना भी कुफ़्र है। (आलम गीरी)

मसला :— बिमारी में घबरा कर कहने लगा तुझे इख़्तियार है चाहे काफिर मार या मुसलमान मार यह कुफ़्र है। इसी तरह मुसीबतों में मुबतला होकर कहने लगा। तुने मेरा माल लिया और औलाद ले ली, और यह लिया और वह लिया अब क्या करेगा। और क्या बाक़ी है जो तूने ना किया। इस तरह बकना कुफ़्र है। (बहारे शरीअत जिल्द 9.)

मसला :— मुसलमान को कलिमाते कुफ़्र की तालीम व तलक़ीन (यानि उससे कलिमाऐ कुफ़्र कहलाना) कुफ़्र है। चाहे खेल या मज़ाक में ऐसा करे। इसी तरह किसी की औरत को कुफ़्र की तालीम की और यह कहा कि तू काफिर होजा ताकि शौहर से पीछा छुटे। तो औरत कुफ़्र करे या ना करे

यह कहने वाला काफिर हो गया। (खनिया – बहारे शरीअत)

मसला :— होली दीवाली पुजना कुफ्र हैं कि यह इबादत गैर अल्लाह हैं कुफ्फार के (काफीरों के) मेले त्यौहारों में शरीक हो कर उनके मेले ओर उनके मजहबी जुलुस की शान व शोकत बढ़ाना कुफ्र हैं। जैसे राम लीला और जन्मअष्ठमी और राम नवमी, दिवाली की रौशनी देखने जाना इनके गरबा डान्डियों में शरीक होना या तमाशा देखना सब कुफ्र है।

इसी तरह इनके त्यौहारों के दिन सिर्फ इस वजह से चीज़े खरीदना कि कुफ्फारों का त्यौहार है यह भी कुफ्र है। जैसे दिवाली में खिलौने और मीठाईयां खरीदी जाती हैं कि आज दविाली के दिन खरीदना दिवाली मनाने के सिवा कुछ नहीं। यूंही कोई चीज़ खरीद कर उस रोज़ मुशरिकीन काफीरों के पास हदीया (तोहफा) भेजना जबकी उस दिन की ताज़ीम मन्जुर हो कुफ्र है।

(बहरूलराईक –बहारे शरीअत जिल्द ९.)

मुसलमानों पर अपने दीन व मज़हब की हिफाज़त लाज़मी है। दीनी जौश व ग़ैरत से काम लेना चाहिये। काफिरों के कुफरी कामों से अलग रहें। मगर अफसोस कि मुशरीकीन तो मुसलमानों से परहैज करें और मुसलमान है कि उनसे घालमैल रखते है। इसमें सरासर मुसलमानों का नुकसान है।

इस्लाम खुदा की बड़ी नैमत है। इसकी कद्र करो। और जिस बात में इमान का नुकसान हैं उस से दुर भागो। वरना शैतान गुमराह कर देगा। और यह दौलत तुम्हारे हाथ से जाती रहेगी। फिर कफे अफसोस मलने के सिवा (इलावा) कुछ हाथ ना आयेगा।

ऐ अल्लाह ! तु हमें सिराते मुस्तक़ीम पर कायम रख और अपनी नाराज़ी के कामों से बचा और जिस बात में तू राजी रहे उसकी तौफीक अता फरमा। तू हर दुश्वारी को दूर करने वाला है। और हर सख़्ती को आसान करने वाला है।

पानी का बयान

मालुम होना चाहिये कि इन्सान को पाकी हासिल करने, इबादते इलाही करने, के लिये वजु व गुसल की ज़रूरत है।

जब तक हमें यह मालुम ना हो किस पानी से वजु व गुसल दुरस्त है? तब तक किस तरह पाकी हासील जा सकती है। इसलिये आपकी खिदमत में चन्द ज़रूरी मसाईल बयान करते है। (यह मसाइल फतावा रज़विया जिल्द अव्वल और बहारे शरीअत जिल्द दौम से लिये गये है।)

मसला :— बारिश, नदी, नाले, तालाब, नहर के पानी से वजु व गुसल जाईज़ है।

मसला :— बावडी, कुएें के पानी से वजु व गुसल जाईज़ है। जब तक पानी का रंग (कलर) मज़ा (जायका) (टेस्ट) व बु व स्वाद ना बदले मगर जब इन पानीयो में नापाक चिज़ इतनी मिल जाये कि पानी का रंग, बु, स्वाद बदल जाये तो अब यह पानी चाहे तालाब, नदी, नहर, कुआं, बावडी का ही क्यों ना हो वजु व गुसल के काम का नहीं। इसको इच्छी तरह याद रखना चाहिये।

मसला :- दह दरदा से कम पानी में, बेवजु शख्स का हाथ या उंगली या नाखुन या बदन का कोई भी हिस्सा डुब जाये, तो अब उस पानी से वजु व गुसल नहीं हो सकता। इस पानी को 'माऐ गुस्तअमील' कहते हैं। इसी तरह जिस पर गुसल फर्ज़ है उसके जिस्म (बदन) का कोई हिस्सा बे धोये पानी से छू जाये तो वह पानी भी वजु व गुसल के काम का ना रहा।

मसला :— लेकिन अगर ज़्यादा पानी में इन्सान के बदन का कोई हिस्सा डूब या छू जाये या निजासत जैसे पाखाना पैशाब गीर जाये तो भी यह पानी नापाक नहीं होता। और वजु व गुसल के काम आ सकता है।

—: कम और ज़्यादा पानी किसे कहते है :—

जिस पानी की उपरी सतह (दह दरदा यानि दस हाथ लम्बा दस हाथ चौड़ा) 225 स्कवायर फिट या ज़्यादा हो तो वह पानी ज़्यादा पानी कहलाता है।

जिस पानी की सतह 225 स्कवायर फिट से कम हो वह पानी कम कहलाता है। कुआं, बावड़ी होज वग़ैरा के पानी की उपरी सतह अगर 225 स्कवायर फिट यानी दह दरदा से कम हो तो उस पानी में नाखुन या उंगली या हाथ पांव वग़ैरा कोई हीस्सा बदन का डूब जाये तो वह पानी वजु व गुसल के काम का नही रहता। लेकिन अगर हाथों को अलग से धो लिया जाय तो अब इस पानी में हाथ पड़ने से यह पानी खारीज नहीं होगा।

मसला :— हाथ धुला हुआ है। मगर फिर धोने की निय्यत से पानी में डाला और यह धोना स्वाब का काम हो जैसे खाने के लिये या वजु के लिये तो ये पानी 'माये मुस्तअमिल' हो गया। यानि अब ये पानी वजु व गुसल के काम का ना रहा और इस पानी को पीना भी मकरूह है।

मसला :— घरों में मटके, घड़े, बाल्टी, टब या टंकी बाल्टी, ड्रम लोटे गिलास वग़ैरा बर्तनों में अगर बे वजु शख्स की उंगली या नाखुन या बदन का कोई हिस्सा छु गया तो अब इस पानी से ना तो वजु हो सकता है ना गुसल।

अवाम तो अवाम वह जो खास लोग यानी मौलवी कहलाने वाले भी इन मसलों से ग़ाफिल है। खुद की नमाज़े ही जब नहीं होती तो इनके पिछे दूसरों की क्या होगी?

अफसोस आज हमारी गफलतों (लापरवाही) से हमारी यह हालत है कि हमारा गुसल ही नही उतरता (नही होता) तो ऐसे शख्स को मस्जिद में जाना ही हराम है। फीर वजु का भी यही आलम है। तो नमाज भी ना हुई। लिहाजा जरूरी है कि हम इन मसलों को अच्छी तरह समझ लें।

याद रखिये अल्लाह तआला को तुम्हारी नमाज़ों की कोई हाजत नहीं। ऐसी नमाज़े जो बगैर वजु व गुसल के पढी गई कभी कबुल नही हो सकती।

'माऐ मुस्तअमिल' को काम लायक बनाने का तरीका :–

जब बाल्टी, टब या ड्रम घड़े में या किसी भी बर्तन में 'हदस वाले का यानि' जिस पर वजु लाजीम हो का नाखुन या उंगली का सिरा डूब जाये, तो उस पानी में उस से ज़्यादा दूसरा पाक पानी और मिला लिया जाये तो इस तरह वह सब पानी अब वजु व गुसल के काम का हो गया।

दूसरा तरीका यह है कि उस बर्तन में दूसरा पाक पानी इतना डाला जाये कि वह बर्तन पुरा भर कर बह जाये यानि पानी किनारों से बाहर की तरफ बह कर थोड़ा सा निकल जाये तो अब इस बर्तन का पानी भी वज़ु व गुसल के काम का हो गया। (बहारे शरीअत)

मसला :– दूसरों के नाबालिग़ बच्चों के ज़रिये भरा हुआ पानी की शरअन उसका मालिक हो गया हो ।तो उस पानी से वजु व गुसल ना जाईज़ है। अकसर मौलवी कुऐं, हैंड पम्प से पानी,वजु व पीने के लिये नाबालिग़ बच्चों से भरवाकर कर मंगवाते और उससे वजु करके नमाज़ पढ़ते हैं। यह हराम है, और इस पानी को पीना भी हराम है। क्योंकि यह उन नाबालिग़ बच्चों का पानी है। लेकिन अपने खुद के नाबालिग़ बच्चों से मां बाप पानी भरकर मंगवाऐं तो मां बाप काम में ले सकते हैं। (बहारे शरीअत)

मसला :– नाबालिग़ बच्चे ने कुऐं या बावड़ी या हैंडपम्प से पानी भरा और अपने कबज़े में कर लिया लेकिन ले जाने की बजाय वापस वह पानी कुऐं या बावड़ी में डाल दिया तो अब उस कुऐं से किसी को वज़ु व गुसल व पीने के लिये पानी लेना जाईज़ नहीं। (फतावा रज़विया)

मसला :– बालिग़ का भरा हुआ पानी बग़ैर उसकी इजाज़त के ख़र्च करना हराम है। (बहारे शरीअत)

मसला :– बहता पानी कि उसमें तिनका डालदें तो बहा ले जाये पाक है, और पाक करने वाला है। निजासत पड़ने से नापाक नहीं होगा जब तक वह निजासत इसके रंग या बु या स्वाद को ना बदल दें। अगर नजीस (नापाक)

चीज़ से रंग या बु या स्वाद बदल गया तो अब यह पानी नापाक हो गया। अब ये उस वक्त पाक होगा कि निजासत तहं नशीन होकर उसके औसाफ (रंग, मज़ा बू) ठीक हो जायें। या पाक पानी इतना मिले कि निजासत को बहा ले जाये या पानी के रंग मज़ा बू (स्वाद वग़ैरा) ठीक हो जाये। (बहारे शरीअत)

मसला :— पानी में पाक चीज़ के मिलने से रंग मज़ा (स्वाद) बु बदल दी तो उस पानी से वजु व गुसल जाईज़ है। (बहारे शरीअत)

मसला :— ज़्यादा व कम पानी का बयान हम कर चुके है। जो हौंज दह दरदा यानी दस हाथ लम्बा और दस हाथ चौड़ा हो उसे बड़ा होज़ कहते हैं। इसी तरह बीस हाथ लम्बा पांच हाथ चौड़ा या पच्चीस हाथ लम्बा चार हाथ चौड़ा गरज यह कि कुल लंबाई चौड़ाई यानि पानी की सतह का क्षेत्रफल 100 हाथ या 225 स्कवायर फीट हो। इसमें उपरी सतह का ऐतबार है। गहरा चाहे कम हो या ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। मसलन एक होज़ 10x10 फीट यानि 100 स्कवायर फीट हुआ यह पानी कम पानी कहलायेगा चाहे यह सो फुट गहरा हो तो भी दह दरदा नहीं और इस पानी में बे वज़ु शख्स की उंगली नाखून वग़ैरा छुजाने से वज़ु व गुसल के काम का ना रहेगा। (बहारे शरीअत)

मसला :— बड़े हौज़ में ऐसी निजासत पड़ी कि दिखाई ना दे। जैसे शराब, पैशाब तो उसकी हर तरफ से वजु जाईज़ है और अगर देखने में आती हो जैसे पाख़ाना या कोई मरा हुआ जानवर तो तो जिस तरफ वह निजासत हो उस तरफ वजु ना करना चाहिये। दूसरी तरफ वजु करे।(बहारे शरीअत)

मसला :— काई हौज़ या कुआ ऐसा है कि उपर की सतह से तंग और निचे से कुशादा (बड़ा) है। यानि उपर से दह दरदा नहीं और निचे से दह दरदा है या ज़्यादा है। अगर ऐसा हौंज़ लबरेज़ हो जाये और निजासत पड़े तो नापाक है। लेकिन जब इसका पानी कम हो गया और निचे उतरने की वजह से दह दरदा हो गया तो अब पाक है।

मसला :— जिस पानी से वजु जाईज है उससे गुसल भी जाईज और

जिससे वजु ना जाईज उससे गुसल भी नाजाईज़। (बहारे शरीअत)

—: आदमी और जानवरों के झुंठे का बयान :—

मसला :— आदमी चाहे नापाक हो या बे गुसल हो या हैज़ (माहवारी जौ औरतों को होती है) या निफास (आदत के दिनों से जौ ज़्यादा दिन तक खुन आये) वाली औरत उस का झुठा पाक है। काफिर का झुठा भी पाक है। मगर इससे बचना चाहिये। जैसे थूक, रीठं, खैंखर वग़ैरा पाक हैं। मगर आदमी इन से नफरत करता है। इससे बहुत ज़्यादा काफीर के झुंठे को समझना चाहिये। (बहारे शरीअत)

मसला :— किसी के मुंह से इतना खून निकला कि थुंक में सुर्खी आ गई और इसने फौरन पानी पीया तो यह झुंठा पानी नापाक है और सुर्खी जाती रही तो उस पर लाज़ीम है कि कुल्ली करके मुंह पाक करे। (बहारे शरीअत)

मसला :— अल्लाह की पनाह शराब पीकर फौरन पानी पीया तो पानी नापाक हो गया। लेक़िन इतनी देर बाद पानी पीया के इतनी देर में शराब के अजज़ा (शराब का हिस्सा) थूंक में मिल कर हलक़ से उतर गये तो नापाक नहीं। मगर शराबी और उसके झुंठे से बचना ही चाहिये।(बहारे शरीअत)

मसला :— शराब पीने वाले कि मुंछे बड़ी हो कि शराब मुछों में लगी तो जब तक इनको पाक ना करे। जो पानी पीयेगा वह पानी व बर्तन दोनों ना पाक हो जायेंगे। (बहारे शरीअत)

मसला :— घोड़े का झुंठा पाक है।

मसला :— सुअर, कुत्ता शैर, चिता भेडिया, हाथी, गीदड़ और दूसरे दरिन्दों का झुंठा ना पाक है। (बहारे शरीअत)

समला :— कुत्ते ने बर्तन में मुंह डाला तो अगर वह बर्तन चीनी मिट्टी या घात का है या मीट्टी का रौगनी या ईस्तेमाली चिकना हो तो तीन बार धोने से पाक हो जायगा। मगर हर घार धोकर सुखाना पडेगा। फिर धोना पड़ेगा इस तरह तीन बार धोने से पाक होगा। लेकिन अगर चीनी के बर्तन में बाल

हो (छोटी दरार) या बर्तन में दरार हो तो भी तीन बार सुखा कर पाक होगा यानि धोकर सुखाये,, फिर धोये और सुखाये, फिर तीसरी बार धोयें तब पाक होगा। (बहारे शरीअत)

मसला :— मटके को कुत्ते ने उपर से चाटा इसका पानी नापाक ना होगा। (बहारे शरीअत)

मसला :— उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शिकरा, बाज, चील, वग़ैरा का झुंठा मकरूह है और अगर इनको पाल कर शिकार के लिये सिखा लिया हो और चोंच में नापाकी न लगी हो तो उसका झुंठा पाक है।(बहारे शरीअत)

मसला :— घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली, का झुंठा मकरूह है। (बहारे शरीअत)

मसला :— पानी के रहने वाले जानवर का झुंठा पाक है।(बहारे शरीअत)

मसला :— गधे, खच्चर का झुठा मशकुक (जिसमें शक हो) है। यानि इसके काबिले वजु होने में शक है। लिहाजा इससे वजु व गुसल नहीं हो सकता। (बहारे शरीअत)

मसला :— जो झुठा पाक है उससे वजु व गुसल जाईज़ है। मगर जुनुब (जिस पर गुसल फर्ज़ हो) ने बगैर कुल्ली किये पानी पीया तो उस झुंठे पानी से वजु ना जाईज़ है। कि वह पानी मुसतअमिल हो गया।(बहारे शरीअत)

मसला :— जिसका झुठा नापाक उसका पसीना और थूंक भी नापाक। (बहारे शरीअत)

मसला :— जिसका झूंठा पाक उसका पसीना और थूंक भी पाक और जिसका झुंठा मकरूह उसका थूंक व पसीना भी मकरूह।(बहारे शरीअत)

मसला :— गधे,खच्चर का पासीना अगर कपड़े में लग जाये, कपड़ा पाक है। चाहे कितना ही ज़्यादा लगा हो। (बहारे शरीअत)

—: तयम्मुम का बयान :—

अल्लहा अज़्ज़ा व ज़ल्ला इर्शाद फरमाता है।

"अगर तुम बिमार हो जाओं या सफर में हो। या तुम में से कोई पाखाना करके आया। या औरतों से मुबाशिरत (हमबिस्तरी) की हो और पानी ना हो तो पाक मिट्टी का इरादा करों और अपने मुंह और हाथों का इस से मसह करो" (तर्जुमा कुरआन पाक)

मसला :– जिस का वजु ना हो या नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर कुदरत ना हो तो वजु व गुसल के बजाये तयम्मुम कर लें।

पानी पर कुदरत न होने की चन्द सुरतें है–

(1) ऐसी बीमारी के वजु या गुसल से उस के ज़्यादा होने या देर में अच्छा होने का सही अन्देशा हो। चाहें यूं कि उसने खुद आज़माया हो कि जब वजु या गुसल करता है तो बीमारी बढ़ जाती है। या यूं कि किसी मुसलमान अच्छे लायक हकीम नें जो ज़ाहीर में फासीक ना हो कह दिया हो कि पानी नुकसान करेगा। (बहारे शरीअत)

मसला :– बीमारी में अगर ठंडा पानी नुकसान करता है और गर्म पानी नुकसान ना करे तो गर्म पानी से वजु व गुसल ज़रूरी है। तयम्मुम जाईज नहीं। हाँ ऐसी जगह हो कि गर्म पानी ना मिल सके तो तयम्मुम कर लें। (बहारे शरीअत)

मसला :– अगर ठंडे वक़्त में सख़्त सर्दी के वकत वजु या गुसल नुकसान करता है। और गर्म वक़्त में नहीं तो ठण्डे वक़्त में तयम्मुम करले फिर जब गर्म वक़्त आये तो आईन्दा नमाज़ के लिये वजु कर लेना चाहिये। मगर जो नमाज़ उस तयम्मुम से पढ़ ली उसे दोहराने की ज़रूरत नही। (फ) बहुत से लोग सर्दीयों में नमाज़ छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पानी नुकसान करता है। उनको चाहिये अगर गर्म पानी करके नमाज पढ़ सकें तो यही करना चाहिये और यह मुमकीन ना हो तो मजबुरी में 'तयम्मुम' करके नमाज़ पढ़ लें। बड़ी उम्र वाले हजरात को अगर यकीनन ठंडा पानी नुकसान करे और गर्म पानी ना मिल सके या इतनी देर में नमाज का वकत खत्म हो जायगा

तो तयम्मुम करके पढ़ लें। (बहारे शरीअत)

(2) जहां चारों तरफ एक एक मील या 1.60 किलों मीटर यानि डेढ़ किलो मीटर से कुछ ज़्यादा दूरी तक पानी का पता नहीं तो यमम्मुम करना जाईज है। (बहारे शरीअत)

(3) मसला :— इतनी सर्दी हो कि नहाने से बीमार हो जाने या मर जाने का खूब सही अंदेशा हो।और लिहाफ (रजाई कम्बल) वग़ैरा कोई चीज़ उसके पास नहीं जिसे नहाने के बाद ओड़े और सर्दी के नुकसान से बचे। ना आग है कि जिससे ताप सके तो 'तयम्मुम' जाईज है। (बहारे शरीअत)

(4) मसला :— दुश्मन का खौफ हो या चोर डाकु का खोफ हो। या सांप काट खायेगा। शैर है कि फाड़ डालेगा। या ऐसी जगह है जहां कोई बदकार बदमाश शख्स है और यह औरत या मर्द है और बे आबरू होने का खतरा है। तो ऐसी सुरत में तयम्मुम करना जाईज़ है। (बहारे शरीअत)

(5) जंगल में डोल रस्सी नहीं कि पानी भरे तो तयम्मुम जाईज़ है। (बहारे शरीअत)

(6) प्यास का खौफ कि इसके पास पानी है मगर वजु व गुसल के काम लाये तो खुद या दुसरा मुसलमान या अपना या उसका जानवर चाहे वह कुत्ता जिसका पालना जईज़ है। प्यासा रह जायेगा तो और अपनी या उस की प्यास के लिये ज़रूरत है या हो सकती हो और दुर तक पानी का पता नहीं ऐसी हालत में तयम्मुम जाईज़ है।

(7) मसला :— पानी का मंहगा होना यानि वहां के हिसाब से जो कीमत होनी चाहिये इससे दौ गुना (डबल) मांगता है। तो 'तयम्मुम' जाईज़ है।(बहारे शरीअत)

(8) ये गुमान कि पानी तलाश करने में काफीला नज़रों से गायब हो जायेगा या रेल छुट जायेगी तो भी तयम्मुम करना जाईज़ है। (बहारे शरीअत)

(9) ये अंदेशा के वजु व गुसल करने में ईदैन की नमाज़ जाती रहैगी तो तयम्मुम जाईज़ है। (माखुज़ बहारे शरीअत — फतावा रज़विया)

—: तयम्मुम के फराइज़ :—

तयम्मुम में तीन फर्ज़ है—

(1) पहला फर्ज़ :— निय्यत :— पाकी हासील करने के लिये दिल से ईरादा करना ही 'निय्यत' कहलाता है। लिहाजा अगर किसी ने हाथ मिट्टी पर मार कर मुंह और हाथों पर फेर लिया और 'निय्यत' ना की तयम्मुम ना होगा। (बहारे शरीअत)

(2) दूसरा फर्ज़ :— सारे मुंह पर हाथ फैरना :— इस तरह कि चेहरे का कोई हिस्सा (जो वजु मे धोना फर्ज़ है) बाकी ना रह जाये। अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई 'तयम्मुम' ना हुवा। (बहारे शरीअत)

(3) तीसरा फर्ज़ :— दोनों हाथों का कुहनियों समेत मसह करना :— इसमें भी यह ख्याल रखना ज़रूरी है कि कोई हिस्सा ज़र्रा बराबर या बाल की नोक बाकी ना रहें। हर जगह अच्छी तरह मसह हो जाये। वरना तयम्मुम ना होगा। (बहारे शरीअत)

—:ज़रूरी बात:—

तयम्मुम के चन्द ज़रूरी मसले जो हिफज करने के काबील है। यहां बयान किये जाते है। इनका ध्यान रखें वरना तयम्मुम ना होगा और नमाज़ व इबादत बर्बाद हो जायेगी।

मसला :— जिस पर नहाना फर्ज़ है उसे ये ज़रूरी नहीं कि गुसल व वजु दोनों के लिये दो तयम्मुम करे। बल्कि एक ही में दोनों की निय्यत करें दोनों हो जायेंगे।

मसला :— दाड़ी और मुछों और भौं के बालों पर हाथ फिर जाना जरूरी है। मुंह कहां से कहां तक हैं उसका जिक्र हमने वजु के बयान में कर दिया है। (वहां देख लें) भौंह के निचे आखें के उपर जो जगह हैं और नाक के निचे के हिस्से का ख्याल रखें। जुल्फों और चेहरे के दायरें में जो बाल कनपटी में आते है। इन सब जगह पर अच्छी तरह मसह करें। वरना 'तयम्मुम' नहीं

होगा। कानों की लौ के पास ठोड़ी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है।

हौंठ का जो हिस्सा मुंह बन्द करने पर नज़र आता है वहा पर और नाक की जड़ में आखों पर कानों में मसह करना ज़रूरी हैं वरना तयम्मुम नहीं होगा।

इसी तरह हाथ में अगूंठी के निचे नाखूनों पर उंगली की घाईयों में उगली की जड़ों पर सलवटों पर। हर हर बाल व रोंगटे पर। कोहनी समेत मसह जरूरी हैं। अगर उंगलियों का या अंगूठे, हाथ वगै़रा का कोई ज़र्रा मसह से बाकी रह गया तो तयम्मुम नहीं हुआ। यह सब ऐहतीयाते फर्ज़ है।

मसला :— जिन चिजों से वजु टूटता है य गुसल वाजिब होता हैं उनसे तयम्मुम भी जाता रहता है और उनके अलावा पानी के इस्तेमाल पर कादीर होने से भी तयम्मुम टूट जायेगा।

मसला :— तयम्मुम उसी चीज़ से हो सकता है जो ज़मीन की जिन्स (चीज़) से हो जैसे पत्थर, हीरे, जवाहरात, चुना, मिट्टी, रेती, सुर्मा, हरताल, गंधक, मुर्दासंग, गेरू, पत्थर, जबरजद, फिरोज़ा, अकीक, वगै़रा से तयम्मुम जाईज़ है।

मसला :— पक्की ईट, चीनी मिट्टी के बर्तन जिस पर किसी ऐसी चीज़ की रंगत हो जो जमीन की जिन्स से हो। गेरू या खरीया मिट्टी तो इससे तयम्मुम जाईज है। मस्जिद की दिवार सिमेंट पत्थर चुने की हो और उस पर ओईल पेंट (कलर) ना किया हुआ हो तो उससे तयम्मुम जाईज है।

मसला :— इसी तरह फर्श पत्थर मार्बल, ग्रेनाईट चिप्स वगै़रा का हो तो उससे भी तयम्मुम जाईज़ है। क्योंकि यह ज़मीन की जिन्स से है।

मसला :— सलाम करने, दफन मय्यत या बे वजु ने कुरआन पढने के लिये जो तयम्मुम किया उससे नमाज़ जाईज़ नहीं। बल्कि जिस काम के लिये किया गया उसके अलावा दूसरी ईबादत भी जाईज़ नहीं।

मसला :— जिस चीज़ पर नजासत गीरी और सुख गई उस से तयम्मुम

नहीं कर सकते अगरचे नजासत का असर बाकी ना हो। अलबत्ता ऐसी जगह नमाज़ पढ़ सकते है। मसलन किसी जगह पैशाब था मगर सूख गया तो वहां तयम्मुम नही कर सकते मगर नमाज़ पढ़ सकते है।

मसला :– यह वहम की कभी नज़ीस (नापाक) हुई होगी फजुल है। इस ख्याल का ऐतबार नहीं।

मसला :– मस्जिद की दिवार या ज़मीन से तयम्मुम करना जाईज है (जबकि दिवार पर रोगनी रंग(यानिओईल पेंट या प्लास्टीक पेंट या एनामल पेंट न किया हुआ हो) दिवार चुना या आरास से पोत रखी तो तो हर्ज नहीं। तयम्मुम हो जायगा। (सभी मसले बहारे शरीअत से)

–: तयम्मुम का तरीका :–

दिल में तयम्मुम का ईरादा या निय्यत करके (जुबान से कह लेना कि नमाज के लिये तयम्मुम करता हूँ यह भी मुस्तहब है) बिस्मिल्लाह पढ़ कर दोनों हाथों को ज़मीन पर मारे। उंगलिया खुली रहें। फिर एक हाथ के अगुंठे की जड़ को दूसरे हाथ के अगुंठे की जड़ पर मार कर दोनों को झाड़े। फिर मुंह का मसह शुरू करे। अच्छी तहर भौंह पर, कन्पटी, नाक वग़ैरा वग़ैरा पर सारे चेहरे पर अच्छी तरह मसह करें।

फिर दो बारा ज़मीन पर दोनों हाथ मारे और फिर उपर बताये तरीके से झाड़ कर फिर दायें हाथ का मसह इस तरह किया जाये कि बायें हाथ के अंगुठे के अलावा चार उंगलियों के पेट दाहिने हाथ की पुश्त पर रख कर और मसह करते हुऐ उंगलियों के सिरों से कोहनी तक ले जाये। फिर वहां से बायें हाथ की हथेली से दाये हाथ के पेट को छुता हुआ गट्टे तक ले जाये और बायें अंगूठे की पुश्त को मसह करे और इसी तरह दाहिने हाथ से बायें का मसह करे फिर उंगलियों का खिलाल करें और अच्छी तरह पुरे हाथ के हर हिस्से ज़र्रे पर मसह करले। बस तयम्मुम हो गया। यानि सिर्फ मुंह व

हाथों पर ही मसह होगा और बस। (पांव पर मसह नही करना है। ना सर पर करना है।) (माखुज़ बहारे शरीअत — फतावा रज़विया)

—: वज़ु का बयान :—

नमाज़ सही होने के लिये गुसल और वज़ु का सही होना लाज़मी है।

अगर वज़ु या गुसल में कोई ग़लती हो गई जिससे वज़ु या गुसल नहीं होता है। तो यक़ीनन नमाज़ भी ना होगी। और इस से लापरवाही अहमक पना और बड़ी जिहालत के सिवा कुछ नहीं, और फिर नफस जो शैतान के ताबे होगा तो किसी से सीखने भी ना देगा। और कहेगा कि मियां अपनी पढ़ते रहो। यह लोग तो यूं ही मुफ्ती बनते फिरते हैं। और फिर कहेगा अगर इनकी बातें मान ले तो इनके हिसाब से तो किसी की नमाज़ ही नहीं होती। तमाम मस्जिदें बन्द करनी पड़ेगी। वग़ैरा वग़ैरा शैतानी फरेब देगा। देखा आपने शैतान ने किस तरह नफस को धोखा दिया। गलत बात को सही साबित करने में नमाज़ का नाम लिया। अगर इन्सान थोड़ी भी अक़्ल रखता है। अगर बहुत बड़ा जाहिल नहीं है। तो फौरन समझ जायेगा कि यह ख्याल गलत है। बात वही ठीक है कि वज़ु गुसल बिलकुल शरीअत के हुकम के मुताबिक होना चाहिये। और तब वह ज़रूर किसी जानने वाले से या किताबों से पढ़ कर सिखेगा। अब खुदा की तौफिक से उसे सिखने में शर्म नहीं आयेगी। याद रखें 'सुवाल करना ही इल्म का दरवाजा है'। अगर आप सुवाल करते रहेंगे (यानि पुछते रहेंगे) तो इल्म को जान जायेंगे जाहिल नहीं रहेंगे। जिसने सुवाल का दरवाजा बन्द कर दिया शर्म महसूस की उसने जहालत व बेवकुफी का दरवाजा खौल दिया। अब वह जानने वालों की नज़र में जाहिल रहेगा। कोई इबादत ठीक ना कर सकेगा यह तो ज़ाहिर इबादत की बात थी। बातिन का इल्म कैसे हासिल होगा?

हदीस शरीफ में वज़ु की बेशुमार फज़ीलतों का बयान हुआ है। लेकिन

ये उसी वक्त हासिल होगी। जबकि वजु कामिल और बिलकुल ऐहकामें शरीअत के मुताबिक किया जाय।

—: वजु के फज़ाईल :—

हदीस शरीफ :— हुजुर रसुले अकरम, सलल्ला हो अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि "मुसलमान बन्दा जब वजु करता है। तो कुल्ली करने से मुंह के गुनाह गीर जाते हैं। और जब नाक में पानी डालकर साफ किया तो नाक के गुनाह निकल गये। और जब मुंह धोया तो उसके चेहरे के गुनाह निकले। यहां तक के पलकों के और जब हाथ धोया तो हाथों के गुनाह निकले। यहां तक कि हाथों के नाखूनों के निचे के गुनाह और जब सर का मसह करता है तो सर के गुनाह खारीज हो जाते है। यहां तक कि कानों से निकले और जब पांव धोया तो पावों की खताऐं निकली। यहां तक कि नाखूनों से फिर उसका मस्जिद को जाना और भी कई। (निसाई शरीफ)

—: वजु का तरीका :—

ऊँची जगह क़िबला की तरफ मुंह करके बैठे यह मुस्तहब है। पाकी हासिल करने और सवाब हासिल करने की निय्यत करे (यानि दिल में वजु या गुसल करने का इरादा करे याद रखिये दिल के इरादे का नाम ही 'निय्यत' है) फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े जो वजु बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है तो तमाम बदन को गुनाहों से पाक कर देता है। वरना जितने हिस्से पर पानी गुजरेगा उतना ही गुनाहों से पाक होगा। फीर तीन–तीन बार पहुंचों तक (कलाईत तक) दोनों हाथ अलग–अलग धोये पहले सिर्फ सिधा हाथ धोये फिर उलटा हाथ धोये (आम तौर से लोग दोनों हाथों को मलकर साथ ही धोते हैं यह तरीका गलत है) फिर तीन बार मिस्वाक करे (मिस्वाक ना हो तो ब्रुश या दाहने हाथ की उंगली से ही मिसवाक करे)

फिर तीन बार इस तरह कुल्ली करे कि मुंह कि तमाम जड़ों और दांतों की सब खिड़कियों में पानी पहुंच जाये। वज़ु में इस तरह कुल्ली करना सुन्नतें मोवक्किदा हैं गरारा भी करे लेकिन अगर रोज़ा दार हो तो गरारा नहीं करना चाहिये, रोज़ा दार को गरारा करना और नाक में खेंच कर पानी चड़ाना माफ है। वरना रोज़ा चला जायेगा।

अकसर देखा गया है कि लोग जल्दी–जल्दी तीन बार कुल्ली के बजाये पुच–पुच कर लेते हैं। नाक की नोक पर तीन बार पानी लगा लिया ये खिलाफे सुन्नत है और इस की आदत वाला गुनाहगार है। (बहारे शरीअत)

फिर तीन बार नाक में नर्म बांसे तक पानी चढाऐं। क्योंकि ये भी सुन्नते मोवक्किदा है। जब तक खींच कर ना चढायेंगे पानी नाक के नर्म बांसे तक नही चढ़ सकता लिहाज़ा इसका ध्यान रखा जाये, मगर रोज़ा में खींच के पानी चड़ाना माफ है।

फिर तीन बार मुंह इस तरह धोयें, लम्बाई में पेशानी के शुरू (जहां से आम तौर पर बाल जमते हैं) से ठोड़ी के निचे तक और चौड़ाई में कान की एक लौ से दूसरी लौ तक और इस दायरे में आने वाले कनपटी के बाल और ज़ुल्फें वग़ैराह पर अच्छी तरह से पानी बह जाये।

धोने का मतलब शरीअत में यह है कि जहां धोना हो उस जगह पर हर ज़र्रे हिस्से पुरज़े पर से पानी बह कर निकल जाये। गीले हाथों को चुपड़ लेना, धोना नहीं है। (99 प्रतिशत) निन्नावे फिसद लोग यह करते हैं कि चुल्लु भर कर नाक पर पानी डाल लेते हैं पानी निचे की तरफ बह गया। मगर ये हज़रत अब तर हाथों को पुरे मुंह पर फैर लेते हे। इस काम को तीन बार किया और समझें कि मुंह धुल गया।

इस तरह वज़ु नही होता ऐसे वज़ु से कोई इबादत नमाज़ वग़ैरा

दुरस्त नहीं हो सकती। फर्ज़ सर पर रह जाता है।

आपको चाहिये कि पुरा चुल्लु भर कर बहाऐं फिर बायी तरफ पानी उपर के हिस्से पर डाले ताकि वह बह कर निचे चला जाये और सारी कनपटी व जुल्फों के बालों पर पानी बह जाये।

अच्छी तरह याद रखें कि मुंह धोने या हाथ पांव धोने में चुल्लुओं की गितनी नहीं कि बस तीन बार डाला जाये। बल्कि तीन बार धोने की गिनती है। यानि तीन-तीन बार धोया जाये। चाहे एक बार धोने के लिये तीन चुल्लुओं की ज़रूरत पड़े या ज़्यादा की और जब तीन चुल्लुओं या चार चुल्लुओं से एक ही बार धुला है तो अब इसी तरह तीन बार धोयें। चाहे पचास चुल्लु पानी डालना पड़े। फिर याद रखें और समझ लें कि हर हीस्से को तीन बार धोना है यह नही कि सिर्फ तीन बार पानी डालना है। या तीन चुल्लु डालकर समझ लिया की तीन बार धुल गया।

इसके बाद दोनों हाथों को कुहनियों समेत अच्छी तरह पानी से पहले तर कर लें और गिले हाथों को फैर लें ताकि कहीं सुखा ना रह जाये। फिर लोटे से या टूंटी के नीचें कि उपर से पानी गिरता रहे हाथ की उंगलियों के सिरे से पानी बहाते हुए कोहनी तक पानी बहाऐं पंहले सिधे हाथ पर फैलाते रहें ताकि हर बाल की जड़ व नौक पर पानी बह कर निकल जाये। यह काम तीन दफा करें ताकि हाथ तीन दफा धुल जायें।

खबरदार :- बहुत से लोगों को देखा है कि चुल्लु में पानी लेकर पहुंचे से तीन बार हाथ उठा कर छोड़ देते है। जिससे पानी कुहनी के आस पास से बहता हुआ चला जाता है। और इस तरह करने से कुहनी और कलाई की करवटों पर पानी नहीं बहता इसलिये यह तरीका बिलकुल गलत है। कि चुल्लु में पानी लिया और हाथ को खड़ा कर दिया। इस बात का लिहाज़ व ध्यान रखना बहुत

ज़रूरी है। चाहिये कि टूंटी, लोटे या नल से पानी गिरता रहे और हाथ निचे से अच्छी तरह मल मल कर गुजारते रहें। इस तरह कि कोई रोंगटा, कोई बाल की जड़ व नोक कोहनी की सलवटें सूखी ना रह जायें। अगर पानी एक बाल की जड़ तर करता हुआ बह जाये और उस बाल की नौक सूखी रह जायें तो वज़ू ना होगा।

अब सर का मसह यूं करें कि हाथों को पानी से तर करलें फिर दोनों अंगूठे और कलमें की उंगलि को छोड़ कर दोनों हाथ की तीन–तीन उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिलायें और पैशानी के बालों या खाल पर रख कर बालों को मस (टच) करता हुआ पुरे हाथ से मसह करता हुआ पिछे गुद्दी तक ले जायें। कलमें की उंगलियां और अंगूठें इस दौरान अलग रहने चाहियें। फिर उंगलियों से दोनों कानों की अंदर की सतह पर मसह करें और अंगूठों से कानों की बाहर की सतह पर मसह करें और उंगलियों की पुश्त से गर्दन के पिछले हिस्से का मसह करें। बाज़ लोग गले पर भी मसह करते हैं। यह बिदअत है।

(फ) बहुत से लोग सर के मसह में हाथ पिछे से वापस आगे की तरफ लाते हैं वह भी सुन्नत तरीका है। मगर आला अज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खाँ बरैलवी ने इसी तरीके को पसंद किया जिसको हम ने बयान किया है और यह तरीका भी सुन्नते रसूल है और हुज़ुर से साबित है।

अब दांया पांव धोयें और टखनों तक अच्छी तरह पानी बहायें और उल्टे हाथ से मसलते रहे। पांव की उंगलियों में छोटी उंगली से खिलाल करता रहे। इसी तरह उल्टा पांव धोयें और जिस तरह सीधे पैर में उल्टे हाथ से खिलाल किया था अब भी उल्टे हाथ की छोटी उंगली से उंगलियों में खीलाल करें। हाथ की हथेली को पाँव के तलवे पर पानी उपर से गिरते रहने की हालत में फिराये। ताकि कोई हिस्सा टखनों समेत सुखा ना रह जायें। पांव की ऐड़ीया फटी हुई हो तो पानी को चुल्लु में लेकर मारे ताकि दरारों में पानी पहुंच जाये। कोई चीज़ पाव में चिपकी हो तो छुड़ाकर (अलग करके) धोयें। रंग, डामर वग़ैरा लगा हुआ हो तो छुड़ा कर रगड़ कर धोयें वरना वज़ु ना होगा। जिन लोगों की ऐड़ीया फटी हुई हो तो उन पर फर्ज़ है कि पानी को

दरारों में पहुंचाये और दरारों को सूखी ना रहने दे पानी चुल्लु में भर कर मारे ताकि दरारों में पहुंच जाये वरना वजु ना होगा।

(माखुज़ बहारे शरीअत – फतावा रज़विया)

—: वजु के फराइज़ :—

वजु में चार फर्ज़ है—

(1) मुंह धोना। (2) कुहनियों समेत दोनों हाथों को धोना। (3) चौथाई (1/4) सर का मसह करना। (4) टखनों समेत दोनों पांव धोना।

किसी भी हिस्से के धोने के ये मानी हैं। कि उस हिस्से के हर पुर्जे ज़र्रे पर कम से कम दो कतरे पानी के बह जायें।

भीग जाने या पानी को तैल की तरह चुपड़ लेने या एक आधा कतरा (बूंद) बह जाने को धोना नही कहेंगे। ना इससे वजु या गुसल अदा होगा। इस मसले का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लोग इस से ग़ाफिल है और इस तरफ तवज्जह नहीं करते। इस तरह नमाज़े बेकार हो जाती है। (बहारे शरीअत – फतावा रज़विया)

—: वजु की सुन्नतें :—

(1) निय्यत करना (2) बिस्मिल्लाह शरीफ (पुरी) पढ़ना (3) दोनों हाथ पहुंचों तक तीन बार धोना (4) दोनों हाथों को अलग—अलग धोना पहले दाहिना फिर बायां धोना (5) तीन चुल्लु से तीन बार कुल्ली करना (6) रोज़ा न हो तो गरगरा करना (7) तीन चुल्लु से नाक में तीन बार पानी खींचकर चढ़ाना (8) दाढ़ी हो तो उसका खिलाल करना (9) हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना (10) पुरे सर का एक बार मसह करना (11) कानों का मसह करना (12) तरतीब कायम रखना यानि पहले हाथ धोना फिर कुल्ली करना, फिर नाक में पानी चढ़ाना फिर मुंह धोना वग़ैरा—बा तरतीब वजु

करना। (13) पै दर पै (यानि लगातार) वजु करना यानि एक हिस्से के सुखने से पहले दुसरा हीस्सा धोना। (बहारे शरीअत)

—: वजु के मुस्तहबात :—

क़िबला की तरफ मुंह करके उची जगह बैठना पानी बहाते वक़्त वजु करने कि जगहों पर हाथ फैरना। इतमीनान से वजु करना। कपड़ों को टपकते कतरों से मेहफूज रखना। कानों का मसह करते वक़्त भीगी उंगलियां कानों के सुराख में दाखिल करना। सीधे हाथ में पानी लेकर मुंह में डाल कर कुल्ली करना। सिधे हाथ से नाक में पानी चढ़ाना और उल्टे हाथ से नाक साफ करना। उल्टे हाथ की छुंगलियां (छोटी उंगली) नाक में डालना। पांव उल्टे हाथ से धोना। दोनों हाथों से मुंह धोना। हाथ पांव धोने में पहले उंगलियों से शुरू करना। हर हिस्से को धो कर हाथ फैर देना ताकि कतरे कपड़े या बदन पर ना टपके। (खास तौर पर इस बात का लिहाज रखें कि मस्जिद में पानी के कतरों को ना गिरने दें।) क्योंकि फर्श मस्जिद पर वजु के पानी के कतरे गिराना या टपकाना हराम है। जुबान से वजु की निय्यत करना। हर हिस्से को धोते वक़्त या मसह करते वक़्त वजु कि निय्यत को ध्यान में रखना। वजु के लिये धोये हुऐ हिस्सों पर कुछ तरी बाकी छोडें इसलिये कि कियामत के दिन यह तरी नेकियों के पलड़ें में रखी जायेंगी।

(बहारे शरीअत – फतावा रज़विया)

—: वजु के मकरूहात :—

वजु किये हुए हिस्सों से लोटे बर्तन वग़ैरा में कतरे टपकाना, किबला की तरफ थूंकना, खंखार डालना या कुल्ली करना। बे वजह दुनिया की बाते करना। बेतहाशा पानी ख़र्च करना। लोग इससे गाफील हैं नाक में एक चुल्लु बल्कि आधा चुल्लु काफी है **मगर टूंटी खुली छोड़ दी है और नाक साफ कर रहे है। इसी तरह जब कुल्ली करते है तो टूंटी चलती रहती**

है जब तक कुल्लियों से फारीग होंगे कम से कम आधी बाल्टी पानी बह चुका होगा जबकी सिर्फ तीन घुल्लुओं से कुल्लियां हो सकती हैं। इस तरह पानी ख़र्च करना हराम हराम अशद हराम है। हुजुर पुर नूर दानाये ग़यूब सल्ल्लाहु अलैहि व सल्ल्म ने फरमाया कि वजु में पानी कम ख़र्च करों अगर चे बहते चश्में नदी नालों में ही वजु करते हो।

सदरूल शरीआ हज़रत मौलना मुफती अमजद अली रहमतुल्ला अलैहि मुसन्निफ बहारे शरीअत फरमातें है–

'हाथ में पानी लेते वक़्त ख्याल रखें कि पानी न गीरे क्योंकि यह इसराफ (फिजुल खर्ची) है और इसराफ हराम। जिस काम के लिये पानी ले उसका अन्दाज़ा रखे कि ज़रूरत से ज़्यादा ना लें। मसलन नाक में पानी डालने के लिये आधा चुल्लु काफी है तो पुरा चुल्लु ना लें कि यह इसराफ होगा।

(बहार शरीअत जिलद दो सफा 19)

इस बात से उन लोगों को सबक लेना चाहिये। जो मसह करते या नाक साफ करते वक़्त या कुल्ली करते वक़्त नल की टूंटी खुली छोड़ देते हैं। यहां तक देखा गया है कि लोग बातें कर रहें हैं और टूंटी खुली हुई है। पानी बह रहा है यह सब हराम है। (बहारे शरीअत – फतावा रज़विया)

मुंह पर पानी मारना मकरूह है। मुंह पर पानी डालते वक़्त फुंकना। एक हाथ से मुंह धोना के यह राफज़ीयों (शीयाओं) और हिन्दुओं का तरीका है। गले का मसह भी मकरूह है। बायें हाथ में पानी लेकर कुल्ली करना या नाक में पानी डालना भी मकरूह हैं सिधे हाथ से नाक साफ करना मना है। और मकरूह है। धुप के गर्म पानी से वजु करना मकरूह है। होट या आखें जोर से बन्द करना कि कुछ सूखा रह जाये तो वजु ही नहीं होगा। होंट का वह हिस्सा जो आसानी से मुंह बन्द करने पर दिखाई देता है। वजु में धोना फर्ज़ है। इसलिये होटों को जोर से दबाकर बन्द नहीं करना चाहिये। इसी तरह

आंखों के नोक के पास कुछ सख़्त चीज धूप, मिट्टी, पसीने से जम जाती है। उसे आंखों के किनारे से छूड़ा कर वजुं करना फर्ज़ है वरना वजु ना होगा।

(बहारे शरीअत – फतावा रज़विया)

–: किन किन बातों से वजु टूट जाता है :–

पाखाना, पैशाब की जगह से किसी भी चीज़ के निकलने से। पिछे से हवा खारिज होने से। खून या पीप या ज़रद पानी का कहीं से निकल कर बदन के हिस्से पर बह जाने से। दुखती आंख से पानी बहने से। मुंह भर के (उल्टी) आने से। (मुंह भर के यह मानी हैं कि उसे बे तकल्लुफ न रोक सकता हो) सहारा लगाकर या लेट कर सौ जाने से। किसी वजह से बैहोश हो जाने से। बालिग़ शख्स का सज़दा वाली नमाज़ में क़ह क़हा मार कर हंसने से वजु टूट जाता हैं बगैर सजदे वाली नमाज़ जैसे जनाज़ा में क़ह क़हा मार कर हंसा तो वजु ना गया। (बहारे शरीअत – फतावा रज़विया)

–: वजु के जरूरी मसाईल :–

मसला :– अगर खुन वग़ैरा सिर्फ उभर आया या चमका (खरोंच वग़ैरा लगने से) मगर खुन बहा नहीं तो वजु ना गया। मुंह से खून निकला अगर थूंक पर गालिब है (यानि थूक से खून ज़्यादा नजर आता हो) तो वजु तोड़ देगा वरना नहीं। खून के गलबे की पहचान ये है कि थूंक का रंग अगर सूर्ख (लाल) हो जाये तो खून गालिब समझा जायेगा और अगर ज़रद (पीला) हो तो मगलूब। (बहारे शरीअत – फतावा रज़विया)

मसला :– खटमल, मच्छर, ने खून चसा वजु ना गया। नाक साफ कि उसमें जमा हुआ खून निकला वजु ना गया।(बहारे शरीअत – फतावा रज़विया)

मसला :– अगर इतनी आवाज से हंसा कि खुद नमाज पढ़ने वाले ने सुना दुसरों ने ना सुना तो वजु ना गया। नमाज़ जाती रहेगी। अगर मुस्कुराया कि दांत निकले ओर आवाज ना निकली तो उससे ना नमाज़ जायेगी ना वजु जाये। (बहारे शरीअत – फतावा रज़विया)

मसला :– लोगों में मशहुर है कि घुटना, सतर खुलने या कपड़े बदलने या नंगा हो जाने से या किसी दूसरे को नंगा देखने से वजु टूट जाता है। सौ यह बात बिलकुल गलत माश्हुर है। इन सब बातों से वजु नहीं जाता। मगर दूसरों के सामने घुटने या डूंठी के निचे (सतर) का हिस्सा खोलना या दिखाना हराम है। अगर खूल जाये तो फौरन छुपा लेना चाहिये। इसी तरह दूसरों का खूला सतर देखना भी हराम है।(बहारे शरीअत – फतावा रज़विया)

आजकल अंग्रेजी तहज़ीब के दिवाने हाकी कबड्डी, कुश्ती, बाकसींग बगैरा चड्डी कच्छ नैकर पहन कर खेलते है। समुद्र के किनारे चड्डी पहन कर घुमते नहाते हैं । इस तरह रानें और घुटने खूले रहते है। यह हराम है और बैहयाई की इंतिहा है। अल्लाह अज्ज़ा व जल्ला मुसलमानों को नैक तौफिक अता फरमाये।

मसला :– मुंछो, भौंवों, के बाल अगर घने (गहरे) हो कि खाल बिलकुल ना दिखाई देती हो तो खाल का धोना फर्ज़ नही। बालों का धोना फर्ज़ है। अगर धने ना हो तो खाल का धोना भी फर्ज़ है। (बहारे शरीअत)

मसला :– अगर दाड़ी के बाल धने नहीं हो तो खाल का धोना फर्ज़ है। लेकिन अगर बाल घने हो और खाल दिखाई न देती हो। तो गले की तरफ दबाने से जिस कदर बाल चेहरे के दायरें में आयें उनका धोना फर्ज़ है और जड़ों का धोना फर्ज़ नहीं है और जो बाल दायरे से निचे हो उन का धोना जरूरी नहीं है। (बहारे शरीअत – फतावा रज़विया)

मसला :– अगर दाड़ी के कुछ हिस्से में बाल घने हो और कुछ में छिदरे यानि खाल नजर आती हो तो जहां घने हो वहां बाल घोना फर्ज़ है और जहां छिदरे हो वहां खाल भी धोना फर्ज़ है।(बहारे शरीअत – फतावा रज़विया)

मसला :- रूखसार (गाल) और कान के बीच में जो जगह है उसे कनपटी कहते हैं। अकसर लोग इसकी तरफ तवज्जह नहीं करते और कनपटी पर पानी नहीं बहता। याद रखें अगर गाल और कान

के बिच की जगह में एक बाल के बराबर जगह भी पानी बहने से रह गई तो वजु ना होगा नमाज़ अकारत जायेगी।(बहारे शरीअत)

मसला :– हर किस्म की जाईज ना जाईज अंगूठियां ओर छल्ले और चूड़ियां वग़ैरा अगर इतने तंग हो कि निचे पानी ना बहेगा। तो उतार कर या आगे पिछे हटाकर इन के निचे धेाना फर्ज़ है। और अगर हिलाकर धोने से पानी बह जाये तो हरकत देना ज़रूरी है। और अगर ढीली हो कि बगैर हिलाये भी नीचे बह जायगा तो हिलाना जरूरी नहीं। (बहारे शरीअत)

मसला :– बाज लोग बनाव सिंगार की खातिर सर का मसह करने में काफी बे एहतियाती करते हैं। और सिर्फ उंगलियों के सिरे उपर ही उपर से गुजार लेते है। कि तर हाथ बालो को भी टच नही करता। याद रखें अगर सर के चौथाई (1/4) हिस्से पर भीगा हाथ ना लगाया तो वजु ना होगा। (बहारे शरीअत)

मसला :– नाखूनों के अन्दर का मैल माफ है। (बहारे शरीअत)

मसला :– मछली का सिन्ना (छिल्का) वजुके हिस्से पर चिपका रह गया तो वजु ना होगा क्योंकि उसके नीचे पानी नहीं बह सकता।(बहारे शरीअत)

मसला :– इसी तहर औरतों के नाखूनों पर नैल पालिश लगी हो तो उसकी परत बन जाती है और नीचे पानी नहीं पहुंच सकता। इसलिये ऐसी औरतों का ना गुसल हुआ ना वजु होगा। हामरी फैशनेबल बहीनों से गुजारिश है कि नैल पॉलिश में वैसे भी स्प्रिट होती है और स्प्रिट हराम है लिहाजा नैल पालिश वजु के बाद लागाई तो हाथ नापाक हो गया। (बहारे शरीअत)

मसला :– जब सौ कर उठे तो पहले हाथ धोये। इस्तन्जा के पहले भी और बाद में भी। (बहारे शरीअत)

मसला :– वजु के बाद हाथ ना झटके कि यह शैतन का पंखा है।

मसला : अगर वजु ना हो तो नमाज, सज़दाऐ तिलावत और नमाज़े जनाजा नहीं पढ सकता। (बहारे शरीअत)

मसला :– कुरआन पाक को जुनुब (जिस पर गुसल फर्ज़ हो) और बेवजु

के लिये छुना हराम है। (बहारे शरीअत)

मसला :– कुरआन पाक का तरजुमा किसी भी ज़बान में हो जुनबी और बेवजु को छुना हराम है। (बहारे शरीअत)

मसला :– जिस कागज पर आयते कुरआन पाक लिखी हो उस को भी बे वजु व जुनुब वाले को छुना हराम है।

मसला :– फहश (नंगी–नंगी) गालियां बकने फहश बाते करने, झुंठ बोलने या गिबत करने से वजु नहीं टूटता। मगर वजु कर लेना मुस्तहब है।

मसला :– नाबालीग पर वजु फर्ज़ नहीं मगर इन्हें कराना चाहिये ताकि आदत पड़ जाये। और वजु के मसले से आगाह हो जाये।

मसला :– ऊंघने या बैठे–बैठे झोंके लेने से वजु नहीं जाता।

मसला :– आवाम में यह मशहुर है कि दुध पीते बच्चों का पैशाब पाक है। यह बिलकुल बे असल बात है। बच्चा कितना ही छो हो लड़का हो या लड़की बल्कि पैदा होते ही पैशाब कर दे ना पाक है।

मसला :– आवाम में जो यह मशहुर है कि आईना देखने से वजु टूट जाता है यह भी बिलकुल गलत है।

मसला :– बजु बनाते वक्त बीच में अगर रिह (हवा) खारीज हो जाये या कोई ऐसी बात हो जिससे वजु टूट जाता है। तो नये सिरे से फिर वजु करे। वह पहले घुले हुऐ सब बे घूल हो गये।

मसला :– चुल्लु में पानी लेने के बाद वजु टूटा (यानि रिह वग़ैरा आगई) वह चुल्लु का पानी बैकार हो गया। यह पानी किसी हिस्से के धोने में काम नहीं आ सकता।

मसला :– मुंह से इतना खून निकला कि थूंक सूर्ख (लाल) हो गया। अगर ऐसी हालत में गिलास या कटोरे को मुंह लगा कर कुल्ली के लिये पानी लिया तो वह बर्तन और सारा पानी नापाक हो जायेगा।

मसला :– जो बावजु था अब उसे शक हुआ। बजु है या टूट गया तो

वजु करना ज़रूरी नहीं। हां कर लेना अच्छा है। जबकि ये शुबाह बतौर वस वसा ना आया करता हो। और अगर वसवसा है तो हरगीज़ ना माने। इस सुरत में ऐहतियात समझ कर वज़ु कर लेना ऐहतियात नहीं बल्कि शैतान लअीन की इताअत है।

मसला:– जो हिस्से धोने के हैं उनको तीन तीन बार धोऐं। हर मर्तबा इस तरह धोयें कि कोई हिस्सा रह ना जाये।

मसला :- अगर यूं किया कि पहली मर्तबा कुछ धुल गया और दूसरी बार कुछ और तीसरी बार कुछ तीनों बार में पुरा हिस्सा धुल गया। तो ये एक ही बार धोया हुआ माना जायेगा। वजु हो जायेगा मगर खिलाफे सुन्नत होगा। इस धोने में चुल्लुओं की गिनती नहीं (कि सिर्फ तीन बार चुल्लु भर कर डाल लिये) बल्कि पुरा हिस्सा धोने की गिनती है। कि वह पुरा हिस्सा तीन बार धुल जाये और इसके लिये यानि तीन बार धोने के लिये कितने ही चुल्लु लेने पड़ें। फिर याद रखें चुल्लु की गिनती नहीं बल्कि धोने की है। (बहारे शरीअत – फतावा रज़विय़ा)

—: मिसवाक का बयान :—

मिसवाक (दातुन या ब्रुश करना) वजु के लिये सुन्नते मौकदा है। अकसर लोग मिसवाक से गफलत बरतते है। इन्हें ग़ौर करना चाहिये। कि सुनन्ते मौकदा का एक आधा बार छोड़ना बुरा और बार–बार छोड़ने की आदत बना लेने वाला गुनाहगार होता है।

—: मिसवाक के फज़ाईल :—

हदीस शरीफ में है कि "जो नमाज़ मिसवाक करके पढ़ी जाये वह उस नमाज़ से सत्तर दर्जा अफज़ल है कि नमाज़ बगैर मिसवाक किये पढ़ी जाये।"

हदीस शरीफ :– आप सल्ल्लाहु अलैहि व सल्ल्म ने फरमाया मिसवाक को लाज़िम कर लो कि वह मुंह की सफाई और रब तबारक व तआला की

रज़ा का सबब है।

हदीस शरीफ :– रसुले अकरम सल्ल्लाहु अलैही व सल्लम का इर्शाद है। अगर ये बात ना होती कि मेरी उम्मत पर शाक (भारी) होगा तो मैं इन को हर वजु के साथ–साथ मिसवाक करने का हुकम फरमा देता यानि फर्ज़ कर देता।

मशाईरवे कराम फरमाते है जो शख्स मिसवाक का आदि हो मरते वक़्त कलिमा पढ़ना नसीब होगा और जो अफीम खाता हो मरते वक़्त उसे कलिमा नसीब ना होगा।

–: मिसवाक का तरीका :–

मिसवाक सीधे हाथ से करें और इस तरह हाथ में ले कि छुंगलियां उपर और अंगूठा सिरे पर नीचे हो और मुट्ठी ना बांधे।

दांतों की चौडाई में मिसवाक करे लम्बाई में नहीं। पहले सीधी तरफ उपर के दांत मांझे फिर उल्टी तरफ उपर के दांत मांझे। फिर सीधी तरफ नीचे के फिर उल्टी तरफ नीचे के दांत मांझे।

मसला :– मिसवाक छुंगलियां के बराबर मोटी और ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिशत लम्बी हो। और इतनी छोटी भी ना हो कि मिसवाक करना दुश्वार हो जाये। हदीस शरीफ में है कि जो मिसवाक एक बालिशत से ज़्यादा हो उस पर शैतान बैठता है।

मसला :– हर बार मिसवाक को धो ले, यूं ही फारीग होने के बाद भी धोयें। जमीन वग़ैराह पर पड़ी हुई न छोड़ें। बल्कि इस तरह खडी रखें कि रेशा उपर की तरफ रहे।

मसला :– मिसवाक ना हो तो उंगली या सख़्त कपड़े से दांत मांझे (ब्रुश व पेस्ट से भी मिसवाक कर सकते हैं) यूं ही अगर दांत न हों तो उंगली या कपड़ा मसूड़ों पर फेरें।

मसला :— मिसवाक जब काबिले इस्तैमाल न रहे तो किसी मेहफुज जगह दफन कर दें या रख दें कि ये चीज़ सुन्नत को अदा करने का ज़रिया है।

—: गुसल का बयान :—

हदीश शरीफ :— हज़रत अलि करम अल्लाहु वज़हुल करीम से रिवायत है कि रसुलल्ला सल्ल ला हु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं। जो शख्स गुसले जनाबत (जब गुसल फर्ज़ हो जाये जमा वग़ैरा करने से) में एक बाल कि जगह बे धोये छोड़ देगा। उसके साथ आग से ऐसा ऐसा किया जायगा (यानि अज़ाब दिया जायगा) हज़रत अलि फरमातें हैं कि इसी वजह से मैंने अपे सर के साथ दुश्मनी कर ली। तीन बार यही फरमाया। यानि सर के बाल मुन्डवा डाले कि बालों कि वजह से कोई जगह सूखी ना रहा जाये। (अबुदाऊद)

हदीस शरीफ :— रसूले अकरम सल्ल लाहु अलैही व सल्ल्म फरमाते हैं। फरिश्ते उस घर में नहीं जाते जिस घर में तस्वीर और कुत्ता और जुनुब (जिसको गुसल फर्ज़ हो) हो (अबु दाऊद)

—: गुसल के फराइज़ :—

गुसल के तीन फर्ज़ है—

(1) पहला :— कुल्ली करना :— मुंह के हर पुर्जे, गोश्त, होठ से हलक़ की जड़ तक हर जगह पानी बह जाये। इसी तरह दातों के पिछे गालों की तह में। दातों की खिड़कियों और जड़ों में और जबान की हर करवट पर बल्कि हलक़ के किनारे तक पानी बहे। हलक़ के आखरी हिस्से तक ग़रारा करने की तरह पानी से कुल्ली करे ताकि यह फर्ज़ सही तरह अदा हो जाये।

(2) दुसरा फर्ज़ नाक मे पानी चढ़ाना :—

दोनों नथनों में जाहं तक नर्म जगह है। यानि सख़्त हड्डी के शुरू की जगह तक धुलना फर्ज़ है। यह इस तरह हो सकता है कि पानी नाक से खींच कर उपर चढ़ाये। बाल बराबर जगह भी धुलने से ना रह जाये। वरन् गुसल

ना होगा। नाक के अन्दर रींठ सुख गई है तो उसका छुड़ाना फर्ज़ है। इसी तरह नाक के बालों का धोना भी फर्ज़ है।

(3) तीसरा फर्ज़ :– तमाम ज़ाहीर बदन पर पानी बहाना यानि सर के बालों से पांव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे पर, हर रोंगटे पर पानी बह जाना फर्ज़ है। अकसर अवाम बल्कि पढ़े लिखे यूं करते है कि सर पर पानी डाल कर बदन पर हाथ फैर लेते हैं और समझते है कि गुसल हो गया। हालांकि बहुत से हिस्से ऐसे हैं कि जब तक खास तौर पर इन की ऐहतियात ना कि जाये नहीं धूलेंगे और गुसल ना होगा।

–: गुसल का तरीका :–

गुसल (नहाना) की निय्यत करके पहले दोनों हाथ पहुंचो तक तीन बार धोयें। (निय्यत कुछ अरबी में करना ज़रूरी नहीं हिन्दी उर्दू में भी कर सकते है बल्कि ज़ुबान से कहना ही ज़रूरी नहीं सिर्फ दिल में इरादा कर लेना ही निय्यत है मगर ज़ुबान से कह लेना मुस्तहब है) फिर इस्तिन्जा की जगह (टट्टी या पैशाब की जगह) धोयें चाहें नापाकी लगी हो या नहीं। फिर बदन पर जहां पर नापाकी लगी हो दूर करें और धोयें। इसके बाद नमाज़ में जैसा वज़ु करते हैं इस तरह वज़ु करें। मगर सिर्फ पांव ना धोयें। लेकिन अगर चौक या तखते या फर्श पर या गुसल खाना में टाईल्स या सगमरमर वग़ैरा फर्शी का हो तो पांव भी धोलें।

फिर सारे बदन पर तैल की तरह पानी चुपड़ लें और अच्छी तरह मसल ले। फिर तीन बार सीधे कन्धे पर पानी बहायें। फिर तीन बार बायें यानी उल्टे कन्धे पर पानी बहायें। फिर सर और तमाम बदन पर तीन बार अच्छी तरह पानी बहाएं। अगर नहाने में पांव ना धोये थे तो अब गुसल के मुकाम से हट कर पांव धोलें और नहाने में क़िबला रूख ना हो। (जब सतर खुला हो यानि नंगा हो तो क़िबला को मुंह करना और पीठ करना दोनों हराम हैं) (इसी तरह पाख़ाना पैशाब करते वकत भी ख्याल रखें) और तमाम बदन पर हाथ फैर

लें और ऐसी जगह नहायें कि कोई ना देखें (क्योंकि सतर खोल कर दुसरों के सामने नहाना गुनाह है)

और यह ना हो सके तो सतर यानि नाफ (ढूंठी) के नीचे से लेकर घुटनों सहीत तमाम हिस्सों को किसी कपड़े वग़ैरा में छिपाये रखे। दौरान गुसल किसी किसम की बातचीत ना करें। यहां तक की कोई दुआ भी ना पढ़े। गुसल के बाद बदन को तोलिये (टाविल) वग़ैरा से पूछंना जाईज है। साबुन से नहाना भी जाईज है।

—: गुसल की ऐहतियातें :—

गुसल की चन्द ऐहतियातें है कि अगर इन पर अमल ना करें या इनका ध्यान ना रखा जाय तो गुसल नहीं हो सकता। इसलिये ज़रूरी समझते हुए यहां बयान कर रहें हैं।

मसला :— सर के बाल गुंधे हुऐ ना हो तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहाना और गुंधे हुये हो तो मर्द पर फर्ज़ है कि खोल कर जड़ से नोक तक पानी बहायें। औरत पर सिर्फ जड़ तर करना ज़रूरी है। खोलना जरूरी नहीं। लेकिन चोटी इतनी सख़्त (तंग) गुंधी हो कि बगैर खोले जड़े तर नहीं हो सकती तो खोलना जरूरी है। कानों में और नाक में ज़ेवरात पहनने के अगर सूराख (छेद) हैं तो इन सूराखों में भी पानी बहाना फर्ज़ है। अगर सूराख तंग हो तो हरकत देकर ज़ेवरात हिला कर पानी पहुंचाये।

मसला :— भवों और मुछों और दाड़ी के बालों को जड़ से नोक तक और इनके निचे की खाल को धोना फर्ज़ हैं। कानों का हर पुर्जा और इसके सुराख का मुंह, कानों के पीछे के बाल हटा कर धोयें। ठोड़ी और गले का जोड़ कि बगैर मुंह उंचा किये नहीं धुल सकता। लिहाजा मुंह को उंचा करके पानी गले व जोड़ पर बहाना फर्ज़ हैं। बगले बगैर हाथ उठाये नहीं धुल सकती। लिहाजा हाथों को उपर उठा कर बगल में पानी पहुंचाये और अच्छी तरह धोये। बाजु का हर पहलु, पीठ का हर ज़र्रा, पेट की सलवटे (झुर्रियां वग़ैरा)

उठा कर धोयें। नाक को उंगली डालकर धोयें जबकी पानी बहने में शुब्हा हो। जिसम बदन का हर रौंगटा जड़ से नोक तक रान और पेड़ू का जोड़। रान और पिन्डीली का जोड़। जब बैठ कर नहाये दोनों सुरीन (कुल्हे) के मिलने की जगह। खास तौर से जब खड़े होकर नहायेंगे तो कुल्हे के बीच पानी नहीं पहुंचेगा। इसका ध्यान रखें। रानों की गोलाई पिन्डलियों की करवटें। ज़कर (मर्द का पैशाब का आला और अण्ड कोष (फोते) के मिलने की तहें, सलवटे वग़ैरा जुदा किये बगैर नहीं धूल सकती। फोतों के निचे की जड़ तक, जिसका खतना ना हुआ हो अगर खाल चढ सकती हो तो हसफा (सुपारी) को निकाल कर धोये और खाल के अन्दर भी पानी पहुंचायें। बगैर इस तरह ऐहतियात किये गुसल ठीक नहीं होगा।

(बहारे शरीअत – फतावा रज़विया)

–:औरतों की खास ऐहतियातें:–

ढलकी हुई पिस्तान उठा कर धोना पिस्तान और पेट के जोड़ की लकीर धोना। फुरज खारिज (औरत के पैशाब की जगह के बाहर का हिस्सा) का हर कोना, हर टूकड़ा निचे से उपर तक अच्छी तरह ध्यान रख कर धोना चाहिये।

हां फुरज दाखिल (अन्दर की तरफ) में उंगली डाल कर धोना वाजिब नहीं मुस्तहब है। इसी तरह अगर हैज (माहवारी) व नफास से फारिग होकर गुसल करती है तो एक पुराने कपड़े से फुरज दाखिल के अन्दर से खून का असर साफ कर लेना मुस्तहीब है। माथे पर अफशा चुनी हो तो छुड़ाना जरूरी है।

–: किस किस सुरत में गुस्ल फर्ज़ है :–

(1) मनी का शहवत के साथ निकलना यानि जब जमा करने का दिल में ख्यान और जोश पैदा हो और आला सख़्त हो कर मनी को हरकत में ला दे फिर मनी निकल पड़े तो गुसल फर्ज़ है। लेकिन बगैर इरादा या ख्याल

या सखती के महज पखाना में जौर लगाने या बोझ उठाने से दबाव पडने मनी से निकल गई तो गुसल फर्ज़ नहीं

(2) सोतें में (नींद में) ऐहतिलाम हो जाना। ख्वाब में सोते में मनी निकल जाने से गुसल फर्ज़ होगा।

(3) मर्द व औरत का हम बिस्तरी करने से।

(4) अगर मर्द के आला का आगे का हसफा (सुपारी) औरत के आगे के हिस्से में दाखिल हो गई तो गुसल फर्ज़ है चाहे मनी निकले या ना निकले।

(5) औरत का हैज़ (माहवारी) से फारिग होने के बाद गुसलफर्ज़ है।

(6) औरत का निफास (बच्चा पैदा होने के बाद आने वाले खून का बन्द होने के बाद) से फारीग होने पर गुसल फर्ज़ है।

(7) हाथ से रगड़ कर मनी निकालने पर भी गुसल फर्ज़ होगा अगरचे यह सख़्त हराम और बहुत बड़ा गुनाह है और हरगिज़ न करना चाहिये।

(बहारे शरीअत – फतावा रज़विया)

गुस्ल के मुताल्लिक ज़रूरीमसाईल :-

दांतों की जड़ों या खिडकियों में कोई चीज़ जो पानी को बहने से रोके। जमी हो तो छुड़ाना ज़रूरी है। जैसे गौश्त के रेशे छालिया (सुपारी) के दाने वग़ैरा। अगर छुड़ाने में हर्ज और नुकसान हो जैसे पान खाने का आदि हो तो दांतों की जड़ों में चुना कत्था जम जाता है। या औरतों के दांतों में मिस्सी की रेखें कि इन के छुड़ाने में दातों और समूड़ों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है तो यह मुआफ है।

मसला :– हिलता हुआ दांत तार से या उखड़ा दांत किसी मसाले वग़ैरा से जमाया गया और पानी तार या मसाले के निचे ना पहुंचे तो माफ है। या खाने या पान के रेज़े जर्रे दांत में रह गये कि इस की निगाह दाश्त में हज़ है माफ हैं। हा मालुम होने के बाद उसको जुदा करना और धोना ज़रूरी है। जबकी पानी इनके निचे ना पहुंचता हो।

मसला :– पकाने वाले के नाखून में आटा, लिखने वाले के नाखून वग़ैरा

पर स्याही का जिर्म, (कुछ मामूली स्याही लगी रह जाना) आम लोगों के लिये मक्खी, मच्छर की बीट लगी हो तो गुसल हो जायगा। हां मालुम होने के बाद उसको साफ करना और धोना ज़रूरी है। पहले जो नमाज़ पढ़ी हो गई।

मसला :– किसी जख्म पर पट्टी वगैरा बन्धी हो कि उसके खोलने में नुकसान या तकलीफ हो। या किसी मर्ज़ या दर्द के सबब (वजह) पानी बहना नुकसान करेगा। तो उस पुरे हिस्से का मसह करें। और ना हो सके तो पट्टी ज़रूरत की जगह से ज़्यादा ना रखी जाय वरना मसह काफी नही। पट्टी अगर ज़रूरत की जगह ही बंधी है। मसलन बाजू पर एक तरफ जख्म है और पट्टी बांधने के लिये बाजू की इतनी सारी गोलाई पर होना उसका ज़रूरी है। तो उसके नीचे बदन का वह हिस्सा भी आजायेगा जिसे पानी नुकसान नहीं करता। अगर खोलना मुमकिन हो खोल कर उस हिस्से का धोना फर्ज़ है। और अगर नामुमकिन है चाहे ऐसे हो कि पट्टी खोल कर फिर वैसी ना बांध सकेगा। और उसमें नुकसान का डर है। तो सारी पट्टी पर मसह करले यह काफी है। बदन का वह अच्छा हिस्सा भी धोने से माफ हो जायेगा।

मसला :– जुकाम या आंखों के दुखने वग़ैरा का मर्ज़ हो। और यह यकीन हो कि सर से नहाने में मर्ज़ में ज़्यादती हो जायेगी। या और दूसरे मर्ज़ पैदा हो जायेंगे (मसलन बुखार या निमोनिया वग़ैरा का खतरा हो) तो सिर्फ कुल्ली करे नाक में पानी डाले और सर को छोड़ कर गर्दन से नहाये और सर के हर हिस्से पर भीगा हाथ फैरे। गुसल हो जायगा। तन्दरूस्त होने के बाद सर धो ले पुरा गुसल नए सिरे से करना जरूरी नहीं।

मसला :– मनी पतली पड़ गई कि पैशाब के वक़्त या वज़न उठाने में या वैसे ही कुछ कतरे बिला शहवत निकल जायें तो गुसल वाजिब नहीं। अलबत्ता वजु जरूर टूट जायेगा। लेकिन शहवत से मनी निकली तो गुसल फर्ज हैं (शहवत के यह मानी है कि आले में तुन्दी कड़क पन आजाये और तबीयत इस तरफ माईल हो।)

मसला :– ऐहतिलाम हुआ और याद रहा मगर उसका कोई असर कपड़े वग़ैरा पर नहीं तो गुसल फ़र्ज नही ।और अगर ऐहतिलाम याद ना रहा लेकिन उसका असर कपडे वग़ैरा पर बाकी रहा तो गुसल फ़र्ज है ।

मसला :– लड़के को बारह साल से पन्द्रह साल और लड़की को नौ साल से पन्द्रह साल की उम्र में जब पहली बार ऐहतिलाम हुआ बालिग़ हो गये। अब इन पर शरअ (शरीअत) की पाबंदी लाज़मी हो गई । लिहाज़ा अगर इन का बालिग होना ऐहतिलाम से ज़ाहीर हो तो उन पर गुसल फ़र्ज है । नमाज़ फर्ज़ रोज़ा, फर्ज़, गरज़ अब शरई ऐहकाम फ़र्ज हो गये । लेकिन कोई दूसरी अलामत (निशानी) बालिग़ होने की ना पाई गई तो लड़की व लड़का दोनों पन्द्रह साल में बालिग़ माने जायेंगे ।

मसला :– लड़की का बालिग होना ऐहतिलाम से होता है या हमल से या हैज़ आने से इन तीनों में से जो बात भी पाई जायेगी । तो वह बालीग करार दी जावेगी । और इन में से कोई बात ना पाई जाये तो जब तक पन्द्रह साल की उम्र ना हो जाये बालिग नहीं और कम से कम उसका बालिग़ होना नौ साल में होगा । इससे कम उम्र है और वह अपने आप को बालिग़ होना बताती है तो वह बालिग़ नहीं मानी जायेगी ।

मसला :– लड़के को जब इन्ज़ाल हो गया वह बालिग़ हो गया । चाहे इन्जाल (मनी का निकलना) किसी तरह से हो चाहे सोते में हो जिसे ऐहतिलाम कहते है । या जागते में हो और इन्ज़ाल (मनी निकलना) ना हो तो जब तक उसकी उम्र पन्द्रह साल की ना हो बालिग़ नहीं ।

मसला :– अवाम में मशहुर है कि जिस पर गुसल फर्ज़ है । उसको खाना पीना हराम है । सो यह बात गलत है । हां इतना ज़रूर है कि खाना पीना चाहे तो वज़ु करले । या हाथ मुंह धोले या कुल्ली कर लें और वैसे ही खा पी लिया तो गुनाह नहीं मगर मकरूह है और ऐसा करने से मोहताजी आती है ।

मसला :– रमज़ान में अगर जुनुब हुआ (यानि गुसल फर्ज़ हो गया) तो

बहतर है कि सेहरी का वक्त खत्म होने से पहले नहा लें और अगर नहीं नहाया तो भी रोजें में कुछ नुकसान नहीं। लेकिन अच्छा यह है कि गरारा और नाक में जड़ तक पानी, सेहरी के खत्म होने से पहले चढ़ाले (यानि गरारा और नाक में पानी चढाना, ये दो फर्ज़ पहले अदा कर लें, जैसा कि गुसल में बयान किया गया है कि किस तरह नाक में पानी चढ़ाना चाहिये और गरारा किस तरह करना चाहिये) क्योंकि रोज़े की हालत में ये दोनों काम नही हो सकेंगे। क्योंकि रोजे में गरारा करने या खीचं कर नाक में पानी चढ़ाने से रोज़ा चला जायगा। और नहाने में इतनी देर कर दी कि दिन निकल आया और नमाज़ कज़ा कर दी तो यह और दिनों में भी गुनाह और रमज़ान में और ज़्यादा गुनाह है।

मसला :— जिस रुपये पर आयत लिखी हुई हो तो बे वजु और जुनुब वाले और हैज़ (माहवारी) व निफ़ास वाली (बच्चा जनने के बाद जो खून आता रहता है) को उस का छुना हराम है।

मसला :— नाफ के नीचे के बाल दुर करना सुन्नत है और जुमा के दिन करना अच्छा है। पन्द्रहवें रोज करना भी जाईज़ है और चालीस रोज से ज़्यादा गुज़ार देना मकरूह व मना है। इसी तरह नाखून काटना। मुछे काटना और बगल के बाल साफ करने की मयाद भी ज़्यादा से ज्यादा चालीस दिन है। चालीस दिन से ज़्यादा होना मना है।

मसला :— जिस पर गुसल फर्ज़ हो उसके हाथ का ज़िबह किया हुआ जानवर का गौश्त जाईज़ है।

मसला :— **गुसल के बाद वजु की ज़रूरत नही गुसल के साथ ही वज़ु भी हो गया। अब उसी से नमाज़ वग़ैराह पढ़ सकते है। कपड़े वग़ैराह बदलने या बराहना (नंगा) होने से वजु गुसल नही टूटता। लेकिन दूसरों के सामने नंगा होना गुनाह है। अकेला या अपनी बीवी के साथ बन्द कमरे में नगा हुआ तो गुनाह नहीं।** (बहारे शरीअत — फतावा रज़विया)

अज़ान का बयान

पांचों वकत की नमाजे फ़र्ज़ जिसमें जुमा भी शामील है। जमाअत मुस्तहबा के साथ मस्जिद में वकत पर अदा कि जाये तो इन के लिये अजान सुन्नते मोक्किदा है।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ،
اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
رَّسُوْلُ اللّٰهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَيَّ
عَلَى الصَّلٰوةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ
عَلَى الْفَلَاحِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ،
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ،

—: अज़ान का तरीका :—

बावज़ु उंची जगह खडे होकर क़िबला की तरफ मुंह करके कानों में उंगलियां डालकर अजान इस तरह कहनी चाहिये।

अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर

अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर

अश्हदु अंल्लाइला ह इल्लल्लाह

अश्हदु अंल्लाइला ह इल्लल्लाह

अश्हदु अन्न मुहम्दर रसूलुल्लाह

अश्हदु अन्न मुहम्दर रसूलुल्लाह

हय्य अलस्सलात हय्य अलस्सलात

हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह

अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर

लाइला ह इल्लल्लाह

तर्जुमा :— अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के इलावा कोई माबूद (इबादत के लायक) नहीं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के इलावा कोई माबूद (पुजने योग्य) नहीं। मैं गवाही देता हूं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल है। मैं गवाही देता हूं हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज पढ़ने के लिए आओ। नमाज पढ़ने के लिये आओ। **नजात** (छुटकारा) पाने के लिये आओ। अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह के इलावा कोई इबादत के लायक नहीं।

हय्य अलस्सलाह कहते वक़्त दाहिनी तरफ मुंह करना और हय्य अल्लफलाह कहते वक़्त बायें तरफ मुंह करना चाहिये।

अगर फजर की अज़ान हो तो 'हय्य अल्ल फलाह के बाद दो बार اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ 'अस्सालातु खैरुम मिनन्नौम' (यानि नमाज़ नींद से बहतर है) कहना सुन्नत है।

—: इकामत :— (तकबीर)

जमाअत खडी होने के वक़्त जो इकामत (तकबीर) कही जाती है उसके अलफाज अज़ान की तरह है। कुछ बातों में फर्क है। हय्य अलल्फलाह के बाद दो बार قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ 'कद कामतिस्सलातु' (जमाअत खड़ी हो गई) कहे। इसके कलिमात जल्द जल्द कहे जाये। अज़ान के मुकाबला में आवाज़ नीची हो और कानों में उंगलिया ना डाली जाये।

बहुत से लोग तकबीर के वक्त खड़े रहते है। सो यह गलत हैं बैठे रहना चाहिये जब तकबीर पढ़ने वाला "हय्याअललफ़लाह" कहे तब खड़े होना सुन्नत है।

—: अज़ान व इक़ामत का जवाब :—

अज़ान व इकामत दानों की इजाबत मुस्तहब है। इजाबत का मतलब यह कि सुनने वाला भी वही कलिमात कहता जाये और अश्हदु अनन मुहम्मदर्रसुल्लाह कहते वक़्त अंगूठों को चुम कर आंखों से लगाये और पहली बार सल्लल्लाहु अलैक या रसूल्लाहि और दूसरी बार कुर्रतु ऐनी बिक या रसूल्लाही। अल्लाहुम्म मुत्तेअन्नी बिस्समअि वलबसरि। (तर्जुमा) या रसूल मेरी आंखों की ठंडक आप हैं। ऐ अल्लाह तआला देखने व सुनने की कुव्वत में फाइदा मंद फरमा। जो ऐसा करेगा हुजुर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसकी शफाअत फरमायेंगे और उसकी आंखों की रोशनी कभी ना जायेगी और हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल्फलाह के जवाब में लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि ल अलीयल अज़ीमः (तर्जुमा) "और गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की कूवत नहीं मगर अल्लाह की मदद से" कहे। और फज्र की अज़ान में अस्सलातु खैरुम्मिनन नौम के जवाब में सदक ता व बर्रत (यानि तु सच्चा और नेकुकार है और तुने हक कहा है) कहे और इकामत में : कद

का मतिस्सलाह के जवाब में : अकामल्लाहु व अदामहा (तर्जुमा : अल्लाह इस को काईम रखे और हमेशा काईम रखे) कहे।

अज़ान की दुआ

अजान के बाद मुअज्ज़िन व सामेईन (सुनने वाले) दूरूद शरीफ पढ़ कर यह दुआ पढ़ें।

اذان کے بعد موذن وسامعین درود شریف پڑھکر یہ دعا پڑھیں

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ

اے اللہ اس دعوۃ تامہ اور صلوۃ

الْقَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ

قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ

وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ

اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور اُن کو

مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَارْزُقْنَا

مقام محمود میں کھڑا کر جسکا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت

شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ

کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما بیشک تو وعدہ کے خلاف نہیں

الْمِيْعَادَ ط بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ○

کرتا۔ ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔

अल्ल हुम्म रब्ब हाजिहिद्दअ्व तित्ताम्मति वस्सलातिल काइ मति सय्यदिना मुहम्मद निल वसीलत वल फजीलत वद्दर जतर् रफीअ़त वबअसहु मका मम्महमूदनिल्लजी व अत्तहु वरजुक़ना शफ़ा अतहु यौमल क़ियामति इन्न का ला

तुखलिफुल मीआ़द बिरहमतिका या अरहमरराहीमीनः ।

तर्जुमाः ऐ अल्लहा इस मुकम्मल दावत और नमाज़े काइमा के मालिक तु हमारे सरदार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वसीला और फ़ज़ीलत और बहुत बुलंद दर्जा अता फ़रमा और उन को मकामें महमूद में खड़ा कर जिस का तूने उनसे वादा किया है ।और हमें कियामत के दिन उनकी शफ़ाअत नसीब फ़रमा बेशक तु वादा के ख़िलाफ़ नहीं करता। हम पर अपनी रहमत फर्मा ऐ सब से बढ़ कर रहम करने वाले।

"अज़ान के कुछ ज़रूरी मसले"

(1) अज़ान कहने वाला नेक परहेज़गार हो और स्वाब की नियत पर अज़ान कहता हो। खुनसा (हिजड़ा) फासिक, नशा वाला, पागल और ना समझ बच्चे की अज़ान मकरूह है और लौटना ज़ुरूरी है।

(2) हैज़ निफास वाली औरत, खुतबा सुनने वाले ,कज़ाए हाजत और जिमा (सम्भोग) करने वाले पर अज़ान का जवाब नहीं है।

(3) जब अज़ान हो तो चाहिए कि उतनी देर सब काम यहां तक कि कुर्आन शरीफ़ भी पढ़ रहा हो तो उसको भी रोक दे ।चल रहा है तो खड़ा हो जाये अज़ान सुने और जवाब दे।

(4) अगर कई अज़ानें सुने तो उस पर पहली ही का जवाब है मगर सब जवाब दे तो बेहतर है।

(5) अज़ान का जो स्वाब हदीसों में आया है। उसका हकदार वही है जो अज़ान अच्छी तरह सही पढ़ने वाला हो और नमाज़ के वक्तों को पहचानता हो।

(6) अगर अज़ान कहने वाला ही इमाम भी हो तो बेहतर है।

(7) अगर अज़ान का वक्त हो जाये तो बेवजु शख्स भी अज़ान पढ़ सकता है। बे वजु की अजान सही है। मगर बे वजु अज़ान कहना मकरूह है।

(8) इकामत (तकबीर) के वक्त कोई शख्स आया तो उसे खड़े होकर

इन्तज़ार करना मकरूह है। बल्कि बैठ जाये जब हय्य अललफलाह पर पहुंचे उस वक़्त खड़ा हो। इसी तरह मस्जिद में जो लोग मौजूद हैं वह भी बैठे रहै। उस वक़्त उठें जब मुकब्बिर 'हय्य अललफलाह' पर पहुंचे यही हुकम इमाम के लिय भी है (आलमगीरी)

आजकल अकसर जगह तो यहां तक है कि जब तक इमाम मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो जाता उस वक़्त तक तकबीर नहीं की जाती यह खिलाफे सुन्नत है। इसी तरह बहुत जगह तकबीर शुरू होते ही लोग खड़े हो जाते है। यह भी खिलाफे सुन्नत है।

—: खास बात :—

हमने अकाईद के बयान के बाद पानी व तयम्मुम, वजु गुसल व अजान का मुख्तसर बयान कर दिया। अब आप जान गये कि पहले इमान सही होना चाहिये, अब पाक होने के लिये पानी कैसा होना चाहिये सो पानी का बयान हुआ पानी ना हो तो तयम्मुम से पाकि हासील करने का बयान किया गया। अब वजु व गुसल का नम्बर आया अब आप पाक साफ बा ईमान यानि ईमान वाले है अब मस्जिद में इबादत के लिये जाना है लिहाजा इबादते खास यानि नमाज के पहले मस्जिद में जाने के एहकाम सिख लें।

—: आदाब मस्जिद :—

मसला :— मस्जिद में इन बातों का लिहाज रखें—

(1) जब मस्जिद में दाख़िल हो तो सलाम करे लेकिन अगर लोग नमाज़ या तालिमे दीन या ज़िक्र में या तिलावते कुरआन वग़ैराह में मशगुल हो तो सलाम नही करना चहिये। (2)वक़्त मकरूह ना हो तो दो रकअत तहय्यतुल मस्जिद पढ़े। (3) खरीद व फरोख्त ना करें। (4) नंगी तलवार मस्जिद में ना ले जाये। (5) गुमी हुई चीज़ मस्जिद में ना ढूंढे। यानि तलाश ना करें।

(6) जिक्र या वाअज़ व तकरीर के सिवा (ईलावा) आवाज़ बुलन्द ना करें यानी जोर से ना बोले। (7) दुनिया की बातें ना करें। लोगों की गर्दने ना फलागें। (8) जगह के बारे में किसी से झगड़ा ना करें। इस तरह ना बैठे कि दूसरों के लिये तंगी हो। (9) नमाज़ी के आगे से न गुज़रे ना मस्जिद में थूंक खैंखार डालें। ऊँगलिया ना चटकायें। (10) नजासत और बच्चों और पागलों से मस्जिद को बचायें। (11) ज़िक्र इलाही की कसरत करें।

मसला :– मस्जिद में दर्स (तालिमे दीन) देना जाईज है। और इस काम में मस्जिद की चटाईया, दरियां, जानमाज़े भी काम में ले सकता है।

मसला :– मस्जिद में खाना और सोना मौअतकिफ (यानि ऐतिकाफ की निय्यत कर लेने वाला) को जाईज है और जो मौअतकिफ नहीं है उसके लिये मकरूह है।

(फ) हिन्दूस्तान में अकसर जगह रिवाज़ है कि रमज़ान में लोग मस्जिद में रोज़ा इफतार करते है। यह गलत है। मस्जिद में दाखिल होते हि ऐतिकाफ़ की निय्यत पहले करे और कुछ जिक्र वग़ैरा करें फिर रोज़ा इफतार कर सकते है। मगर यह ख्याल रखें की मस्जिद का फर्श चटाईया, जा नमाज़ वग़ैरा खराब ना हो कि यह हराम है।

मसला :– मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है। मगर ख्याल रखें कि मस्जिद का ऐहतिराम बराबर रहे। बेअदबी ना हो ना चिल्लायें ना शोर करें। बच्चों पागलों से बचायें औरते ना आये।

मसला :– मस्जिद में साईल (सुवाल करने वाले भीख़ मांगने वालों) को भीख देना मना है।

मसला :– मस्जिद की छत पर चढ़ना मकरूह है। गर्मी की वजह से मस्जिद की छत पर जमाअत करना मकरूह है। हां मस्जिद में तंगी हो नमाज़ियों की कसरत हो तो छत पर नमाज़ पढ़ सकते है।

मसला :– क़िबला की तरफ पांव फैलाना मकरूह है। सोते में हो या जागते

में (घर में ही या मस्जिद में हर जगह गुनाह है)

मसला :— मस्जिद में शैअर पढ़ना ना जाईज है। अलबत्ता अगर वह शअर हम्द व नात और मनकबत व वाअ़ज़ और हिकमत का हो तो जाईज़ है।

मसला :— मस्जिद में कच्चा लहसून, प्याज, मूली खाना या खाकर जाना जाईज नहीं। जब तक मुंह में बदबु बाकी हो। क्योंकि फरिश्तों को उस से तकलीफ होती है। यह हुकम हर उस चीज़ का है जिसमें बदबु हो, जैसे मूली, मिट्टी, का तैल, वह दिया सलाई (माचीस) जिसके रगड़ने से बू आती है। रियाह खारीज करना। जिसके मुंहमें से हर वक़्त बदबु आने की बिमारी हो। या कोई दवा बदबु दार लगाई हो तो जब तक बदबु खत्म ना हो उस को मस्जिद में आने की मुमानिअत है।

जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं कि उनके मुंह से हर वक़्त बदबु आती है और यह बदबु कुल्ली, गरारे व पेस्ट वग़ैरा करने से भी नही जाती जैसा कि तजुर्बा है। ऐसे लोगों को मस्जिद में जाना हराम है।

बदन या कपडे या मुंह में कोई बदबु हो तो जब तक बदबु दुर और साफ ना करले मस्जिद में जाना हराम है। और ऐसी हालत में नमाज में दाखिल होना मना है। बीड़ी, सिगरेट, गन्दा हुक्का पीने वालों को इसका ख्याल बहुत जरूरी है। (फतावा रज़विया जिलद 3 पेज 582)

मसला :— मस्जिद में भीख मांगने वाले को भीख देना गुनाह है। अगर एक रूपया मस्जिद में दिया तो उसके कफफारे में मस्जिद से निकल कर सित्तर रुपये और खैरात करे। (फतावा रज़विया)

—: मस्जिदों के मरातिब :—

सब मस्जिदों से अफजल मस्जिदे हराम शरीफ है। यानि खानाऐं काबा शरीफ (हराम यानि इज्ज़त व अजमत वाली हराम के एक माने यह भी हैं इसलिये खाना ऐ काबा को मस्जिदे हराम कहते है एक मानिये भी है कि

मना किया गया या रोका गया चूंकि यहां लड़ाई जंग खून खराबा से मना किया गया है और इन कामों से रोक दिया गया है इसलिये इसे मस्जिदे हराम कहते हैं) फिर मस्जिदे नबवी शरीफ फिर मस्जिदे कुदस यानि बै तुल मुकद्दस (जो अब इज़राईल में है) फिर मस्जिदे कुबा और फिर जामा मस्जिदें फिर मोहल्ले की मस्जिद फिर आम सड़क पर जो मस्जिद हो।

मसला :– मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पंजगाना (पांचों वक़्त की नमाज़) पढ़ना चाहे जमाअत छोटी होती हो तो भी जामा मस्जिद से अफज़ल है। (यानि मोहल्ले की मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ें।)

बल्कि मोहल्ले की मस्जिद में जमाअत ना भी हुई हो तो भी अकेला जाये अज़ान व इकामत (तकबीर) कहे और मोहल्ले की मस्जिद में ही नमाज़ पढ़े। ये मस्जिद जामा मस्जिद से अफज़ल है।

मसला :– जब चन्द मस्जिदे घर से बराबर दूरी पर हो तो उस मस्जिद में जाये जिसका इमाम ज़्यादा इल्म वाला व परहैजगार हो।

मसला :– मस्जिद मोहल्ला का इमाम अगर मुआज़ अल्लाह ज़ानी (हराम कार) या सुदखोर या उसमें कोई ऐसी खराबी हो जिस की वजह से उसके पीछे नमाज़ ना होती हो तो मस्जिद छोड कर दूसरी मस्जिद को जाये। और अगर हो सके तो उस इमाम को माजुल कर दे। (मस्जिद से हटा दे)

"नमाज़ का बयान"

अक़ाइद के बाद आमाल में सबसे अहमियत व फज़ीलत वाली चीज नमाज़ है। हर अक्ल वाला व बालिग़ मुसलमान मर्द व औरत पर पांच वक्ता नमाज़ फ़र्ज़े ऐन है। इस की फर्ज़ियत का इनकार कुफ्र है। और उसका बिला शरई मजबूरी के छोड़ना गुनाहे कबीरा है। यह खालिस इबादते बदनी है इसमें नियाबत जारी नही हो सकती यानी एक की तरफ से दूसरा नहीं पढ़ सकता ना उसके बदले जिंदगी में कुछ माल और फिदया दिया जा सकता है।

नमाज़ की फ़ज़ीलतें

नमाज़ की अहमियत व फ़ज़ीलत से कुरआन व हदीस शरीफ माला माल है। कुछ आयतें और हदीसैं मुलाहज़ा हों।

"और (कामयाब है) वह जो अपनी नमाजों की हिफ़ाज़त करते हैं। और अपने घर वालों पर नमाज़ की ताकीद रखो और खुद भी उसके ऊपर जमे (पाबंद) रहो (सूरए त्वाहा नं. 8) और नमाज़ को खड़ा रखो, और मुशरिकों में से ना हो जाओ (सूरए रूम नं. 4)

हदीस :– सहीहैन मे अबू हुरैरा रज़िअल्लाहु अनहु से रिवायत है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, बताओं तो किसी के दरवाज़े पर नहर हो और वह उसमें हर बार पांच बार गुस्ल (स्नान) करे क्या उसके बदन पर मैल रह जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया नहीं। तो हुजूर ने फ़रमाया यही मिसाल पांचों नमाज़ों की है कि खुदाएतआला इसकी वजह से गलतियों को मुआफ़ फ़रमा देता है।

हदीस :– रसूल्ललाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जिसने पाबंदी से नमाज़ पढी कियामत के दिन वह नमाज़ उसके लिए नूर व दलील व निजात होगी ।और जिसने पाबन्दि ना कि उसके लिये ना नुर है ना दलील है ना निजात और कयामत के दिन कारून व फिरऔन व हामान व उबय इब्ने ख़लफ (जैसे मलऊन काफिरों) के साथ उसका हश्र होगा।

–: नमाज़ को बरबाद होने से बचाईये :–

मसला :– पैशानी का ज़मीन पर जमना सज़दा की हकीकत है। पैशानी के साथ नाक की सख़्त हड्डी भी ज़मीन पर अच्छी तरह जम जानी चाहिये। नाक का नर्म हीस्सा लगा तो सज़दा सही ना हुआ। (फ) अकसर बल्कि 99 प्रतिशत निन्नानवे फिसदी लोगों की नाक की सिर्फ नोक यानि नर्म हिस्सा ही ज़मीन से लगता है। जबकि हुकम है कि नाक की सख़्त हड्डी ज़मीन

पर जम जानी चाहिये। इस बात का खास ध्यान रखेंगे तब ही सही हो सकती है।

मसला :— पांवों की एक उंगली का पेट सजदे में जमीन पर लगना शर्त है (उंगलियों के सिरे नहीं) तो अगर किसी ने इस तरह सज़दा किया कि दोनों पांव जमीन से उठे रहे या — उंगलियों के पेट ना लगे तो नमाज ना हुई। (बहारे शरीअत)

इस मसले से अवाम तो अवाम वह ख्वास जो मौलवी व इमाम कहे जाते हैं। भी ग़ाफिल है और हज़ारों करोडों लोगों की नमाज़े अकारत हो रही हैं।

नमाज़ का तरीक़ा

नमाज़ पढने से पहले ज़ुरूरी है कि नमाज़ी का शरीर, कपड़ा और नमाज़ की जगह पाक हो और नमाज़ का वक्त हो गया हो फिर वजू के साथ क़िबला की तरफ मुंह करके दोनों पांव के पंजों में चार उंगली का फासिला करके खड़ा हो,ओर दोनों हाथ कान तक ले जाये कि अंगूठे कानों की लौ (किनारे) से छू जायें और उंगलियां, ना मिली हुई रखे ,ना खूब खुली बल्कि अपनी हालत पर हों। और हथेलियां क़िबला को हों। फिर नीयत करे (जैसे नीयत की मैं ने आज की नमाज़े ज़ुहर चार रकअ़त नमाज़ फर्ज़ या सुन्नत की अल्लाह तआला के लिए मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अगर इमाम के पीछे हो तो कहे पीछे इस इमाम के) और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाये और नाफ के नीचे यूं बांधे कि दाहिनी हथेली की गुद्दी बाई कलाई के सिरे पर हो और बीच की तीन उंगलियां बाई कलाई की पीठ पर ओर अंगूठा और उंगलियां कलाई के अग़ल बग़ल और सना पढ़े। 'सुबहा नकअल्ला हुम्म व बिहम्दिक व तबारकसमुक व तआला जद्दुक वलाइलाह गैरूक' फिर तऔउज़ यानी 'अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम' फिर तसमिया यानी 'बिस्मिल्लाहीर्रहमानिर्रहीम' पढ़े ।

नोट :— अगर जमाअत के साथ इमाम के पीछे नमाज़ शुरू करे तो सना

पढ़ कर खामोश रहे ओर इमाम की कराअत (पढ़ने को) सुने और अगर अकेले हो तो सना के बाद तऔउज़ व तसमिया व सूरए फातिहा और कोई सूरह (जैसे सूरए अख्लास) या तीन आयतें या एक आयत जो तीन के बराबर हो पढ़े।

फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ रूकू में जाये और घुटनों को हाथ से पकड़े इस तरह कि हथेलियां घुटनों पर हों और उंगलियां खूब फैली हुई हों, ना यूं कि उंगलियां एक तरफ हों, ओर ना यूं कि सब उंगलियां एक तरफ और सिर्फ अंगूठा एक तरफ ओर पीठ बिछी हुई हो ओर सर पीठ की सीध में हो ऊंचा नीचा ना हो कम से कम तीन बार रुकू की तस्बीह पढे।

रूकू की तस्बीह :– सुबहा न रब्बि यलअज़ीमः अगर जमाअत हो तो फिर रुकू से उठते हुए सिर्फ इमाम तस्मीया कहे।

तस्मीअः– समिअल्लाहु लिमन हमिदह :– फिर दोनों हाथों को छोड़ कर सीधा खड़ा हो जाये ओर मुकतदी तहमीद कहे इस हालत को कौमा कहते है।

सना :–

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ
اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

सुबहा नक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारक समुक व तआल जदुका व लाइलाह गैरूक

ताऊज़ :– اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

अऊजु बिल्लाही मिनश्शैता निर्रजीम

तसमिया :– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

—: सुरऐ फातीहा :—

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ

الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ

وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

تسبیح رکوع، سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ

پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا

اگر جماعت ہو تو پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے صرف امام تسمیع کہے

رूकुअ की तस्बीह :–

تسمیع، سَمِعَ اللّٰہُ لِمَنْ حَمِدَہٗ

اللہ نے اس کی سن لی جس نے اسکی تعریف کی۔

सुबहा न रब्बि यल अज़ीमः

समीअल्लाहु लिमन हमिदहः

रब्बना लकल हमदुः

تحمید، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

اے ہمارے پروردگار سب تعریف تیرے ہی لئے ہے

सज़दा की तस्बीहः

सुबहान रब्बियल आअ़लाः

سجدہ کی تسبیح، سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی

پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند

तहमीद :– रब्बना लकलहम्दुः अकेले नमाज़ पढ़ने वाला तस्मीअ व तहमीद दोनों कहे फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सज़दा में जाये इस तरह कि पहले घुटने ज़मीन पर रखे फिर हाथ फिर दोनोंहाथों के बीच में सर रखे इस तरह नहीं कि सिर्फ पेशानी (माथा) छू जाये और नाक की नोक लग जाये वल्कि पेशानी और नाक की हड्डी जमाये । और मर्द बाजुओं को

करवटों से और करवटों को रानों और रानों को पिंडलियों से अलग रखे और दोनों पांव की सब उंगलियों के पेट ज़मीन से लगे हुए हो। और दसों उंगलियों के सिरे किबला की तरफ हो जाएं। और हथेलियां बिछी हो और उंगलियों किबला को हो। फिर कम से कम तीन दफा सजदा की तस्बीह पढ़े।

सजदा की तस्बीह :– "सुब्हान रब्बियल अअ़ला" फिर सिर उठाये इसके बाद हाथ और दाहिना पैर खड़ा करके उसकी उगंलियां किबला की तरफ करें और बायां पेर बिछा कर उस पर खूब सीधा बैठ जाये। और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के करीब रखें कि दोनों हाथ की उगंलियां क़िबला को हों। (इस हालत को जल्सा कहते हैं) फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सज़दा को जाये और इसी तरह सज़दा करें। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ को घुटनों पर रख कर पंजों के सहारे खड़ा हो जाये और दोबारा कियाम करें। (सीधा खड़ा हो जाएं)। अब सिर्फ तस्मिया यानि बिसमिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम पढ़कर कराअत शुरू कर दे। फिर इसी तरह रूकुव व सजदा करें। लेकिन इमाम के पीछे मुकतदी बिसमिल्लाह फातिहा ओर सूरह नहीं पढ़ेगा। वह खामोश (चुप) खड़ा रहेगा। दूसरी रकअ़त के दोनों सज़दों से फारिग होकर उसी तरह बैठ जाये जिस तरह दो सज़दों के दरमियान बैठा था। (दो रकअ़त के बाद इस तरह बैठने को कअदा कहते हैं) और अब तशहहूद पढ़े। (यानि अत्तहिय्यात पुरी पढ़े)।

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ
اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ. اَشْهَدُ اَنْ
لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

तशह्हुद :– अत्तहिय्या तुलिल्लहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबीयु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला एबादिल्लाहिस्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू :–

तर्जुमा :– तमाम कौली व फ़ेअ्ली व माली इबादतैं अल्लाह ही के लिए हैं। सलाम हेा तुम पर ए नबी और अल्लाह की रहमतैं और उसकी बरकते। सलाम हो हम पर औरअल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के इलावा कोई माबूद (इबादत के लाइक़) नहीं और मैं गवाही देता हूं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बंदे ओर उसके रसूल हैं।

जब तशह्हुद में कलमाए 'ला' के क़रीब पहुंचे तो सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्क़ा (गोलाई) बनाये ओर उंगलियां और उसके पास वाली को हथेली से मिलादे और लफ्ज़े 'ला' पर कलिमे की उंगलि उठाए मगर उसे हिलने ना दे और लफ़्ज़ 'इल्ला' पर गिरादे और सब उंगलियां फौरन सीधी करले। अगर दो रकअ्त वाली नमाज़ है तो फिर इस तशह्हु के बाद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ कर सलाम फेर दे। और अगर चार रकअ्त वाली नमाज़ है तो तशह्हुद के बाद अल्लाहुअकबर कह कर खड़ा हो जाये। और दोनों रकअ्अतों में अगर फ़र्ज़ हो तो सिर्फ बिस्मिल्लाह और सूरए फ़ातिहा पढ़कर क़ाइदा के मुताबिक रूकु व सुजूद करे और अगर सुन्नत व नफ्ल हों तो बिस्मिलला, 'सूरए फातिहा और सूरत भी पढ़े लेकिन इमाम के पीछे मुकतदी बिस्मिल्ला व फातिहा नहीं पढ़ेगा वह खामोश खड़ा रहेगा फिर चार रकअतैं पूरी करके बैठ जाये यानी कादए अखीरा करे और तशह्हुद 'दरूद शरीफ और दुआ ए मासूरा (कुर्आन व हदीस में लिखी हुई दुआयें पढ़े)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِ نَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ

عَلٰی سَیِّدِ نَا اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِ نَا اِبْرَا هِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ،

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰل سَیِّدِ نَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ

عَلٰی سَیِّدِ نَا اِبْرَا هِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا اِبْرَا هِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ ۔

दुरूद शरीफ :– अल्लाहुम्म सल्लिअला सैय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैयता अला सैय्यिदना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहिम इन्नक हमीदुम्मजीद। अल्लहुम्म बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिंव व अला आलि सैय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकत अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला आलि सैय्यिदिना ईब्राहीम इन्नक हमीदुम्मजीद।

तर्जुमा :– इलाही हज़रत सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उनकी आल पर दुरूद भेज जिस तरह तुने दुरूद भेजी हज़रत सय्यिदिना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर बेशक तू तारीफ किया गया बुजुर्ग है इलाही बर्कत दे हजरत सैय्यिदना मुंहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को और उनकी आल को जिस तरह तुने बरकत दी हज़रत सय्यिदिना इब्राहिम को उनकी आल को बेशक तु तारीफ़ किया गया बुजुर्ग है।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی
الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

रब्बानाआतिनाफिद्दुनिया हसनतौ। वफ़िल आखिरति हसनतौं व क़िना अजावन्नारि।

तरजुमा :– ऐ हमारे परवरदिगार हमको दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हम को दोज़ख़ क अ़ज़ाब से

बचा।

सलाम :– अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَۃُ اللّٰہِ

तर्जुमा :– तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत–

नोट :– दाहिनी तरफ़ के सलाम में दाहिनी तरफ के फ़रिशतों और नमाज़ियों की नीयत करे कि मै। उनको सलाम कर रहा हूँ। और बाई तरफ़ के सलाम में बायें तरफ़ के फ़रिशतों और नमाजियों की नीयत करे और जिस तरफ इमाम हो उस तरफ़ सलाम में इमाम की नीयत भी करले और इसी तरह दोनो सलामो में फ़रिशतों और मुकतदियों की नीयत करे। और जब तन्हा हो तो दोनों तरफ के फ़रिशतों की नीयत करे।

यह नमाज़ पढ़ने का तरीका मर्दो के लिए है औरतों के लिए चंद बातों में फर्क है। वह तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ कंधों तक उठायेगी और कपड़े से बाहर ना निकालेगी। कियाम में सीने पर हाथ बांधेगी और हथेली पर हथेली रखेगी। रूकू में कम झुके और घुटनों को झुकाएगी और हाथ घुटनों पर रखेगी। मगर उनको पकड़ेगी नहीं और उंगलियां खुली ना रखेगी। रूकू व सज़दा सिमट कर करेगी सज़दा में पेट रान से और रान पिंडली से मिलायेगी और हाथ ज़मीन पर बिछादेगी। अत्तहीय्यात में बैठते वक्त दोनों पांव दाहिनी तरफ या बाई तरफ निकाल कर सुरीन पर बैठेगी और उंगलियां मिलाकर रखेंगी। बाकी सब कुछ उसी तरह करेगी। जैसे मर्द करते है।

नमाज़ के बाद की दुआयें और ज़िक्र

पहले हर नमाज़ के बाद तीन बार इसतिगफ़ार करे।

استغفار- اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ رَبِّیْ مِنْ کُلِّ ذَنْۢبٍ

میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے اور

وَّاَتُوْبُ اِلَیْہِ ط۔ اس کے بعد جو دعا چاہے پڑھے۔

میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔

इसतिगफ़ार :– अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिंव व अतूबु इलैहि।

तर्जुमा :– मैं बख़्शिश मांगता हूं अल्लाह से जो मेरा पालनहार है। हर गुनाह से और मैं उसके हुजूर तौबा करता हूँ।

دعائے اول۔ ١ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ

اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور سلامتی تیری

السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيِّنَا

ہی طرف سے ہے اور سلامتی تیری ہی طرف لوٹتی ہے اے ہمارے

رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ

پروردگار ہمکو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور سلامتی کے گھر میں داخل فرما

تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَا الْجَلَالِ

بڑی برکت والا ہے تو اے ہمارے پروردگار اور بہت بلند ہے تو اے

وَالْاِكْرَامِ ۰

جلال اور بزرگی والے

(1) दुआये अव्वल :– अल्लाहुम्म अन्तस्सलामुवमिन कस्सलामु व इलैक यरजिउस्सलामु हय्यिना रब्बना बिस्सलामि व अदखिलना दारस्सलामि तबारक्त रब्बना वतआ़लैत या ज़लजलालि वलइकराम।

तर्जुमा :– ऐ अल्लाह तु ही सलामती देने वाला है ओर सलामती तेरी ही तरफ से है ।और सलामती तेरी ही तरफ लोटती हैं ।ऐ हमारे परवरदिगार (पालनहार) हम को सलामती के साथ जिन्दा रख और सलामत के घर में दाखिल फ़रमा। तु बड़ी बरकत वाला है। ऐ हमारे परवरदिगार और बहुत बलंद है तु ऐ जलाल व बुजूर्गी वाले।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(2) दुआये दोम :– रब्बना आतिना फ़िदुनिया हसनतँवं वफ़िल आख़िरति हसनतँव क़िना अज़ाबन्नारि।

तर्जुमा :– ऐ हमारे परवरदिगार हमको दुनिया में भी भलाई और आख़िरत में भी भलाई अता फ़रमा और हमको दोज़ख़ के अज़ाब से बचा।

जिन फ़र्जो के बाद सुन्नतैं पढ़नी हैं उन फ़र्जो के बाद थोड़ी सी दुआ करे जैसा कि दो दुआयें लिखी गई। और जल्दी सुन्नते पढ़े वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा। और बाकी जिक्र व वजीफ़े सुन्नतों के बाद पढ़े और जिन फ़र्जो के बाद सुन्नतैं ना हो उसके बाद बिला शुब्हा अज़कार (ज़िक्रेइलाही) पढ़े।

अज़क.१ :– हर नमाज़ के बाद 33 बार सुब्हानल्लाह 33 बार अल्लहम्मदुलिल्लाह 34 बार अल्लाहुअकबर और एक बार यह कहे।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں

لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى

اسی کے لئے بادشاہت اور اسی کے لئے حمد ہے اور وہ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'लाइलाह इल्लल्लाहु वहदहू लाशरीकलहू लहुल मुल्कु व लहुल्हम्दु व हु वा अ़ला कुल्लि शय्यिंइन क़दीर '०

तर्जुमा :– अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं उसी के लिए बादशाहत है। और उसी के लिए हम्द है और वह हर चीज़ पर क़ादीर है।

आयतल कुरसी

(۲) آیۃ الکرسی پڑھے۔

آیۃ الکرسی۔ اَللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ اَلْحَیُّ
اللہ (وہ ہے کہ) اُس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے

اَلْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ
(کارخانۂ عالم کو) قائم رکھنے والا ہے۔ نہ اُس کو اونگھ آتی ہے نہ نیند۔

لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ
اُسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے

ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗۤ اِلَّا بِاِذْنِہٖ ؕ یَعْلَمُ
جو اس کے اذن کے بغیر اسکی جناب میں (کسی کی) سفارش کرے جو کچھ

مَا بَیْنَ اَیْدِیْھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ ۚ وَلَا
لوگوں کو پیش آرہا ہے اور جو کچھ انکے بعد (ہونیوالا) ہے وہ سب جانتا ہے۔ اور

یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہٖۤ اِلَّا بِمَا
لوگ اُس کے معلومات میں کسی چیز پر احاطہ نہیں کرسکتے مگر جتنا وہ

شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
چاہے اُس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے

وَلَا یَئُوْدُہٗ حِفْظُھُمَا ۚ وَھُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ○
اور اُن کی حفاظت اُس کو تھکاتی نہیں اور وہ عالی شان عظمت والا ہے۔

आयतुल कुरसी :— अल्लाहु ला इल्लाहइल्ला हुवल हय्युल कय्युमु, ला ता खुजुहू सिन तूंव वला नौमु लहु माफिस्समावाति वमा फिल अरदि मन जल्लज़ी यशफ़ओ इनद हू इल्ला बिइज़ निही यअ्लमु मा बैन ऐदी हिम वमा ख़लफ़हुम वला युहीतून विशय्यिममिन इल्मिही इल्ला बिमाशा अ वसि अकुरसयु हुस्समावाति वलअरद वला यऊदुहू हिफ़ज़ुहु मा व हुवल अलीयुल अज़ीम.:

तर्जुमा :— अल्लाह (वह है कि) उसके अलावा कोई मअ्बूद (पूजने योग्य) नहीं। जिन्दा है (कारख्खानए आलम को) काइम रखने वाला हैं न उसको ऊंघ आती है, ना नींद। उसी का है जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन में है। कौन है जो उसके हुक्म के बिगैर उसकी जनाब में (किसी की) सिफ़ारिश करे। जो कुछ लोगों को पेश आ रहा है और जो कुछ उनके बाद (होने वाला) है वह सब जानता है। और लोग उसके मालूमात में किसी चीज़ पर एहाता (घेराबंदी) नही कर सकते। मगर जितना वह चाहे । उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीनों पर हावी (घेरे हुए है) है। और उनकी हिफ़ाज़त उसको थकाती नहीं और वह आलिशान अज़मत वाला है।

नोट :— दुआ के पहले व बाद में दुरूद शरीफ़ पढ़ना चाहिए वर्ना दुआ अल्लाह के नज़दीक पेश नहीं होती बल्कि टंगी रहती है।

नमाज़ पढने का जो तरीका बयान हुाअ उसमें नमाज़ की शर्तें कुछ नमाज़ के फ़राइज़ कुछ वाजिबत कुछ सुन्नतें कुछ मुस्तहबात है। अब उनका अलग—अलग थोड़ा बयान किया जाता है।

नमाज़ की शर्तें

नमाज़ की छ: शर्तें हैं। उनमें से अगर किसी एक को भी छोड़ दिया तो नमाज काइम ना होगी।

(1) तहारत :— नमाज़ी का बदन, कपड़ा और जिस जगह नमाज़ पढ़ रहा है उस जगह का हर किस्म की नापाकी से पाक होना ज़रूरी है।

(2) सतरे औरत :– मर्द के लिए नाफ़ (ढोठी) के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक बदन का सारा हिस्सा छुपा हुआ हेना ज़रूरी है। जबकि औरत को सारा जिस्म सिवाये मुंह की टिकली हथेलियां व तलवों का छुपाना फर्ज़ है।

ज़रूरी मसले

(1) अगर ऐसा बारिक कपड़ा जिससे बदन का वह हिस्सा जिसका नमाज़ में छुपाना फर्ज़ है नजर आये जिल्द का रंग चमके नमाज़ ना होगी।

नोट :– आज कल बारीक कपड़े बहुत चलते है। अगर बारीक कपड़े का पाजामा वग़ैरा पहना जाये जिससे जांघ या सतर का कोई हिस्सा चमकता हो। नमाज़ के इलावा भी हराम है।

(2) मोटा कपड़ा जिससे बदन का रंग ना चमकता हो मगर बदन से ऐसा चिपका हुआ है । तो देखना जाइज़ नहीं। (रद्दुलमुहतार) और ऐसा कपड़ा लोगों के सामने पहनना भी मना है। और औरतों के लिए खास कर मना है। कुछ औरतें बहुत चुस्त कुर्ते और पाजामें पहनती हैं इस मसला से सीखना चाहिए।

(3) बाज़ औरतें ऐसा बारीक दोपट्टा (ओढ़नी) नमाज़ में ओढ़ती हैं। जिससे बालों की सियाही (कालापन) नज़र आती है या ऐसे कपड़े पहनती है जिनसे बदन के हिस्सों का रंग नज़र आताहै। ऐसे पहनावें से भी नमाज़ नहीं होती।

3–इस्तिक़बाले क़िबला

यानी मुंह और सीना का क़िबला की तरफ़ होना–

(4) वक्त :– यानी जो नमाज़ पढ़ना चाहता है उसका वक्त होना ज़रूरी है। जैसे आज की अस्र पढ़ना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि अस्र का वक्त शरू हो जाये। अगर अस्र का वक्त शुरू होने से पहले ही पढ़ ली तो नमाज़ ना होगी। नमाज के वक्तेां की सही जानकारी मस्जिद में लगे नक्शे से मालूम करें।

मसला :– 1 मकरूह वक्त तीन है 1– सूरंा कि पहली किरण चमकने

से लेकर 20 मिन्ट बाद तक। 2– सूर्य डूबने व उससे पहले 20 मिनट। 3– निस्फुन्नहार (यानी ज़वाल शुरू होने से खत्म होने तक)इन तीनों वक्तों में कोई नमाज़ जाईज़ नहीं फर्ज़ ना वाजिब ना नफ़्ल ना क़ज़ा ना अदा ऐसे ही सजदये तिलावत व सजदये सह्व भी जाइज़ नहीं है।

5. नीयत:– नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। जुबान से कहना ज़रूरी नहीं। अगर कहले तो बेहतर है। अरबी के अलावा उर्दू वग़ैरा में भी हो सकती है।

मसला:– नीयत का कम दर्जा यह है कि अगर कोई पूछे कौनसी नमाज़ पढ़ता है तो फौरन बिला झिझक बतादे अगर हालत ऐसी है कि सोच कर बतायेगा नमाज़ ना होगी। (दुर्रेमुख्तार)

6– तकबीरे तहरीमा :– यानी नमाज़ को अल्लाहु अकबर कहकर शुरू करना ज़रूरी है।

मसला :– अल्लाहु अकबर की जगह कोई और लफ़्ज़ (शब्द) जो खास ताज़ीमें इलाही के लफ्ज़ हों जैसे अल्लाहु अजल्लु या अल्लाहु आज़मु या सुबहानल्लाह या अल्हम्दु लिल्लाह वग़ैरा अल्फ़ाजे ताज़ीमी कहे तो उनसे भी नमाज़ की शुरूआत हो जाएगी। मगर यह बदलाव मकरूह तहरीमी हैं। (बहारे शरीअत)

- निस्फुन्नहार यानि जु हवाये कुबरा (इसी को लोग जुवाल का वक्त कहते है। मगर हकीकतन यह ज़वाल नहीं बल्कि शुरू वक्त मकरूह है जो कम से कम 38. मीनट व ज़्यादा से ज़्यादा 48 मीनट तक होता है। तफसील जानना चाहें तो फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द 2 में देखें।

—: नमाज़ के फ़राइज़ :—

नमाज में सात फर्ज़ हैं—

1 पहला फर्ज़ :– तकबीरे तहरीमा :– हकीकत में यह नमाज़ की शर्तों में

से है मगर चूंकि नमाज़ के कामों से बहुत ज़्यादा मिली हुई है। इसलिए नमाज़ के फराइज़ मेंसे इस का शुमार हुआ है। (बहारे शरीअत)

मसला :– अगर किसी ने अल्लाहु अकबर में लफ़्ज़ अल्लाहु को आल्लाहु या अकबर को अकबार पढ़ा नमाज़ ना होगी बल्कि अगर गलत माना समझ कर जान बूझकर कहे तो काफिर है। (दुर्रेमुख्तार)

मसला :– पहला रूकु मिल गया तो तकबीरे औला कि फज़िलत पा गया। (बहारे शरीअत जिल्द 3.)

मसला :– **इमाम को रूकु में पाया और तकबीरे तहरीमा यानी अल्लाहु अकंबर कहता हुवा रूकु में गया। यानी तकबीर उस वक्त खत्म की कि हाथ बढ़ाये तो धुटने तक पहुच जाये तो इस तरह नमाज़ ना हुइ। (दुरेमुख्तार - आलमगिरी) (फ) कुछ लोग जल्दी में इस तरहा करते है उनकी वह नमाज़ ना हुइ, उसको फिर से पढ़े।**

मसला :- **मुकतदी ने लफ्ज़ अल्लाह इमाम के साथ कहा मगर अकबर को इमाम से पहले खत्म कर चुका। ता उसे मुकतदी की नमाज़ ना हुइ।** (दुर्रेमुखतार)

दुसरा फर्ज़– कियाम :– फर्ज़ व वित्र व दोनों ईदैन व सुन्नतें फज्र में कियाम (खडाहोना) फर्ज़ है। अगर बगैर सही मजबूरी के बैठ कर नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ ना होगी। (दुर्रेमुख्तार)

मसला :– अगर इतना कमजोर है कि मस्जिद में जमाअत के लिये जाने के बाद खड़े हाकर ना पढ़ सकेगा और घर में पढ़े तो खड़ा होकर पढ सकता है। तो घर में पढ़े । (दुर्रेमुखतार–रद्दुलभुहतार)

मसला :– अगर लकड़ी या नौकर या दिवार या पिल्लर पर टेक लगा कर खड़ा हो सकता है तो भी फर्ज़ है कि खड़ा होकर पढ़े। (बहारे शरीअत)

नोट:– आजकल आम तौर पर यह बात देखी जाती है कि ज़हां ज़रा

बुखार आया या मामूली सी बीमारी हुई बैठ कर नमाज़ शुरू करदी हालांकि वही लोग इसी हालत में दस–दस पन्द्रह–पन्द्रह मिनट बल्कि इससे भी ज़्यादा खड़े होकर इधर उधर की बातें कर लिया करते हैं। डॉक्टर के पास पैदल चले जाते हैं। उन पर जितनी नमाज़े कियाम की ताकत के बावजूद बैठक कर पढ़ी हैं उनका फिर से पढ़ना फर्ज़ है। इसी तरह अगर वैसे खड़ा ना हो सकता था मगर लाठी या दीवार या आदमी के सहारे पर खड़ा होना मुमकिन था मगर बैठ कर पढ़ी तो भी ना हुई उनका भी दोहराना फर्ज़ है। अल्लाह तआला तौफ़ीक अता फरमाए॰ (बहारे शरीअ़त)

तीसरा फर्ज़– कि़राअ़त :– किराअत इसका नाम है कि तमाम हुरूफ मख़ारिज से अदा किऐ जायें कि हर हर्फ गैर से सही तरीके पर जाहिर हो जाये। और आहिस्ता पढ़ने में भी इतना ज़रूरी है कि खुद सुने। अगर हुरूफ की तसहीह तो की मगर इस कदर आहिस्ता कि खुद ने ना सुना और सुनने में कोई रूकावट ना थी (जैसे शोर व गुल या बहरापन वग़ैरा) तो नमाज़ ना होगी, इसी तरह जहां पढ़ना या कहना मुकर्रर किया गया है। उससे मकसद यही है कि कम से कम इतनी आवाज़ हो कि खुद सुन सके जैसे तलाक़ देने, जानवर जबह करने में

(आलमगीरी)

मसला :– लिहाज़ा अगर इस तरह बकरा या जानवर जिबह किया कि 'अल्लाहु अकबर' को दिल में (मन में) पढ़ लिया या इतना धीरे पढ़ा कि खुद ना सुना तो वह जानवर हराम हो गया। (बहारे शरीअत)

नोट :– आज अवाम तो अवाम खास कहलाने वालें का यह हाल है कि खड़े नमाज पढ़ रहे है। और होठों में जुम्बीश तक नहीं। दिल ही दिल में ख्याल दौड़ा रहें है। इस तरह नमाज नहीं होती । जैसा कि बयान हुआ। लिहाजा ऐसी नमाजे वापस ठीक तरह से पढ़ और ख्याल रखें की जो कुछ

हम पढ़े हमारे कानों में आवाज पहुंचे।

"चदँ ज़रूरी मसले"

(1) मुतलक एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ की दो रकअ्तों और वित्र व सुन्नतों और नफ़्लों की हर रकअ्त में इमाम और मुनफरिद (बेजमाअत) पर फर्ज़ है। और मुकतदी इमाम के पीछे पढ़ने वाले को किसी भी नमाज़ में कराअत जाइज़ नहीं। जुहर हो या इशा कोई सी हो, इमाम की कराअत मुकतदी के लिए काफी है।

(2) बाज़लोग (कुछलोग) तो–ते–सीन–शीन–से–स्वाद- अलिफ हम्ज़ा -ऐन–हे–हे ज़्वाद–ज़ाल–जो में कोई फ़र्क नही करते। याद रखे हुरूफ़ (अक्षरों के) बदल जाने से अगर माना ग़लत हो गया तो नमाज़ ना होगी। जिससे हुरूफ़ सहीह अदा नहीं होते उस पर लाज़िम है कि हुरूफ की सही अदायगी में रात दिन पूरी कोशिश करे, और अगर सही पढने वाले की इकतिदा कर सकता हो तो फ़र्ज है कि उसकी इकतिदा करे, या वह आयतैं पढ़े जिसके हुरूफ सही अदा कर सकता हो, और यह दोनों तरकीबें असम्भव हो तो कोशिश के ज़माना में अपनी नमाज़ हों जाएगीं। आजकल काफी लोग इस मर्ज़ में मुबतिला हैं कि ना उन्हें कुर्आन सही पढ़ना आता है ना सीखने की कोशिश करते हैं। याद रखें इस तरह नमाजें बेकार जाती है।

(बहारे शरीअत)

मसला :– तकबीरे तेहरीमा खड़े होकर कहना फर्ज़ है। अगर किसी ने इमाम को रूकुअ में पाया और 'अल्लाहु अकबर' कहता हुआ रूकुअ में शरीक हो गया तो उसकी नमाज़ ना हुई लिहाजा पहले खड़े होकर अल्लाह अकबर कहे और हाथ बांध ले अब दूसरी बार अल्लाहु अकबर कहकर रूकुअ में शामील हो जायें अगर रूकुअ मिल गया तो यह रकअत भी मिल गई।

(बहारे शरीअत)

(3) गुजराती अंग्रेजी वग़ैरा में यासीन शरीफ और आयतें कुर्आनी वग़ैरा छापने से हुरूफ मुतलकन बदल जाते हैं। यह कुर्आन की तहरीफ है और नाजाइज़ है। (फतावा नईमिया) यह दलील बेकार है कि अरबी नहीं आती इसलिए मजबूरन गुजराती, हिन्दी वग़ैरा में पढ लेते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि दो टके की नौकरी हासिल करने के लिए तो सब कुछ सीखा जाए और कुर्आने अज़ीम सीखने की कोई तकलीफ ना उठाई जाए। अल्लाह तआला अच्छे कामों की तौफीक दे।

(4) जिस ने रात दिन हुरूफ की सही अदाएगी के लिए कोशिश की सीखने में कोई कसर बाकी ना रखी इसके बाद भी व सीखने में नाकाम रहा जैसे कुछ लोगों से सही अदाएगी होती ही नहीं। उसको तमाम उम्र कोशिश जारी रखना ज़रूरी है। कोशिश के ज़माना में वह मजबूर है कि उसकी अपनी नमाज़ हो जाएगी। सही पढ़ने वालों की इमामत हरगिज नहीं कर सकता। हाँ जो हुरूफ उसके गलत हैं वही दुसरो के भी गलत हैं तो उनकी इमामत कर सकता है सही पढ़ने वाले की इकतिदा कर सकता हो तो फ़र्ज है कि उसकी इकतिदा करे या वह आयतैं पढ़े जिसके हुरूफ सहीह अदा कर सकता हो, और यह दोनों तरकीबैं असम्भव हो तो कोशिश के जमाना में अपनी नमाजहों जाएगी। आजकल काफी लोग इस मर्ज़ में गुबतिला हैं कि न उन्हें कुर्आन सहीह पढ़ना आता है न सीखने की कोशिश करते है। याद रखें इस तरह नमाजैं बेकार जाती है। (बहारे शरीअत – फतावा रजवीया)

चौथा फर्ज़ :– रूकु :– इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जायें– यह रूकू का अदना (कम) दर्जा है। (दुर्रेमुख्तार) और पूरा यह कि पीठ सीधी बिछा दे। (बहारे शरीअत)

पांचवां फर्ज़ :- सुजूद :- हर रकअ्त में दो मरतबा सज्दा फर्ज़ है। सज्दे में पेशानी (माथे) का ज़मीन पर जमना सज्दे की हकीकत

है और पांव की एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगना शर्त है। और दोनों पांव की तीन –तीन उंगलियों के पेट लगना वाजिब/और दसों उंगलियों के पेट जमीन पर लग कर किब्ला की तरफ होना सुन्नत है। आजकल अक्सर देखा जाता है कि लोग सज्दों में या तो दानों पांव जमीन से उठा रखते हैं या सिर्फ उंगलियों के नोक ज़मीन से लगा देते है। या पांव उलटे क़र लेते है। इन तीनों शक्लों में सज्दा नहीं होगा और जब सज्दा न हुआ तो नमाज़ भी न होगी।

(बहारे शरीअत – फतवारज़विया जिल्द 3)

मसला :– अमामा (साफा) के पेच पर सज्दा किया अगर माथा खूब जम गया सज्दा हो गया और माथा ना जमा बल्कि सिर्फ छू गया कि दबाने से दब सकता है या सर का कोई हिस्सा (पेशानी के अलावा) लगा तो सज्दा न हुआ। (बहारे शरीअत)

(2) पेशानी के जमने के यह माना हैं कि ज़मीन की सख़्ती मालूम हो। अगर किसी ने इस तरह सज्दा किया कि पेशानी ना जमी तो सज्दा ना होगा। और अज सज्दा ना हुवा तो नमाज़ भी ना इुई।

(3) किसी नर्म चीज़ जैसे घास, रूई या कालीन वगैरा पर सज्दा किया तो अगर पेशानी (माथा) जम गई यानि इतनी दबी कि अब दबाने से ना दबे सज्दा हो जाएगा। वर्ना नहीं (आलमगिरी) हमारे यहां कुछ जगहों पर सर्दियों में मस्जिदों में गालीचे बिछाते है। उन पर सज्दा में इस बात का ख्याल बहुत ज़रूरी है कि अगर पेशानी खूब ना दबे तो नमाज़ ही ना हुई। और नाक की हड्डी ना दबी तो मकरूह तेहरीमी हुई जिसे दुबारा पढ़ना ज़रूरी है। कमानीदार (स्प्रिंग वाले) गद्दे में पेशानी खूब नहीं दबती इसलिए नमाज़ ना होगी।

(5)ऐसी जगह सज्दा किया कि कदम की बानिस्बत बारह उंगल से ज्यादा

ऊंची है सज़दा ना हुआ वरना हो गया। (दुर्रेमुख्तार)

6 **छटा फर्ज़-** **कायदा अखीरा** :– यानी नमाज़ की रकअ़तें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहिय्यात रसूलुहू तक पढ़ ली जाए फर्ज़ है।

मसला :– चार रकअ़त वाले फर्ज़ में चौथी रकअ़त के बाद कादा (बैठा नहीं) ना किया तो जब तक पांचवी का सज्दा ना किया बैठ जाये। और पांचवी का सज्दा कर दिया या फज़र में दूसरी पर नहीं बैठा तीसरी का सज्दा कर दिया। या मग़रिब में तीसरी पर ना बैठा और चौथी का सज्दा कर लिया। इन सब हालतों में फर्ज़ बातिल हो गये। मग़रिब के इलावा और नमाज़ों में एक रकअ़त मिला लें। (गुनिया)

सातवां फर्ज़ :- **खुरूज बिसुन एही** :– यानि काएदा आखीरा के बाद सलाम व कलाम वग़ैराह कोई ऐसा काम जान बूझकर करना जो नमाज़ से बाहर कर दे मगर सलाम के इलावा कोई और काम जान बूझ कर – पाया गया तो नमाज़ दोबारा दुहराना ज़रूरी और बेग़ेर इरादा कोई इस किस्म का काम पाया गया तो नमाज़ बातिल (यानी नहीं हुई)।

मसला :– इमाम के एक तरफ सलाम फैरते ही यानि मुंह से लफ्ज़ 'अस्सलाम' के निकलते ही वह नमाज़ के बाहर हो गया। अब कोई नमाज़ में शरीक नही हो सकता वरना नमाज़ ना होगी। इमाम के एक तरफ सलाम फैरते ही वह नमाज़ के बाहर हो जाता है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं। कि जब तक दोनों तरफ सलाम ना फेरे नमाज़ में शरीक हो सकते है यह ग़लत है।

मसला :– मुक़्तदी के लिये यह भी फर्ज़ है कि इमाम कि नमाज़ को अपने ख्याल में सही तसव्वुर करता हो। और अगर अपने खुद के नज़दिक इमाम कि नमाज़ गलत समझता है तो उसकी खुद कि नमाज़ ना हुइ। चाहे इमाम कि सही हो। (दुर्रेमुखतार)

नमाज के वाजिबात

1. तकबीरे तहरीमा में लफ़्ज़ अल्लाहु अकबर कहना, 2. फ़र्जों की तीसरी और चौथी रकअ्त के इलावा बाकी तमाम नमाजों की हर रकअ्त में अल्हम्दु शरीफ पढ़ना, 3. सूरत मिलाना या कुरआन की एक बड़ी आयत जो छोटी तीन आयतों के बराबर हो या तीन छोटी आयतें पढ़ना। 4. अल्हम्दु का सूरत से पहले पढ़ना, 5. हर रकअत में सूरह से पहले अल्हम्दु का एक ही बार पढ़ना। 6. अल्हम्दु और सूरह के बीच आमीन और बिस्मिल्लाह के इलावा कुछ और न पढ़ना। 7. इसकी सातों आयतें वाजिब है। 8. इसकी एक आयत बल्कि एक लफ्ज को छोड़ना भी तर्क वाजिब है। 9. कराअत के फौरन बाद रुकूअ करना। 10 एक सज्दे के बाद दूसरा सज्दा करना। 11. तादीले अरकान यानी रुकूअ व सुजूद व कौमा व जलसे में कम से कम एक बार सुब्हानअल्लाह कहने की मिकदार ठहरना, 12. कौमा यानी रुकूअ से सीधा खड़ा होना, 13. जल्सा यानी दो सज्दों के बीच सीधा बैठना। 14. काअदा ऊला अगरचे नमाज़ नफ्ल हो, फर्ज़ व वित्र सुन्नते मुवक्किदा के काअदा ऊला में तशाहुद (अत्तहियात) पर कुछ ना बढ़ाना। 15. दोनों काअदों में पूरा तशाहुद पढ़ना। एक लफ्ज़ भी छोड़ेगा तर्क वाजिब होगा। 16. दोनों तरफ सलाम फेरते वक्त लफ्ज़े अस्सलामु दोनों बार वाजिब है। 17. लफ्ज़ अलैकुम वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत हैं। 18. वित्र में दुआएं कुनूत पढ़ना, तकबीरे कुनूत। 19. ईदैन की छः तकबीरें, 20 ईदेन में दूसरी रकअ्त की तकबीर रुकूअ और उस तकबीर के लफ्ज़ 'अल्लाहु अकबर' होना। 21. हर जेहरी नमाज़ यानी मगरिब व इशा की पहली दो रकअ्तों और फजर और जुमा, ईदेन, तरावीह और रमज़ान शरीफ के वित्रों की हर रकअ्त में इमाम को जेहर (बुलंद आवाज से) कराअत करना। 22 जुहर व अस्र में आहिस्ता पढ़ना 23. हर वाजिब व फर्ज़ का उसकी जगह होना। 24. रुकूअ हर रकअत में एक ही बार, 25. सज्दा हर रकअ्त में दो ही बार करना, 26. दूसरी रकअ्त से पहले काअदा ना करना। 27. चार रकअ्त वाली में तीसरी पर काअदा ना करना, 28. आयते सज्दा पढ़ी हो तो सज्दाए तिलावत करना, 29. सहव हुआ तो सज्दए सहव करना। 30. दो फर्ज या दो वाजिब या फर्ज

व वाजिब के दरमियान तीन तस्बीह (यानी तीन बार सुबहानल्लाह कहने की मिकदार) की कदर ठहराव ना होना, 28. इमाम जब कराअ्त करे बुलंद आवाज से हो चाहे आहिस्ता आवाज़ से मुकतदी का चुप रहना, 29. कराअत के इलावा तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना,

नमाज़ के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो सज्दए सहव करने से नमाज़ दुरूस्त हो जाएगी, सज्दए सह्व ना करने और जान बूझ कर छोडने से नमाज़ का लौटना वाजिब है। (बहारे शरीअत)

: अलफाज तशाहुद से उनके मानी का दिल में इरादा और मतलब ज़रूरी है। गोया अल्लाह तआला के लिये तहिय्यत करता है ओर नबी सल्ललल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम पर और अपने खुद के उपर और औलिया अल्लाह पर सलाम भेजता हैं यह तसव्वुर करना ज़रूरी है। (आलम गीरी दुर्रेमुख्तार)

नमाज़ की सुन्नतें

तकबीरे तहरीमा के लिए हाथ उठाना ।और हाथों की उंगलियां अपनी हाल पर छोड़ना ना बिल्कुल मिलाए ना मेहनत से खोले। हथेलियों और उंगलियों के पेट का क़िबला रूख होना, तबकीर के वक्त सर ना झुकाना ।इसी तरह तकबीरे कुनूत और तकबीराते ईदैन में कानों तक हाथ ले जाने के बाद तकबीर कहे। और इनके अलावा किसी और जगह नमाज़ में हाथ उठाना सुन्नत नहीं। औरत के लिए सुन्नत हे कि कंधों तक हाथ उठाए। इमाम का बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर, समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह और सलाम कहना–बाद तकबीर फौरन हाथ बांध लेना इस तरह कि मर्द नाफ (ढुंठी) के नीचे सीधे हाथ की हथेली उलटे हाथ की कलाई के जोड़ पर रखे। उंगलियां (कानी उंगली) और अंगूठा कलाई के अगल बगल रखे और बाकी उंगलियां उलटे हाथ की कलई की पुश्त (पीठ) पर रखे और औरत और

खुनसा (हिजड़ा) बायें हाथ की हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर उसकी पीठ पर सीधी हथेली रखे। बाज़ लोग तकबीर के बाद हाथ सीधे लटका लेते हैं यह ना चाहिए। बल्कि फौरन नाफ के नीचे लाकर बांध ले सना और तऔउज़ व तस्मिया व आमीन कहना और उस सब का आहिस्ता होना। पहले सना पढ़े फिर तऔउज़ फिर तस्मिया और हर एक के बाद दूसरे को फौरन पढ़े। तहरीमा के फोरन बाद सना पढ़े तऔउज़ सिर्फ पहली रकअ्त में पढ़े और तस्मिया हर रकअ्त के शुरू में पढ़ना सुन्नत है। फातिहा के बाद अगर इब्तिदा से सूरत शुरू की तो सूरत पढ़ते वक्त तस्मिया पढ़ना मुस्तहसन है। तऔउज़ व तस्मिया मुकतदी के लिए सुन्नत नहीं हां जिस मुकतदी की रकअ्त जाती रही तो जो अपनी बाकी रकअ्त पढ़े उस वक्त उन दोनों को पढ़े। रूकू में कम से कम तीन बार सुब्हान रब्बियल अ़ज़ीम कहना और घुटनों को हाथों से पकड़ना और उंगलियों खूब खुली रखना यह हुक्म मर्दो के लिए है और औरतों के लिए घुटनों पर हाथ रखना और उंगलियां कुशादा (खुली) ना करना सुन्नत है। आज कल अक्सर मर्द रूकू में सिर्फ हाथ रख देते हैं और उंगलियां मिलाकर रखते हैं यह सुन्नत के खिलाफ है। रूकू की हालत में टांगें सीधी होना अक्सर धनुष की तरह टेढ़ी कर लेते हैं। यह मकरूह है। रूकू के लिए अल्लाहु अकबर कहना, रूकू में सर ऊंचा नीचा ना हो बल्कि पीठ के बराबर हो, औरत रूकू में थोड़ा झुके यानी सिर्फ इतना कि हाथ घुटनों तक पहुंच जायें । पीठ सीधी ना करे और घुटनों पर जोर ना दे बल्कि सिर्फ हाथ रखदे और हाथों की उंगलियां मिली हुई रखे ।और पांव झुके हुए रखे। मर्दो की तरह खूब सीधे ना करदे, रूकू से जब उठे तो हाथ लटके हुए छोड़ दे, ।रूकू से उठने में इमाम के लिए समिअल्लाहु लिमन हमिदह और मुकतदी के लिए अल्लाहुम्म रब्बना व लकल हम्द कहना और अकेले पढ़ने वाले के लिए तो दोनों कहना सुन्नत है। रब्बनालकलहम्द कहे तो भी सुन्नत अदा हो जाती है। मगर अल्लाहुम्म रब्बना व लकल हम्दकहना बेहतर है। सज्दा

के लिए और सजदा से उठने के लिए 'अल्लाहु अकबर' कहना। और सज्दा में कम से कम तीन बार सुब्हान रब्बियल अअला कहना, और सज्दा में हाथ जमीन पर रखना। सज्दा में जाए तो जमीन पर पहले घुटने रखे फिर हाथ फिर नाक फिर पैशानी, सर और जब सज्दा से उठे तो उसका उल्टा करें यानि पहले पैशानी उठाये, फिर नाक, फिर हाथ फिर घुटने (आलम गौरी)। मर्द के लिए सज्दा में सुन्नत यह है कि बाजू करवटों से अलग हों और पेट रानों से और कलाइयां जमीन पर ना बिछाएं मगर सफ में हो तो बाजू करवटों से अलग ना होंगे। (हिदाया आलमगिरी) औरतें सिमट कर सज्दा करें यानी बाजू करवटों से मिला दे और पेट को रान से और रान को पिंडलियों से। औरत बैठते वक्त अपने दोनों पांव बिछाकर बैंठेगी।

सज्दा में एक पांव उठा रखना मकरूह व ममनूअ है। (दुर्रेमुख्तार) दोनों सज्दों के बीच बायां कदम बिछा कर दायां पैर खड़ा करके बैठना, और हाथों को रानों (जांघों) पर रखना, सज्दों में उगंलियां किबला की तरफ होना, हाथों की उंगलियों का मिली हुई होना, जब दोनों सज्दे कर लिए तो दूसरी रकअत के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रख कर उठना। कमज़ोरी वगैरा के सबब जमीन पर हाथ रखकर उठा जब भी हर्ज नहीं। दूसरी रकअ्त में सना व तऔउज़ न पढें, दूसरी रकअ्त के सज्दों से फारीग होने के बाद वायां पांव बिछाकर दोनों सुरीन (कुल्हे) उस पर रख कर बैठना, और सीधा कदम खड़ा करना, और सीधे कदम की उगंलियों को किबला रूख करना, यह मर्द के लिए है। औरत दोनों पांव दाहिनी तरफ निकाल दे और बायें सुरीन (कूल्हे) पर बैठे और सीधा हाथ सीधी रान पर रखना, और बायीं पर और उंगलियां अपनी असली हालत पर छोड़ना कि ना खुली हुई हों ना मिली हुई और उंगलियों

के किनारे घुटनों के पास होना, घुटने पकड़ना ना चाहिए, कलमाए शहादत पर इशारा करना, इस तरह कि छंगुलिया (कानी उंगली) और उस के पास वाली को बंद करे ओर अंगूठे और बीच का हल्का बांधे (गोलाई बनाये) और 'ला' पर कलिमे की उंगली उठाये और 'इल्ला' पर रख दे और सब उंगलियां सीधी करे कादए ऊला के बाद तीसरी रकअ्त के लिए उठे तो ज़मीन पर हाथ रख कर ना उठे बल्कि घुटनों पर जोर देकर अगर कोई मजबूरी है तो हर्ज नहीं, दूसरे कादा में तशह्हुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, नवाफिल और सुन्नतें गैर मुअक्किदा के कादएऊला में भी दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ना मुकतदी के तमाम इन्तेकालात (बदलाव) इमाम के साथ होना, अस्सलामु अलैकुम व रह्मतुल्लाहि दो बार कहना पहले दाहिनी तरफ फिर बाई तरफ, इमाम के लिए सुन्नत है कि दोनों सलाम बुलंद आवाज़ से कहे मगर दूसरा पहले से कम आवाज़ से हो।

मसला :— इमाम ने अगर सलाम फेरा तो वह मुकतदी भी सलाम फेर दे जिसकी कोई रकअ्त ना गई हो। हां अगर उसने तशहहुद पूरा ना किया हेा तो इमाम का साथ ना दे बल्कि वाजिब (जरूरी) है कि तशह्हुद पूरा कर के सलाम फेरे।

नमाज़ के मुतह्बात

हालते कियाम में सज्दा की जगह रूकू में पुश्ते कदम (पावं के पीछे) की तरफ, सज्दा में नाक की तरफ, कादा में गोद की तरफ, पहले सलाम में सीधे कंधे की तरफ और दूसरे सलाम में उल्टे कंधे की तरफ नज़र करना, । जमाही आए तो मुंह बंद किए रहना और ना रूके तो कियाम में सीधे हाथ की पुश्त (पीठ) से मुंह ढांक ले। और गैर क़ियाम में बायें हाथ की पुश्त से या दोनों में आस्तीन से। बिला जुरूरत हाथ या कपड़े से मुंह ढांकना मकरूह है। जमाही रोकने का मुजर्रब तरीका यह है कि दिल में ख्याल करे कि अंबिया

अलैहिमुस्सलाम को जमाही नहीं आती थी। इन्शाअल्लाह जमाहि फौरन रूक जाएगी।जहाँ तक हो सके खांसी रोकना, जब हय्य अललफलाह कहे तो इमाम मुकतदी सब का खड़ा हो जाना। दोनों पंजों में चार उंगली का फासिला (दूरी) होना, सज्दा ज़मीन पर बिला हाइल होना।

"मुफ़सिदाते नमाज़ के मसाइल"

(1) नमाज में भूल कर या जान कर किसी से बात करना, किसी को जानकर या भूल से सलाम करना या सलाम का जवाब देना, किसी की छींक का जवाब देना नमाज़ को फासिद कर देता है।

(2) आह, ओह, उफ, तुफ अल्फाज दर्द या तकलीफ की वजह से जुबान से निकले या आवाज़ से रोया और हरूफ पैदा हुए इन सब शक्लों में नमाज़ जाती रही और अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले आवाज़ व हुरूफ नहीं निकले तो हर्ज नहीं (आलमगीरी)

(3) अगर रोने से सिर्फ आंसू निकले आवाज़ व हुरूफ नही निकले, इसी तरह मरीज़ की जुबान से आह, ओह निकली, छींक, खांसी और डकार में जितने हुरूफ मजबूरन निकलते है मुआफ है। यानी इन शक्लों में नमाज़ फासिद नहीं होगी।

(4) नमाज़ के अन्दर खाना पीना मुतलकन नमाज़ को फासिद कर देता है। भूल कर हो या जानबूझकर, थोड़ा हो या ज़्यादा यहां तक कि अगर तिल के बराबर कोई चीज़ बगैर चबाए निगल ली या कोई कतरा उसके मुंह में गिरा और उसने निगल लिया नमाज़ जाती रही।

(5) सीना को क़िबला से फेरना, लगातार तीन बाल अपने बदन के किसी हिस्से से उखेडना, एक रूक्न (जैसे कियाम या रूकू या सज्दा) में तीन बार इस तरह खुजाना कि खुजा कर हाथ हटा लिया फिर खुजाया, फिर हाथ उठा लिया फिर खुजाया। तो इस तरह खुजाने से नमाज़ फासिद हो गई।

(6) एक रूक्न (कयाम या सज़दा या रूकुअ) में तीन बार खुजाया तो नमाज़ जाती रही। इस तरह के खुजा कर हाथ हटा लिया फिर खुजाया और हाथ हटा लिया फिर खुजाया तो नमाज़ गई। लेकिन एक जगह हाथ रख कर चन्द दफा हरकत दी तो एक ही मर्तबा खुजाना कहा जायेगा।

(7) अमले कसीर (यानी ऐसा काम जिसके करने वाले को दूसरे देखकर उसके नमाज़ में ना होने का गुमान गालिब करें) से भी नमाज जाती रहती है।

(8) कुर्आन मजीद देख कर पढ़ना, कुर्आन पाक ऐसा गलत पढ़ना कि जिससे मानी बदल जायें नमाज़ जाती रहती है।

9. नमाज़ी के आगे से किसी का गुज़रना नमाज़ को फासिद नही करता जरूरी तोर पर गुजरने वाला खुद सख़्त गुनहगार होता है। (बहारे शरीअत)

10. साँप बिच्छु मारने से नमाज़ फासिद नही होती जबकि ना तो तीन कदम चलना पड़े ना तीन ज़र्ब (मार या चोट) की हाजत ..। वरना जाति रहेगी मगर मारने कि इजाज़त है। चाहे नमाज़ फासिद हो जाये।

11. मस्बुक (जो एक या ज़्यादा रकात होने के बाद नमाज़ में शरीक हुवा) ने यह ख्याल कर के कि इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिये और सलाम फेर दिया तो उसकि नमाज़ फासिद हो गई। (बहारे शरीअत)

12. दुसरी रकात को चोथी समझ कर सलाम फेर दिया फिर याद आया तो नमाज़ फासिद ना हुई। पुरी पढ़ ले और आख़िर में सज्दाए सह्व कर ले। (बहारे शरीअत)

13. तकबीरे तहरीमा खड़े होकर कहना फर्ज़ है। अगर किसी ने इमाम को रूकु में पाया और अल्लाहु अकबर कहता हुवा रूकु में शरीक हो गया तो उसकि नमाज़ ना हुई। लिहाजा पहले खड़े होकर अल्लाहु अकबर कह कर हाथ बाँध ले फिर दुसरी दफा अल्लाहु अकबर कहते हूए शरीक हो। अगर रूकु में इमाम के साथ मिल गया कमर सिधी हो गई तो यह रकात भी मिल गई। (बहारे शरीअत)

मकरूहाते नमाज के मसले

मकरूहाते तहरीमा :– नमाज में जान बूझ कर मकरूह तहरीमी काम किया नमाज मकरूह तहरीमी हो गइ । और उसको दो बारा पढ़ना ज़रूरी है । मकरूहाते तहरीमी के चंद ज़रूरी मसाइल नीचे लिखे जाते हैं ।

(1) कपड़े या बदन या दाड़ी के साथ खेलना , कपड़ा समेटना जैसा कि आजकल कुछ लोग सज्दा में जाते हुए पाजमा समेट लेते हैं। कपड़ा लटकाना जैसे सर या कंधे पर इसतरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हों यह सब मकरूह तहरीमी है।

(बहारे शरीअत)

(2) रूमाल या शाल या रज़ाई या चादर के किनारे दोनों मुंढो से लटकते हो यह ममनुअ व मकरूह तहरीमी है। और एक किनारा दुसरे मुन्डें (कन्धे) पर डाल दिया और दुसरा लटक रहा है तो हरज नहीं। और अगर एक ही मुन्डे पर डाला इस तरह कि एक किनारा पिठ पर लटक रहा है दुसरा पेट पर जैसे अमुमन इस ज़माने में मुन्ढों पर रूमाल रखने का तरीका है। तो यह भी मकरूह है। (दुर्रेमुख्तार) कपड़ा लटकाना मसलन सर या कन्धे पर इस तरह डालना के दोनों किनारे लटकते हों यह भी मकरूह तहरीमी है।

(बहारे शरीअत)

(3) कोई आस्तीन आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ी हुई हो या नमाज़ पढ़ते में चढ़ाई हो हर तरह से मकरूह तहरीमी है। दामन समेटे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी हैं। (दुर्रे मुख्तार)

(4) सख़्त पेशाब, या पाख़ाना मालूम होते वक़्त या ग़ल्बये रियाह (पीछे से निकलने वाली हवा) के वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है।

(5) कंकरियाँ हटाना मकरूह तहरीमी है। अगर सज्दा सुन्नत तरीके पर अदा न कर सकता हो तो एक बार हटानेकी इजाज़त है और बचना बेहतर और अगर हटाए बग़ैर वाजिब अदा ना हो सके तो हटाना वाजिब है। अगरचे एक बार से ज्यादा की ज़ुरूरत पड़े (शामी)

(6) उंगलियाँ चटखाना, उंगलियों की कैंची बांधना यानी एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मकरूह तहरीमी है। (दुर्रे मुख़्तार)

(7) कमर पर हाथ रखना मकरूह तहरीमी है। नमाज़ के इलावा भी कमर पर हाथ न रखना चाहिए। (बहारे शरिअत)

(8) इधर उधर मुंह फेर कर देखा कि पूरा चेहरा फिर गया या कुछ फिर गया मकरूह तहरीमी हैं। (दुर्रेमुख़्तार) अगर मुंह ना फेरे सिर्फ़ कनखियों से (ऑखें घुमा फिराकर) इधर उधर बिला जुरूरत देखे तो मकरूह तन्ज़ीही है। आसमान की तरफ देखना मकरूह तहरीमी हैं।

(9) किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज़ पढ़ने वाले को मुंह करना भी नाजाइज़ व गुनाह है। यानी अगर नमाज़ी की तरफ से हो तो कराहत नमाज़ी पर वर्ना खुद उस पर। (बहारे शरिअत)

(10) नमाज़ में बेज़रूरत खिंकार (बलग़म वग़ैरा) निकालना मकरूह तहरीमी है।

(11) नमाज़ के किसी वाजिब को छोड़ना मकरूह तहरीमी है। जैसे रूकू व सुजूद में पीठ सीधी न करना, यूँही क़ौमा जल्सा में सीधे होने से पहले सज्दा को चला जाना, कियाम के इलावा किसी और मौका पर कुर्आन पढ़ना या रूकू में कराअत खत्म करना, इमाम से पहले सर उठाना । (बहारे शरीअत)

(12) कुर्ता या चादर मौजूद होने के बावजूद सिर्फ़ पाजामा या तहबंद बाँध कर नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। और अगर दूसरा कपड़ा हासिल नहीं तो मुआफ है। (आलमगीरी)

(13) क़ब्र का सामने होना, अगर नमाज़ी और कब्र के बीच कोई हाईल ना हो तो नमाज़ मकरूह तहरीमी है। (आलमगीरी)

(14) कुफ़्फ़ार के इबादत खानों जैसे मंदिर, गिरजा, वग़ैरा में नमाज़ मकरूह तहरीमी है। क्योंकि वह शयातीन की जगह है। (बहरूर्राइक) बल्कि उनमें जाना भी मना है। इसी तरह बदमज़हब फिरके जिनकी बहमज़हबी कुफ़्र की हद तक पहुँच चुकी हो, उनकी बनाई हुई मस्जिदें जबतक उन्हीं के क़ब्जे में हों उन में नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। (मलफूज़ाते आलाहजरत फाज़िल बरैलवी)

(15) उल्टा कपड़ा पहन कर या ओढ़ कर या कुर्ते वग़ैरा के बटन न लगाना कि सीना खुला रहे। नमाज़ मकरूह तहरीमी होगी । हाँ बटन तो खुले है लेकिन नीचे और कोई लिबास पहना हुआ है जिससे सीना नज़र नहीं आता तो नमाज़ मकरूह तनज़ीही है। (बहारे शरिअत)

(16) नमाज़ शुरू करने से पहले पाख़ाना या पैशाब या रियाह क गलबा (पिछे से निकलने वाली हवा) हो तो वक़्त में गुन्जाईश होते हुये नमाज़ शुरू करना ही गुनाह है। पहले फारिंग होना ज़रूरी है। चाहे जमाअत जाती रहे तो भी कोई हरज नहीं लेकिन अगर देखता है कि कज़ाये हाजत और बजु के बाद वक़्त जाता रहेगा तो अब वक़्त का ध्यान रखना ज़रूरी है ऐसी हालत में नमाज़ पढ़ ले। और अगर नमाज़ के दौरान पाखाना, पैशाब या रियाह (गैस) का गलबा हो जाये तो अगर वक्त में गुन्जाईश है तो नमाज तोड़ देना वाजिब हैं। और नमाज़ तोड़ने का कोई गुनाह नहीं। और ना तोड़ी और इसी हालत में पढ़ ली तो गुनहगार हुआ। (बहारेशरीअत)

नोट :– बहुत से लोग पैंट पहन कर नमाज़ पढते है यह हराम है । (फतवा रज़विया)। अब लोग एक और ज़्यादती यह करते है कि कमीज़ (शर्ट) पेटं में डाले रहते हैं। पेंट खुद ही मकरूह थी अब यह और शरीक होकर डबल हराम हो गया।

(17) मर्द का सज़दों में कलाई बिछाना मकरूह तहरीमी है। (बहारे शरीअत)

(18) कपड़े में इस तरह लिपट जाना के हाथ भी बाहर न हो मकरूह तहरीमी हैं। (सर्दियों में लोग इस तरह शाल वगैरा लपैट लेते हैं।) (बहारे शरीअत)

(19) पगड़ी या साफा इस तरह बाधना के बीच सर पर ना हो यह मकरूह तेहरीमी है। (बहारे शरीअत)

(20) उलटा कुरआन मजीद पढ़ना यानि सूरतो को ख़िलाफे तरतीब पढ़ना मकरूह तेहरीमी है। (बहारे शरीअत)

(21) कयाम (नमाज़ में खड़ा होना) के इलावा और किसी मौका पर यानि रूकु, सजुद काअदा वग़ैरा में कुरआन पढ़ना मकरूह तहरीमी हैं। (बहारे शरीअत)

(22) मुकतदी का इमाम से पहले रूकू व सुजुद वगैरा मे जाना या उससे पहले सर उठाना । (बहारे शरीअत)

(23) जल्दी मे सफ के पिछे ही से "अल्लाहु अकबर" कह कर फिर सफ में दाखिल हुआ यह मकरूह तेहरीमी है।

(24) मुसलमान की ज़मीन ना जाईज तरीके से कब्जा कर लिया उस जमीन पर नमाज मकरूह तेहरीमी हैं।

(25) दुसरों के खेत में जिसमें फसल मौजूद है या जुते हुए खेत में नमाज पढ़ना मकरूह तेहरीमी है।

(26) नमाज में जान बुझ कर जमाही लेना मकरूह तेहरीमी है और खुद आये तो कोई हर्ज नहीं मगर रोकना मुस्तहब हैं। अम्बिया इससे महफ़ूज़ है इसलिये कि इसमें शैतानी मुदाख़िलत है। इस को रोकने की बेहतर तरकीब यह है कि जब आती मालूम हो तो दिल में ख्याल करे कि अम्बिया अलैहि स्सलाम इससे महफ़ूज़ हैं। इस ख्याल के आते ही फोरन रूक जायेगी। (बहारे शरीअत)

(२७) अक्सर लोगों में देखा गया है कि वह नमाज़ के वक्त अपने पाईचों को लौट कर (फोल्ड करके) या पाजामें को इज़ारबंद की जगह से घुरसकर या लौटकर टखनों से ऊँचा कर लेते हैं। इस तरह करना मकरूह तहरीमी है।

(28) जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहन कर नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नमाज़ के इलावा भी ऐसा कपड़ा पहनना नाजाइज़ है। बदकिस्मति से मग़रिबी तहज़ीब (पश्चिमी सभ्यता) की रौ में बहकर आज कल मुसलमान जानदारों की तस्वीरों वाले कपड़े खुद भी पहनते और बच्चों को भी पहनातें हैं। याद रखें बच्चों को पहनाने का गुनाह ख़ुद पहनाने वाले के सर आता है। तस्वीरों की मुमानिअत (मनाही) में सहीह ह़दीस में हैं कि "जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते (सहीह बुख़ारी) अफसोस! हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस खुले इर्शाद के बावजूद आज शायद ही किसी मुसलमान का घर ऐसा होगा जो जानदारों की फोटुओं और खिलौनों से सजा हुआ न हो जब हम खुद ही अपने हाथ से रहमत के फरिश्तों का अपने घरों में दाखिला बंद करें तो फिर बलायें (मुसीबतें) डेरा लगायें तो क्या तअज्जुब है।

तस्वीर के अह़काम

(1) अगर तस्वीर ग़ैर जानदारकी है जैसे नदी,पहाड़,दरख्त वग़ैरा तो

उसमें हर्ज नहीं!

(2) तस्वीर अगर ज़िल्लत की जगह हो जैसे जूतियाँ उतारने की जगह या किसी जगह फर्श पर कि लोग उसे पाँव तले रौंदते हों तो ऐसी तस्वीर के मकान में होने से कराहत नहीं ना ही उससे नमाज़ में कराहत आए जब कि सज्दा उस पर ना हो।

(3) इतनी छोटी तस्वीर कि जमीन पर रख कर खड़े होकर देखें तो जिस्म के टुकड़े दिखाई न दें या तस्वीर तो बड़ी हैं लेकिन उस के चेहरे पर रोशनाई फेरदी या उस के चेहरे को खुरच डाला या तस्वीर कपड़े वग़ैरा के नीचे छिपी हुई हो तो इन सूरतों में कराहत नहीं।

(4) बुज़ुर्गानेदीन की तस्वीर तबर्रुक के लिए रखना हराम है।

(मलफ़ूजाते आला हज़रत फ़ाज़िंल बरैलवी)

(5) तस्वीर बनाना या बनवाना हराम हैं। चाहे हाथ से बनी हुई हो या केमरे से खींची गई हो दोनों का एक ही हुक्म है। (बहारे शरीअत) लेकिन जहाँ मजबूरी है। जैसे पास्पोर्ट, शनाख़्ती कार्ड वग़ैरा के लिए वहाँ बक़दरे जुरूरत बनाने की इजाजत है। (बाज़ आलिमो के फतवे की रू से)

—: मकरूहाते तनज़ीही :—

यानी वह काम जो शरअ के नजदीक पसंद नहीं हैं। उसके करने से नमाज़ हो जाती है। और ऐसी नमाज़ का लौटाना वाजिब (जरूरी) नहीं तो उस के करने से गुनाह नहीं होता ।

(1) सुस्ती से नंगे सर नमाज़ पढ़ना यानी टोपी बोझ मालूम होती हो या गर्मी होती हो, मकरूह तनज़ीहि हैं अगर नंगे सर नमाज़ पढ़ने में खुशूअ आता (दिल लगता) हो तो नंगें सर नमाज़ मुस्तहब है।

मगर अवाम के सामने पढ़ने में इहतियात मुनासिब है। (दुर्रेमुख्तार)

(2) काम काज के कपड़ों से नमाज़ पढ़ना जबकि दुसरे कपड़े हो नमाज़ मकरूह तनज़ीहि है। (दुर्रेमुख्तार)

(3) नमाज में टोपी गिर पड़ी तो उठालेना बेहतर है। जबकि अमले कसीर (कई बार काम) की ज़रूरत ना हो और ना उठाने से खुशअ का इरादा हो तो ना उठाना ज़्यादा अच्छा हैं।

(4) कोई नंगे सर नमाज़ पढ़ रहा हो या उसकी टोपी गिर गई हो तो दूसरे को इजाज़त नहीं कि वह नमाज़ पढ़नेवाले को टोपी पहना दें।

(5) टखनों से नीचें पाइँचे होने मर्द के लिए नमाज़ में मकरूह तनजीही है।

(6) नमाज़ में बे वजह जान बुझकर खासनां, खिंकारना मकरूह तनज़ीही है।

(7) रूकू में सर को पीठ से ऊँचा नीचा करना मकरूह तनज़ीही है। बगैर मजबूरी दीवार पर टेक लगाना मकरूह तनज़ीही है। दायें बायें झूमना मकरूह है, और **तरावेह** यानी कभी एक पॉव पर जोर दिया कभी दूसरे पर यह सुन्नत है।

(8) नमाज़ में आँखें बंद रखना मकरूह तनजीहि है मगर बंद रखनें में खुशूअ आता है तो बंद करना बेहतर. है। (शामी)

(9) जलती आग नमाज़ी के आगे होना कराहत का सबब है। शमा या चिराग़ में हर्ज नहीं। (आलमगीरी)

(10) सज़दा में रान को पैट से चिपका देना मकरूह तन्ज़ीही है।

(11) नमाज़ के लिये दोड़ना मकरूह है।

(12) अपने या पराये के एक दरहम के नुकसान का डर हो मसलन

दूध उबल जायेगा या गोश्त, तरकारी, रोटी, वगेरा जल जाने का डर हो या एक दरहम की कोई चीज चौर उच्चका ले भागा इन सुरतो में नमाज़ तोड़ देने की इजाजत है। (दुर्रेमुख्तार–आलमगीरी)

नमाज तोड़ना कब वाजिब है

कोई मुसीबत का मारा मुसलमान फरयाद कर रहा हो किसी नमाजी को आवाज दे रहा हो या किसी शख्स को पुकारता हो या काई डूब रहा हो। या कोई आग से जल जायेगा। या कोई अन्धा राहगीर कुऍं में गीर जायेगा। तो इन सब सूरतों में नमाज़ तोड़ देना वाजिब है। जबकि यह उसको बचाने पर कादीर हो। (निजामें शरीअत)

माँ बाप की अज़मत

शरीअत ने यह रखी है। कि अगर बेटा निफल नमाज़ पढ़ रहा हो और उन्हें यह मालुम नहीं। ऐसी हालत में अगर वह बेटे को पुकारें तो। उस को हुकम है कि नमाज़ तोड़ कर उन को जवाब दे। (निजामें शरीअत)

सज्दए सह्व का बयान

जब नमाज़ का कोई वाजिब भूले से छूट जाए या किसी फ़र्ज को कई बार किया जाए। जैसे रूकू दो मरतबा करने से फ़र्ज़ या वाजिब में ज़्यादा देर हो जाए जैसे क़ादए अव्वल में तशहहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ ले तो सज्दए सह्व ज़ुरूरी हैं। इस का तरीका यह है कि काअ़दए अख़ीरा में तशाहहुद और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दाये तरफ सलाम फ़ेरकर दो सज्दे करे इसके बाद फिर तशहहुद, दुरूद और दुआ पढ़ कर दानों तरफ सलाम फेर दे। सज्दए सह्व के कुछ ज़रूरी मसाइल यह हैं।

(1) फर्ज़ छूट जाने से नमाज़ जाती रहती है। सज्दए सह्व से

उनकी तलाफी पूर्ती नहीं हो सकती इसलिए फिर से पढ़े। और सुनन व मुस्त हबात जैसे तऔऊज़, तस्मिया, सना, आमीन, तकबीराते इन्तिक़ालात और तस्बीहात के छुट जाने से सज्दए सह्व नहीं बल्कि नमाज़ हो गई। (रद्दुल मुहतार, गुनिया)

(2) एक नमाज़ में कई वाजिब छूट गये तो वही सज्दे सबके लिए काफी हैं। (रद्दुलमुहतार)

(3) जान बुझ कर कोई वाजिब छोड़ा तो सज़दाये सह्व से उसकी तलाफी (पूर्ति) न होगी। बल्कि नमाज़ को दोबारा पढ़ना वाजिब हैं। इसी तरह अगर भूल से वाजिब तर्क हुआ और सह्व न किया जब भी नमाज़ दोबारा पढ़ना वाजिब हैं। (बहारे शरिअत)

(4) कोई ऐसा वाजिब तर्क हुआ जो वाजि बात नमाज़ से नहीं बल्कि यह नमाज़ के इलावा वाजिब हो तो सज़दाऐ सह्व नहीं। मसलन ख़िलाफे तरतीब **कुरआन मजीद पढ़ना तर्क वाजिब है। और तरतीब के मुताबिक पढ़ना तर्क वाजिबातें तिलावत् से हैं।** वाजिबाते नमाज़ से नहीं। इसलिये सज़दाऐं सहव वाजिब न होगा।

(बहारे शरीअत)

(5) सज़दाऐ सह्व के बाद भी अत्ततहिय्यात (पुरी) पढ़ना वाजिब है। और बहतर यह है कि पहले काअदा में अत्तहिय्यात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ कर सलाम फेरे सज़दाये सहव करें। और फिर दौबारा अत्तहिय्यात और दुरूद शरीफ व दुआ पढ़ कर सलाम फेरे । और यह भी इख़्तियार है कि पहले "अत्तहीय्यात" व दूरूद पढ़े और दूसरे में "अत्तहिय्यात" पढ़ कर सलाम फेरे ले। (बहारे शरीअत)

(6) जुमा व ईदैन मैं "सह्व" वाके हुआ। और जमाअत कसीर (बड़ी) है तो बेहतर यह है कि सज़दाऐ सहव ना करें। (बहारे शरीअत)

(7) किराअत वग़ैरा किसी मोके पर (नमाज़ में) सोचने लगा। और

इस सोचने में बकदर एक रूकन यानि तीन बार "सुबहान अल्लाह" कहने में जितनी देर लगती हैं। उतनी देर लगी तो सज़दाऐं सहव वाजिब है। (बहारे शरीअत)

(8) अगर मुकतदि से जब वह ईमाम के पिछे नमाज़ पढ़ रहा है। सहव (गलती, भूल) हो गई। तो सज़दाऐ सहव वाजिब नहीं। और इसके जिम्में नमाज़ का "ईआदा" (वापीस लौटाना) भी नहीं। (बहारे शरीअत)

(9) सज़दाऐ नमाज़ या सज़दाऐं तिलावत बाकी था। या सज़दाऐ सहव करना भूल कर सलाम फैर लिया तो जब तक कोई ऐसा काम न किया या हुआ जिसंसे नमाज़ फासीद हो जाती है। तो अब सज़दा कर ले। (बहारे शरीअत)

(10) सूराऐ फातीहा यानि "अलहम्द" के बाद सुरत पढ़ी उसके बाद फिर "अलहम्द" पढ़ी तो सज्दाऐं सहव वाजिब नहीं। (बहारे शरीअत)

(11) फर्ज़ की पिछ़ली दो रकअतों मे फातीहा यानि "अलहम्द" (पूरी सूरः) को बार-बार पढ़ने से सज़दाऐ "सहव" वाजिब नहीं। (बहारे शरीअत)

(12) फर्ज़ की पिछली दो रकअतों में "अलहम्द" के साथ कोई सूरत और मिलाई या पिछली रक्अतो में अलहम्द ना पढ़ी तो दानो सूरतो में सज़दाऐं सहव नहीं। (बहारे शरीअत)

(13) मसला :- वाजिब अदा करने में देर की, फ़र्ज को वक़्त से पहले या देर से करना या इसको दो बार करना या वाजिब में फैर बदल यह सब भी वाजिब का तर्क है। और इन सब से सज़दाऐ सहव करना होगा। (बहारे शरिअत)

(14) मसला :- फर्ज़ की पहली दो रकातो में और निफल व वित्रा की किसी भी रकात में सुराः अलहम्द की एक आयत भी पढ़ने से रह गई। या सुरत से पहले दो बार अलहम्द पढ़ी। या सूरत मिलाना

भूल गया या सूरत को फातिहा (अल्हम्द) से पहले पढ़ ली। या अलहम्द के बाद एक या दो छोटी आयतें पढ़ कर रूकू में चला गया फिर याद आया और लौटा और तीन आयतें पढ़ कर रूकू किया तो इन सब सूरतों में सजदाऐ सहव वाज़िब है।

(15) मसला :– फर्ज़ की पिछली रकातों में सूरत मिलाई तो सजदाऐ सहव नहीं। और जानबूझ कर मिलाई जब भी हर्ज नहीं।

(16) मसला :– इस तरह फर्ज़ की पिछली रकातों में अलहम्द ना पढ़ी जब भी सज़दाऐ सहव नहीं। और रूकू , सजूद, व क़ादा में कुरान पढ़ा तो सज़दाऐ सहव वाजिब है। (आलमगीरी)

(17) मसला :– फर्ज़ में पहला क़ाअदा भूल गया तो जब तक सीधा खड़ा ना हो लौट आये। और सज़दाऐ सहव नहीं। और सीधा खड़ा हो गया तो ना लौटे और आखीर में सज़दाए सहव करले। और अगर सीधा खड़ा होकर लौटा तो सज़दाए सहव करे और सही मज़हब में नमाज़ हो जायेगी। मगर गुनाहगार हुआ। लिहाज़ा हुक्म है कि अगर लौटे तो फोरन वापस खड़ा हो जाये।

(दुर्रेमुख्तार–गुनिया–बहारे शरीअत)

(18) मसला :– पहले कादा में तशाहुद के बाद इतना पढ़ा "अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद" तो सज़दाऐ सहव वाजिब है। इस वजह से नहीं कि दुरूद शरीफ पढ़ा बल्कि इस वजह से कि तीसरी के क़याम में देरी हुई।

सज्दा ए तिलावत का बयान

सज्दा ए तिलावत से मुराद वह सज्दा हे जो चौदह आयते सज्दा में से किसी एक आयत को पढ़ने या सुनने से वाजिब होता है। सज्द ए तिलावत के कुछ जुरूरी मसले यह हैं।

(1) सज्दा ए तिलावत का तरीका यह है कि खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाऐ और कम से कम तीन बार सुब्हान रब्बी यल अअला'' कहे। फिर "अल्लाहु अकबर" कहता हुआ खड़ा हो जाये। पहले और बाद में दोनों बार अल्लाह अकबर कहना सुन्नत है। और खड़े होकर सजदा में जाना और सजदा के बाद खड़ा होना यह दोनों कियाम मुस्तहब है। (आलमगीरी दुर्रेमुख्तार)

(2) आयते सज्दा नमाज में पढ़ी तो फौरन सज्दा करना वाजिब है। और नमाज के इलावा पढ़ी तो फौरन सजदा करना वाजिब नहीं। मगर बेहतर है कि फौरन कर ले जब कि वुजू तैयार हो बिला वजह देर करना मकरूहे तनज़ीही है।

(3) एक आदमी दूसरे आदमी के लिए सज्दा कर दे। तो अदा नहीं हो सकता आजकल आम लोगों मे मशहूर है कि जिस के घर पर कुर्आन खवानी होती हो। वहीं चौदह सज्दे करे बाकियों पर वाजिब नहीं यह बिलकुल गलत है।

(4) सज्दा ऐ तिलावत की तकबीर यानि अल्लाहू अक्बर कहते वक्त हाथ ना उठाये। ना इसमें काअदा में बैठना है। ना सलाम फैरना है। सज्दा के बाद तकबीर कहता हुआ खड़ा हो जाये। और सज्दा में कम से कम तीन बार "सुबहान रब्बीयल अआला" पढ़े। अव्वल व आखीर दोनो बार तकबीर कहना सुन्नत है और खड़े होकर तकबीर कहना फिर सजदे में जाना और सज्दे के बाद खड़ा होना ये दोनो कयाम मुस्तहब हैं। (बहारे शरीअत)

सज्दा ए तिलावत में तकबीरे तहरीमा यानि अललाहु अक्बर कह कर हाथ बाधनें के इलावा वह सभी शर्ते हैं। जो नमाज़ के लिये बयान् की गई। यानि पाक होना, क़िबला रूख होना निय्यत होना सतर औरत

और सजदा उसी तरीके से करना की नाक व पैशानी की हड्डी ज़मीन पर जमी हुई हो। पावों की दसो उगंलियों के पेट ज़मीन पर जमें हुऐ हों। वगैराह वगैराह। (निजामे शरिअत)

(5) मसला :– इसकी नियत में ये शर्त नहीं कि फुला आयत का सजदा करता हूँ। बल्कि मुतलकन सजदाऐ तिलावत की निय्यत काफी है। (बहारे शरिअत)

(6) जो चीजे नमाज़ को फासिद करती हैं। उनसे सजदाऐ तिलांवत भी फासिद हो जाता है। (बहारे शरिअत)

(7) मसला :– नमाज़ में आयते सज्दा पढ़ी तो इसका सज्दा नमाज़ ही में वाजिब है। नमाज़ के बाहर नहीं हो सकता । और जान बुझ कर न किया तो गुनाहगार हुआ। (बहारे शरिअत)

(8) मसला :– एक मजलिस में सज्दा की एक आयत को बार बार पढ़ा या सुना तो एक सजदा वाजिब होगा। लेकिन मजलिस बदल गई यानि तीन लुकमें खा लीये या तीन घुँट पानी पी लीया, या तीन कलमें बोले, या तीन कदम मैदान में चलने से या खरीद से या खरीद फरोख्त करने से या लेट कर सो जाने से मजलिस बदल गई। लिहाजा फिर वही आयते सज्दा पढ़ी या सुनी तो फिर एक सज्दा और वाजिब हो गया। (बहारे शरिअत)

आयते सजदा का एक अजीमुश्शान अमल

जिस मकसद के लिये एक मजलिस में सज्दा की सब आयते पढ़े। फिर सब सजदे करे। अल्लाह तआला उस का मकसद पुरा फरमायेगा। चाहे एक एक आयत पढ़ कर उसका सजदा करता जाये। या सब पड़ कर आख़ीर में चौवदह सजदे कर ले। (बहारे शरिअत)

सज़दा ऐ शुक्र

औलाद पैदा हुई या माल पाया या गुम हुई चीज़ मिल गई। या मरीज़ ने शीफा पांई या मुसाफिर वापिस आया या किसी और नैअमत के मिलने पर सज्दा किया तो उस को सज्दा ऐ शुक्र कहते हैं। इसका करना स्वाब है। और इसका तरीका वही है जो सज्दा ऐ तिलावत का है।

नमाजे वित्र का बयान

नमाजे वित्र वाजिब है। अगर यह छूट जाए तो उस की कज़ा लाजिम व ज़रूरी हैं। चाहे कितना ही ज़माना व वक़्त गुज़र जाये। जिस तरह फर्ज़ की कज़ा पढ़ना ज़रूरी है । इसी तरह वितर की कज़ा पढ़ना भी ज़रूरी है। और ना पढ़ना गुनाह है। इस का वक्त इशा के फर्ज़ो के बाद से सुबह सादिक तक है। बेहतर यह है कि आखिरे रात में तहज्जुद के साथ पढ़ी जाएं। लेकिन जिस को खौफ हो कि उठ नहीं सकेगा। वह इशा की नमाज के साथ सोने से पहले पढ़ले। इस की तीन रकअ्तें हैं, दो रकअ्त पढ़ कर काअदा किया जाए और तशाहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ कर खड़ा हो जाए। तीसरी रकअ्त में तस्मिया, (बिस्मिल्लाह) फातिहा (अल्हमद) और सूरत पढ़ कर दोनों हाथ कानों तक उठाए और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ बाँध ले और दुआए कुनुत पढ़े यह वाजिब है।

दुआए कुनूत

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ

وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ
وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ
يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ
وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ
وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

"अल्ला ुम्म इन्ना नस्तअीनुक व नस्तगफिरूक व नुमिनु बिक व नतवुककलु अलैक व नुसनी अलैकल ख़ैर वनशकुरूक वला नकफुरूक व नखलउ व नतरूकु मंय्यफजुरूका अल्लाहुम्मयइय्याका नअ़बुदु वलक नुसलली वनस जुदु व इलैयक़ा नसआ व नहफिदु व नरंजू रहमतक व नखशा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिल कुफ्फारि मुलहिक"

तरजुमाः— ऐ अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं और तुझसे बख्शिश माँगते हैं। और तुझ पर ईमान लाते हैं। और तुझ पर भरोसा रखते हैं। और तेरी बहुत अच्छी तारीफ करते हैं। और तेरा शुक्र करते हैं और तेरी ना शुकरी नहीं करते।और अलग करते हैं और छोड़ते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। ऐ अल्लाह हम तेरी ही एबादत करते हैं। और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते और सज़्दा करते हैं। और तेरी ही तरफ दौड़ते और खिदमत के लिए हाज़िर होते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं।और तेरे अज़ाब से डरते हैं।

बेशक तेरा अज़ाब काफिरों को मिलने वाला है।

जो दुआए कुनूत ना पढ सके वह यह दुआ पढ़े "रब्बना आतिना फिददुनियां हसनतौं व फिलआख़िरति हसनतौं व क़िना अज़ाबन्नार"

1. भूल कर पहली या दूसरी रकअ्त में दुआए कुनूत पढ़ ली तो तीसरी में फिर पढे।

2. अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया और रूकू में चला गया तो वापस ना लौटे बल्कि सज्द ए सह्व करे।

3. वित्र जमाअत से पढ़ी जा रही हो जैसा कि रमजान में पढ़ते हैं और मुकतदी कुनूतं से फारिग ना हुआ था कि इमाम रूकू में चला गया तो मुकतदी भी रूकू में चला जाऐ।

4. वित्र की नमाज बैठ कर या सवारी पर बगैर उज़र मजबुर नहीं हो सकती।

5. वित्र की तीनों रकअतों में मुतलकन कराअत फर्ज़ है। और हर रकअत में फातीहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। तीसरी रकअत में किराअत से फारिंग होकर रूकुअ से पहले कानो तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहे। जैसे तहरीमा में करते हैं। फिर हाथ बांध ले और दुआऐ कुनुत पढ़े और दुआऐ कनूत के बाद हुजुर स्वलल ला हु अलैयही व सललम पर दुरूद भी पढ़े। और दुआये कुनुत याद ना हो तो "रब्बना आतीना फिददुनिया हसनतँव व फिल आखिरति हसनतौं व किना अजाबन्नार" पढ़ ले। और यह भी याद ना हो तो तीन बार "सुबहान अल्लाह" पढ़ ले। मगर दुआऐ कुनूत याद करना ज़रूरी है। (गुनिया रद्दुल मुहतार)

वित्र का एक ज़रूरी मसला

जिस ने फर्ज़ तन्हा (अकेले) पढ़े वितर की जमाअत में शरीक न होगा। रमजानुल मुबारिक में ऐसा होता है कि फर्ज़ इमाम के साथ ना पढ़ सका तो वित्रा की जमाअत में भी शरीक न हो अलग पढ़े।

(बहारे शरिअत)

इमामत का बयान

यहां इमामते से मुराद (मतलब) इमामत नमाज़ है। और यहां इमामते नमाज के ही मसाईल बयान किये जायेगें।

इमामत के यह मानी हैं कि दुसरे की नमाज का इस की नमाज़ के साथ वाबस्ता (मिला हुआ होना) होना।

मसला:– मर्द गैर माजुर (जो किसी वजह से माजूर या कोई मजबूरी ना हो) के लिये छः शर्ते है।

(1) इस्लाम (यानि मुसलमान होना)

(2) बालिग़ (ना बालिग़ के पिछे नमाज़ ना होगी। चाहे हाफिज़ व क़ारी वग़ैरा कुछ हो)

(3) आकिल होना (पागल शख्स इमाम नही हो सकता)

(4) मर्द होना (यानि औरत मर्दो की इमाम नहीं हो सकती)

(5) किराअत (यानि कुरआन को सही तरीके से पढ़ना जानता हो)

(6) माजुर ना होना (माजुर शख्स इमाम नहीं हो सकता)

मसला :– जो शख्स किराअत गलत पढ़ता हो जिस से मानी फासीद हो या वजु या गुसल सही न करता हों। जो ज़रूरियाते दीन से किसी चीज़ का इन्कार करता हो जैसे बहाबी, देवबन्दी,

राफज़ी शीया, बोहरा, गैर मुकललीद नेचरी, कादयानी वग़ैरा इन सब के पिछे नमाज बातिल है। (यानि नमाज नहीं होगी चाहे फर्ज़ हो या वाजिब यहां तक की जुमा भी इनके पीछे ना पढ़े। बल्कि ऐसा इमाम हो तो जुमा को छोड़ना, फ़र्ज है। अलग नमाज़ ज़ोहर अदा कर ले। (फतावा रज़वीया शरीफ)

(1) इमाम सहीह अकीदा का सुन्नी, परहेज़गार,, पाबंदे शरीअत सही कुरआन पढ़ने वाला और नमाज़ व तहारत (पाकी) के मसाइल ज़्यादा जानने वाला होना चाहिए।

(2) वह बद मजहब जिसकी बदमज़हबी कुफ्र की हद तक पहुँच गई हो, जैसे राफजी, अगर्चे सिर्फ सिद्दीके अकबर रज़िअल्लाहु तआला अनहु की खिलाफत या सुहबत से इनकार करता हो या हज़रते सिद्दीक व हजरते उमर रज़िअल्लाहु तआला अनहुमा की शान में तबर्रा गालियाँ कहता हो। क़दरी (तकदीर का इनकार करने वाला) वग़ैरा या वह जो शफाअत या दीदारे इलाही या अजाबे कब्र या किरामन कातिबिन का इनकार करता हो उनके पीछे नमाज नहीं हो सकती। (आलमगीरी, गुनिया) इस से सख़्त हुक्म इस ज़माने के वहाबियों के लिए है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते या तौहीन करने वालो को अपना पेशवा (अगुवा) या कम से कम मुसलमान ही जानते हो तो इन सब के पीछे नमाज़ नहीं होगी। (बहारे शरीअत)

(3) बदमज़हब जिसकी बदमज़हबी कुफ्र की हद तक न पहुँची हो और फासि के मुअलिन जैसे शराबी, जुआरी, ज़िनाकार, सूदखोर, चुगुल खोर वग़ैरा जो गुनाहे कबीरा (बड़ा गुनाह) सरे आम करते है। उनको इमाम बनाना गुनाह और उनके पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी और उसका दोबारा पढ़ना वाजिब। (दुर्रेमुख्तार रद्दुलमुहतार)

ऐसे शख्स को ना फ़र्ज नमाज में ना तरावीह में ना नफ़लों में किसी नमाज़ में इमाम नहीं बना सकते है। यही हुक्म दाढी मुंढे या हद्देशरा से कम रखने वाले का है। (बहारे शरिअत–फतवा रज़विया)

मसला :– फासीके मुअ़लिन (ऐलानिया गुनाह के काम करनेवाला) जैसे दाड़ी मुण्डा या हद्दे शरअ से कम रखने वाला, खशखशी दाड़ी रखने वाला, या कन्धों से नीचे औरतो के से बाल रखने वाला, खास तौर से वह जो चोटी गुन्धाऐ, रेशमी (रेशम का) कपड़ा पहनने वाला या गोटा किनारी की मुगरक जो चार उगल चोड़ी काम वाली टोपिया कपड़ा हो पहनने वाला, साड़े चार माशा या उससे ज़्यादा वज़न की चांदी की अगुंठी पहनने वाला या कई अगुठीयों को पहनने वाला, या कई नंग की अगुठी पहनने वाला हो। सोने ताँबे पीतल या किसी और धातू की अगुंठी पहनने वाला, शराबी, जुआरी, सट्टा खेलने वाला, चुगल खोर, चोर, सुदखोर (ब्याज खाने वाला) नाच देखने वाला, फहश गालियाँ बकने वाला टी.वी. देखने वाला, कव्वाली सुनने वाला गाने सुनने वाला, वहाबियो, शीयाओं, बोहरो के साथ दौस्ती रखने, उठने बैठने या खला मला रखने वाला, झुठ बोलने वाला। मुसलमानो को सताने व तकलीफ देने वाला। ना हक मुसलमानों को सताने व तकलीफ देने वाला। नाहक झगड़ा करने वाला। वग़ैरा वग़ैरा यह सब फासिके मुअलिन हैं। इन में से एक काम भी करने वाले ईमाम के पिछे नमाज़ मकरूह तहरीमी है। और अगर पढ़ ली तो तोबा करके नमाज़ वापस दोहरायें। क्योंकि **फासिक** के पीछे पढ़ी नमाज़ को दोहराना वाजिब है। (खुलासा फतावा रिज़विया, बहार शरीअत, निजामें, शरीअत, दुर्रेमुख्तार, रद्दुलमुहतार)

मसला:– अगर कुरआन मजीद ऐसा गलत पढ़ता है कि जिस से नमाज **फासिद** --- होती है। मसलन तो – ते – शीन – सीन

– से – स्वाद – अलीफ – हमज़ा – ऐन – है – है – ज़्वाद – ज़ाल – ज़ो मे कोई फर्क नही करता। ऐन भी अलीफ की तरह अदा करता है। वगैंरा तो उसके पीछे नमाज़ बातील(खारीज) है। इस सूरत में उसके पीछे नमाज़ नही पढ़ना चाहियें।

और यह जमाअत का तर्क करना नहीं यानि इस वजह से जमाअत का छोड़ने वाला गुनाह गार नही बल्कि फर्ज़ है कि अलग पढ़ें।

इसी तरह अगर इमाम का वजु या गुसल ठीक नहीं जब भी उसके पीछे नमाज़ ना पढ़े। बल्कि अपनी नमाज़ अलग पढ़ना फर्ज़ है। (फतावा रज़विया, बहारे शरीअत, निज़ामे शरीअत, कानूने शरीअत)

मसलाः– सूद खौर और रिश्वत खोर और झुठी गवाही देने वाला और जान बूझ कर बाज औकात (किसी किसी वक्त) नमाज़ छोड़ने वाला और जिस की औरत बे पर्दा निकलती हैं। और उसे मना नहीं करता ना रोकता है। तो इन सब को इमाम बनाना गुनाह और इनके पीछे नमाज़ मकरूह तेहरीमी है। कि पढ़ना गुनाह और पढ़ी हो तो तोबा करे और नमाज दोहराना वाजिब हैं।

(बहारे शरिअत कानूने शरीअत)

मसलाः– मूसलमानो से बिला वजह किना व बुगज़ रखना हराम। और बिलावजह व मसलिहते शरअ तीन दिन से ज़्यादा तर्क सलाम व कलाम भी हराम है। और ऐसा शख्स फासिके मुअलिन है ऐसे को इमाम बनाना या ऐसे के पिछे नमाज़ पढ़ना हराम है।

(फतावा रज़विया)

मसला :– नाबालिग़ शख्स बालिग़ों की ईमामत किसी भी नमाज में नहीं कर सकता। चाहे तरावीह हो या कोई और नमाज।

अकसर रमजानुल मुबारिक में ना बालीग हाफीज को इमाम मुकर्रर कर दिया जाता है। उनके पीछे बालिग़ की नमाज नहीं हो सकती।

अगर पढ़ी तो नमाज ना हुई। (फतावा रज़विया)

तम्बीह

अवाम में यह जाहिलाना बात मशहूर है कि दाढ़ी रखना सुन्नत और ना रखों तो कोई गुनाह नहीं। हालॉकि ज़्यादा हदीसों में इसकी ताकीद आई है और इमामे आअ़ज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के नज़दीक दाढ़ी रखना वाजिब, मुंडाना या एक मुश्त (मुठी) से कम रखना हराम है। (दुर्रेमुख्तार)

इसी तरह यह भी मशहुर है कि "बुज़ुर्गाने चिश्त भी ढोल, सारंगी, वग़ैरा हराम बाजो के साथ कव्वाली सुनते थे" मुआज़ अल्लाह यह बात उन पाक बुजुर्गो पर बिलकुल झूंठी तोहमत है।

इन बुजुर्गो की कव्वाली मज़ामीर (ढोल, सारंगी वग़ैरा हराम गाजो बाजो से) पाक थी। यहां तक की कव्वाल को तालीयाँ बजाने की भी इजाज़त नहीं थी। (जो तफसील देखना चाहे वह हज़रत निजामुद्दीन औलिया के खलीफा की लिखी किताब फवाई–दुल –फवाद शरीफ और आला हज़रत के फतावा रिज़विया को पढ़े।)

लिहाज़ा जो शख्स चाहे वह कैसा ही पीर, फक़ीर, हो जो कव्वाली सुनता हो उस के पीछे नमाज़े पढ़ना हराम है। और पढ़ी हो तो दोहराना वाजिब और फिर भी बगैर तोबा किये छुटकारा नहीं।

(फतावा रज़विया)

और खुदा का गज़ब यह है कि ऐसे लोग (पीर) इस हराम को (कव्वाली को) हलाल कहते हैं। और जो सख्श हराम को हलाल ठहराये वह काफीर हो जाता है। काश हराम को हराम ही कहते तेा इमान तो ना जाता।

हदीस शरीफ में है कि फरमाया हुजुरं ने कि ऐसा ज़माना आने वाला है कि लोग हलाल ठहरा लेगे ज़िना को और बाजो को"

हराम कार को इमाम या पीर बनाना ही हराम है। ऐसी जहालत से बचो अन्हें छोड़ कर कीसी अच्छे पाबन्दे शरीअत साहीबे सिलसिला। अक़ाईद का अच्छा आलिम गैर फासिक पीर से बैअत करना चाहिये।

मसला :– किसी शख्स की ईमामत से लोग किसी शरइ वजह से नाराज़ हो तो उस का इमाम बनना ही हराम है।

(दुर्रेमुख्तार) (बहारे शरीअत)

मसला :– माजुर (मजबुरी वाला) अपने जैसे या अपने से ज़्यादा उज़र (मजबुरी वाले) वाले की इमामत कर सकता है। कम उज़र वाले की इमामत नहीं कर सकता। और इमाम व मुकतदी दोनों को दो किसम के उज़र हो मसलन एक को रियाह (पीछे से हवा खारीज हो ने की बीमारी हो जिसको गेस्टरिक ट्रबल कहते है।) का मर्ज़ है। दुसरे को क़तरा (पैशाब का कतरा बार बार आता रहता हो) आने का तो एक दुसरे की इमामत नहीं कर सकता। यानि इन बिमारियों से वज़ु ना ठहरता हो और नमाज़ भी वज़ु के साथ ना पढ़ सके तो वह माज़ुर है।
(आलमगीरी–बहारे शरीअत)

माजुर किस को कहते हैं।

हर वह शख़्स जिसको ऐसी बिमारी है कि एक वक्त पुरा नमाज़ का ऐसा गुज़र गया कि वज़ु के साथ नमाज़ फर्ज़ अदा न कर सका। वह माज़ुर है। माज़ुर का हुकम यह है कि वक़त में वजु करले और आखीर वक़त तक जितनी नमाज़े चाहे उस वज़ु से पढ़े। इस बिमारी से वज़ु नहीं जायगा। जैसे कतरा का मर्ज़ या दस्त

या हवा खारिज होना या दुखती आंख से पानी गिरना या फोड़े नासुर से हर वक़्त रतुबात बहना या कान नाक या पुस्तान से पानी निकलना। नमाज़ का वक़्त खत्म होने से माज़ुर का वज़ु टूट जायेगा। जब दुसरी नमाज़ का वक़्त आये तो फिर वज़ु करे। अगर माज़ुर को ऐसी बिमारी है जिस के सबब कपड़े नज़िस (नापाक) हो जाते हैं। तो अगर एक दरहम से ज़्यादा नापाक हो गया और जानता है कि इतना मौका है कि उसे धो कर पाक कपड़ो से नमाज़ पढ़ लूंगा तो धो कर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज है। और अगर जानता है कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते फिर इतना ही नजिस (नापाक) हो जायेगा तो धोना ज़रूरी नहीं उसी से पढ़े। और अगर दरहम के बराबर है । तो पहली सूरत में धोना वाजिब है। और अगर दरहम से कम है तो सुन्नत और दुसरी सूरत में मुतलक ना धोने में कोई हरज नहीं। (बहारे शरीअत)

मसला :– पाक शख्स माज़ुर के पीछे नमाज नहीं पढ सकता। (बहारे शरीअत)

मसला :– माज़ुर अपने ही जैसे दुसरे माज़ुर का ईमाम हो सकता है। मसलन जिस का वज़ु रियाह की वजह से कायम ना रह सकता हो वह ऐसे ही का ईमाम हो सकता है। मगर पैशाब का कतरा आने वाले का इमाम यह नहीं हो सकता। (बहारे शरीअत)

मसला:– इमाम की नमाज़ खुद इमाम के ही गुमान में सही हो। और मुकतदी के गुमान में इमाम की नमाज़ सही नहीं तो उसकी इकतेदा सही नहीं है। (बहारे शरीअत)

मसला :– फासिक की इकतिदा ना की जाये। मगर सिर्फ जुमा में कि उसमें मजबुरी है। बाकी नमाज़ो में दुसरी मस्जिद को चला जाये। और जुमा अगर शहर में ओर जगह भी होता है तो उसमें

भी इकतिदा ना की जाये। और दूसरी मस्जिद में जाकर जुमा पढ़ें।
(बहारे शरीअत)

जमाअत का बयान

हुजूर स्वलल्लाहु अलैयहि व सल्लम ने फरमाया नमाज़ बाजआमत, (तन्हा) अकेले पढ़ने से सत्ताईस दर्जा बढ़ कर है।
(बुखार व मुस्लिम)

जमाअत के कुछ जरूरी मसाइल यह है।

1. मर्द आकील व बालिग, आज़ाद, कादिर (गैरमजबूर) पर जमाअत वाजिब है। बिला मजबूरी एक बार भी छोड़ने वाला गुनाहगार और सजा का मुस्तहक है। और कई बार छोड़ने वाला मरदुर्दुश शहादत (गवाही के लाइक नहीं) और उसको सज़ा दी जाएगी अगर पड़ोसियों ने सुकूत (चुप रहे) किया वह गुनाहगार होंगे। (दुर्रेमुख्तार)

जमाअत छोड़ने की मजबूरियां

1. मरीज जिसे मस्जिद तक जाने में मुशक्कत (तकलीफ) हो। 2. अपाहिज जिसका पांव कट गया हो, 3 जिस पर फालिज गिरा हो। 4 इतना बूढ़ा कि मस्जिद तक जाने में मजबूर हेा, 5. आँधी, 6. सख्त अंधेरा, 7. सख्त बारिश, 8 ज्यादा कीचड़ पाया जाना, 9. माल या 10. खाने के नुकसान होने का खतरा है। 11 कर्ज ख्वाह का डर है और यह तंगदस्त है। 12. ज़ालिम का खौफ, 13. पखाना 14 पेशाब या 15 रियाह की जरूरत शदीद है । 17 खाना हाज़िर है और नफ्स को उसकी चाहत हो, 18 गाड़ी के चले जाने का खतरा हो। 19 मरीज की तीमारदारी, कि जमाअत के लिए जाने से उसे तकलीफ होगी। और वह घबराएगा, यह सब जमाअत छोड़ने क लिए उज़्र व मजबूरियाँ है। (दुर्रेमुख्तार) यानी इन वजहो से जमाअत छोडने का गुनाह नहीं।

3. वालिदैन जमाअत से मना करें तो ना रूके बल्कि जमाअत से ही नमाज़ पढ़ें। मअसीयत (गुनाह में) किसी की इक्तिदा नहीं की जाएगीं।

4. मसबुक (जिसकी कोई रकअत छुट जाये और वह बाद में जमाअत में शरीक हुआ हो) ने इमाम के साथ जान बुझ कर सलाम फेरा यह सोच कर कि मुझे भी इमाम के साथ सलाम फैरना चाहिये तो नमाज़ फासीद हो गई। और अगर भूल कर सलाम फैरा तो अगर इमाम के सलाम के थोडी देर बाद सलाम फेरा तो सज़दाऐ सहव लाजीम है। और बिलकुल साथ भूल से फैरा तो सज्दा ऐ सहव भी नहीं। (बहारे शरीअत)

5. मसला:— सफ में एक दुसरे से कंधा से कंधा मिला कर खड़ा हो कि बीच में जगह न छुटे। अपनी दोनों ऐड़ीयों के बीच में चार उंगल का फासला रखें और सफ तीर की तरह सीधी रखें।

सफ में खड़े हो तो पांव की ऐडियां एक ही सीध में रखें। उँगलियां सबों ने बराबर एक सीध में रखी तो चूकि पांव छोटे बड़े होते हैं इसलिये सफ सीधी ना रहेगी। इसका खास ख्याल रखें। पांव भी सीधें ही रखें। (बहारे शरीअत)

6. मसला:— मस्जिद मोहल्ला का इमाम मुआज़ अल्लाह ज़ानी (हराम कार) या सूदखोर यानि फासिके मुअलीन ऐलानिया गुनाह करने वाला वग़ैरा हो जैसा कि पहले बयान हुआ या उसमें ऐसी खराबी हो जिसकी वजह से उसके पीछे नमाज़ मना हो तो मस्जिद छोड़ कर दुसरी मस्जिद को जाये। (बहारे शरीअत)

७. मसला:- इमाम ने अल्लाह अकबर कहा और मुकतदि ने इमाम के लफज अकबर खत्म करने से पहले अकबर को पढ़कर शरीक हुआ तो उसकी नमाज़ ना हुई। अकसर लोग जल्दी में इमाम की तकबीर का लफज खत्म होने से पहले अल्लाह अकबर कह कर नियत बांध लेते है। इनकी नमाज़ नही होती। (बहारे शरीअत)

8. मसला:— औरतो को किसी नमाज़ में जमाअत की हाज़री जाईज़

नहीं। दिन की नमाज़ हो या रात की जुमा हो या ईदैन। चाहे वह जवान हो या बुढियाँ यूँ ही वाअज की मजलिस में भी जाना ना जाईज है।

(दुर्रे मुख्तार) (बहारे शरीअत जिल्द सौम पेज 131)

9. अकेला मुकतदी मर्द अगरचे लड़का हो इमाम के बराबर दाहनी तरफ खड़ा हो। बायें तरफ या पिछे खड़ा होना मकरूह है। दो मुकतदी हो तो पीछे खड़े होना चाहिये बराबर खड़ा होना मकरूह तन्जीही है। दो से ज़्यादा आदमीयों का इमाम के बराबर खड़ा होना मकरूह तेहरीमी हैं (दुर्रे मुख्तार)

10. इमाम के बराबर खड़े होने के यह मानी है कि मुकतदी का कदम इमाम से आगे ना हो। सर के या उगंलियों के आगे पिछे होने का ऐतबार नहीं पावं का गट्टा (टखना) इमाम के टखने (गट्टे से पिछे होना चाहिये)। (बहारे शरिअत)

11. एक शख्स इमाम के बराबर खड़ा था। फिर एक और आया तो इमाम आगे बढ़ जाये और वह आने वाला उसी मुकतदी के बराबर खड़ा हो जाये या वह मुकतदी पिछे हट आये खुद या आने वाले ने उसे खीचां। चाहे तकबीर के बाद या पहले यह सब सूरते जाईज है। जो हो सके करे और सब ही तरीके मुमकीन हो तो इखतियार है। मगर मुक़तदी जबकी एक हो तो उसका पीछे हटना अफजल है। और दो हो तो इमाम का आगे बढ़ना। अगर मुकतदी के कहने से इमाम आगे बढ़ा या मुकतदी पीछे हटा इस निय्यत से कि यह कहता है इसकी मानू तो नमाज़ फासिद हो जायेगी। और हुकमें शरअ बजा लाने के लिये हो तो कुछ हर्ज नही।

(बहारे शरीअत) (दुर्रे मुख्तार)

12. मर्द और बच्चे और हिजड़े और औरते जमा हो तो सफो की तरतीब यह है कि पहले मर्दो की सफ हो। फिर बच्चों की फिर हिजड़ों

की फिर औरतों की। और बच्चा अकेला हो तो मर्दों की सफ में दाखिल हो जायें। (दुर्रे मुख्तार)

13. औरत अगर मर्द के दायें बायें या आगे खड़ी है तो मर्द की नमाज़ जाती रहेगी। यानि नमाज़ में खड़ी हो और जो नमाज यह पढ़ रहा है वह भी इसी जमात में शरीक हो। (बहारे शरीअत)

14. मसला:– एक ही सफ में एक तरफ मर्द खड़े हुऐ दुसरी तरफ ओरतें तो सिर्फ एक मर्द की नमाज़ न होगी जो बीच में है। (यानि जो औरत के पास खड़ा है उसकी) बाकी लोगों की हो जायेगी। (आलमगीरी)

मसला:– एक औरत मर्द के बराबर सफ मे खड़ी हो तो तीन मर्दो की नमाज़ जाती रहती है। दो दाहीने बायें और एक पीछे वाले की । दो औरतें हो तो चार मर्दो की नमाज़ फासिद हो जायेगी। दो दाहीने बाये और दो पीछे वाले। और अगर तीन औरतें हो तो दो दाहीनी बाये और पीछे की हर सफ से तीन–तीन आदमियों की और अगर औरतों की पूरी सफ हो तो पिछे जितनी सफें है उन सब की नमाज़ ना होगी। (बहारे शरिअत) (रद्दुल मुहतार)

(फ) नमाज़ बा जमाअत पढ़ने की बड़ी ताकिद है। जमाअत से नमाज़ पढ़ना वाज़िब है। मगर आप ने कभी सोचा है कि इस वाज़िब को अदा करने में किस कदर एहतियात की ज़रूरत है। क्या आप की नमाज़ इन ईमामों की इकतदा में अदा हो रही है? ऐसा ना हो कि आप का फर्ज़ ही अदा ना होता हो।

अवाम तो अवम ये मौलवी कहलाने वाले अकसर ऐसे हैं जिनका ना वज़ु सही ना गुसल ठीक। जुलम तो ये है कि इनको नमाज़, वज़ु गुसल के मसाईल भी मालुम नहीं। क्या ऐसे इमामों की इकतिदा में नमाज़ होगी? हरगीज़ नहीं आप वाजिब (जमाअत से नमाज) अदा

करने चले मगर फर्ज़ भी गया।

मसला :– कव्वाली सुनने वाला, सिनेमा व टी.वी. देखने वाला,, गालिया बकने वाला, शराबी, जुँआरी, सुद खोर, दाढ़ी मुन्ड़ा, सोने की चैन या अंगूठी पहनने वाला, एक से ज़्यादा अंगूठीयाँ पहनने वाला, झूठ बोलने वाला इन के पीछे नमाज़ पढ़ना मना है। अगर पढ़ी तो दोहरानी और तोबा करना वाजिब है। (बहारे शरिअत)

मसला :– अगर इमाम का वज़ु ठीक नहीं या कुरआन गलत पढ़ता है, जो नमाज़ को फासीद कर देता हो, या तहारत में नुकस हो, तो इन सुरतों में (ऐसी हालात में) वह जमाअत खुद जमाअत ही नहीं बल्कि अब ऐसी जमाअत में शीरकत मना है।

(फतावा रिज़विया शरीफ)

मसला :– ऊपर लिखी हुई बातों की वजह से जमाअत छोड़ने पर गुनाह नहीं बल्कि वह जमाअत ही बातिल है।

(बहारे शरीअत जिल्द 3 पेज 93)

मसला :– इमाम के अरकाने नमाज गलत हो जिस से फर्ज़ अदा ना होता हो या तहारत ठीक नहीं कुरआन गलत पढ़ता हो तो वह जमाअत जमाअत ही नहीं बल्कि वह मस्जिद ही मोहताजे नमाज़ व जमाअत है। (यानि पढ़ते हुऐ भी ना नमाज़ होती है ना जमाअत)

(बहारे शरीअत)

मसला :– एहले मोहल्ला को मस्जिद छोड़कर जमाअत के लिये दुसरी मस्जिदों में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर इमाम में खराबी हो तो उसी मस्जिद में अलग से नमाज पढ़े।

(फतावा रजविय जिल्द 3 पेज 93 व 209)

मसला :– अगर शरई उज़र हो तो जमाअत छोड़ने वाला गुनहगार नहीं ना ही तारीके जगाअत ना उससे मुवाखिजा (हिसाब किताब)।

अब ये आप के हाथ में है कि अपनी नमाज़ बर्बाद करें या हजुर के हुकम के मुताबिक सही अदा करने की कोशीश करें।

—:इमाम को लुकमा देने के मसाइल:—

मसला:— अपने इमाम को लूकमा देना, और इमाम को लुकमा लेना जाईज है। और इससे नमाज़ फासीद नहीं होती। हाँ अगर मुक़तदी ने दुसरे से सुनकर जो नमाज़ में शरीक नहीं हैं। लुकमा दिया और इमाम ने ले लिया तो सब की नमाज़ गई। और इमाम ने ना लिया ता सिर्फ इस मुकतदी की नमाज़ गई। (दुर्रे मुख्तार)

मसला:— नमाज़ी ने अपने इमाम के सिवा (इलावा) दूसरे को लुकमा दिया तो नमाज़ जाती रही। जिसकों लुक़मा दिया है वह नमाज़ में हो या ना हों। मुकतदी हो या अकेला नमाज़ पढ़ता हो। या किसी और का इमाम हो सब सूरतों में लुकमा देने वाले की नमाज़ जाती रही। (बहारे शरीअत)

मसला:— अपने मुकतदी के सिवा (इलावा) दुसरे का लुकमा लेने से भी नमाज़ जाती रहती हैं। अलबत्ता अगर उस के बताने से याद ना आया था तो नमाज़ नहीं जायगी। (बहारे शरीअत)

मसला :— फौरन ही लुकमा देना मकरूह है। थोड़ा इन्तजार चाहिये कि शायद इमाम को खुद ही याद आ जायें। इसी तरह इमाम को चाहिये कि किसी दुसरी सुरत को पढ़ना शुरू कर दे। और अगर हाजत के बराबर पढ़ चुका है तो रूकुअ कर दे। (बहारे शरीअत)

मसला :— इमाम ने चार रकअत वाली नमाज़ में भूल से काअदा ना किया और तीसरी के लिये सीधा खड़ा हो गया। और मुकतदीयों में से किसी ने लुकमा दिया तो जिस जिस ने लुकमा दिया उस

की नमाज़ गई। क्योंकि इमाम को फर्ज़ से वाजिब की तरफ लौटना जाईज नहीं क्याम खड़ा होना फर्ज़ है जबकि वह भूल से खड़ा हो गया तो वापस काअदे में न आयेगा। और पहला कायअदा चूंकि वाजिब था जो छुट गया तो आखिर में सज्दाऐ सहव करेगा।

लेकिन इमाम पुरा खड़ा नहीं होने पाया था कि किसी ने लुकमा दिया तो इमाम कायदा में बैठ रहेगा और लुकमा ठीक वक्त पर देने से मुक्तदी लुकमा देने वाले की नमाज़ दुरस्त हैं। गलत लुकमा देने से मुकतदी की नमाज़ जायेगी। और इमाम ने गलत लुकमा ले लिया तो इमाम के साथ सब की गई । (फतावा रिज़विया)

कुरआन मजीद पढ़ने का बयान

नोट :- कुरआन शरीफ को पढ़ने का यह मतलब है कि तमाम हरूफ मखारिज से अदा किये जाये। इस तरह कि हर हरफ दूसरे हरफ से सही तौर पर अदा हो जाऐ। इसलिये हम यहां अरबी मैं भी सुरतें लिख रहे हैं। आपका सबसे पहला फर्ज़ है कि जहां-जहां अरबी की सूरते वग़ैरा हों उन्हें किसी मौलवी साहब से और हो सके तो हाफिज व कारी से सही तरह मखारिज के साथ सिख लें। कारी हज़रात आप को मखारिज सिखा देंगे याद रखें अगर आप ने इस से लापरवाही बरती तो आप की नमाज़े अकारत जाऐंगी। नमाज हरगीज़ न होगी। क्योंकि मखारिज से कुरआन पढ़ना सिखना 'फर्ज़े ऐन' हैं।

यह तो हम पहले बता चुके है कि किराअत में इतनी आवाज ज़रूरी है कि अगर कोई शोर व गुल या ऊंचा सुनने की बीमारी ना हो तो खुद सुन सके। अगर पढ़ने में इतनी आवाज भी ना हो कि खुद ने ना सुना तो नमाज़ ना होगी। (बहारे शरीअत जिल्द 3 पेज 95) (इस मसला से

बहुत ईमाम वगैरा खास लोग भी गाफिल है)

इसी तरह जिन मुआमलात में कहने की ज़रूरत है सब में इतनी आवाज ज़रूरी हैं। मसलन जानवर को ज़िबह करते वक्त, बिस्मिल्लाह कहना (लिहाज़ा अगर खुद ने ना सुनी और जानवर ज़िबह कर दिया तो वह जानवर हराम हो गया) इसी तरह तलाक देना है कि तलाक के अलफाज़ इतनी आवाज़ से कहे कि खुद सुन सके।

(बहारे शरीअत)

मसला:– फजर मगरिब व इशा की दो पहली रकअतो में और जुमा व ईदैन व तरावीह और रमजान के वितरों में इमाम पर जहर (ज़ोर से बा आवाज़ बुलन्द कुरआन पढ़ना नमाज़ में) वाजिब है । और मगरिब की तीसरी और ईशा की तीसरी और चौथी या जुहर व असर की तमाम रकअतो में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। (दुर्रे मुख्तार)

मसला:– जहर (ज़ोर से पढ़ना) के यह मानी हैं कि दुसरे लोग यानि वह कि सफ अव्वल (पहली सफवाला) में है सुन सके। यह कम दर्जा है। और आला के लिये कोई हद मुकर्रर नहीं। और आहिस्ता यह कि खुद सुन सकें। (बहारे शरीअत)

मसला:– हाजत से ज़्यादा इस कदर बुलन्द आवाज से पढ़ना कि अपने या दुसरे के लिये बाईसे तकलिफ हो मकरूह है।

(रद्दुल मोहतार)

मसला:– सूरत मिलाना भूल गया रूकुअ में याद आया तो खड़ा हो जायें और सूरत मिलाये फिर रूकुअ करे और आखीर में सज्दायें सहव करें। अगर दो बारा रूकुअ ना करेगा तो नामाज़ ना होगी।

(दुर्रे मुख्तार)

मसला:– एक आयत का हिफज करना हर मुसलमान मुकललफ

(आकिल बालिग़) पर फर्ज़ ऐन है। और पुरा कुरआन मजीद का हिफज़ फर्ज़ किफाया और सुराऐ फातिहा और एक दुसरी छोटी आयतें या एक बडी आयत का हिफज़ वाजिबे ऐन है। (दुर्रे मुख्तार)

—: ज़रूरी मसला :—

मसलाः— बकदर ज़रूरत मसाईल फिक़ा का जानना ज़रूरी ऐन है। और ज़रूरत से ज़्यादा सिखना पुरा कुरआन हिफ़ज करने से अफज़ल है। (रद्दुल मुहतार)

नोटः— बाज़ लोगों बल्कि अहमको जाहिलों का ख्याल है कि मसला सीख लेंगे। और अमल न किया तो बहुत गुनाह होगा और न सीखें तो अमल भी न करना पड़ेगा। इस तरह कोई काम शरीअत का ना करने का गुनाह ना होगा। क्योंकि मालूम ही नहीं है तो गुनाह कैसा। यह बिल्कुल हद दरजा की गुमराही व जहालत है। ऐसा ख्याल भी गुनाह है। क्योंकि इल्म सीखने व सीखाने का हुक्म कूरआन पाक में और हदीस शरीफ में हज़ारों जगह आया है। तो इन अहमक लोगों के ख्याल कि क्या वकअत है।

लिहाजा तमाम मुसलमानों पर बाहुकम कुरआन व हदीस इल्म सीखना फर्ज़ ऐन है कि इसके बगैर न तो इमान सलामत रहे ना कोई इबादत ठीक व सही हो सके। इसलिये फिक़ा का मसला है कि "मसाईल का सीखना कुरआन हीफ़ज करने से ज़्यादा अफजल है"। (बहारे शरीअत)

मसलाः— सुन्नते फजर में जमाअत जाने का खोफ हो तो सिर्फ वाजिबात को अदा करे (यानि जो चीजें वाजिब है उन्ही को अदा करे) और सना, ताऊज़ तर्क करें और रूकुअ व सुजुद में एक एक बार तस्बीह पढ़ कर नमाज़ पुरी कर ले और जमाअत में शरीक हो

जायें। (बाहरे शरीअत)

मसला –: फर्जो में ठहर– ठहर कर किराअत करे और तरावीह में दरम्याना तरीके पर और रात के निफलो में जल्द पढ़ने कि इजाज़त है। मगर ऐसा पढ़े के समझ में आ सके। यानि कम से कम मद का जो दर्जा कारीयों ने रखा है। उस को अदा करे । वरना हराम है। इसलिये कि तरतील से कुरआन पढ़ने का हुकम है।

(दुर्रे मुख्तार–रद्दुल मुहतार)

आजकल हाफिज इस तरह पढ़ते है कि मद का अदा होना तो बड़ी बात है "याअलमून" "ताअलमून " के सिवा किसी लफज़ का पता नही चलता। हुरूफ सही नहीं पढ़ा जाता। बल्कि जल्दी जल्दी में लफज़ के लफज़ खा जाते है। और इस पर फखर (घमण्ड) करते है कि फला हाफिज़ साहब इस कदर जल्दी पढ़ लेते है। हालांकि इस तरहा कुरआन मजीद पढ़ना हराम व सख़्त हराम है। (बहारे शरीअत)

मसला –: कुरआन मजीद उल्टा पढ़ना कि दुसरी रकाअत में पहली वाली से उपर की सूरत पढ़े। यह मकरूह तहरीमी (हराम) है।

मसलन पहली रकाअत में कुल या अय्योहल काफीरून पढ़ी और दूारी में "अलम तरा केयफा" । (दुर्रे मुख्तार)

इस तरह पढ़ने पर सख़्त हुकम आया है। कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु तआला अन्हु फरमाते है कि "जो कुरआन उल्टा पढ़ता है क्या डरता नही कि अल्लाह उसका दिल उल्ट दें। और भूल कर हो तो गुनाह नही। ना उस पर सज्दा ऐ सहव। (बहारे शरीअत)

मसला –: बच्चों की आसानी के लिये पारा अम्मः खिलाफे तरतीब कुरआन मजीद पढ़ाना जाईज है। (रद्दुल –मुहतार–बहारे शरीअत)

मसला –: भूल कर दुसरी रकाअत में उपर की सुरत शुरू कर दी या एक छोटी सी सूरत का फासला हो गया। फिर याद आया तो

जो शुरू कर चुका है उसी को पुरा करे। चाहे अभी एक ही हरफ पढ़ा है। मसलन पहली में "कुल या अय्योहल काफीरून" पढी और दुसरी में अलम तरा कैयफा या " तब्बत यदा" शुरू कर दी अब याद आने पर उसी को पढ़े। छोडकर "ईजा जाआ" पढ़ने की इजाज़त नही ।
(दुर्रे मुख्तार)

मसला –: जब कुरआन बुलन्द आवाज से पढ़ा जाये तो तमाम हाज़रीन (मौजुद लोग) पर खामोशी से सुनना फर्ज़ है। जबकि यह मजमा या लोग सुनने के लिये इकट्ठा हों। वरना एक का सुनना काफी है। अगरचे और लोग अपने काम में मशगूल हो। (गुनिया)

मसला –: कुरआन मजीद सुनना तिलावत करने और निफल पढ़ने से अफज़ल है। (गुनिया)

मसला –: तिलावत करते वक्त कोई शख़्स लाय के ताजीम यानि आलिम, पीर या मा बाप वग़ैरा आ जाये तो तिलावत करने वाला उसकि ताअजीम के लिये खड़ा हो सकता है।गुनिया – बहारे शरीअत)

नमाज़े जुम्आ

नमााजे जुम्आ की खास ऐहमीयत है और ये एक अज़ीम फर्ज़ है। इसको एक बार छोड़ना भी बहुत बड़ा गुनाह है। मगर इसके बारे में ज़रूरी मसाईल से अवाम तो अवाम ख़वास ज़ौ मौलवी कहलाते है वह भी बेखबर हैं।

और लोगों की नमाज़े जुमा बर्बाद हो रही है। यानि जुमा हुआ नहीं और वह यह समझता है कि जुमा पढ़ लिया इसलिए ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा नहीं। लिहाज़ा जुम्आ के दिन ना इसकी नमाज़े जुम्आ हुई न ज़ुहर।

नमाजे जुम्अ़ा की एक ख़ास शर्त

इसी शर्त के न होने से आज कल जुम्अ़ा की नमाज़ बर्बाद हो रही है इसलिये दुसरी शर्तों व मसअले बयान करने से पहले इसी शर्त को बयान कर रहे हैं।

यह जुम्अ़ा की दुसरी शर्त है यानी सुलताने ईस्लाम का होना। या उसका नायब (गद्दी नशीन) जिसे जुम्अ़ा कायम करने का हुक्म दिया हो।

इमामते जुम्अ़ा व ईदैन व सूर्य ग्रहण व चन्द्र ग्रहण की इमामत नमाज़े पंजगाना से बहुत तंग (मुश्किल) है। नमाज़े पंजगाना (पाँचों वक्त की नमाज़) में हर शख्स सही इमान वाला, सही किराअत वाला, सही तहारत वाला (पाकी वजु व गुसल ठीक तरह करने वाला) वाला, मर्द, आकिल (अक्ल वाला) बालिग़, गैर माजुर गैर फासिक, इमामत कर सकता है। मगर जुमा व ईद की नमाज़ो में कोई इमामत नहीं कर सकता चाहे वह कोई हाफिज कारी, मुत्तकी, वग़ैरा --2 फजाईल का मालिक हो।

इमामते जुमा वह करे जो शरअ के हुक्म के मुताबिक आम मुसलमानो का खुद ही इमाम हो। और बा हुक्म शरअ मोहम्मदी सल्ललाह अलैहि व सल्लम इस इमामत का हकदार हों। या खुद यह हक ना रखता हो तो ऐसे इमाम का जो यह हक रखता हो का इजाज़त दिया हुआ हो। और नमाज़े जुमा के लिये उसने इसे मुकर्रर किया हो। (फतावा रिजविया जिल्द सौम)

अब देखना यह है यह हक़ किसे है शरीअत ने किस को यह हक दिया कि वह जुमा की इमामत कर सके । तो यह हक सिर्फ तीन तरहा से साबीत होता है।

पहला -: वह सुल्ताने इस्लाम हो।

दुसरा –: जहां इस्लामी सल्तनत (इस्लामी हुकुमत) नहीं वहा जुमा व दोनों ईद की इमामत का हक उस शहर के सबसे बडे आलिमे दीन को खुद ही हासिल हैं।

तीसरा –: जहां कोई आलिमे दीन (सबसे बड़ा मुफ्ती जो फतवा देने का अहल हो) भी ना हो तो मजबुरी की वजह से आम मुसलमान जिस शख्स को जुमा व ईद की इमामत के लिये चुन लें।

बगैर इन तीन सूरतो के जो शख्स ना खुद ऐसा इमाम है ना ऐसे का नायब व इजाज़त याफता (जिसको इजाज़त मिली हो) व मुकर्रर किया हुआ हो तो इन कि इमामत इन नमाजों (यानि जुमा ईद वग़ैरा) में दुरस्त नही है।

अगर इन उपर लिखे तीन के अलावा कोई इमामत करेगा नमाज़ बातील (खारीज) होगी। जुमा का फर्ज़ सर पर रह जायेगा।

शहरों में की सुलताने इस्लाम मौजुद नहीं । और तमाम मुलक का एक आलिम पर इत्तिफाक मुश्किल है। शहर का सबसे ज़्यादा फक़ीह (फिका के सबसे ज़्यादा मसाईल (जानने वाला मुफती) हो वह नमाज की तरह मुसलमानों के दीनी कामों में उन का इमामें आम हैं। **और कुरआन के हुक्म के मुताबिक तमाम मुसलमानों को उसकी तरफ जाना हैं । ओर उसके इर्शाद व हुक्म को मानना फर्ज़ हैं।**

और ऐसा आलिम ही जुमा व ईद की नमाजों की इमामत कर सकता हैं या जिसकों मुनासिब समझे जुमा के लिये इमाम मुकर्रर करें।

अगर इसके खिलाफ लोगों ने खुद ही किसी को इमाम बना लिया तो वह गलत हैं। क्योंकि आम लोगों को इसकी इजाजत (कि किसी को चुन लें) मजबुरी की हालत में जाईज रखी हैं । जब वह खुद यानि मुफती साहीब फतवा, सुन्नी सबसे बड़ा आलिम, इमामें आम,

मौजूद है । तो उन लोगों का किसी को मुकर्रर कर लेना या चुन लेना कोई चीज़ नहीं। लिहाजा मोहल्ला कमेटी

या मस्जिद की इन्तीजा मिया कमेटी या मोहल्ला के लोग किसी को इमाम बना लें और जुमा पढ़ा दें तो जुमा नहीं होगा। क्योंकि आवाम को इसकी ईजाजत तब है जब मुफती न हो। और सारे शहर के मुसलमान किसी एक को इमाम जुमा चुने फिर यह इमाम अलग–अलग मोहल्लों के लिये किसी को इमामत जुमा की इजाजत दे तब जुमा की नमाज दुरस्त होगी।

लिहाजा इमाम चाहे हाफिज व कारी मुत्तकी वग़ैरा–वग़ैरा शराईत रखता हों तो भी इमामते जुमा नहीं कर सकता। इनकी इमामत बातील हैं। (फतावा रिज़विया जिल्द सौम)

पेज–: 203,204,205,206,268,275,690,718,801,806

(नमाजें और दुआयें पेज 209 मुफती खलील खाँ बरकाती)

हुकम शरअ यह है कि इमामते जुमा सुलताने इस्लाम या उसका नायब या उसका माजुन (इजाजत याफता) का होना शर्त है। और जहां सुलतानें इस्लाम ना हो शहर का सबसे बड़ा आलिम जिस की तरफ लोग फतवा के लिये रूजुअ़ करते हैं। उस की इजाज़त से इमाम जुमा व ईदों के लिये मुकर्रर हो सकता है। और जहां यह भी ना हो तो बा मजबुरी जिसे वहां के आम मुसलमान चुन लें। वह इमामते जुमा व इदैन कर सकता है। हर शख्स को इखतियार नहीं कि बतोर खुद या एक दो या दस बीस या सौ पचास के कहने से इमाम जुमा या इमामे ईदैन (दोनों इदों का ईमाम) बन जाये। (फतावा रज़िवया जि. सोम पेज.275)

इस तरह मोहल्ला के चन्द लोग या कमेटी के सदर सेक्रेट्री वग़ैराह किसी को मस्ज़िद में पांचो वक्त के लिये ईमाम बना लें वह ईमाम जुमा व ईद की नमाज़ नहीं पढ़ा सकता। और कमेटी या

मोहल्ला के लोगों का उसको जुमा की इजाज़त देना कोई मानी नहीं रखता इसलिये कि एक मोहल्ला के लोग अवाम या आम लोग नहीं हैं। (मुफती जलालुद्दीन साहब किताब मसाईल व फजाईल)

अब मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि जहां इमामे जुमा नही हो तो ऐलान आम करके लोग किसी एक को "इमामे जुमा व ईदैन" मुकर्रर करलें। अब जिस को चुना गया है यह खुद पढ़ायेगा और या जिसे जुमा पढ़ाने की इजाज़त देगा वह पढ़ा सकेगा। वरना जुमा का फर्ज़ सर पर रह जायगा। वरना जुमा के जौम में जुहर की नमाज़ भी गई।

इसलिये अगर जुमा का ईमाम ना हो ना शहर के लोग किसी को ईमाम मुकर्रर करें। ना किसी बड़े मुफती को लाकर शहर में रखें, तो अब मुसलमानों पर फर्ज़ है कि जुमा के रोज़ जिस तरह पढ़ते आये है पढ़े और इस दो रकाअत के बाद चार फर्ज़ जुहर, और बाजमाअत पढ़े। ताकि कम से कम जुहर की नमाज़ अदा हो जाये फर्ज़ ज़िम्मे पर बाकी पर ना रहें। यानी जबकि शरइ तौर पर ईमाम ना मिल सकता हो तो जुमा की तरहा दो रकाअत फर्ज़ पढ़ कर, चार फर्ज़ बा नियत जुहर और पढ़े।

नमाज़े जुमा की शर्ते व मसले

जुमा की नमाज़ फर्जे ऐन है इसकी फर्ज़ीयत ज़ुहर से ज़्यादा मुअक्कद है और इसका मुनकिर काफिर हैं। जुमा की नमाज़ ज़ुहर के काइम मकाम (जगह पर) है, और उसका वक्त वहीं है जो ज़ुहर का है ।

जुमा की शर्ते -: जुमा की नमाज़ के लिये छः शर्ते है कि उनका होना ज़रूरी है अगर एक शर्त मफकूद हुई (ना पाई गई) तो जुमा ना होगा। जिस जगह कोई शर्त पुरी ना हुई हो वहां जुहर की नमाज़ पढ़ी

जायेगी।

(पहली शर्त) शहर का होना –: शहर हो या शहर के कायम मुकाम वह गॉव हो जो इलाक़े में मरकज़ी (सेन्टर की) हैसियत रखता हो। शहर वह जगह है। जिस में कई मुहल्ले व बाजार हों, और वह जिला या परगना (तहसील हैड़ क्वाटर) हो, और इसके ज़ेरे तहत (अन्डर) गाँव हो। और वहां कोई हाकिम (जज़ वग़ैरा) हो। शहर के आस–पास की जगह जो शहर की ज़रूरतो के लिये हो फनाये शहर कहते है। जैसे कब्रस्तान, घुड़ दौड़ का मैदान, पुलिस लाईन, कचेहरिया स्टेशन, वग़ैरा कि ये चीजे शहर के बाहर हो तो फनाये शहर में इनका शुमार है। और वहां भी जुमा जाईज़ है। लिहाजा जुमा या तो शहर में पढ़ा जाये, या कस्बा में या उनकी फना में । और खुब याद रखे गाँव में जुमा जाईज़ नहीं। लिहाजा गाँव वालो को जुहर पढ़ना फर्ज़ है।

नोट –: गाँवो में जुमा नहीं होता मगर आला हज़रत क़िबला का फतवा है कि उन्हें पढ़ने से रोका ना जाये। क्योंकि मुसलमान जिस तरह खुदा रसुल का नाम ले काफी है। वरन् वह इस तरह नमाज़ पढ़ना ही छोड़ देंगे। लेकिन जानने वालो को इस जमाअत में शरीक नहीं होना है। और गाँव वालो को यह करना चाहिये कि दो फर्जो के बाद चार रकाअत जुहर भी बाजमा अत पढ़ें ताकि उस दिन की जुहर जिम्में पर ना रहे और इस दिन जुहर का फर्ज़ अदा हो जाये।

2. दुसरी शर्त –: सुलताने इस्लाम –: ईमाम जुमा सुलताने इस्लाम यानि मुसलमानो का बादशाह होना शर्त है या इसका नायब जिसे जुमा कायम करने का हुक्म दिया।

मसला –: ईमाम जुमा की बगैर इजाज़त किसी ने जुमा पढाया अगर ईमाम या वह शख्स जिसके हुक्म से जुमा कायम होता है। जमाअत में शरीक हो गया तो जुमा हो जायेगा। वरना जुमा ना होगा।

नोट –: ईमामे जुमा कौन है। यह इमामत किस का हक़ है। हम ऊपर तफसील से बयान कर आयें है वहां देखे और हिफज कर ले।

3. तीसरी शर्त –: जुहर का वक्त होना शर्त है।

4. चौथी शर्त –: नमाज से पहले खुतबा का होना शर्त है।

5. पाचवी शर्त –: जमाअत हो कि जमाअत के वगैर जुमा ना होगा यानि ईमाम के इलावा कम से कम तीन मर्दो का होना शर्त है।

6. छठी शर्त –: आम इजाज़त हो (इज़्न आम हो) यानि हर एक को आने जाने की आम इजाज़त हो। लिहाजा शहर में भी जैल में जुमा नहीं हो सकता इसलिये कि यह शर्त वहां नहीं पायी जाती।

(फतावा रज़विया– आलमगीरी–(बहारे शरीअत)

जुमा की दो शर्तो की तरफ मुसलमानो का ध्यान नहीं 1 शहर का होना।

2 सुलताने इस्लाम और हम ने ऊपर दोनो को वज़ाहत के साथ बयान कर दिया। "वमा अलैय्यना इलल बलाग"।

जिन पर जुमा फर्ज़ है

हर मुसलमान मर्द जो आजाद, बालिग़, आकिल, तन्दुरूस्त और मुकीम है उस पर जुमा फर्ज़ है।

लिहाजा बिमार जो जुमा को ना जा सके, जुमा फर्ज़ नहीं। इसी तरह औरत पर जुमा फर्ज नहीं, मुसाफिर पर जो परदेस में है। जुमा फर्ज़ नहीं मगर पढ़ेगा तो स्वाब मिलेगा और जुमा हो जायेगा। जबकि वाकई जुमे कि सभी छः शर्त पायी जावे। वरना अकेले जुहर की नमाज पढ़ले। उसको जुमा छोड़ने का कोई गुनाह नही बाल्कि जुहर पढ़ना ही फर्ज़ है।

जिन पर जुमा फर्ज़ नही

औरत, गुलाम व क़ैदी नाबालिग़ मख्बूतुलहवास, बीमार, अपाहिज़, तीमारदार, मुसाफिर, जिसको किसी का डर हो, जिसको किसी नुकसान का सही खतरा हो, उन पर जुमा फर्ज़ नहीं। हाँ अगर मुसाफिर, मरीज और औरतें नमाज़ में शरीक हो जाये तो उनकी नमाज़ दुरूस्त होगी और जुहर उनके जिम्मा से साकित (खत्म) हो जायेगी।

-: जुमा के कुछ जरूरी मसाइल यह है। :-

1.जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत, और अच्छे कपड़े पहनना खुशबू लगाना मिसवाक करना और पहली सफ़ में बैठना मुस्तहब है।

2.जो चिज़े नमाज़ में हराम है वह खुत्बा में भी हराम है। जैसे खाना, पीना, सलाम व कलाम वग़ैरा करना यहां तक कि अम्रबिलमारूफ (यानि उन कामों का हुक्म करना जो जाइज़ है) सब हजरीन पर खुत्बा सुनना और चुप रहना फर्ज़ है। हाँ ख़तीब (खुत्बा पढ़ने वाला) अम्र बिलमारूफ कर सकता है।

3.खतीब ने कोई दुआ या कलिमा कहा तो सुनने वालों को हाथ उठाना या आमीन कहना मना है। दो खुत्बों के बिच बगैर हाथ उठाये दिल में नेक दुआ करना जाइज़ है।

4.अगली सफो में जगह होते हुऐ पिछली सफो में बैठे रहना अच्छा नहीं लिहाज़ा। पहले अगली सफ को पुरा करे और उसमें जगह ना छोड़े यह जरूरी है। (बहरे शरीअत)

हदीश शरीफ में ही कि जिस ने खुत्बा के वक्त कोई लगव (फालतु काम) किया मसलन बातें कि या कंकरीयो को हाथ लगाया उस का स्वाब गया। (बहारे शरीअत)

नमाज़े ईदैन

ईदैन (दोनो ईदें) की नमाज़ उन सब पर वाजिब है जिन पर जुमा फर्ज़ है) और इस की अदा कि वही शर्ते है। जो जुमा के लिये सिर्फ इतना फर्क है कि जुमा में खुत्बा शर्त है। और ईदैन में सुन्नत, लेकिन खुतबा सुनना वाज़िब है। लिहाजा बैठ कर चुपचाप अदब से सुने । इन दोनो नमाज़ो का वक्त सुरज निकलने के बाद एक नेज़ा (भाला) के बराबर बुलन्द होने से लेकर जहवाए कुबरा यानि नसफुन्नहार तक है यानि वक्त मकरूह जिसे जुहवाये कुबरा का शुरू होना कहते है उस वक्त तक है। और इस वक्त यानि जुहवाऐ कुबरा शुरू होने से खत्म होने यानि जवाल तक हर नमाज़ हराम है। (इलावा नमाज़ जनाज़ा के) और सुरज निकलने के बीस मिन्ट बाद से वक्त नमाज़ ईद शुरू हो जाता है। मगर ईदुल फितर (रमजान के बाद वाली ईद) में कुछ देर करना ओर ईदुल अज़हा (कुरबानी) में जल्दी करना मुस्तहब है।

इन दोनो नमाज़ो में अज़ान व इकामत नहीं है। इन दोनो नमाज़ो के अदा करने का तरीका एक ही है।

एक खास बात इसमें भी जुमा कि तरह यह है कि जो शख्स जुमा पढ़ाने का ईमाम हो सकता है। वही ईद भी पढ़ा सकता है। नमाज़ पंज वक़्ता पढ़ाने वाला इमाम यह हक नही रखता (तफसील जुमा के बयान में देखे)

नमाज़ पढ़ने का तरीका – पहले निय्यत करे दो रकाअत नमाज़ ईदुल फित्र या ईदे अज़हा वाजिब मयज़ाइद छेः तकबीरो के फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बाँध ले फिर सन्ना पढ़े (सुब्हाना कलल हुम्म व बिहम्दुक व तबार कसमुक व तआला जद्दु क वला इलाहा गैरू क)। फिर हाथ उठाये और अल्लाहु अकबर

कहते हुए छोड़ दे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाये और छोड़ दे। फिर हाथ उठाये और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बाँध ले। यानि पहली तकबीर में हाथ बाँधे उसके बाद दो तकबीरों में हाथ लटकाए फिर चौथी तकबीर में हाथ बांध्र ले। इसको यूं याद रखे कि जहां तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहां हाथ बाँध लिये जाये और जहां पर पढ़ना नहीं वहां हाथ छोड़ दिये जाये। फिर ईमाम अऊज़ु बिल्लाही और बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़कर अल्हम्दु ओर सुरह जेहर के साथ पढ़े और फिर रूकुअ करें और दूसरी रकअत् में पहले अलहम्दु और सुरह पढ़े, फिर तीन बार कान तक हाथ ले जाकर अल्लाहु अकबर कहे ओर हाथ न बाँधे और चौथी बार बगैर हाथ उठाये अल्लाहु अकबर कहता हुवा रूकु में जाये और काइदे के मुताबिक नमाज़ पूरी करें। इस तरह ईदैन में 6: तकबीरें ज़्यादा हैं।

तीन पहली में रकाअत से पहले और तकबीर तहरीमा के बाद एक और तीन दुसरी रकअत् में कराअत के बाद तकबीरे रूकउ से पहले इन छः तकबीरों में हाथ उठाये जायेंगे।

ईद के मुस्तहब्बात

हजामत बनवाना, नाखून तरशवाना, मिस्वाक व गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, खूशबूं लगाना, ईदगाह को पैदल जाना, रास्ते में तकबीर कहते हुए जाना दूसरे से वापस आना, ईदुलफित्र में नमाज से पहले सदकाए फित्र अदा करना कोई मीठी चीज़ खाना, खजूरें हों तो ताक यानि तीन, पांच, सात, वगैरा, खाना बेहतर है। आपस में मिलना व मुसाफहा करना व गले मिलना व मुबारक बाद देना।

नोट : ईद के दिन व जुमा के दिन नमाज़ से पहले खूशबूं के लिये "इत्तर" ही लगाया जाय। परफ्यूम चाहे गुलाब का हो या किसी

चीज़ का जो एकलकोहल बेस पर बनाया जाता है। लगाना या लगवाना हराम है। क्योंकि एकोहल (स्प्रीट) शराब हैं। और कपड़े पर लगते ही कपडे नापाक हो जाते है। नापाक कपड़ो से नमाज़ नही हो सकती। इसलिये हर तरह के परफ्यूम से बचना ज़रूरी है।

" अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लाइलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द" तर्जूमा –: अल्लाह बहुत बड़ा हैं, अल्लाह बहुत बड़ा हैं। नही कोई पुजने के लायक इलावा अल्लाह के वही सबसे बड़ा और उसी के लिये है सब तारिफे।

नवीं जिलहिज्ज़ह की (बकरा ईद) से तेरहवीं की अ़सर तक हर नमाज़ पंजगाना के फौरन बाद जो जमात मुस्तिहबा के साथ अदा की गई।यही तकबीर एक बार कहना और तीन बार कहना अफज़ल है। इसे तकबीर तश्रीक कहते है। और बुलन्द आवाज़ से ही कहना वाजिब है।

नमाज़े जनाज़ा

जनाजा की नमाज़ फर्ज़ किफाया है। फर्जे किफाया का मतलब यह है कि अगर एक आदमी भी पढ़ले तो सब बरी उज्ज़िमा हो गये, वरना जिसको खबर पहुंची थी और ना पढ़ी गुनाहगार हुआ। इसकि फर्ज़ियत का इंकार करे वह काफिर है। इसके लिये जमाअत शर्त नहीं एक शख्स भी पढ़ ले तो अदा हो जायेगी
(आलमगीरी)

नमाज़े जनाज़ा में दो रूक्न हैं।

1. चार बार तकबीर यानि "अल्लाह अकबर" कहना।
2. कयाम यानि खड़े होकर पढ़ना।

नमाज़े जनाज़ा में तीन चीज़े सुन्नते मौकि़दा हैं

1. अल्लाह की हम्द व सना करना ।

2. नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद पढ़ना।

3. मैय्यत के लिये दुआ करना। और (मैय्यत का सामने होना ज़रूरी है। गाइब (ग़ैर हाज़िर) की नमाज़ नही।)

जनाज़े की नमाज़ का तरीका

पहले बा वज़ु पाक साफ होकर निय्यत करें।

निय्यत

"नमाज़ वास्ते अल्लाह के और स्वाब वास्ते इस मैय्यत के पिछे इस ईमाम के अल्लाहु अकबर। कानो तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर नाफ (डोठी) के नीचे बाँध ले। और सना पढ़े और सना में "व तआला जद्का" के बाद व जलला सनाउका व लाइलाह गैरूका" पढ़े।

फिर हाथ उठाये बगैर तकबीर कहे। और वही नमाज़ वाली दुरूद शरीफ पढ़े। फिर बगैर हाथ उठाये तकबीर "अल्लाहु अकबर" कहे और दुआ पढ़े। मुकतदी तकबीरे आहिस्ता कहे और इमाम जोर से के है। और दुआ के बाद फिर तकबीर यानि "अल्लाहु अकबर" कहे और हाथ छोड़कर लटका दें। फिर दोनो तरफ सलाम फेर दें। यानी हाथ खोल कर सलाम फेरे।

नोट –: हर शख्स को दुरूद और सना याद हैं। रही दुआ तो अगर किसी को दुआऐं जो हदीस शरीफ में बयान हुई। याद न हों, तो एक आसान तरीका यह है। इस तरीके से हर शख्स नमाज़े जनाज़ पढ़ सकता है।

वह तरीका यह है कि दुआ की जगह पर सुरऐ फातिहा यानि अलहम्दु लिल्लाही रब्बील आलमीन पुरी सुरत दुआ की निय्यत से

पढ़ले। नमाज़ हो जायेगी। सुराऐ फातिहा कुरआन भी है और दुआ भी इसलिये इसको बानिय्यते दुआ पढ़ना नमाज़े जनाज़ा में जाईज़ है। (बहारे शरीअत) मगर मसनुन दुआऐं जो हदीस शरीफ में आई है उन्हे याद करने की कोशीश करता रहे।

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

सना –: "सुब्हा न क अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबार कस्मु क व तआला जद्दु क व जलल सनाओं क व लाइला गैरूका" कब्र पर मिट्टी देते वक्त यह पढ़े,

पहली दफा – मिन्हा खल कनाकुम

दुसरी दफा – व फीहा नुईदुकुम

तीसरी दफा – व मिनहा नुखरे जो कुम तारतन उखरा

बालिग़ मर्द व औरत की दुआ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ

"अल्लाहुम्मग्फिर लिहैयियना व मैयियतिना व शाहिदिना व

गाइबिना व सगीरीना व कबीरिना व जकरिना व उनसाना अल्लाहुम्म मन अहयबहु मिन्ना फअह यही अलल्इस्लामि व मन त वफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल्ईमान"।

तर्जुमा –: इलाही बख़्श दे हमारे हर जिन्दा को और इन्तिकाल करने वाले को और हमारे हर हाजिर को और हर गायब को और हमारे हर हाजिर को और हमारे हर छोटे को और हमारे हर बड़े को और हमारे मर्द को और हमारी हर औरत को इलाही तू हममें से जिसको जिन्दा रखे तो उसको इस्लाम पर जिन्दा रख और हममें से जिसको मौत दे उसको इमान पर मौत दे।

ना बालिग़ लड़के की दुआ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا
وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

"अल्लाहुम्माज्अल्हुलना फरतों दज्अल्हु लना अज्रौ वजुख्रौं वज्अल्हु लना शाफिऔं व मुशफ्फआ"

तर्जुमा –: इलाही इस लड़के को हमारे लिये आगे पहुंच कर सामना करने वाला बना दे ।और इसको हमारे लिये अज़र का सबब और वक्त पर काम आने वाला बना दे। और उसको हमारी सिफारिश करने वाला बना दे वह जिसकी सिफारिश मन्जुर हो जाये।

ना बालिग़ लड़की की दुआ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا
وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

"अल्ललहुम्माज्अल्हा लना फरतौ वज्अलहा लना अज्रौ व जुख्रौं व ज्अल्हा लना शाफिअतौ वमुशफ्फ अह"

इलाही इस (लड़की) को हमारे आगे पहुंच कर सामना करने वाली बना दे। और उसको हमारे लिए अज़र का सबब और वक्त पर काम आने वाली बना दे। और उसको हमारी सिफारिश करने वाली बना दे। वह जिसकी सिफारिश मन्जुर हो जाये।

नमाज़े जनाजा के कुछ जरूरी मसाइल

1. जनाजा को कंधा देना इबादत और बहुत अज्र व स्वाब है। यह जो लोगों में मशहुर है कि शौहर अपनी बीबी के जनाज. को न कंधा दे सकता है न कब्र में उतार सकता न मुहं देख सकता है यह बिलकुल गलत है। सिर्फ नहलाने और बिला हाइल (किसी चीज़ का बीच में ना होना) बदन को हाथ लगाने की मनाही है। औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है।

2. नमाज़े जनाज़ा मैय्यत की है जो जिन्दा पैदा हुआ, फिर मर गया जो मरा हुआ पैदा हुआ उसकी नमाज़ नहीं, बच्चा अगर मुर्दा पैदा हो तो उसके लिये गुस्ल और कफन सुन्नत के तरीके पर ना दिया जाए बल्कि एक कपड़े में लपेट कर दफन कर दे।

3 मसला –: बाज़ लोग जुता पहने और बहुत लोग जुते पर खड़े होकर नमाज़े जनाजा पढ़ते है। अगर जुता पहने पढ़ी तो जुता और उसके नीचे की ज़मीन दोनो पाक होना ज़रूरी है । बकदर मानेअ (यानि एक दरहम से ज़्यादा) नजासत होगी तो उसकी नमाज़ ना होगी। और जुते पर खड़े होकर पढ़ी तो जुते का पाक होना ज़रूरी है।

4 मसला –: छोटे बच्चे के माँ बाप दोनों मुसलमान हो या एक मुसलमान दुसरा काफिर तो वह बच्चा मुसलमान है। उसकी नमाज़ पढ़ी

जाये और दोनो काफिर है तो नमाज़ नहीं पढ़ी जायेगी।(बहारे शरीअत)

5 मसला —: हर मुसलमान मर्द व औरत की नमाज़ पढ़ी जाये। अगरचे वह कैसा ही गुनहगार व बड़े बड़े गुनाह का करने वाला हो। तब भी उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जायेगी।

6. पहली सफ का अफजल होना जनाज़ा के इलावा दुसरी नमाज़ो में है। और जनाजा में आखरी सफ अफजल है।

नमाज़े तारावीह

खास रमजान की रातों में इशा के बाद और नमाज़े वित्रा से पहले जो नमाज़ पढ़ी जाती है वह तरावीह है। तरावीह मर्द व औरत दोनो के लिये सुन्नतें मुक्किदा है। इसकी बीस रकअ़ते दस सलामों के साथ है। हर चार के बाद कुछ देर आराम करना और यह तसबीह पढ़ना मुस्तहब है।

سُبْحَانَ ذِی الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ
ذِی الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ
وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ
الَّذِیْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ
رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا
مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ

"सुब्हान ज़िल मुल्कि वल मलकूति सुबहान जिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किबरियाई वल जबरूत"। सुब्हान लमलिकिल हैयिल्लजी ला यनामु वला यमूतु। सुब्बूहुन कुदुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रुह। अल्लाहुम्मा अज़िरना मिनन्नारिर यामुजीरु

यामुजीरू यामुजीर, अस्सलातु अला मुहम्मदिन।

तर्जुमा –: पाक है वह अल्लाह जो मुल्क और बादशाहत वाला है, पाक है वह अल्लाह जो इज़्ज़त वाला और अज़मत वाला और हैबत वाला और कुदरत वाला और बड़ाई वाला और सितवत वाला है। पाक है अल्लाह जो बादशाह है ज़िन्दा रहने वाला उसकें लिए नींद और न मौत है। वह बेइन्तिहा पाक है। बेइन्तिहा मुकद्दस है। हमारा परवरदिगार और फिरिश्तों और रूह का परवरदिगार है इलाही हमें आग से बचाना ऐ बचाने वाले ऐ पनाह देने वाले नजात देने वाले। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हो।

नमाज़ तरावीह के कुछ ज़रूरी मसाइल

1. नाबालिग़ के पीछे तरावीह नहीं होगी।

2. हाफिज़ को उजरत (मजदूरी) देकर तरावीह पढ़ना नाजाईज़ है। बग़ैर तय व बातचीत किये खिदमत के तरीके पर कुछ दिया जाये तो जाइज़ है।

3. जिस ने फर्ज़ जमाअत से नहीं पढ़ा वह वित्र भी जमाअत से ना पढ़े बल्कि तन्हा पढ़े।

4. तरावीह बैठ कर पढ़ना बगैर मजबुरी मकरूह है बल्कि कुछ आलिमो के नज़दीक तो होगी ही नहीं।

5. मुकतदी को यह जाइज़ नहीं की बैठा रहे जब इमाम रूकु करने को हो तो खड़े हो जाये की यह मुनाफिकीन से मुशाबह है। अल्लाह तआला फरमाता है। "मुनाफिक जब नमाज़ को खड़े होते है तो थके जी से। (गुनिया वग़ैरा)"

6. तरावीह में एक बार कुरआन मजीद खत्म करना सुन्नते

मुवक्किदा है। और दो मर्तबा फजीलत और तीन मर्तबा अफजल लोगों की सुस्ती की वजह से तर्क न करें । (ना छोड़े)।

7. अकसर रिवाज हो गया है कि हाफिज को उजरत (तन्खाह पर पैसे तय करके) देकर तरावीह पढ़वाते है। यह ना जाइज़ है। देने वाला और लेने वाला दोनो गुनहगार है। उजरत (मजदुरी) सिर्फ यही नहीं कि पहले से तय कर लें कि यह लेगे यह देगें। बल्कि अगर मालुम है। कि यहां तरावीह पढ़ाने से कुछ मिलता है। चाहे तय नहीं किया। यह भी ना जाइज़ है। कि "अलमाअरूफो कलमशरूत" हाँ अगर कह दें कि कुछ नहीं दुगा या हाफिज़ ने कह दिया कुछ नहीं लूंगा फिर पढ़े (और लोग या कमेटी वाले) और हाफिज़ की खिदमत करे तो हर्ज़ नहीं। (बहारे शरीअत)

नमाज़े मुसाफिर

मुसाफिर वह शख्स है जो कम से कम 92 कि.मी. बानवे किलोमीटर के इरादे से अपनी बस्ती से बाहर निकल चुका हो। उस पर वाजिब है कि सिर्फ फर्ज़ की नमाजों में कस्र करे यानि चार रकअ्त वाले फर्ज़ को दो पढ़े उसके हक में दो ही रकअ्त पूरी नमाज़ है।

कुछ जरूरी मसले

1. मुसाफिर पर वाजिब है कि नमाज पर कस्र करे, यानि चार रकअत वाले फर्ज़ को दो पढ़े। उसके हक में दो रकअते ही पुरी नमाज़ है। अगर मुसाफिर ने सहवन (भूले) या जानबूझ कर चार पढे और दो के बाद कादा करे तो फर्ज़ अदा हो जायेंगे और पिछली दो रकअ्त नफ्ल हो जायेगी। मगर जान बूझ कर चार पढ़ने वाला सख़्त गुनाहगार है उस पर तौबा लाज़िम।

2. अगर मुसाफिर मुकिम इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा तो चार ही

पढ़ेगा और अगर मुकिम मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेगा तो इमाम के सलाम के बाद वह अपनी दोरकअ्त पूरी करेगा मगर उनदो रकअ्त में फातिहा नहीं पढ़ेगा बल्कि फातिहा की मिकदार खामोश खड़ा रहेगा और बाकी मामूल के मुताबिक अदा करेगा।

3. मुसाफिर जब तक वापस अपनी बस्ती में ना आये मुसाफिर हैं। और जिस शहर या बस्ती में जाये अगर वहाँ पन्द्रह रोज़ से कम रहने की निय्यत हो तो कस्र पढ़े। अगर पन्द्रह दिन से ज़्यादा ठहरने की निय्यत हो तो पुरी पढ़े।

कस्र सिर्फ चार रकअ्त वाले फर्ज़ों में है, सुन्नत व वित्रा में कस्र नहीं सफर में सुन्नतें मुकम्मल पढ़ी जायें। अलबत्ता खौंफ व रवारवी कि हालत में मुआफ है। और अमन की हालत में पढ़ी जायें।

4. स्टेशन जहाँ आबादी से बाहर हो तो स्टेशन पर पहुँचने से मुसाफिर हो जायेगा। जबकि 92 कि.मी. या उससे ज़्यादा सफर करने का इरादा हो। (बहारे शरीअत)

मसला —: सफर के लिये ज़रूरी है कि जहां से चला वहां से तीन दिन की राह यानि 92 कि.मी. चलने का या जाने का इरादा हो। अगर दो दिन यानि 92 कि.मी. से कम चलने या जाने का इरादा हो। कि वह भी 92 कि.मी. से कम है। इस तरह सारी दुनिया धुम आये। मुसाफिर नहीं होगा पुरी नमाज़ पढ़नी होगी। (बहारे शरीअत)

मसला —: तीन दिन कि राह को (92 कि.मी.) तेज़ सावरी पर दो दिन या कम में या चन्द घण्टे में तय करले तो भी मुसाफिर ही है। और तीन दिन से कम रास्ते (80 कि.मी. या 90 कि.मी.) का ज़्यादा दिनों में तय किया तो मुसाफिर नहीं। (बहारे शरीअत)

• मसला —: मुसाफिर किसी काम के लिये या साथीयों के इन्तजार में दो चार रोज़ या तेरह चौदह दिन की नियत से ठहरा या इरादा है

कि काम हो जायेगा तो चला जायेगा ओर दोनों सूरतों में अगर आजकल–आजकल करते बरसों गुज़र जायें जब भी मुसाफिर ही हैं। नमाज़ कस्र पढ़े। (आलमगीरी)

-: इमाम मुसाफिर के पिछे नमाज़ पढ़ने का एक अज़ीम मसला -:

यह मसला ऐसा है कि अक्सर मौलिवी भी इस मसले से वाकिफ नहीं हम यह मसला बयान कर रहें है गौर से पढ़ कर याद कर लें।

सुवाल —: अगर इमाम मुसाफिर के पिछे मुक़िम को एक रकअ़त ही मिली तो बाकी रकअ़त वह कैसे पढ़ेगा?

जवाब :—जब मुक़ीम, मुक़तदी को मुसाफिर इमाम के पीछे एक रकअ़त ही मिली यानि एक रकअ़त इमाम पढ़ चुका था। अब मुक़ीम मुक़तदी शरीक हुआ तों काअ़दा के बाद जब इमाम सलाम फेर ले तो यह खड़ा हो जाये और इतनी देर खामोशी से खड़ा रहे जितनी देर सुराए फातिहा पढ़ते है। फिर रूकुअ व सजदे करने के बाद फिर खड़ा हो जाये और पहले की तरह खामोश खड़ा रहे। फिर रूकुअ व सजदे करने के वाद काअदा करे। और सिर्फ अत्त-हिय्यात (पुरी) पढ़कर वापिस खड़ा हो जाये। अब सना ताऊ़ज सूराए फातिहा और कोई छोटी सूरत पढ़कर रूकअ व सजुद वग़ैरा पढ़कर नमाज़ पुरी कर लें। यहां इमाम के सलाम फेर ने के बाद एक रकअ़त पढ़कर काअदा में नहीं बैठना है। जैसे की चार रकअ़ती नमाज़ में तीन छुट जायें। तो बैठते हैं। उसमे फर्क है ख़्याल रखें। (खुलासा अलमलफ़ूज़ मुरत्तबा मुफ़्तीऐ आज़म हिन्द किबला)

नमाज़े इशराक

इस नमाज़ की बड़ी फज़ीलत है। हदीस में हैं। जो फजर की नमाज़ जमाअ़त से पढ़कर ज़िक्रे खुदा करता रहा। यहाँ तक कि

आफताब (सुरज) बुलंद हो गया फिर दो रकअ्त पढ़ी तो उसे पूरे हज्ज और उमरा का स्वाब मिलेगा।

नोट –: बुलन्द होने का यह मतलब है कि सुरज कि पहली किरण चमकने से 20 मिन्ट तक मकरूह वक्त है नमाज़ न पढे। 20 मिन्ट बाद पढ़ें।

नमाज़े चाश्त

इस नमाज़ की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। हमेशा पढ़ने वाले के सब गुनाह बख़्शे जाते है। अगर्चे समंदर के झाग के बराबर हों। और उसके वास्ते जन्नत में सोने का महल होगा। इस नमाज़ की कम से कम दो रकअ्त और ज़्यादा से ज़्यादा बारह रकअ्तैं है। अफ्ज़ल बारह है। इसका वक्त आफताब बुलंद होने से जवाल शुरू होने के पहले तक है।

जवाल –: असल में जवाल तो वह वक्त है कि सुरज ढ़लना शुरू हो जाये मगर अवाम जवाल का लफ्ज़ जो बोलते है इससे मुराद यह है कि वक्त ज़वाल शुरू होने से जो मकरूह वक्त है, तो इस मकरूह वक्त में कोई नमाज़ जाईज नहीं है। जिसे जुवहाऐ कुबरा कहते है। यह वक्त 38 मिन्ट से 48 मिन्ट तक होता है फिर घटता है तो 38 मिन्ट तक पहुँचता है। इसी तरह साल भर दोरा करता रहता है।

अवाम में मशहुर है कि यह वक्त एक लम्हा कि लिये आता है सो गलत है। (फतवा रज़विया)

नमाज़े तस्बीह या सलातुल तस्बीह

इस नमाज़ का बे इन्तिहा स्वाब है। तहकीक करने वाले फरमाते हैं कि इसकी बुजुर्गी सुन कर इसको कोई तर्क नहीं करेगा मगर वह

जो दीन से सुस्ती करता हो।

रसुले अकरम स्वललल्लाहु अलैयहि वसल्लम ने इस नमाज़ को हज़रत अब्बास रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु जो हुजुर के चाचा थे। को सिखाई और फरमाया । ऐ चाचा हो सके तो इसको हर रोज पढ़ो। ना हो सके तो हर जुमा में एक बार यह भी ना करो तो उम्र में एक बार । इसकि चार रकअ्ते हैं। मकरूह वक्त के अलावा जब चाहे पढ़ सकता है। बेहतर यह है कि जुहर से पहले पढ़े।

तरीका

तरीका :– इसका तरीका यह है कि तकबीरे तहरीमा (यानि अल्लाहु अकबर खड़े होकर कहने) के बाद सना पढ़े "सुब्हानकल्ला हुम्मा व बबिहमदिक वत बार कसमक वत्ता आला जद्दृक व ला इलाहा ग़ैरूक" के बाद पन्द्रह बार कलिमा पढ़े "सुब्हानअल्लाहि वल्लहमदु लिल्लाहि वलाइलाहाइलल्लाहु वल्लाहु अकबर" फिर तऔउज़ और तस्मिया फातिहा और सूरत पढ़कर दसबार यही कलिमा पढ़े फिर रूकु में जाकर रूकू की तसबिह के बाद दस दफा और यही कलिमा पढ़े। फिर रूकू से उठ का तस्बीह व तहमीद "समीअ अल्लाहु लिमन हमिदा" फिर "रब्बना लकल हम्द" पढ़ने के बाद दस बार फिर यही कलिमा पढ़े। फिर सज्दे में जाकर सज्दे की तस्बीह के बाद दस बार फिर सज्दे से उठ कर जल्सा (बैठक) में दस बार फिर दुसरे सज्दे में तस्बीह के बाद दस बार फिर दुसरी रकअ्त में फातिहा से पहले पन्द्रह बार और इसी तरतीब से चार रकअ्तें पढ़े हर रकअ्त में पचहत्तर बार और चारो रकअ्तों में तीन सौ बार यह कलिमा पढ़ा जायेगा।

नमाज़े हाजत

जिस को कोई हाजत पेश आए तो वह अच्छी तरह वुज़ू करे

फिरदो रकअ़त नमाज़ पढ़ कर अल्लाह तआला की हम्द सना करे और नबीए करीम सल्लल्लाहु तअ़ला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे फिर यह दुआ पढ़े।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم و کریم ہے۔ پاک ہے
اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ
اللہ عرش عظیم کا مالک اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے
لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ
جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے
رَحْمَتِكَ وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ
اسباب مانگتا ہوں اور تیری بخشش کے ذرائع طلب کرتا ہوں اور ہر نیکی
مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ
کا حصول اور ہر گناہ سے سلامتی مانگتا ہوں
اِثْمٍ لَا تَدَعْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا
(اے اللہ) میرا کوئی گناہ نہ چھوڑ بغیر بخشے اور کوئی
هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِيَ
غم بغیر دور کئے اور کوئی حاجت جو تیری رضا کے
لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
موافق ہے بغیر پورا کئے اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان

"लाइलाहा इलल्लाहू लहलीमुल करीमु सुब्हान ललाहि रब्बिल अरशिलअ़जीम। वलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलभीन। अस्अलुक मूजियात रहमतिक व अज़ाइम मग़ाफिरतिक वलग़नीमत मिन कुल्लि बिर्रिवव स्सलामत मिन कुल्लि इसगिन O लातदअ्जंबम इल्ला गफरत हुं व ला हम्मन इल्ला फर्रजतहु वला हाजतन हियलक रिदन इल्ला कदियत हा या अर हहगर राहमीन।"

तर्जुमा –: अल्लाह के सिवा कोई माअबूद नहीं जो हलीम व करीम है। पाक है अर्शे अजीम का मालिक और सब तारिफ अल्लाह के लिये है, जो सारे जहांनो का परवरदिगार (पालनहार) है।

ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी रहमत के अस्बाब माँगता हुँ। और तेरी बख्शिश के ज़रा ए तलब करता हुँ। और हर नेकी का हुसूल और हर गुनाह से सलामती माँगता हुँ। (ऐ अल्लाह) मेरा कोई गुनाह ना छोड बिगैर बख्शे और कोई गम बिगैर दूर किए । और कोई हाज़त जो तेरी रज़ा के मुवाफिक है बिगैर पूरा किए ऐ सब मेहर बानों से ज़्यादा मेहरबान।

''नमाज़े गौसिया या सलातुल असरार''

इमाम अबुल हसन नूरुद्दीन अलि बिन जरीर तमनी शतनुनी किताब ''बहजतुल असरार'' में और मुल्ला अली कारी व शैख अब्दूल हक मुहद्दीस देहलवी रज़ि अल्लाह तअला अन्हुम हुजुर सैय्यदना गौसे आज़म मेहबुब सुबहानी कुतुबे रब्बानी शैख अब्दुल कादीर जिलानी रज़िअल्लाह तअला अन्हु से रिवायत करते है। चुकि यह नमाज़ गौ से आज़म से मनकुल है। इसलिये इसे नमाजे गौसिया कहते हैं।

इसकि तर्कीब यह हैं–: जिसे दीनी व दुनियावी हाजत हो वह।

1 दौ रकअत नमाज़ मगरीब की सुन्नतों के बाद सलातुल इसरार की नियत से और कुर्बइलाही (अल्लाह की रहमत से) करीब होने और सैयदना गोसे आज़म रजिअल्लाह तआला को हदिया (तोहफा) पेश करने के लिये दो रकअत नमाज पढ़े। अगर इस नमाज़ से पहले कुछ सदका (खैरात) करे तो जल्द मतलब हल हो और रद्दे बला का जरिया हो। नमाज़ में सुराऐ फातिहा (अलहम्दु लिल्लाहि, पुरी सुरत) के बाद

कुल्हु वल्लाह हु अहद (पूरी सूरः) ग्यारह ग्यारह बार पढ़े और दो रकअत नमाज़ पूरी करले।

2 फिर काबा शरीफ की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाएं और "सुब्हान अल्लाह" 111 बार "अलहम्दु लिल्लाह" 111 बार अल्लाहु अकबर 111 बार पढकर नबी करीम सललल्लाहु अलैयहि वसल्लम पर ग्यारह बार दुरूद शरीफ पढ़े।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ صَلٰوةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ

★ सल्लल्लाहु अ़-लन्नबिय्यिल् उम्मी वआलिही सल्लल्लाहु अ़लैहि व-सल्ल-म सला-तंव्व-सला-मन् अ़ले-क या रसू-लल्लाहि।

फिर 11 बार यह पढे

"يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَغِثْنِيْ وَامْدُدْنِيْ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ"

"या रसुलल्लाह, या नबिअल्लाह अगिसनी व अमदूदनि कज़ाई हाजति या काज़ि यल हाजाति"

फिर

इराक की तरफ फिर मुंह करके ग्यारह कदम चले और हर कदम रखने के बाद यह कहे

"يَا غَوْثَ الثَّقَلَيْنِ وَيَا كَرِيْمَ الطَّرَفَيْنِ اَغِثْنِيْ وَامْدُدْنِيْ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ"

या गौस्स सक़लैन व या करीमत्तरफैन अगिसनी व अमदुदनी फी कज़ा ई हाजति या काज़ि यल हाजाति"

(तर्जुमा – ऐ जिनों और आदमियों के फरीयाद सुनने वाले। ऐ दोनों तरफ माँ बाप से ज़्यादा बुजुर्ग। मेरी हाजत पूरी करने के लिए तशरीफ लाईये और मेरी मदद कीजिए। ऐ हाजतों के पूरा करने वाले।

दिल में अदब व ऐहतिराम का ध्यान व तसव्वुर रखे और इस ख्याल को दिल मे जमाये कि मैं खुद बगदाद में रोजाएं गौस पाक के अन्दर मौजूद हूं, और गौसे पाक इसमें आराम फर्मा रहे हैं। और दिल में गौस पाके के करम पर भरोसा रखे और यह समझे कि वह मुझे देख रहे है। फिर

फिर हुजुरे अकरम सल्लललाहु अलैयहि व सल्लम और गोस पाक रज़िअल्लाह तआला अन्हु को वसीला बना कर अल्लाह तआला से दुआ करें। या रब या रब या रब रसूलल्लाह और गौसे आज़म मेहबूब सुब्हानी कुतबे रब्बानी को तेरी बारगाह में वसीला बनाकर दुआ करता हूं। करती हूं कि मेरी फुलॉ–फुलॉ मुराद पूरी कर दे। मुझे ....अत्ता फर्मा (अपना मकसद बयान करे)

फिर 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़े और कोशिश करे रोये। रोना न आये तो रोने जैसी सूरत बनाये और पूरा यकीन और इत्मीनान रखे की गोस पाक जरूर मदद फर्मा कर मेरी हाजत पूरी करेगें और अल्लाह तआला इनके वसीले से मुराद पूरी फरमायेगा। इस पर कामिल अक़ीदा और इत्मिनान रखे। इन्शा अल्लाह मुराद ज़रूर चाहे मुताबिक़ ज़रूर पूरी होगी।

बगदाद शरीफ 67 डिग्री पर है, अगले पेज पर नक्शा देखे।

पश्चिम

45°

दक्षिण उत्तर

पूर्व

औक़ात मकरूहा

1. तुलुअ (सुरज निकलते वक्त) 2. गुरूब (सुरज डुबते वक्त) 3. नसफुन्निहार शरई (यानि वक़्ते जुवाल) इन तीनों वक़्तों में कोई नमाज़ जाईज नहीं ना फर्ज़ ना वाजिब ना निफल ना अदा ना कज़ा। इसी तरहा सज़दाऐ तिलावत व सज़दाऐ सहव भी ना जाईज है। अलबत्ता उस रोज़ अगर असर की नमाज़ नहीं पढ़ी हो सूरज डूब रहा हो तो भी पढ़ ले। मगर इतनी देर करना हराम हैं। (बहारे शरीअत)

सूरज तुलअ से मुराद सूरज का किनारा जाहिर होने के बाद 20 मिन्ट तक हैं। और गुरूब अफताब से 20 मिन्ट पहले तक मकरूह वक्त हैं।

नसफुन्निाहार से यह मतलब हैं कि नसफुन्निहार शरई से नसफुन्निहार हकीकी यानि इसी को जुवाल कहते है। यह वक्त जुवाल

का कम से कम 38 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 48 मिनट रहता है।

कज़ा नमाज़े

फराइज़े इस्लाम में नमाज़ अफज़लुल ईबादत है जो हर आकिल बालिग़ मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज़ ऐन हैं इसका बिला उज़र शरई छोड़ना गुनाहे कबीरा है। नमाज़ दीन का सतून है। इसका क़ायम रखना दीन को क़ायम रखना है। यह हुज़ूर पुर नूर सल्ललाहो अलैही व सल्लम की आँखों की ठण्डक है। यह सफर हज़र किसी हालत में भी माफ नहीं है। नमाज़ बाजमाअत अदा करना अकेले अदा करने से 27 दर्जा अफज़ल है।

कज़ा नमाज़ :-

जो नमाज़ वक़्त पर अदा न की जाये वह कज़ा है। कज़ा करने वाले पर फर्ज़ है कि सच्चे दिल से तौबा करें और जल्द से जल्द पढ़लें। जब से बालिग़ हुआ उस वक्त से हिसाब लगाऐं याद न हो तो अपने बालिग़ होने की उम्र 12 साल करार दें और इस हिसाब से अपनी उम्र में से 12 साल कम करके बकाया बर्सो की कज़ा नमाज़ें अदा करें। और जिस औरत को अपने बालिग़ होने की तारीख़ व साल याद न हो वह अपने बालिग होने की उम्र नो साल करार दें। और साथ ही हर माह से "अय्य़ामे हैज़" (माहवारी के दिनों) और निफास (बच्चे पैदा होने के बाद जो खून आता रहता है उन दिनों) के दिन भी कम कर लें क्योंकि इन दिनों की नमाज़ों की कज़ा औरतों पर लाज़िम नहीं। इस तरह अपनी कज़ा नमाज़ों का हिसाब लगाये और उन्हें अदा करें।

1. हाजतफराग़त और जरूरी काम जिनके बगैर गुज़र नहीं हो के बाद जो वक्त बचे उसमें कज़ा नमाज़ें जरूर अदा करें।

2. इसी तरह रोज़ाना के नमाज़ों में निफलों और सुन्नतें ग़ैर

मोवक्किदा की जगह कज़ा नमाज़े ही अदा करें।

3. इसी तरह शबे मेअराज, शबे बराअत, शबे क़द्र शबे आशूर, शबे ईद मिलादुन्नबी वग़ैरा—वग़ैरा में निफलों की जगह कज़ा नमाज़ें ही अदा करता रहे। जब ये कज़ा नमाज़े इन रातों में पढ़ेगा तो निफलों से कई गुना ज़्यादा स्वाब का हक़दार होगा।

4. कज़ा नमाज़ों में सिर्फ फर्ज़ और वाजिब (वित्रा) ही अदा करनी पड़ती है। एक दिन की बीस रकाअत होती हैं। यानि फज़र की दो रकाअत फर्ज़, जुहर की चार रकाअत फर्ज़, असर की चार रकाअत फर्ज़, मग़रिब की तीन रकाअत फर्ज़, ईशा की चार रकाअत फर्ज़ और वित्रा की तीन रकाअत वाजिब लेनिक वित्र की कज़ा अगर किसी के सामने पढ़े तो तीसरी रकअत में तकबीर के वक्त बग़ैर हाथ उठाये दुआऐं कुनूत पढ़े।

5. इन नमाज़ों को सिवाय मकरूह वक़्तों के (जिस में सज़दा नाजाईज़ है) हर वक्त अदा कर सकता है। यहाँ तक के फज़र और असर की फर्ज़ नमाज़ अदा करने के बाद भी अदा कर सकता है। (हिदाया सफा 68) मगर मस्जिद में सब के सामने न पढ़े घर पढ़े।

मकरूह वक्त यह है 1. सूरज की किरण से 20 मिनट तक 2. जवाल शुरू होने से खत्म होने तक, इसी को जुहवाऐ कुबरा या निसफुन—निहार शरई कहते हैं। यह वक़्त चालिस मिनट (लगभग) तक होता है। 3. गुरूब आफताब, यानि सुरज डूबने से 20 मिनट पहले तक वक्ते मकरूह है इन वक़्तों में कोई नमाज़ अदा या कज़ा पढ़ना नाजाईज़ है। अलबत्ता उसी दिन की अस्र न पढ़ी हों तो पढ़ लें अगरचे सूरज डूबता हो मगर इतनी देर करना हराम है।

कज़ा नमाज़ों को अदा करने में आप को इख़्तियार है कि पहले फज्र की सब नमाज़े अदा करलें, फिर जुहर, फिस अस्र, फिर इशा या

सब साथ–साथ अदा करता जाये। यानि एक–एक दिन की बीसों रकाअते कज़ा एक दिन में पढ़ें। अपनी एक दिन की अदा जो कर रहा है उसके साथ एक–एक दिन की कजा भी पढ़ता रहे। यूँ भी कर सकता है कि फजर के वक़्त एक दिन की 2–रकअत फजर कज़ा भी पढ़ ले। फिर जोहर की नमाज़ के साथ चार जोहर पढ़ लें इसी तरह हर नमाज़ के साथ–साथ एक–एक दिन या दो–दो दिन या तीन–तीन दिन की पढ़ता रहे। और इनका ऐसा हिसाब लगाये कि तख़मीना में बाक़ी न रह जाये। ज़्यादा हो जाये तो हर्ज नहीं। सारी कज़ा नमाज़े बक़दर ताक़त व वक़्त जल्द–जल्द अदा करता रहे। सुस्ती न करे। जब तक फर्ज़ ज़िम्मे पर बाक़ी रहता है कोई निफ़्ल क़बूल नहीं की जाती।

जब कज़ा नमाज़ की अदायगी के लिये खड़ा हो तो उस वक़्त नियत करना ज़रूरी है।

कज़ा नमाज़ की नियत का तरीका :-

नियत की मैंने – सबसे पहली नमाज़े फज्र (ज़ोहर, असर, मग़रीब या ईशा वक़्त का नाम लें) जो मेरे ज़िम्मे हैं "अल्लाहु अकबर" कहकर हाथ बाँध लें। या नियत की मैंने सबसे पहली नमाज़े ज़ोहर जो मेरे ज़िम्मे है।

इसी तरह जब एक पढ़लें फिर यूं ही नियत करें यानि हर बार इसी तरह नियत करता रहे। (नियत की मैंने सबसे पहली नमाज़ कज़ा फ़जर की जो मैंने नहीं पढ़ी है/ जो मेरे ज़िम्मे हैं, वास्ते अल्लाह ताअला के, मुँह मेरा तरफ काअबा शरीफ के अल्लाहो अकबर।)

जिन लोगों के ज़िम्मे बहुत ज़्यादा कज़ा नमाज़े हो उन लोगों की सहुलियत के लिये और नमाज़े जल्द अदा हो जायें इसलिये इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मुजद्दीदे आज़म सैय्यदना ईमाम अहमद

रज़ा कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने तख़फीफ (छुट) की चार सुरतें बयान की हैं। ताकि वह आसानी के साथ अपनी कज़ा नमाज़े अदा कर सके। और अपनी कज़ा नमाज़ों से अपने आपको जल्द से जल्द सबुकदोश (बरी) करलें। क्योंकि मौत का वक़्त मालूम नहीं।

1 **पहली छूट:** फर्ज़ की तीसरी व चौथी रकाअत में सुरए फातिहा यानि अलहम्दुलिललाह की जगह सिर्फ "सुब्हान अल्लाह" तीन बार कह कर रूकूअ में चले जायें। मगर ख़्याल रखें कि सीधा खड़े होकर 'सुब्हान अल्लाह' कहना शुरू करें। और खड़े-खड़े कह कर फिर रूकूअ के लिये सर झुकाऐं। यह छूट सिर्फ फर्ज़ की तीसरी व चौथी रकाअत के लिये हैं। वित्र की तीनों रकाअतों में "अलहम्दु" और सुरत दोनों ज़रूरी पढ़ी जायें।

2 **दूसरी छूट** तस्बीहात रूकुअ व सजदे में सिर्फ एक-एक बार "सुब्हान रब्बीयल अज़ीम" और "सुब्हान रब्बीयल अअ्ला" कहे। मगर ये हमेशा हर तरह की नमाज़ में याद रखना चाहिये कि जब तक रूकुअ में पूरा न पहुँच जाये उस वक़्त तक "सुब्हान" का "सीन" शुरू न करें और जब "अज़ीम" का "मीम" ख़त्म हो जाये उस वक़्त रूकुअ से सर उठाये।

इसी तरह जब सजदे में पुरा पहुँच जाये पाँवों की दसों उँगलियाँ क़ाअबा की तरफ हो जाये पैशानी और नाक की सख़्त हड्डी अच्छी तरह ज़मीन पर दबाने से जम जाये। उस वक़्त तस्बीह यानि "सुब्हान रब्बीयल अअ्ला" पढ़े। और जब तस्बीह पूरी खत्म हो जाये तब सज़दा से सर उठाये बहुत से लोग जो रूकुअ और सज़दा में आते जाते यह तस्बीह पढ़ते है, बहुत बड़ी ग़लती करते हैं।

3 **तीसरी छूट** यह कि हर नमाज़ की अत्तहियियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ और दुआ के बजाये सिर्फ यह दुरूद शरीफ "अल्लाहुम्मा

सल्ले अला मुहम्मदींव व आलेही" पढ़कर सलाम फेर दें।

4 **चौथी छूट** यह कि नमाजे वित्र की तसरी रकाअत में दुआऐ कुनूत की जगह तीन या एक बार "रब्बिग़फिरली" कह लें।

("माखूज़ ईज़ फतावा रज़विया")

1. कज़ा के लिये कोई वक़्त मुकर्रर नहीं उम्र में जब भी पढ़ेगा छुटकारा पाएगा। मगर तुलूअ व गुरूबे आफताब (सूरज उदय– सुरज डूबने) और जुहवए कुबरा के वक्त जाइज़ नहीं कि इन मकरूह वक्तों में नमाज़ जाईज़ नहीं।

एक निहायत ज़रूरी मसला

कज़ा नमाज़े निफल नमाज़ो से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस के ज़िम्में फर्ज़ नमाज़ बाकी हैं उन लोगों की निफल नमाज़ क़बुल नहीं होती।

(फतावा रज़विया)

लिहाज़ा हमें चाहिये की पजं वक़ता नमाज़ों में जो निफल है यानि ज़ुहर के दो सुन्नत के बाद दो निफल असर के पहले चार सुन्नते भी नफिल हैं। मग़रीब के बाद दो मौक्किदा सुन्नतें हैं उसके बाद दो निफल। इशा के पहले और दो बाद में और दो वित्र के बाद इस तरह जो निफल सुन्नते ग़ैर मौकिदा है। उन्हे छोड़ कर इसके बजाये फर्ज़ कज़ा नमाज़े जो जिम्मे पर बाकी है पढ़ना चाहिये। याद रखे पंज वक़ता में जो सुन्नते मौवक्किदा है। उन्हें ना छोड़ें उनको छोड़ना गुनाह हैं। मगर गैर मौवक्किदा या निफल के छोड़ने का गुनाह नहीं हैं। इसलिये इसकि ज़गह कजा नमाज़ पढ़े।

अगर आप हर रोज की अदा नमाजों के साथ दो दो दिन की कज़ा नमाज़े अदा करते रहे तो आपकी फौत शुदा नमाज़े जो फर्ज़ हैं। धीरे धीरे अदा हो जायेगीं। और सर से फर्ज़ उतर जायेगा।

कज़ा नमाज़े दुसरों के सामने इस तरह ना पढ़े की उन्हें पता चल

जायें क्योंकि नमाज़ कज़ा करना गुनाह है और गुनाह का इजहार भी गुनाह। लिहाजा घर में पढ़ना बहतर है या ऐसे वक्त मस्जिद में पढ़े कि पता ना चले और लोग समझे की निफल वग़ैरा पढ़ रहा है।इसलिये फजर के बाद कज़ा नमाज़ मस्जिद में ना पढ़े। असर के बाद कजा नमाज़ मस्जिद में ना पढ़े क्योंकि फजर व असर के बाद निफल पढ़ना मना हैं। हाँ मगरिब के बाद व इशा के बाद या पहले पढ़ सकते हैं। एक ख्याल और रखें वित्रा जो कि वाजिब है इशा के चार रकअत फर्ज़ के साथ पढ़ना है मगर कज़ा वित्रा पढ़ने में तीसरी में हाथ ना उठाये ताकि लोगों को पता ना चले की कज़ा वित्रा पढ़ता है। सिर्फ बगैर हाथ उठाये तकबीर कहले और दुआऐ कुनुत पढ़े और नमाज़ पुरी कर लें।

शाबान की पन्द्रवीं शब में और रमजान की सत्तइसवीं शब यानि लैयलतुल कद्र में या और किसी रात व दिन में जब निफल नमाज़े लोग रात रात भर पढ़ते हैं । उनको चाहिये बल्कि फर्ज़ हैं कि वह भी बजाये निफल के यानी कज़ा नमाज़े (जो पढ़ना फर्ज़ है) पढ़े। इसका स्वाब निफलों से लाखो गुना ज़्यादा हैं। लिहाजा जहाँ तक हो सके अपनी कज़ा नमाज़े हिसाब करके पढ़ लें। इसके बगैर निजात मुशकिल है। रात भर निफल पढ़े मगर फर्ज़ जो कज़ा हैं नहीं पढ़े तो यह निफल हरगीज कबूल नहीं होंगे यही हुक्में शरीअत हैं।

(फतावा रज़विया-- अलमलफूज वग़ैरा)

कज़ा नमाज़ के ज़रूरी मसले

मसला –: तौबा जबही सहीह है कि कज़ा पढ़ ले उसको तो अदा ना करे और तोबा किये जाये तो तौबा नहीं कि वह नमाज़ जो उसके जिम्में थी। उसका ना पढ़ना तो अब भी बाकि हैं। और गुनाह से बाज़ ना आया तो तौबा कहां हुई। (दुर्रेमुख्तार)

मसला –: सोते में या भूले से नमाज़ कज़ा हो गई तो कज़ा

पढ़नी फर्ज़ हैं। अलबत्ता कज़ा का गुनाह उस पर नहीं। मगर बैदार होने और याद आने पर अगर वक्त मकरूह ना हो तो उसी वक्त पढ़ ले देर करना मकरूह हैं। (आलमगीरी)

मसला —: तुलुअ (सुरज निकलते वक्त) गरूब (सुरज डूबते वक्त) और जवाल के वक्त कि इन तीन वक्तों में नमाज़ जाईज नहीं (आलमगीरी)

मसला —: जिसके जिम्में कज़ा नमाज़े हो अगरचे उनका पढ़ना जल्द से जल्द वाजिब है मगर बाल बच्चों के खाने पीने और अपनी ज़रूरत के कामों कि वजह से (यानि कमाने की वजह से) देर जाईज है तो कारोबार भी करें और जो वक्त फुर्सत का मिले उसमें कज़ा पढ़ता रहे। यहां तक कि पुरी हो जायें। (दुर्रे मुख्तार)

मसला —: जिस की पांच नमाज़ें या इससे कम कज़ा हो तो उसको साहीबे तरतीब कहते हैं उस पर लाजीम है कि वक्ती नमाज़ से पहले कज़ा को पढ़ ले। अगर वक्त में गुन्जाईश होते हुए और कज़ा नमाज़ याद होते हुऐ वक़ती नमाज़ पढ़ी तो न हुई। पहले कज़ा नमाज़ पढ़नी फर्ज़ हैं। (बहारे शरीअत)

नोट —: कज़ा नमाज़े अपनी सहुलियत के लिहाज़ से भी पढ़ सकता है मसलन वह चाहे तो अपनी फजर की कज़ा नमाज़े पहले पढ़ ले। जब सब अदा हो जाये तो अब जुहर की पढ़ता रहें। फिर असर वग़ैरा और चाहे तो हर रोज एक रोज की या दो–दो रोज सब नमाज़े पढ़े इख्तयार हैं। सफर की कज़ा नमाज़े अगर घर आकर पढ़े तो घर पर भी कस्र ही पढ़नी है। (बहारे शरीअत)

मसला —: छः नमाज़े या उससे ज़्यादा नमाजें जिस की कज़ा हो गई हो वह साहीबे तरतीब नहीं। अब यह शख्स वक्त की गुन्जाईश और याद होने के बावजूद अगर वक्ती नमाज़ पढ़ लेगा तो उसकी

नमाज़ हो जायेगी। और छुटी हुई कज़ा नमाजों को पढ़ने के लिये कोई वक्त मुकर्र नही है। उम्र भर में जब भी पढ़ लेगा बरी उज्जीम्मा हो जायेगा। मगर जल्द अदा करें। (दुर्रे मुख्तार)

शबे मेराज, शबे बरात शबेकदर शबेईदैन, शबे आशुरा, और शबे ईदमिला दुन्नबी सल्लाहु अलैहि व सल्लम में नवाफिल की बजाये कज़ा नमाज़ें ही अदा करता रहें। कज़ा नमाजे मकरूह वक्तों के अलावा हर वक्त पढ़ सकता हैं। यहां तक के फजर और असर की फर्ज़ नमाज पढ़ने के बाद कज़ा भी पढ़ सकता हैं। (हिदाया सफा 68)

सारी कज़ा नमाज़े बकदर ताकत रफता रफता जल्द अदा करें। काहिली (सुस्ती) ना करें। जब तक फर्ज़ जिम्मा पर बाकि रहता हैं कोई निफल कबुल नहीं होगी। (फतावा रज़विया)

जिस शख़्स का इन्तिक़ाल हो गया हो उस की कज़ा नमाज़े और रोज़े अगर कोई अदा करना चाहे तो उसकी अदायगी का तरीका यह है कि एक नमाज़ का "फिदिया" निस्फ साअ गेहूँ यानि दो किलो पैतालिस ग्राम गेहूँ होता है और ईतना ही फिदिया एक रोज़ा का होता है। कज़ा नमाज़ों में सिर्फ फर्ज़ व वाजिब ही अदा की जाती है इसलिए एक दिन की पांच वक्त के फर्ज़ व एक वाजिब (वित्र) कुल छः नमाज़ों का कफ्फारा बाहर किलो दौ सो सत्तर ग्राम गेहूँ होता है। या मार्केट रेट से इस गेहूँ की कीमत। फिदिया किसी आकिल, बालिग़, मुहताज मुसलमान को दिया जाये। एक महीने का फिदिया 368 किलो और 100 ग्राम गेहूँ होता है और एक साल का 4417.200 ग्राम चार हजार चार सौ सतरह किलो दौ सो ग्राम होता है। और इसकी कीमत 8/– रुपये किलो के हिसाब से 35,338/– रुपये पैंतीस हजार तीन सौ अड़तीस रुपया होती हे। जितने सालों की नमाज़ कज़ा है इसी तरह हिसाब लगाकर इसी हिसाब से फकीरों मोहताजों को दे दें। अगर कुल

की अदायगी की ताक़त न हो तो जिस क़दर ज़्यादा से ज़्यादा देने की ताक़त है उतनी मोहताज को देकर काबीज़ कर दें। फिर मोहताज वापस अपनी तरफ उसे हिबा कर दें। बिला ऐवज उसका मालिक करदें और ये वापस कब्ज़ा करके फिर उसी मोहताज को दे इसी तरह दौर (लौटा फेरी) करता रहे। यहाँ तक कि सब सालों का फिदिया अदा हो जाये। मसलन दस साल की नमाज़े कज़ा है एक बार मोहताज को 35,338/– रुपये दिये और उसे मालिक कर दिया तो एक साल का फिदिया अदा हो गया। अब वह मोहताज वापस उसे हिबा कर दें वह कब्ज़े में लेकर फिर दोबारा उसी मोहताज को दे दे इसी तरह दस बार देने से दस साल का फिदिया अदा हो जायेगा (यह हिलाए शरई है इसके मसाईल किसी जानने वाले से या मौलवी साहब से पूछें और उसी तरह अदा कर लें)।

(बहवाला दुर्रे मुख़्तार फतावा रज़विया बहारे शरीअत)

नौट : जिस मोहताज के जरीये यह हिला शरई करना हो उसे पहले यह तरीका समझा दिया जाये।

नमाज़े तहज्जुद

नमाज़ें तहज्जुद के बेशुमार फज़ाईल हदीस शरीफ में आये हैं। कुरआन करीम में कई जगह तहज्जुद पढ़ने वालो का तज़करा आया।

नमाज तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज़ के बाद सो कर उठे उस के बाद से सुबह सादिक तुलुअ होने तक हैं। तहज्जुद की नमाज़ कम से कम दो रकअ़त और ज़्यादा से ज़्यादा हुज़ुर सलल्लाहु अलैही व सल्लम से आठ रकअ़त तक साबित हैं।

इमाम आज़म की तहकीक पर चार चार पढना अफजल हैं।

हुजुर पुरनूर सलल्लाही अलैही व सल्लम पर यह नमाज़ फर्ज़ थी। मगर उम्मत से फर्जीयत मनसूख हो गई। अब सुन्नत हैं।

—:कुर्बानी का बयान:—

मसला —: हर मालिके निसाब मर्द व औरत पर हर साल कुर्बानी वाजिब हैं। यह एक माली इबादत हैं। खास जानवर को खास दिन में अल्लाह के लिये स्वाब की निय्यत से जिब्ह करना इसी का नाम कुर्बानी हैं।

मसला —: मालिक निसाब वह शख्स हैं जो साढ़े बावन 52½ (52.5) तोला चाँदी सा साढ़े सात तोला सोने (7½ तोला सोना) या इसमें किसी एक की कीमत के बराबर नकद रूपया या इतनी कीमत का बिजनिस का माल सामान या रूपयों पैसों, नोटो का मालिक हो। तो उस पर कुर्बानी वाजिब हैं।

मसला —: जिस पर मालिके निसाब होने की वजह से कुर्बानी वाजिब है उसी तरह मालिके निसाब पर फितरा भी वाजिब हैं। (यानि मतलब यह हुआ जिस पर फितरा वाजिब उस पर कुर्बानी भी वाजिब)

मसला —: कुर्बानी का जानवर मोटा ताजा अच्छा और वे ऐब होना जरूरी हैं वरना कुर्बानी न होगीं।

मसला —: अन्धा, लंगड़ा, काना, बेहद दुबला लागीर के चल कर कुर्बान गाह तक न जा सके, तिहाई से ज़्यादा कान (1/3) से ज़्यादा दुम, सीगं थन वग़ैरा कटा हुआ। पैदाईशी बे कान का बीमार इन सब जानवरों की कुर्बानी जाईज़ नहीं। (बहारे शरीअत)

मसला —: जानवर की खाल (चर्म कुबानी) झूल रस्सी सब को सदका कर दें। और खाल खुद अपने काम में भी ला सकता हैं। मसलन ढ़ोल,मश्क,मुसल्ला, (जानमाज़) बिछोना, किताबों की जिल्द वग़ैरा किसी भी काम में ले सकता हैं। लोगों का यह ख्याल की काम

में नहीं ले सकते गलत हैं (बहारे शरीअत)

मसला –: आजकल लोग खाल का किसी दीनी मदरसो, मस्ज़िदो में दे दिया करते हैं। यह जाईज़ हैं। और मदर्सा में देने की निय्यत से खाल बैच कर कीमत मदरसा में दे तो भी जाईज़ हैं। (आलमगीरी) मगर बैच कर कीमत खुद काम में नहीं ले सकते यह नाजाईज हैं।

मसला –: कुर्बानी के जानवर की उम्र यह होना चहियें। ऊँट पाँच साल, गाय, भैस, पाड़ा,(भैसा बैल दो साल) बकरी बकरा एक साल से कम उम्र हो तो कुर्बानी जाईज़ नहीं । ज़्यादा हो तो जाईज़ बल्कि अफज़ल हैं।

हाँ दुम्बा या भेड़ का छः माह का बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उस की कुर्बानी जाईज़ हैं। (दुर्रे मुख्तार)

नोट –: बहुत लोगों का ख्याल हैं कि छः माह का बकरा अगर साल भर का मालुम हो (दुर से देखने में) तो उसकी कुर्बानी जाईज़ हैं सो यह बिलकुल गलत हैं। बकरा या बकरी मुकम्मिल एक साल का होना चाहिये। लिहाजा खटीक या बेचने वाले की बात का यकीन नहीं किया जा सकता वह तो 10 माह के बकरे को भी एक साल का कह कर बेच देते हैं। साल से ऊपर उम्र होने की सहीह पहचान यह है कि बकरे के आगे के दो दाँत अपने आप साल भर बाद गीर जाते हैं और उसकी जगह पक्के दाँत (दो) निकल आते हैं। जब बकरे के यह दाँत टूट जाये या पक्के दाँत निकाल आये तो अब यकीनी बकरा एक साल का हैं बल्कि ऊपर ही का हैं ऐसे पक्के दाँत वाला बकरा ही खरीदें। या घर का पला है तो अच्छी तरहा हिसाब लगा लें की साल का हुआ या नहीं वरना कुर्बानी अदा ना होगीं।

मसला –: कुर्बानी के जानवर तीन किस्म के हैं। इनके अलावा दुसरे जानवर मसलन नील गाय, हिरन–बारह सींगा वगै़रा की कुर्बानी नहीं हो सकती। कुर्बानी के जानवर यह हैं। ऊँट, गाय, बकरी, हर किस्म में उस की जितनी किस्में हैं सब दाखिल हैं। नर या मादा खस्सी सब का एक हुक्म हैं यानी सब कि कुर्बानी हों सकती है भैस–गाय में शुमार हैं। इसकी भी कुर्बानी हो सकती हैं भेड़ और दुम्बा बकरी में दाखिल हैं। इनकी भी कुर्बानी हो सकती हैं। (आलमगीरी)

मसला :– ऊँट गाय भैंस भैंसा (पाड़ा) बैल में सात लोग शरीक हो सकते है यानि सात जनो की कुर्बानी हो सकती हैं। उसी तरहा कुछ शख्स कुर्बान की नियत से और कुछ अकीके कि नियत से शरीक हो सकते हैं। (मगर इसमें लड़के (मर्द) के लिये अक़ीक़ा के दो हिस्से होना चाहिये और लड़की के लिये एक हिस्सा काफी है।)

मसला –: खटीक या कसाई को खाल या गोश्त वगै़रा कुछ भी खाल उतारने या गोश्त की कटाई करने की उजरत में न दें बल्कि उसकि उजरत मजदुरी अलग से अदा करें। (हिदाया)

मसला –: कुर्बानी के वक्त (दिनों में) कुर्बानी करना ही लाज़ीम (जरूरी) हैं। कोई दुसरी चीज़ उस के कायम मुकाम नहीं हो सकती मसलन बजाये कुर्बानी उस ने बकरी या उस की किमत सदका (खैरात) कर दी यह न काफी हैं।

मसला –: कुर्बानी का वक्त दसवीं जिलहिजा के सुबह सादीक निकलने से बाहरवीं के गुरूब आफताब तक हैं यानि तीन दिन दो रातें। और इन दिनों को अय्याम नहर कहते हैं। और ग्यारह से तेराह तक तीन दिनों को अय्याम तशरीक|लिहाज़ा बीच के दो दिन अय्याम नहर व अय्यम तशरिक हैं। दसवीं के बाद दोनो रातें अय्याम नहर में दाखिल हैं इनमें कुर्बानी हो सकती हैं मगर रात में जिब्ह करना मकरूह हैं।

(आलमगीरी–बहारे शरीअत)

कुर्बानी के खास मसले

मसला –: शहर में कुर्बानी की जाये तो शर्त यह हैं कि नमाज़ हो चुके लिहाजा नमाज़ ईद से पहले शहर में कुर्बानी नहीं हो सकती। और देहात (गाँव में) चुंकि नमाज़ ईद नहीं हैं यहां फजर निकलने के बाद में ही कुर्बानी हो सकती हैं।

मसला –: कुर्बानी के दिन गुजर गये और कुर्बानी नहीं कि उस को जानवर या उसकि किमत सदका (खैरात करना) वाजिब हैं।

(आलमगीरी)

कुर्बानी की दुआ व तरीका

जानवर को बाये पहलु पर इस तरह लिटाये कि किबला की तरफ उसका मुँह रहे (इस तरह उसके पांव भी किबला की तरफ ही रहेंगे)फिर अपना दाहिना पांव उसके पहलु पर रख कर तेज छुरी से जल्द जिबह कर दिया जाय। और ज़िब्ह से पहले यह दुआ पढ़ी जायें।

कुर्बानी की निय्यत

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّ
مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۔ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَ
مَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۔ لَا شَرِیْكَ
لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۔ اَللّٰهُمَّ
مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔

"इन्नी वज्जहतु वजहि य लिल्लजी फ त रस्समावाति वल अर द

हनीफवँ व मा अना मिनल मुशरिकीन। इन्न सलाति व नुसुकी न महया य व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आ ल मी न । ला शरी क लहु व बिज़ालि क ओमिर्तु व अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा मिन क व ल क "बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर" पढ़कर ज़िबह करे ज़िबह के बाद अगर अपनी तरफ से कुरबानी की हैं तो इस तरह कहें।

दुआ

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ
وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ۔

"अल्लाहुम्म तकब्बल्हु मिन्नी कमा तकब्बल त मिन खलीलि क इब्राही म व हबीबि क मुहम्मदिन अलैहिस्सलातू वस्सलाम"।

अगर किसी दुसरे के नाम से करे तो लफ्ज़ मिन्नी की जगह मिन फलाँ इब्न फलाँ कहे। इस तरह करें के चारों रगें कट जायें या कम ईज कम तीन रगें कट जायें। इससे ज़्यादा न काटें कि छुरी गर्दन के मुहरा तक पहुँच जायें कि यह बे वज़ह कि तकलीफ हैं। फिर जब तक जानवर ठन्ड़ा ना हो जायें यानि जब तक उसकि रूह बिल्कुल ना निकल जाये। उसके पाँव ना काटे जायें। या खाल वग़ैरा न उतारें। और अगर दुसरे की तरफ से ज़िब्ह करे तो मिन्नी की जगह मिन कहकर उसका नाम लें।

नोट –: ज़िबह करने के लिये हर धार दार चिज़ से (छुरी, चाकु, तलवार, वग़ैरा किसी भी धार वाली शै से) ज़िबह कर सकते हैं। इसके (जैसा की मशहुर हैं) लिये तीन छेद वाली छुरी वग़ैरा होना ज़रूरी नहीं। यह गलत "मशहूर" है कि छुरी में तीन छेद हों" और उसके

लकड़ी का दस्ता हों (वग़ैरा वग़ैरा खुराफात) यह गलत हैं। हर धार वाली चिज़ जिससे जानवर जिबह हो सके चाहे वह धार वाला पत्थर ही हों तो भी जिबह करना जाईज़ हैं।

2. एक जिहालत यह फैली हुई है कि अगर जानवर की गर्दन कट कर अलग हो जायें तो अब वह जानवर हराम हो गया। (मसलन मुर्गी वग़ैरा में ऐसा हो जाता हैं) यह भी बिल्कुल गलत हैं। वह जानवर हलाल हैं जबकि जिब्ह करते वक्त "बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर" पढ़ी गई हों ।

अक़ीक़ा का बयान

बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर जिब्ह किया जाता हैं। उसे "अकीका" कहते हैं।

मसला –: जिन जानवरों को कुर्बानी में जिब्ह किया जाता हैं। उन्ही जानवरों को अकीका में भी ज़िबह कर सकते है।

मसला –: लड़के के अकीके मैं दो बकरे और लड़की के अकीका में एक बकरा ज़िबह करना अच्छा हैं। मगर कोई लड़के के अकीका में एक बकरा करे तो भी जाईज़ हैं।

अगर गाय भैंस अकीका में जिबह करे तो दो हिस्सा लड़के कि तरफ से और एक हिस्सा लड़की की तरफ से जिबह करने की निय्यत करें। (यानि कुल सात हिस्से इन जानवरों में हो सकते हैं) चाहे तो पुरी गाय या भैंस लड़के या लड़की के अकी के की में ज़िबह करें।

मसला –: अकीका के लिये बच्चे की पैदाईश का सातवा दिन बहतर हैं। और सातवें दिन ना कर सकें तो जब चाहें करें। सुन्नत अदा हो जायेगी।

मसला –: अकीका का गोश्त बच्चे के माँ बाप दादा दादी नाना नानी वग़ैरा सब खा सकते हैं। और जाहीलो में जो यह मशहुर हैं कि

अकीका का गोश्त यह लोग नहीं खा सकते यह बिलकुल गलत हैं।

मसला –: इस की खाल का वही हुक्म हैं जो कुर्बानी की खाल का है कि अपने काम में लायें या गरीब को दे। या किसी नेक काम मस्जि़द या मदर्सा में ख़र्च करें।

मसला –: अकीका में जानवर जिबह करते वक्त एक दुआ पढ़ी जाती हैं। उसे पढ़ सकते हैं। और याद ना हो तो बगैर दुआ पढ़े भी ज़िबह करने से अकीका हो जायेगा।

दुआए अक़ीकह

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ ابْنِيْ
فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا
بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ
وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّابْنِيْ
مِنَ النَّارِ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

"अल्लाहुम्म हाजिही अकीकतुब्नी फुलानिन द मु हा बि द मिही व लहमुहा बि लहमिही व अजमुहा बि अजमिही व जिलदुहा बिजिल्दिही व शअरूहा बि शअरिही अल्लाहुम्मज अल्हा फिदाअन लि इब्नी मिनन्नार। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर" अगर बाप ज़िबह करने वाला हो तो ऐसा कहे वरना दुसरा इब्नी की ज़गह फला बिन फला यानि उस लड़के का नाम लें।

अगर लड़की का अकीका है तो युँ पढ़े।

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ بِنْتِيْ فُلَانَةَ دَمُهَا
بِدَمِهَا وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهَا وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهَا
وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهَا وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهَا مِنَ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّبِنْتِيْ مِنَ النَّارِ بِسْمِ اللّٰهِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ

अल्लाहुम्मा हाज़िही अकीकतो बिन्ती फुल न तिन दमोहा बि दमिहा व लहमुहा बि लहमिहा व अज़मुहा बिअजमिहा व जिल्दुहा बि जिल्दिहा व शअरुहा बि शअरिहा अल्लाहुम्मज अलहा फिदाअन लि बिन्ती मिनन्नरा – बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर।

जक़ात का बयान

जकात फर्ज़ है। इसका इनकार करने वाला काफिर हैं। और न देने वाला फासीक व जहन्नमी और देने में देर करने वाला गुनहगार और उसकि शहादत मक़बुल नहीं। (आलमगीरी)

नमाज़ की तरह इस के बारे में भी बहुत सी आयते व हदीसे आई हैं। जिस में जकात अदा करने की सख़्त ताकीद हैं। और अदा न करने वाले पर तरह–तरह के दुनिया व आखीरत के अजाबों की वईदें आई हैं।

मसला –: अल्लाह के लिये माल के एक हिस्से का जो शरीअत ने मुकरर्र किया हैं। किसी को मालिक बना देना। इस को शरीअत में "जकात" कहते हैं।

जकात बाजिब होने के लिये चन्द शर्तें है।

1. मुसलमान होना। काफिर पर फर्ज़ नहीं।
2. बालिग़ हो यानि नाबालिग़ पर जकात फर्ज़ नहीं।
3. आकिल होना यानि पागल पर ज़कात फर्ज़ नहीं।
4. आजाद होना यानि लोड़ी, गुलाम पर जकात फर्ज़ नहीं।
5. मालिक निसाब होना यानि जिस के पास निसाब से कम माल हो उसे पर जकात फर्ज़ नहीं।
6. पुरे तौर पर इसका मालिक हो यानि उस पर काबिज भी हों।
7. निसाब का कर्ज़ से फारीग होना। मसलन किसी के पास पांच हजार रूपया हैं मगर वह पांच हजार का कर्ज़ दार भी है तो उस का

माल कर्ज़ से फारिग नहीं लिहाजा उस पर जकात नहीं।

8. निसाब का हाजते असलिया से फारीग होना। हाजते असलिया यानि आदमी को ज़िन्दगी बसर करनें में जिन चीज़ो की ज़रूरत हैं। मसलन अपने रहने का मकान चाहें करोड़ो का हो सर्दी व गर्मीयों के कपड़े , घरेलु सामान यानि खाने पीने के ओर खाना पकाने के बर्तन, चारपाईया, मेजे, कुर्सियां, चुल्हे, पंखे वग़ैरा इन मालो में जकात नहीं।

9. मालनामी होना यानि बढ़ने वाला माल होना चाहे हकीकतन बढ़ने वाला हो जैसे माल तिजारत और चराई पर छोड़े हुऐ जानवर या हुकमन बढ़ने वाला माल जैसे सोना चांदी नकद रूपया, नोट शेयर, डिपोज़िट वग़ैरा के यह इसलिये पैदा किये गये है कि इन से चीज़े खरीदी और बैची जायें ताकि नफा होने से यह बढ़ती रहें। सोना चांदी किसी हाल व सूरत में हो जेवर हो या दफन हो इस की ज़कात निकालनी ज़रूरी हैं।

10. माल निसाब पर एक साल पुरा गुजर जाना। यानि निसाब पुरा होते ही ज़कात फर्ज़ नहीं होगी। बल्कि एक साल तक वह निसाब का मालिक रहे तो साल पुरा होते ही उस की ज़कात निकाली जायेगी। (आलमगीरी)

निसाब किसे कहते हैं

सोने का निसाब साड़े सात तोला हैं और चांदी का साड़े बावन तौला हैं। और चांदी में चालिसवां हिस्सा जकात निकाल कर अदा करना फर्ज़ हैं। सोना या चांदी देना ही फर्ज़ नहीं इसकी कीमत भी बाजार भाव से दे सकता हैं।

लिहाजा जो शख्स मर्द या औरत 52.½ साड़े बावन तोला चांदी या साड़े सात तोला सोना या उसके बराबर कीमत का केश नकद रूपया या बिजनिस का सामान का मालिक हो और इस पर साल भर मालिक रहे। तो उस पर ज़कात फर्ज़ हैं। जो चालिसवां हिस्सा 2½% ढ़ाई फीसदी की रेट

रूपया) इसी तरह हिसाब लगा लें।

नोट –: एक तरीका यह कि जो सोना–चांदी केश डिपोजिट व बिजनिस का जो माल हाजीर हैं सबका हिसाब करलें कि कितने रूपयों का होता हैं। मसलन 35000/- का सोना, 25000/ की चांदी कुल बैक में बैलिन्स 50,000/- बिजनेस का सामान 2,00,000/- कुल 3,10,000/ – हुऐ। इसका 40 वां हिस्सा या 2½% ढाई फीसद रू. 7750/- ज़कात हुई (लगभग)।

मसला –: जक़ात का रूपया मुर्दा के कफन दफन या मस्ज़िद की तामीर में ख़र्च करना चाहें तो पहले फकीर को जों जकात लेने का हक रखता हैं उसे देकर मालिक कर दें। अब चाहें मस्ज़िद मदर्सा या मुर्दा के कफन वग़ैरा में ख़र्च करे तो हो सकता हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसला –: जक़ात हर उस शख्स को दी जा सकती हैं जो फक़ीर हो सैय्यद को जकात नहीं दी जा सकती। और रिश्ते में भाई बहन भान्जा भतीजा, काका काकी,मामू, चाचा दामाद, साला, बहनोई, बहु को व नजदिकी रिस्तेदार जो गरीब हैं। उन को दी जा सकती हैं। इनको देने से स्वाब दुगना हैं। जबकि हक़दार हो ! (बहारे शरीअत)

मसला –: ज़कात देने के लिये जकात कह कर ही देना ज़रूरी नहीं, कर्ज या कुछ भी कह कर दे सकते हैं। हदीया, पान खाना, चाय पानी, मिठाई वग़ैरा या ईदी के नाम दे सकते हैं तो भी अदा हो गई। बाज़ मुहताज ज़रूरत मंद जकात का रूपया नहीं लेना चाहते। उन्हे ज़कात कहकर दिया जायेगा तो नहीं लेगे। लिहाजा जकात का लफज न कहें।

(बहारे शरीअत)

शरीअ्त में फकीर कौन हैं फकीर किस को कहतें है?

मसला –: फकीर वह शख्स (मर्द या औरत) हैं। जिसके पास कुछ हो मगर ना इतना के निसाब को पहुँच जायें या निसाब के बराबर

हो तो उसके हाजत असलिया में काम आजायेगा। या कर्ज़दार हैं कि कर्ज़ चुकाने के बाद निसाब बाकि ना रहेंगा तो फकीर हैं। (निसाब की तारीफ पहलें बयान हो गई) यानि जो शख्स 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर का मालिक न हो तो गरीब हैं। चाहे उसके पास रहने का मकान एक लाख का हो।

मसला —: बहु और दामाद और सौतेली माँ या सौतेले बाप या जीजा की औलाद या शो हर की औलाद को जकात दे सकता है। और रिश्तेदारों में जिसका नफका जिम्में वाजिब हैं उसे ज़क़ात दे सकता हैं। जब्कि नफका में से ना काटे या नफ्का में शामील ना करें। (बहरे शरीअत)

मसला —: जिस के पास मकान या दुकान जो किराया पर उठाता हैं। और उसकि किमत मसलन एक लाख हो मगर किराया इतना नहीं जो उस की और बाल बच्चों के राशन पानी को काफी हो सके तो उसको भी ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह उसकी मिलकियत में खेत हैं जिन की काश्त करता हैं मगर पैदावार उतनी नहीं जो सालभर के खाने के लिये काफी हो तो उसको ज़कात दे सकते हैं। (बहारे शरीअत)

मसला —: दुसरे शहर को ज़कात भेजना मकरूह हैं। मगर जब उसके रिश्तेदार वहां हो तो उसके लिये भेज सकता हैं। (दुरे मुख्तार)

मसला —: जकात का माल मस्जिद, मदर्सा, मुसाफिर खाना कफन दफन में देना, या कुआं बनवा देना, या किताबे खरीद कर मदर्सा में वक्फ कर देना इससे ज़कात अदा नहीं होती।

काबीले तवज्जह तम्बीह

आजकल आम तौर पर दीनी मदर्सो में ये चलन है कि अतियात और सदकात व खैरात व कुर्बानी की खालें और जकात की सब रकमें मुतवल्ली या नाज़ीम के पास जमा की जाती हैं और नाजीम व मुतवल्ली उन सब रकमों को मिला कर रखतें हैं। और उसी रकम में से तालिब इलमें को खाना खिलाते हैं और उसी रकम में पढ़ाने वाले की नौकरी की तनख्वाह भी देते हैं। और मस्ज़िद व मदर्सा की इमारत भी बनवाते हैं। और वाज करने वाले व इम्तिहान लेने वालों को नज़राना भी देते हैं। अपने काम भी लाते हैं।

याद रखें इस तरह ना तो जकात देने वालों की जकात अदा होती हैं। न इन कामों में जकात की रकमों को लगाना जाईज । और यह मुतवलिल्यों और नाजिमों की बहुत बड़ी खियानत हैं। कि वह लोगों के जकात के मालों को जाईज़ तरीके से काम में नहीं लाते और गुनाहगार होते हैं।

हद यह हैं कि फर्जी मदर्सा के नाम से ज़कात के हजारो लाखो रूपय लोग ले जाते हैं। यूँ जकात अदा न होगी। और इन जकात लेने वालों को खुद मालुम नहीं की ज़कात का पैसा कहां और किस तरह काम में लाया जा सकता हैं। फिर ऐ मुसलमानों क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हों। क्या तुम्हारे शहर में गरीब लोंग नहीं है? गरीब बेवाएं नहीं है? यतीम नहीं है? उन्हें देकर ज़्यादा स्वाब कमाओ बल्कि गरीब बहन बहनुई चाचा जीजा वग़ैरा वग़ैरा रिश्तेदारों को देकर डबल स्वाब कमायें।

अपने रिश्ते बेटा बेटी नवासा नवासी नीचे तक व माँ बाप दादा दादी ऊपर तक के और अपनी बीबी के अलावा सभी रिश्ते वालों को जैसे भाई बहन काका, काकी भाभी भतीजे भान्जा भान्जी व दामाद,

भाभी, वग़ैरा वग़ैरा को दे सकता हैं। जब्कि ना तो सैय्यद हो न मालदार। 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने का या इसके बराबर केश का मालिक ना हो तो जकात इन्हें दी जा सकती हैं। चाहे इनके रहने का मकान लाखों रूपयों का हो ।

रिश्ते वालो को जकात देने का दुगना स्वाब हैं। पड़ौस वालो को फिर मौहल्ला वाले फिर शहर वाले को दे। फिर भी बचा रहे तो बाहर भेज सकता हैं।

सदकाए फित्र का बयान

हर मालिके निसाब में (जो 7.5 तोला सोना या 52½ तोला चांदी या इनमें से एक की किमत के बराबर नकद रकम जो चाहें बैक में हो मतलब यह कि इतनी रकम या इतने बिजनिस के माल का मालिक हों) को अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग़ औलाद की तरफ से एक एक सदकाऐ फितरा देना वाज़िब हैं। (दुर्रे मुखतार)

मसला —: सदकाऐ फितर कि मिकदार यह है कि गेहूँ या गेहूँ का आटा आधा साअ (यालि दो किलो 47 ग्राम) या जौ या जौ का आटा या खजुर एक साअ यानि 4 किलो 94 ग्राम हैं। (बहारे शरीअत)

मसला —: सदकाऐं फितर के लिये रोज़ा रखना शर्त नहीं है। लिहाजा किसी ने किसी किस विज़ह से रोज़ा न रखा होतो भी उसे सदकाऐं फितर देना वाज़िब हैं। (बहारे शरीअत)

मसला —: ईद के दिन सुबह सादीक तुलुअ होते ही सदकाऐं फितर वाज़िब होता हैं। (बहारे शरीअत)

मसला —: सदकाऐ फितर नाबालिग या पागल अगर मालिके निसाब हो तो इन पर भी वाज़िब हैं। इनका वली इनके माल से अदा करें। (बहारे शरीअत)

मसला —: बाप ना हो तो दादा बाप की ज़गह हे वह देगा। (बहारे शरीअत)

मसला —: माँ पर अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदका देना वाज़िब नहीं। (बहारे शरीअत)

नोट —: जाहीलो में यह बात बहुत मशहुर हो गई हैं कि हर शख्स को फितरा अदा करना चाहिये गरीब हो या मालदार वर्ना रोज़ा आसमान व ज़मीन के बिच लटका रहेगा। सो यह बिलकुल गलत हैं। अगर गरीब भी फितरा देगा तो फितरा लेगा कौन ? फितरा का तो हुक्म हुआ ही इसलिये कि गरीबों कि मदद हों जायें। और मालदार गरीबों को फितरा दें।

मसला —: अपने बालिग़ बच्चों और अपनी बीबी का फितरा भी देना वाज़िब नहीं हैं। अगर बीबी खुद मालदार है तो वह अपनी तरफ से देगी। और साल भर मालदार रही तो ज़कात भी ओर उस पर अपनी तरफ से अलग कुर्बानी करना भी वाज़िब हैं। (बहारे शरीअत)

(फ) बहुत से लोग यहां तक के आजकल के छोटे मोटे मौलवीं सहाबान भी फितरा की रकम ठीक नहीं बतातें। याद रखें अगर आप गेहूँ देना चाहें तो जैसा गेहूँ आप खाते हैं वैसा गेहूँ दे सकते हैं यानि एक फितरा का 2 कि. 47 ग्राम गेहूँ और नगद देना चाहते हैं तो अब आप को मण्ड़ी के या बाजार के भाव से रकम देनी पड़ेगी। बहुत लोग सरकारी राशन की दुकानों के भाव से फितरा दे देते हैं उनका पुरा फितरा अदा नहीं होता। शरीअत का मकसद यह हैं कि जो रकम उसे मिले उससे वह 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ खरीद सके फकीर के पास राशन कार्ड कहा और उसे देगा कौन कि राशन की दुकान पर फिक्स गेहूँ ही दिया जाता हैं। लिहाजा अगर गेहूँ देना है तो राशन का भी दे सकते मगर किमत देना चाहें तो बाजार भाव से ही देना होगा।

सुवाल किसे हलाल है

आजकल एक आम बला फैली हुई हैं कि अच्छे खासे तन्दरूस्त चाहे तो कमा कर दुसरो को खिलायें। मगर उन्होंने अपने वजुद को बेकार करार दे रखा हैं। मेहनत से जान चुराते हैं। और नाजाईज तोर पर भीख मांगना अपना पैशा ही बना रखा हैं। घर में हजारों रूपया हैं। खेती बाड़ी है मगर भीख मांगना नहीं छोड़ते। उनसे कहा जाता है तो जवाब देते है कि यह तो हमारा धन्धा हैं। वाह साहब। क्या हम अपना पैशा छोड़ दे ? हालाकि ऐसे लोगों को सुवाल करना और भीख मांगना बिलकुल हराम है। और मालुम होते हुए ऐसो को देना ज़ाईज़ नहीं हैं। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स बगैर ज़रूरत के सुवाल करता हैं (भीख मांगता हैं) गोया वह आग का अंगार खाता हैं। (तिरमीज़ी शरीफ)

रोज़ा और फज़ाईले रमजान का बयान

यह मुबारक महीना बड़ी बरकत और बहुत फज़ीलत वाला है। मुबारक वह जो इसकी खेर व बरकत हासील करे। और मेहरूम (बदनसीब) और पुरा मेहरूम वह है जो इससे मेहरूम रहे। यह अल्लाह व रसूल का मेहबूब महीना है। इसी माह में कुरआन पाक नाज़ील हुआ। इसमें आसमान व जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं। और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं। इस माह में मुसलमान की मौत शहादत है। रोज़ा का स्वाब बे हिसाब है। **रोज़ा का स्वाब इफतार के वक़्त कोई रद नहीं होती।** और रोज़ा दार के अगले गुनाह बख्श दिये जाते हैं। जन्नत का एक दरवाजा जिसका नाम रय्यान है, रोज़ा दारो ही के लिये है। बे उज़्र रमज़ान में अलल्ल ऐलान खाने पीने वाले के लिये हाकिम इस्लाम को कत्ल का हुक्म है। अफसोस आज कितने बेग़ैरत लौग सरे बाज़ार रमज़ान की हुरमत को पामाल करते और सरे बाज़ार खाते पीते रहते हैं।

-: रोज़ा की हकीकत :-

दिल, आँख, कान, हाथ, पाँव, जुबान सबका रौज़ा है, न कि मुहँ बन्द रहे और दुसरे हिस्से गुनाहो में मशगूल नफ़स (स्वयं) को गुनाहो से रोकना यह रोज़ा तो मुसलमान को हर रोज, हर वक्त रखना फर्ज़ है। मगर रमजान में अपने आप को बिलकुल गुनाहो से रोकने के साथ दिन भर खाने, पीने, जमा (हम बिस्तर होना) से रोकना (नफस को) हकीकी रोज़ा है।

हाँ फर्ज तो इससे भी अदा हो जाता है कि नफस को हलाल कामो से रोके। मगर जिस तरह नमाज बगैर खूज़ुअ व खुशुअ (आजीज़ी व इन्कसारी) के बेरूह है। इसी तरह ऐसा रोज़ा कि मुहँ बन्धा और दुसरे

सारे अअ़ज़ा (बदन के हिस्से) गुनाहो में मशगूल (लिप्त) रहें तो ऐसा रोज़ा भी बे रूह के है।

चाँद देखने का बयान :–

हूज़ुर, स्वलल्लाह अलैयाहि वसल्लम शाबान का इस कदर तहफफुज फरमाते कि इतना और किसी महीने में न करते फिर रमजान का चाँद देखकर रोज़ा रखते और अगर बादल होता है तो तीस दिन पूरे करके रोज़ा रखते।

मसअला :– पाँच महीनों का चाँद देखना वाजिब किफ़ाया है। शाबान (शबे बराअत) रमजान, शव्वाल (मीठी ईद) जिकाअद (खाली) जिल हिज्जा (बकरीद) शाबान का इसलिसे कि अगर रमज़ान का चाँद देखते वक्त अंबर (बादल) या गुबार हो तो तीस पुरे करके रमजान शुरू करें। और रमजान का रोजा खत्म करने के लिये और जिक़ाअद का ज़िल हिज्जा के लिये। और जिहीज्जा का बकराईद के लिये। (बहारे शरीअत जि. 5 पेज 106)

मसअला :– 29 शाबान को चाँद देखे नजर आये तो कल से रोज़ा रखें, वरना तीस दिन पुरे करलें। इसी तरह 29 रमजान को वरना तीस रोजे पुरे करके इद करें।

मसअला :– मतला साफ ना होने में यानी आसमान में अब्र व गुबार होने की हालत में, सिर्फ रमज़ान के चाँद का सबूत एक मुसलमान आकील व बालिग मस्तूर या आदिल की गवाही से हो जाता है। चाहे मर्द हो या औरत और रमज़ान के सिवा तमाम महीनों का चाँद उस वक्त साबित होगा जब दो मर्द या एक मर्द और दो ओरतें गवाही दे और सब पाबन्दे शरीअत हो। और यह कहें कि "मैं शहादत देता हूं कि मैंने इस महीने का चाँद फला दिन खुद देखा है"। (हिदाया – दुर्रे मुख्तार)

आदिल होने का यह मतलब हैं कि कबीरा गुनाहों से बचता हो और सगीरा गुनाहों पर इसरार ना करता हो और ऐसा काम न करता हो जो तहजीब व मुरव्वत के खिलाफ हो। जैसे बाजारों, सड़कों पर चलते–फिरते खाना–पीना। मस्तूर से मुराद यह है कि जिस का जाहिर हाल शरअ के मुताबिक है मगर बातिन का हाल मालूम नहीं।

(रद्दुल मुहतार)

तो वहाँ के मुसलमानों को जमा करके शहादत दें। फिर मुसलमान इस शहादत (गवाही) को हाकिमे इस्लाम (या मुफती शहर) के यहाँ हाज़िर हों।

"एक खास मसअला"

ख़त, तार, इश्तिहार, अखबार, टेलिफोन रेडियो, टी.वी. सब बेकार अफवाहे बाज़ार हैं। या दो चार का कहीं से आकर कह देना कि फलां जगह चाँद हुआ है। सब ना काबिले ऐतबार सिर्फ शहादत (गवाही) पर दारो मदार है। मुसलमान ऐह–काम शरअ पर चलें। और अपने ख्यालात मशवरों, बातें कयासात को दखल न दें। जब कानूने शरीअत पर, रमज़ान का होना साबीत हो तो रोज़ा रखें। जब शव्वाल होना साबित हो तो ईद करें। दुसरे मज़हब वाले क्या कहते हैं इसकी परवाह न करें खुदा रसुल का क्या हुकम है उस पर अमल करें।

(इफादत मुफ्तीए आज़म हिन्द क़िबला)

सुनन व मुस्तहबात –

सेहरी का वक्त सुबह सादीक तक है। सेहरी खाना सुन्नत व बाइसे बरकत है। सेहरी देर से खाना सुन्नत है। मगर इतनी न हो कि सुबह सादीक होने का शक हो जाये। सहरी ज़रूर की जाये अगरचे एक चुल्लु पानी ही मुयस्सर हो।

इफ्तार :– इफ्तार में जल्दी सुन्नत व बाइसे बरकत है। आफताब (सुरज) का गुरूब (डूब जाना) का अच्छी तरह यकीन हो जाने पर इफ्तार कर लिया जाय। अबर (बादल हो तो) मे जल्दी न कि जाये। नमाज़ से पहले इफ्तार करें। खजूर छुहारे (खारक) यह न हो तो पानी से। खाने में मशगूल होकर नमाज़ में देर न करें। मर्द खाने की वजह से जमाअत न छोड़ें। आजकल बहुत लोग इसमें मुबतला हैं। वक्त इफ्तार यह दुआ पढ़ें।

"अल्लाहुम्मा लका सुमतो व बिक आमन्तो व अलैयका तवक्कलतो व अला रिज़किका अफतर तो फग़ फिरली मा कद्दमतो व मा अख्खरतो"

रोज़ा के फज़ाईल

अल्लाह पाक कुरआन में इर्शाद फरमाता है। "ऐ इमान वालों !" तुम पर रोज़ा फर्ज़ किया गया जैसा उन पर फर्ज़ हुआ था जो तुम से पहले हुऐ ताकि तुम गुनाहों से बचो। (कुरआन पाक)

रसुले अकरम ने इर्शाद फरमाया "रमजान अज़मत व बरकत वाला महीना है। इसमें एक रात हज़ार महीनों से बहतर है। इसमें नेकी का स्वाब ऐसा है जैसे किसी दुसरे महीने में फर्ज़ अदा किया। और इसमें जिस ने फर्ज़ अदा किया जैसे और दिनों में सत्तर फर्ज़ अदा किये। यह महीना सब्र का है। सब्र का स्वाब जन्नत है। जो इस महीने में रोज़ादार को इफ्तार कराऐ उसके गुनाहो के लिये बख्शीश है, और उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जायेगी। और उसके इफ्तार कराने वाले को वैसा ही स्वाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वाले को मिलेगा। बगैर इसके कि उसके स्वाब में कुछ कम हो। यह स्वाब अल्लाह तआला उसको भी देगा जो सिर्फ एक घुँट दुध या एक खुर्मा (छुहारा) या एक घुँट पानी से रोज़ा इफ्तार कराये। और जिसने रोज़ा दार को भर पेट खाना खिलाया उसको अल्लाह तआला मेरे हौज़ से पिलायेगा कि कभी प्यासा न होगा यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाये। (बीहकी)

हदीस शरीफ में है कि "आदमी के हर नेक काम का बदला दस से सात सौ तक दिया जाता है। मगर अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लियें है। और इसका बदला भी में ही दुंगा। (बहारे शरीअत)

और आप सल्लला हु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जिस ने अल्लाह की रज़ा (मर्ज़ी) के लिये एक दिन का रोज़ा रखा अल्लाह उसे जहन्नम से इतना दूर करेगा जैसे कौवा कि जब बच्चा था उस वक्त से उड़ता रहा यहाँ तक कि बुढ़ा होकर मरा। (बहारे शरीअत)

रोज़ा किसे कहते हैं?

"शरीअते मोहम्मदी में मुसलमान का इबादत की नियत से सुबह

सादीक से सूरज डूबने तक अपने आपको जान बुझ कर खाने पीने जमा (हमबिस्तरी) से रोके रखना ही रोज़ा है। औरत का माहवारी (एम सी.) ओर निफास से खाली होना शर्त है। (बहारे शरीअत)

रोज़ा के तीन दर्जे हैं।

1. आम लोगों का रोज़ा कि पैट और शर्मगाह को खाने पीने जमा से रोकना।

2. ख्वास का रोज़ा कि इनके अलावा (यानि खाने पीने जमा) कान, आँख, जुबान ओर शर्मगाह और बदन के हर हिस्से को गुनाह से अलग रखना।

3. खासुलखास का रेाजा कि सा.ो मखलुकात (जो कुछ अल्लाह ने बनाया सारी सृष्टी) सिवाये अल्लाह से अपने आपको बिल्कुल अलग करके सिर्फ उसी की तरफ यानि अल्लाह वहदहु ला शरी क लहु की तरफ मुत्तवज्जा (ध्यान मग्न) रहना। (बहारे शरीअत)

रोज़ा की पाँच किस्में हैं :–

1. फर्ज़ रोज़ा 2. वाजिब रोज़ा 3. निफल 4. मकरूह तन्ज़ीहि (यानि हलक़ामकरूह)5. मकरूह तहरीमी (यानि हराम के बराबर)

फर्ज़ :– रमजान का रोज़ा

वाजिब :– कफ्फारे का रोज़ा

निफल :– जैसे आशुरा यानि दसवी मोहर्रम और साथ नवीं का भी और हर महीने 13,14, 15, वीं का रोज़ा और अरफा का रोज़ा, पीर और जुमेरात का रोज़ा, शशईद के रोज़े।

मकरूह तन्ज़िहि :– जैसे सिर्फ हफ्ता (यानि शनिचर) का रोज़ा रखना। सौमे दहर यानि हमेशा रोज़ा रखना। सोमे सकुत (यानि ऐसा रोजा जिसमें कुछ बात न करें), सोमे विसाल कि रोज़ा रख कर इफ्तार न करे और दुसरे दिन फिर रोज़ा रखे यह सब मकरूह तन्ज़िहि हैं।

मकरूह तहरीमी :– जैसे ईद ओर अय्यामे तशरीक (बकर ईद) के

रोजे जिन दिनों में तस्बीह तशरीक़ पढ़ी जाती है, इन दिनों में रोज़ा रखना हराम है। (बहारे शरीअत)

मसअला :– रोज़ा – कि नियत का वक्त सुबह सादीक़ से ज़ुहवाऐ कुबरा (वक्ते ज़ुवाल शुरू होने से पहले) तक है। इसके बाद रोज़ा की नियत नहीं हो सकती। और रात में नियत हो सकती है।

मसअला :– ज़ुहवाऐ कुबरा (ज़ुवाल का वक्त शुरू होने पर) नियत का वक्त नहीं, बल्कि इससे पहले नियत हो जाना ज़रूरी है। अगर इसी वक्त ज़ुवाल शुरू हो जाय तब रोज़ा की नियत की तो रोज़ा नहीं होगा।

मसअला :– जिस तरह और जगह बताया गया कि "नियत दिल के इरादा का नाम है ज़ुबान से कहना शर्त नहीं, यहाँ भी वही मुराद है। मगर ज़ुबान से कह लेना मुस्तहब है।"

रोज़ा की नियत :– अगर रात में रोज़ा की नियत करे तो यूं कहे "नवैयतो अन असोम ग़दन लिल्लाही तअला मिन फर्ज़े रमज़ान हाज़ा"

यानि मेने नियत की कि अल्लाह अज्जा व जलल के लिये इस रमज़ान का फर्ज़ रोज़ा कल रखूँगा। और दिन में नियत करे तो यूँ कहे "नवेयतो अन असौम हाज़ल यौम लिल्लाही तआला मिन फर्ज़े रमज़ान मैने नियत की कि अल्लाह तआला के लिये आज रमज़ान का फर्ज़ रोज़ा रखूंगा।" (बहारे शरीअत)

मसअला :– इस तरह नियत की कि कल कहीं दावत हुई तो रोज़ा नहीं और नहीं हुई तो रोज़ा है। यह नियत सही नहीं और इस तरह रोज़ा दार नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– दिन में वह नियत काम की है कि सुबह सादीक से नियत करते वक्त तक रोज़ा के खिलाफ़ कोई ऐसा काम न किया गया हो जिससे रोज़ा टूट जाता है/लेकिन अगर भूल कर खा पी लिया हो, जमा कर लिया तो अब नियत नहीं हो सकती मगर मो अतमिद यह

है भूलने की हालत में अब भी नियत सही है।

मसअला :– सेहरी खाना भी नियत है। लेकिन जब सेहरी खाते वक्त यह इरादा हो कि सुबह को रोजा न होगा तो यह सहरी की नियत नहीं। (बहारे शरीअत)

मसअला :– रमज़ान के हर रोज़े के लिये नई नियत की ज़रूरत है पहली या किसी तारीख में पुरे रमजान के रोज़ा की नियत करली तोयह नियत सिर्फ उसी एक दिन के हक़ में है, बाकी दिनों के लिये नहीं। (बहारे शरीअत)

मसअला :– रमजान का रोज़ा जान बुझ कर तोड़ा तो उस पर इस रोज़े की कज़ा है, और रोज़ा तोड़ने के कफ्फारे में साठ रोजे और रखने होंगे और अब इसको इकसठ रोज़े रखने होंगे। (बहारे शरीअत)

उन चिजों का बयान जिससे रोज़ा नहीं जाता

1. भूलकर खाने, पीने या जमा करने से मक्खी, या धुआ या गुबार हल्क़ में जाने से रोज़ा नहीं जाता, लेकिन अगर जान बुझ कर धुआ पहुँचाया तो रोज़ा फासीद हो गया। जब कि रोज़ादार होना याद हो, चाहे वह किसी भी चिज़ का धुंआ हो, और किसी तरह पहुचाया हो। यहां तक के अगरबत्ती वगैरा, खुशबु सुलगती थी उसने मुंह करीब करके धुऐ को नाक से खिचा रोज़ा जाता रहा। सिर्फ कुछ तरी बाकी रह गई थी थूंक के साथ निगल गया, या दवा कुटी हलक़ में उसका मज़ा महसूस हुआ, या हड़ चूसी और थूंक निगल गया मगर थूंक के साथ हड़ का कोई हिस्सा हलक़ में न पहुँचा, रोज़ा न गया।

6. कान में पानी चला गया, या आँख में दवा डाली तो उससे रोज़ा नहीं जाता।

7. बात करने में थूंक से होठ तर हो गये और उसे पी गया, या खेखांर मुंह में आया और खा गया तो रोज़ा न गया।

8. मक्खी हलक में चली गई रोजा ना गया और कसदन (जानकर ली) तो चला गया।

9. भूलकर जमा (हम बिस्तरी) कर रहा था याद आते ही अलग हो गया रोज़ा न गया। या सुबह सादीक से पहले जमा में मशगूल था सुबह होते ही (रोजे का वक्त शुरू होते ही अलग हो गया रोज़ा न गया।

चाहे दोनो सूरतो में अलग होने के बाद मनी निकल गई हो तो भी रोज़ा ना जायेगा।)

10. भूलकर खाना खा रहा था याद आते ही फोरन लुकमा फेंक दिया तो रोज़ा न गया।

11. ऐहतलाम (सोते में मनी निकल जाने से) से या गिबत करने से रोज़ा नहीं जाता। अगरचे गिबत करना गुनाहे कबीरा (बहुत बड़ा गुनाह हैं) कुरआन पाक में गिबत करने की निस्बत फरमाया जेसे अपने मुर्दा भाई का गौश्त खाता है। और फरमाया गिबत ज़िना (बलात्कार) से भी सख़्त है।

12. जनाबत (नापाकी गुस्ल की हाजत में) की हालत में सुबह की बल्कि सारे दिन जुनुब रहा (नापाक रहा) रोज़ा न गया। मगर इतनी देर जान बुझ कर गुसल न करना की नमाज़ कज़ा हो जाये गुनाह व हराम है।

13. इन्जेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं जाता।
(इफादाते मुफ्तिये आज़म)

रोज़ा तोड़ने वाली चिज़ो का बयान

जानबुझकर रोज़ा याद होते हुये खाया, पिया या जिमा (हम बिस्तर) किया। भूल कर खा पी रहा था रोज़ा याद आने पर या सेहरी खा रहा था सुबह सादीक होने पर मुँह का निवाला या घूंट निगल गया तो रोज़ा जाता रहा अब रोज़ा व कफ्फारा दोनो वाजिब हो गये। कुल्ली करने में पानी हलक़ के निचे उतर गया, नाक में पानी डालने में दिमाग में चढ़ गया और रोज़ा दार होना याद है तो रोज़ा चला गया। लिहाज़ा रमज़ान में और रोज़ा में कुल्ली करते वक्त नाक में पानी चढ़ाते वक्त एहतियात रखे वरना रोज़ा चला जायगा।

कान में दवा या तैल डाला रोज़ा चला गया। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, चुरट, वगैरा पिने से पान खाने से चाहे पीक थूंक दे तो भी रोज़ा टूट

जाता है।

जानबुझकर खाने या बलगम या खून की उलटी (कै) की या खूद आई और चने बराबर या ज़्यादा निगल ली तो रोज़ा गया।

चने बराबर या ज़्यादा खाना दांतों में अटका था निगल गया, नाक में दवा डाली या सटक ली, कान में दवा या तेल डाला या सुबह सादिक के करीब या भूल कर जमा कर रहा था सुबह होने पर याद आने पर अलग न हुआ तो रोज़ा गया।

मकरूहात :– रोज़ा में यह चिजे मकरूह है।

झूंठ गिबत, चुगली, गाली गलौच, कोसना ताना देना, ना हक, तकलीफ देना, बे हुदा व फजुल बकना, चीखना, चिल्लाना, शतरंज, जुवा, ताश, वग़ैरा ना जाईज़ खेल खेलना, टी.वी. सिनेमा, तमाशा देखना, औरत का होंठ या जुबान चूसना, कुल्ली करने या नाक में पानी डालने में मुबालीगा करना, पानी में रियाह खारीज करना, बिला वजह किसी चीज़ का चखना चबाना, निचे खूब ज़ोर देकर इसतिन्जा करना, मकरूह है।

सर या बदन पर तैल मलने खूशबू सूंघने, सुर्मा लगाने या आँख में दवा डालने, मिस्वाकं करने में कोई हर्ज नहीं, मिस्वाक करना रोजे में भी सुन्नत है।

उपर मसाईल व रोज़ा के बयान में लफज़ सुबह सादिक कई बार आया है सुबह सादीक क्या है।

"सुबह सादीक़ एक रौशनी है कि पूरब की तरफ जहाँ से सुरज निकलने वाला हैं उसके उपर आसमान के किनारे में दिखाई देती है। और बढ़ती जाती है यहां तक के आसमान पर फैल जाती है। और जमीन पर उजाला हो जाता है। (यही सुबह सादीक है।) और इससे पहले बीच आसमान में एक लम्बी सफैदी ज़ाहीर होती है जिसके नीचे सारा उफक काला होता है सुबह सादीक इसके नीचे से फूटकर उत्तर दक्षिण दोनों तरफ फैल कर उपर बढ़ती है यह लम्बी सफैदी उसमें

गायब हो जाती है इसको सुबह काज़ीब कहते है। इससे फज्र का वक्त नहीं होता। यह जो बाज़ (कुछ) ने लिखा कि सुबह काज़िब की सफैदी जाकर बाद में काली हो जाती है सो गलत है सही वह है जो हमने उपर लिखा हुकम इसी पर है कि नमाज़े फज्र में सुबह सादीक की सफैदी चमक कर जरा फैलनी शुरू हो उसका ऐतबार किया जाये और इशा व सेहरी खाने में इस सफैदी के शुरू होने का ऐतबार होगा। (फायदा) सुबह सादीक चमकने से सूरज निकलने तक का समय इन इलाको में कम से कम एक घण्टा अठारह मिनट है। और ज्यादा से ज्यादा एक घण्टा पैंतिस मिनट न इससे कम होगा न इससे ज़्यादा। रमज़ान में सेहरी के चार्ट मिलते हैं। मस्ज़िदों में भी लगे होते है। फिर भी जिनको अच्छी तरह हिसाब मालूम न हो वह इस तरह ध्यान रखे 21 मार्च को यह वक्त एक घण्टा अठारह मिनट होता है 22 जुन को बढकर एक घण्टा पैंतिस मिनट हो जाता है। फिर घटना शुरू होता है। 22 सितम्बर को वापस एक घण्टा अठारह मिनट हो जाता है। फिर बढ़ता है यहां तक कि 22 दिसम्बर को 1 घण्टा 24 मिनट होता है फिर कम होता है। 21 मार्च को 1 घण्टा 18 मिनट हो जाता है। जो वक्त सही न जानता हो उसे चाहिये कि गर्मीयों में एक घण्टा चालीस मिनट रहने पर सेहरी छोड़ दें। खास तौर से जुन जुलाई में और सर्दीयों में 1 घण्टा तीस मीनट में यानि दिसम्बर और जनवरी में। और मार्च व सितम्बर के आखीर में एक घण्टा 24 मिनट पर सेहरी करना छोड़ दें।

दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ

हज़ का बयान

मुबारक है वह लोग जो सिर्फ अल्लाह तआला के राजी करने और उसके मेहबूब सैय्यदे अकरम व आज़म की इत्तिबाअ में गुनाहों से तौबा करके हज करते हैं। फिर गन्दी बाते न करें। झूँठ न बोलें न किसी की गिबत करें न बुराई करें। गाली गलोच से जुबान को रोकें। और सब फर्ज़ (नमाज़, जकात) व सभी वाजिब जैसे कुर्बानी करना फितरा देना, दाड़ी रखना वग़ैरा पर अच्छी तरह पाबन्द रहें हर गुनाह छोटा हो या बड़ा से बचते रहें। और इसकी कोशीश करते रहें। तो ऐसे हाजियों के लिये रसूले अकरम स्वलल्लाहो अलैही व स्वलम का इर्शाद है।

1. जिसने हज किया और रफ़स (गाली गलोच) न किया और न फिसक (गुनाह) किया तो गुनाहो से पाक होकर ऐसा लौटा जैसे इस दिन माँ के पैट से पैदा हुआ। (हदीस शरीफ)

2. हज उन गुनाहो को दफा कर देता है जो पैश्तर हुऐ।

3. हाजी अपने घर वालों में से चार सौ की शफ़ाअत करेगा और गुनाहों से ऐसा निकल जायेगा जैसे इस दिन माँ के पैट से पैदा हुआ।

4. जो मक्का से पैदल हज को जाऐं यहाँ तक के मक्का वापस आये उस के लिये हर कदम पर सात सौ नेकियाँ हरम शरीफ की नेकियों के बराबर लिखी जाऐंगी; कहा गया कि हरम की नेकियों की तादाद कितनी है फरमाया हर नेकी लाख नेकी है इस हिसाब से हर कदम पर सात करोड़ नेकियाँ हुईं।

5. एक तवील हदीश शरीफ में हाजी के लिये यह स्वाब मज़कुर हैं। हम यहा उसका मुख्तसर मफहुम दर्ज कर रहे हैं।

1. यह कि जब कोई हज के इरादे से घर से निकले तो हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ होता है।

2. और तवाफ के बाद दो रकअते ऐसी है जैसे औलादे इस्माईल में कोई गुलाम हो उसके आज़ाद करने का स्वाब।

3. और सफा मरवाह के दौरान सई करने का स्वाब सत्तर गुलाम आज़ाद करने का स्वाब है।

4. और अरफात के मैदान में वकूफ करने में अल्लाह तआला फरमाता है मैं तुम्हारे गुनाह रेत की गिनती और बारिश के कतरों और समुद्र के झाग के बराबर हो तो मैं बख्श दूंगा। ऐ बन्दो जाओ तुम्हारी मग़फरत हो गई और उसकी भी जिसकी तुम शफाअत करो।

5. और जुमरो पर रमी करने में हर कंकरी पर ऐसा कबीरा गुनाह मिटा दिया जाएगा जो हलाक करने वाला है।

6. और कुर्बानी करनी तेरे रब के हुजुर तेरे लिये ज़खीरा है।

7. और सर मुंडाने में हर बाल के बदले एक नैकी लिखी जाऐगी और एक गुनाह मिटाया जायगा।

8. और इसके बाद खानाऐ काबा का तवाफ का हाल यह है कि तवाफ कर रहा है और बिलकुल बेगुनाह बन चुका है। और यह कि तेरे पहले के सब गुनाह माफ हो गये।

सैंकड़ों हदीसे हज के फज़ाईल में आई हैं मगर उन सब के बयान करने की यहाँ गुंजाईश नहीं इसलिये चन्द बयान कर दी गई है।

सफरे हज़ के आदाब

1. जिस का कर्ज़ अपने सर हो, अमानत पास हो अदा कर दे। जिन के माल ना हक लिये हों वापस देदे या माफ कराले पता न चले कि किस किस का माले ना हक़ है ता इतना माल फकीरों को देदे।

2. नमाज़, रोज़ा ज़कात जितनी इबादतें जिम्मे पर हो सब अदा करे और तौबा करे।

3. जिसकी इज़ाजत के बगैर सफर मकरूह है। जैसे माँ बाप–शोहर उसे रज़ामन्द करे। जिस का कर्ज़ बाकी हो उस वक्त न दे सके तो उससे भी इज़ाजत ले फिर भी हज किसी की इजाजत न देने से रूक नहीं सकता। इजाजत में कोशीश करे न मिले जब भी चला जाएं।

(मगर औरत बगैर महरम के नहीं जा सकेगी)।

4. इस सफर का मकसद सिर्फ अल्लाह रसूल हों।

5. औरत के साथ जब तक शौहर या महरम बालिग़ काबीलें ईत्मीनान न हो (जिससे निकाह हमेशा को हराम है।) तो औरत को सफर हराम है। अगर करेगी हज हो जाऐगा मगर हर कदम पर गुनाह लिखा जाऐगा।

6. साथ का सामान (खाना पकाना) वग़ैरा का हलाल माल से हो वरना कबूल हज की उम्मीद नहीं। अगरचे फर्ज़ उतर जाऐगा।

7. ज़रूरत से ज़्यादा तोशा (माल पैसा सामान) लेकर दोस्तों रिश्तेदारों की मदद और फकीरों पर खैरात करता चले। यह हज़ मबरूर की निशानी है।

8. हज कि किताबे ज़रूरत के मुताबिक साथ ले वरना किसी आलिम के साथ जाए यह भी न मिले तो कम से कम आला हज़रत का रिसाला "अनवारूल बशारा फि मसाईले हज वल जियारा" और बहारे शरीअत हिस्सा छठा जरूर साथ रखे।

9. आईना सुर्मा कंघा मिसवाक साथ रखे कि सुन्नत है।

10. अकेला सफर न करे कि मना है। रफीक (दौस्त) दीनदार हो, कि बददीन के साथ जाने से अकेला जाना ही अच्छा है। (बददीन यानि बहाबी शिया वग़ैरा)

11. हदीश शरीफ में है कि जब तीन आदमी सफर को जाऐं अपने में से एक को सरदार बना लें इसमें कामों का इन्तज़ाम रहता है। सरदार उसे बनाऐं जो खुश ख़ल्क, आक़िल, दीनदार हो। सरदार को चाहिऐ रफीक़ो के आराम को अपनी आसाईश (आराम) पर मुकद्दम रखें।

12. चलते वक्त अपने दोस्तो, रिश्तेदारों से मिले और अपने कसूर माफ कराऐं। और अब इन पर लाजिम है कि दिल से माफ करदें। हदीश शरीफ में है कि जिसके पास उसका मुसलमान भाई मुआज़रत

(माफी चाहे) लाऐ वाजिब है कि कबूल करे वरना होज़े कौसर पर आना न मिलेगा।

13. वक्त रूखसत सब से दुआ ले कि बरकत पायेगा।

14. इनके सब दीन, जान–औलाद–माल–तन्दरूस्ती आफियत खुदा को सौंपे।

15. लिबास सफर पहन कर घर में चार रकअत निफल अलहम्द व कुल (यानि कुल या अय्यो हल काफीरून–कुलं हु वल्ला हु अहद–कुल आउजो बिरब्बील फलक व नास) से पढ़ कर बाहर निकले वह रकाते वापस आने तक उसके अहलो अयाल की निगहबानी करेंगी।

16. जब सफर को जाऐ जुमेरात या हफता (शनिचर) या पीर (सोमवार) का दिन हो, और सुबह का वक्त मुबारक है और जिस पर जुमा फर्ज़ हो जुमा के रोज़ जुमा से पहले सफर अच्छा नहीं।

17. दरवाजे से बाहर निकलते ही कहे "बिस्मिल्लाही व बिल्ला ही व तवक्कलतो अलललाहा व ला होल व ल कुव्वता इल्ला बिल्ला हील्लाहुमा इन्ना न ऊज़ो बिका मिन अन नज़िल्ला औ नदि़ल्ला व नुद़ल्ला औ नज़लिमा औ नुज़लमा औ नजहला औ यजहला अलैयना अहदुन। और दुरूद शरीफ खूब पढ़ता रहे।

18. सब से रूखसत के बाद अपनी मस्जिद से रूखसत हो, वक्त कराहत न हो तो उसमें दो रकअत निफल पढ़े।"

19. चलते वक्त कहे "अल्लाहुम्मा इन्ना न ऊजो बिका मिव्वा अशाइस्सफर व काबतिल मुनकलबी व सुईलम्न्ज़रे फिलमाली व वलअहली वलवलदी" वापसी तक माल और अहलो अयाल मेहफूज़ रहेंगे।

20. उसी वक्त यह पाँच सुरते मय बिस्मिललाह पढ़े फिर आखिर में एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले रास्ते भर आराम से रहेगा।" 1. सुरऐ काफिरून 2. इज़ाजा 3.अखलास (कुल हो वल्ला) 4. फलक 5. नास।

21. और उसी वक्त "इन्नलललज़िना फर्ज़ अलैयकल कुरआन लराद्दुका इला मआद" एक बार पढ़ ले खेरीयत से वापस आयेगा।

22. रेल या बस या कार में जब सवार हो बिस्मिल्लाह कहे फिर "अल्लाहोअकबर" और अलहमदुलिल्लाह और सुबहानल्लाह तीन तीन बार "ला इलाहा इलल्लालाहो" एक बार फिर कहें अलहम्दुलिल्लाहि 'सुबहानलल्ज़ी सखखरलना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुकरि नीन– व इन्ना ईलारब्बिना ल मुनकलिबून'। इसके शर (एक्सीडेन्ट) से बचे।

23. जिस शहर में जाऐ वहाँ के सुन्नी आलिमों और बाशरअ फक़ीरो के पास अदब से हाज़ीर हो। मज़ारात की ज़ियारत करे फजुल सैर तमाशे में वक्त न खोऐ।

24. जिस आलिम कि खिदमत में जाऐ वह मकान में हो तो आवाज़ न दे बाहर आने का इन्तज़ार करें। उसके हजुर बे ज़रूरत बात न करे। बे इज़ाजत लिये मसला न पूछे। उसकी कोई बात अपनी नज़र में खिलाफ शरअ हो तो ऐतराज न करे और दिल में नेक गुमान रखे। मगर ये सुन्नी आलिम के लिये है बद मज़हब के साये से भागे।

25. हर सफर खूसूसन सफर हज में अपने और अपने अज़िज़ो दोस्तो के लिये दुआ से ग़ाफिल न रहे कि मुसाफिर कि दुआ क़बुल है।

26. जब किसी मुश्किल में मदद की हाजत हो तीन बार कहे "या इबादल्लाही अईनूनी" ऐ अल्लाह के नेक बन्दो मेरी मदद करो गैब से मदद डोगी यह हुकम हदीस शरीफ में है।

28. "या समदो" (ऐ बेनियाज) 134 बार रौज़ाना पढ़े भूख प्यास से बचेगा।

29. सोते वक्त आयतुल कुर्सी एक बार हमैशा पढ़े चौर और शैतान से अमान रहे।

30. सफर मदीना तय्यबा में काफिला न ठहरने कि वजह से मजबूरी की हालत में जुहर व असर मिलाकर पढ़ सकते हैं। इसके लिये ज़रूरी है कि जुहर के फर्जो से फारिग होने से पहले नियुयत कर ले कि इसी वक्त असर पढूंगा और फर्ज़ जुहर के बाद फौरन असर की नमाज़ पढ़े यहाँ तक कि बीच में जुहर की सुन्नते भी न हों। इसी तरह

मगरबि के साथ ईशा भी इन्ही शर्तो से जाईज़ है। और अगर ऐसा मौका हुआ कि असर के वक्त ज़ुहर या ईशा के वक्त मगरिब पढ़नी हो तो सिर्फ इतनी शर्त है कि ज़ुहर व मग़रिब के वक्त निकलने से पहले इरादा कर ले कि इनको असर व इशा के साथ पढूंगा।

31. वापसी में भी वही तरीका ध्यान में रखें जो यहाँ उपर बयान हुआ।

32. आते ही सबसे पहले अपनी मस्जिद में दो रकअत निफल के साथ मिले।

33. दो रकअत घर में आकर पढ़े फिर सबसे बकुशादा पैशानी मिले।

34. दोस्तो के लिये कुछ न कुछ तोहफा जरूर लाये और हाजी का तोहफा तबर्रूकात हरमैन शरीफैन से ज़्यादा क्या है। और दुसरा तोहफा 'दुआ' के घर पर पहुँचने से पहले इस्तकबाल करने वालो और सब मुसलमानों के लिये करे कि यह दुआऐ कबूल हैं।

हज को सही तरीके पर अदा करने की नौ शर्ते हैं।

अगर इन नौ शर्तो में से एक भी न पाई जाऐं तो हज सही नहीं।

1. इस्लाम (लिहाज़ा काफीर ने हज किया तो न हुआ।)

2. ऐहराम बगैर ऐहराम हज नहीं होता।

3. ज़माना यानि हज़ के लिये जो वक्त मुकर्रर है इससे पहले या बाद में नहीं हो सकता। मसलन तवाफ कुदुम व सई कि हज के महीनों से पहले नहीं हो सकते। **और वकुफ अरफात नवीं के ज़वाल से पहले या दसवीं की सुबह सादिक होने के बाद नहीं हो सकता** और तवाफ ज़ियारत दसवीं से पहले नहीं हो सकता।

4. मकान तवाफ की जगह मस्जिदुल हराम शरीफ है और वकुफ के लिये अरफात व मुजदलफा, कंकरी मारने के लिये मिना, कुरबानी के लिये हरम यानि जिस काम के लिये जो जगह मुकर्रर है वही होगा दुसरी जगह नहीं हो सकता।

5. तमीज़ हज के लिए समझ की ज़रूरत

6. अक्ल जिसमें तमीज़ न हो जैसे ना समझ बच्चा या जिसमें अक्ल न हो जैसे मजनून (पागल) यह खुद वह काम नहीं कर सकते जिन में नियृयत की ज़रूरत हो मसलन एहराम या तवाफ बल्कि इनकी तरफ से कोई और करके और जिस काम में नियृयत शर्त नहीं जैसे वकुफ अर्फा ये खुद कर सकते हैं।

7. फराईज़े हज का पुरा कर लेना मगर जबकी उज़र हो।

8. ऐहराम के बाद और वकुफ से पहले जमा (हम बिस्तर) न होना। अगर होगा हज बातील (ख़ारीज) हो जाऐगा।

9. जिस साल ऐहराम बांधा इसी साल हज करना लिहाजा अगर इस साल हज फौत (ख़ारीज) हो गया तो उमरा करके ऐहराम खोलदे और साल आईन्दा जदीद (नये) ऐहराम से हज करे। और अगर ऐहराम न खोला बल्कि इसी ऐहराम से हज किया तो न हुआ।

हज फर्ज़ अदा होने के लिये नौ शर्ते हैं।

1. इसलाम
2. मरते वक्त तक इस्लाम पर रहना।
3. आकिल (अक्ल वाला)
4. बालिग होना
5. आज़ाद होना
6. अगर कादीर हो तो खुद अदा करना।
7. निफल की नियृयत न होना।
8. दुसरे की तरफ से हज़ करने की नियृयत न होना
9. फासिद न करना।

नोट :– यानि जिस पर हज फर्ज़ हो जाऐ तो उसे इस फर्ज़ को अदा करना जरूरी है (हज किन–किन पर फर्ज़ है इसकी तफसील बहारे शरीअत हिस्सा छटा में देखो) अब जिस पर हज फर्ज होगया तो उपर लिखी नौ शर्ते फर्ज़ अदा होने के लिये जरूरी हैं। वरना फर्ज़

अदा नहीं होगा मसलन निफल की नियत से हज किया या दुसरे की तरफ से हज करने गया जिसको हजे बदल भी कहते हैं। या किसी वजह से काफीर हो गया और हज करने चला गया वग़ैरा तो फर्ज़ अदा नहीं होगा या नाबालिग़ था हज कर लिया तो फर्ज़ अदा न हुआ।

हज में ये चिज़े फर्ज़ हैं।

1. ऐहराम कि यह शर्त है।

2. वकुफे अर्फा यानि नवी जिलहिज्ज़ा के आफताब (सूरज) ढलने (यानि वक्त जवाल खत्म होने के बाद) के बाद से दसवी की सुबह सादीक से पहले तक (यानि जब तक सेहरी का वक्त हो तब तक) किसी वक्त अरफात (अरफात के मैदान में) में ठहरना।

3. तवाफे जियारत का अकसर हिस्सा यानि चार फेरे।

नोट :— पिछली दोनो चिजें यानि वकुफ व तवाफ हज के रूकन है। (यानि इनके बगैर हज होगा ही नहीं)

4. निय्यत

5. तरतीब यानि पहले ऐहराम बांधना फिर वकुफ फिर तवाफ।

6. हर फर्ज़ का अपने वक्त पर होना यानि वकुफ के उस वक्त वकुफ होना जो उपर लिखा गया है उसके बाद तवाफ इस तवाफ का वक्त वकुफ के बाद से आखिर उम्र तक है।

7. मकान याने वकुफ जमीने अरफात में होना और तवाफ का मकान मस्जिदुल हराम (इज्ज़त वाली मस्जिद) शरीफ है।

हज के मसअले

हज़ के सारे मसअलो का बयान यहां इस छोटी सी किताब में मुमकिन नहीं। हज़ सही अदा करने के लये हर मुसलमान जिस पर हज़ फर्ज़ हो, मसाइले हज़ का सिखना फर्ज़े ऐन है। लिहाजा आला हज़रत का रिसाला "अनवारूल बशारा" व बहारे शरीअत छठा हिस्सा पढ़े और आलिमो से मालूमात करें कि यह बहुत जरूरी है वर्ना आप

की गाढ़ी कमाई ख़र्च हुई और हज़ फर्ज़ अदा न हुआ तो कितना बड़ा नुकसान है।

हम यहाँ चन्द ज़रूरी मसअले बयान करते हैं।

मसअला :– जिसका वकुफ अर्फा फौत हो गया (यानि 9 वीं जिलहिज्ज़ा को ज़ुवाल के बाद से 10वीं कीसुबह सादीक के बीच में अरफात में न रहा) तो उसका हज फौत हो गया (यानि हज़ न हुआ)। (बहारे शरीअत हिस्सा 6 पेज 129)

मसअला :– वकुफे अर्फा का वक्त नवी ज़ील हिज्जा (बकराईद की नो तारीख) के ज़ुवाल के बाद से दसवी की तुलुअ फर्ज़ (यानि रात जब तक फज्र का वक्त शुरू न हो) तक है। इस वक्त के अलावा किसी और वक्त वकुफ किया (ठहरा) तो हज न मिला।

मसअला :– थोड़ी देर ठहरने से भी वकुफ हो जाता है, चाहे सोते में हो या जागता हो या बेहोश हो या पागल हो गया हो। यहां तक कि अरफात से गुज़र गया उसे हज मिल गया (शर्त वहीं है कि 9वीं की ज़ुवाल के बाद और 10वीं की फर्ज़ का वक्त शुरू होने के पहले अरफात में पहुंच जाये।)

नोट :– मुसलमानों यह खुदा व रसुल के कानून हैं यहां गौर करें कि अगर कोई चांद दिखने से पहले यानि 29 शाबान को रोज़ा रख ले तो सुवाल है कि क्या यह रोज़ा रमज़ान का हो जायगा? आपका जवाब और शरअ शरीफ का जवाब यह है कि यह रोज़ा रमज़ान के फर्ज़ का नहीं हो सकता क्योंकि अभी रमजान शूरू नहीं हुआ। मगर कोई कहे कि बोहरों कि तो आज रमज़ान की 2 तारीख है जब उनका हो गया तो आपका क्यों न हुआ? ज़ाहिर है बोहरों के साथ हमारा रोज़ा इसलिये नहीं होगा कि उन्होंने रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले ही रोज़ा शुरू कर दिया और यह कि उनहोंने फरमाने रसूल न माना कि रमज़ान चांद देखकर शुरू करो और चांद न दिखे तो तीस दिन शाबान की पूरी गिनती करके रमज़ान शुरू करो। (हम अहले सुन्नत

के नज़दीक बोहरों की कोई ईबादत, ईबादत ही नहीं) यह समझने के बाद अब में आपकी खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हूं कि अगर सऊदी अरब की बहाबी नजदी हुकुमत अट्ठाईस को ही यानि बोहरो की तारिख के हिसाब से (जिसे यह मिसरी कलेण्डर कहते है।) दो दिन पहले ही जिलहिज्ज़ा का महीना शुरू कर दे तो आप बताऐ की उनकी 9 वी जिलहिजा को जिलहिज्जा की सातवीं तारीख होगी या नहीं और उनकी तारीख के हिसाब से हज अदा करने वालों का हज़ होगा या नहीं ? और सही तारीख यानि 9 वीं जिलहिज्जा को जो वहां के हिसाब से 11 जिलहिज्जा होगी अरफात में जाना शर्त होगा या नहीं? इसको आप खुद समझ लें। हां यह बात ज़रूर याद रखें की सऊदी हुकुमत मुसलमानों का ईमान खराब कराने तबलिगी जमाअत को अरबो रियाल दे रही है तो यह तो सिर्फ हज है। जब इमान खराब कराने के लिये अरबो रियाल ख़र्च करेंगे तो हज खराब कराने से इन्हें कौन रोक सकता है। हमारी बात पर ग़ौर करना आपकी ज़िम्मेदारी है हमारा काम आपको आगाह करना था। वमा अलैयना इल्लबलाग।

मज़कुरा नोट का सबूत अहले इलम, व इन्साफ पसन्द हज़रात देखना चाहें तो अल्लामा शैख़ अहमद बिन ज़ैनी वहलान शाफ़अी की किताब का उर्दु तर्जुमा बनाम "मसाइले तवस्सुल व ज़ियारत" मुतरजिम अल्लामा यासीन अख्तर मुस्बाही रूकन अलमजमअल इस्लामी मुबारक पुर और किताब "हमफरे के ऐतराफ" को पढ़ लें इन्शा अल्लाह आप हक व इन्साफ का रासता पालेंगे और हमारी ताईद के बगैर चारा न होगा। इन्शाअ अल्लाह।

मसअला :– मसला औरते कलाई, गला, बाल वग़ैरा सब छुपा कर रखें। मर्दो से बदन न लगने दें। कि यह सब गुनाह और जिस तरह मक्का में एक लाख गुना स्वाब है इसी तरह एक गुनाह भी एक लाख गुनाह के बराबर है।

मसअला :– हैज़ (माहवारी) की हालत में हज के तमाम काम हो

सकते है, अरफात में जाना, मुजदलफा में रहना, शैतानों को कंकरीया मारना, वग़ैरा सब काम कर सकती हैं। मगर काबा शरीफ के अन्दर जाना या तवाफ करना मना है।

मसअला :– एक बड़ी गलती औरते यह करती हैं कि वजु करते वक़्त अहराम के कपड़े पर मसह कर लेती हैं। सो फर्ज़ है कि कपड़ा हटा कर सर का मसह करें फिर वापस कपड़ा जैसा था वैसा कर लें।

(फ) रमी जमार (शैतानों को कंकरी मारना) में एक भारी गलती जिससे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है लिहाजा आप इस गलती को न करें इस काम में जल्दबाजी करके जान जोख़िम में न डालें। रमी जमार का वक्त रात को भी है। इसलिये रात को जब भीड़ कम या न हो तो उस वक्त कंकरिया मारे।

हज के दौरान, अरफात वग़ैरा में नमाज अपने खेमे में ही अदा करे और अगर कोई सुन्नी आलिम मिल जाये तो उसकी इकतिदा में वरना अकेले नमाज़ पढ़ लें। यहाँ तक कि जुमा के दिन भी बजाय जुमा के सिर्फ जुहर की नमाज़ अलग पढ़ें। क्योंकि वहां के इमाम वहाबी व नजदी हैं। उनके पीछे नमाज़ पढ़ना हराम व बातील है।

माँ बाप के हकुक

इस जमाने में लड़के और लड़कियां माँ बाप के हकुक से बिलकुल ही जाहील और गाफ़िल है।इसकी ताजीम व तकरीम इज्ज़त और फरमा बरदारी व खिदमत गुजारी से मुँहै मोड़े हुए है। बल्कि कुछ तो इतने इतने बड़े नालायक हैं कि माँ बाप को अपने कामों और बातों से तकलिफ पहुंचातें हैं। याद रखे यह गुनाहें कबीरा हैं। यानि बहुत बड़ा गुनाह अज़ीम इसकोको करके आप खुद को खुदा के कहर और उसके गज़ब में गिरफ्तार अजाबे जहन्नुम के हकदार बना रहें हैं।

रहमान के बदले शैतान की पैरवी कर रहें हैं। दीन व दुनियाँ

खराब कर रहे हैं। और शैतान उन्हें माँ बाप की खराबियों को दिखा कर उनको उनसे दुर कर जन्नत के रास्ते से हटा। जहन्नम के रास्ते पर चला रहा हैं। मगर अफसोस उन्हें इसका बिल्कुल ऐहसास भी नहीं हैं। हदीस शरीफ में हैं। परवरदिगार की खुशी माँ बाप की खुशी में हैं। और परवरदिगार की नाखुशी बाप माँ की नाराज़गी में है।

(तिरमीजी शरीफ)

एक और हदीस में है कि जो औलाद अपन वालेदेन की तरफ नज़रे रहमत करे तो अल्लाह तआला उसके हर नजर के बदले हज़ मबरूर का (यानि मक्बुल हज़) स्वाब लिखता हैं। लोगों ने कहा अगर दिन में सौ मर्तबा नज़र करें। फरमाया हाँ।

(फ) यानि अगर माँ बाप को मुहब्बत से कोई दिन में सौ मर्तबा देखें तो 100 हज़ का स्वाब पायें।

मुसलमान गौर करो यह नैअमत हमें अगर मिली है तो फायदा उठाओं। माँ बाप से मोहब्बत करो उन्हे खुश रखकर अल्लह को राज़ी कर लों।

नसाई शरीफ में है कि फरमाया हुजुर ने कि मन्नान यानि ऐहसान जताने वाला और वालदैन की नाफरमानी करने वाला और शराब खोरी करने वाला जन्नत में नहीं जायेगा।

हुजुर पुर नुर का इर्शाद है। कि एक शख्स ने अर्ज़ किया या रसुलअल्लाह वालदैन का औलाद पर क्या हक हैं। फरमाया कि वह दोनो तेरी जन्नत व दोजख हैं। यानि उनको राज़ी रखने से जन्नत मिलेगी और नाराज रखने से दोजख के मुस्तहक होगें।

और फरमाया जिस ने इस हाल में सुबह कि के अपने वालदैन का फरमाबदार है। उसके लिये सुबह ही को जन्नत के दरवाज़े खुलजाते हैं। और अगर वालदैन में से एक ही हो तो एक दरवाज़ा खुलता है।

और जिसने इस हाल में सुबह की के वालदैन की नाफरमानी करता हैं। उसके लिये सुबह ही को जहन्नुम के दरवाज़े खुल जाते हैं। और एक हो तो एक दरवाजा खुलता है। (बहारे शरीअत)

एक शख़्स ने कहां अगर (माँ बाप) उसपर जुलम करे हुजुर ने फरमाया अगर वह जुलम करें अगर वह जुल्म करें, अगर वह जुल्म करें (यानि माँ बाप तुम पर कितना हि जुलम करें।) तुम को कोई हक नहीं के उन्हें उफ तक कह सकों। क्योंकि यह कुरआन का हुक्म हैं कि उनसे उफ न कहना और उन्हें न झिड़कना बेअदबी से न बौलना और उन से इज्ज़त की बात कहना। और उनके लिये आजीजी का बाजु बिछा दें। नर्म दिली से और यह कहते मेरे परवर दिगार इन दोनो पर रहम कर जैसा इन्होने बचपन में मुझे पाला (पारा 15 रूकुअ 3)

माँ बाप की इज्ज़त करें। उनकी गलती पर तुम को उन्हें झिड़कना व डाँटना जाईज़ नहीं बाद में नर्मी से कह दें। दूसरों के सामने उनकी बात को न काटे/न उनकि गलती साबीत करें/बल्कि खामोशी इख्तियार कर लें। लेकिन दीन की कोई खास बात हो तो बहुत अदब से इजाज़त लेकर बयान कर दो मगर बहस करके बेअदबी न करें।

माँ बाप की नाराजगी से खुदा नाराज होता है। और माँ बाप के नाफरमान की कोई इबादत क़बुल न की जायेगी। लिहाजा माँ बाप को खुश रखना निहायत जरूरी हैं। उनका दिल दुखा कर तुम नमाज़ पढो रोज़ा रखो तो वह काबीले क़बुल नहीं ।(बहारे शरीअत–फतावा रज़विया)

माँ बाप जिन्दा न हों तो उनके दोस्तों व सहेलियों खाला चाचा के साथ ऐहसान करें उनकी खिदमत करें। माँ बाप के लिये इसाल स्वाब करते रहें। उनके नाम से खैरात करें । अपनी सभी इबादत का स्वाब उन्हें नज़र करें इस तरह तुम्हारे स्वाब में कमी नहीं आयेगी और उन्हें भी स्वाब मिलेगा। और उनको स्वाब भेजने से तुम्हारा स्वाब डबल हो

जायेगा।

माँ बाप का कर्ज़ हो तो उसे चुकाना तुमको जरूरी है। अगर माँ बाप नाराज है तो लाख इबादतें करों। हजारो ख़ैरात करों। मस्जिदें बनाओ या दारूल उलुम चलाओं सब का स्वाब तुम्हें जब तक नहीं मिल सकता। जब तक माँ बाप को राजी न करलो वरना जहन्नम में जाना पड़ेगा। और दुनियां में भी अजाब होगा। बल्कि मां बाप के नाफर्मान के कुफ्र पर मरने का अन्देशा है।

हुजुरे अकरम ने फरमाया

1.तीन शख्स जन्नत में ना जायेगे।

(1) माँ बाप की नाफरमानी करने वाला

(2) दय्युस (अपनी बीबी की दलाली करने वाला)

(3) और वह औरत जो मर्दानी वज़अ बनाये यानि मर्दों का लिबास पहने मर्दो जैसे बाल बनायें या मर्दो जैसे जुते पहने वग़ैरा।

2.तीन शख़्सो का कोई फर्ज़ व निफल अल्लाह तआला क़बुल नहीं फरमाता।

(1) आक जिसको बाप ने आक कर दिया हो।

(2) सदका देकर ऐहसान जताने वाला।

(3) हर नेकी व बदी को तकदीर इलाही से न मानने वाला।

3. सब गुनाह की सजा अल्लाह तआला चाहें तो कियामत के लियें उठा रखता हैं। (यानि कयामत के दिन सजा देगा) मगर माँ बाप की नाफरमानी की सजा जितेजी (दुनिया में ही) पहुँचाता हैं।

(बहारे शरीअत)

4. एक नौजवान नज़ा के आलम में था। उसे कलमा पढ़ने के लिये कहा जाता था। तो उससे न पढ़ा जाता था। यहाँ तक कि हुजुर अकदस सैय्यदे आलम सल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ ले गयें।

और फरमाया कि कह "लाइला हा इललल्लाहुमुहम्मदर रसुलुल्लाह" उसने अर्ज़ की नहीं कहा जाता मालुम हुआ कि माँ नाराज हैं। उसे राजी किया तो कलिमा ज़ुबान से निकला।

5. बाप की नाफरमानी अल्लाह जब्बार व कहहार की ना फरमानी है। और बाप की नाराज़ी अल्लाह कहहार व जब्बार की नाराज़ी हैं। आदमी माँ बाप को राजी करे तो वह उसकि जन्नत हैं। और नाराज करे तो वह उसकी दोजख हैं। जब तक माँ बाप को राजी ना करेगा इसका कोई फर्ज़ निफल कोई अमल हर गीज़ क़बुल ना होगा। अज़ाब आख़िरत के इलावा दुनिया में जीतेजी सख़्त बला नाजिल होगी। मरते वक्त कलिमा नसीब न होने का खौफ हैं।

(फतावा रज़विया जिल्द 10 पेज 57.58)

6. बेशक सब नेकियों से बढ़कर नेकी यह है कि फर्ज़न्द अपने बाप के दोस्तो से अच्छा सलुक करें।

7. अपने बाप से खिलाफ ना करे कि बाप की नाफरमानी कुफ्र हैं।

(मुसलिम शरीफ)

8. माँ का हक बाप के हक से ज़्यादा हैं (हदीस शरीफ)

9. हदीस शरीफ में है औरत पर सबसे बड़ा हक उसके शौहर का होता है। और मर्द पर सबसे बड़ा हक उसकी। माँ का है।

10. एक शख़्स ने हुजुर से पूछा या रसुलल्लाह सब से ज़्यादा कौन इस का मुस्तहक हैं कि में उसके साथ नेक रफाकत करू, (यानि नेकी का बर्ताव करू) आपने फरमाया तेरी माँ। अर्ज़ की फिर, फरमाया तेरी माँ, अर्ज़ की फिर, फरमाया तेरी माँ। अर्ज़ किया फिर, फरमाया तेरा बाप ।

11. एक और हदीस शरीफ में है जिस को यह बात पसन्द हो कि उसकि उम्र लम्बी हो और रिज़्क में बरकत हो और बुरी मौत न मरे

तो वह रिश्ते वालों के साथ अच्छा सलुक करें यानि सिला ऐ रहमी करें।

मसला –: सिलाऐ रहमी के मानी रिश्ता को जोड़ना है। यानि रिश्ता वालों के साथ नेकी और अच्छा सलुक करना। सारी उम्मत का इस पर इत्तिफाक है कि सिला रहम वाजिब है। और कतऐ रहम (रिश्ता काटना) हराम हैं। (बहारे शरीअत)

आम इन्सानों के हुक़ुक़

एक जगह हदीस में बताया गया है कि अगर तुझसे कुछ न बन पड़े यानी तू किसी को फायदा न पहुँचा सके तो इतना कर कि लोगों को तकलीफ न पहुँचा।

इसी सिलसिले में हदीस शरीफ में है कि "बेहतरीन मुसलमान वह है जिसके हाथ और जुबान से दुसरा मुसलमान मेहफूज रहे। एक मुसलमान गी चुगली दुसरे से न खाये की हराम हैं।" हर एक के साथ ऐहसान व अखलाफ का मामला करें की ईमान के बाद सबसे बड़ी अक़लमन्दी यह है कि लोगो के साथ दोस्ती की जाये। और तमाम मखलुक से ऐहसान और नेक सलुक किया जाये।

लोगों से खुश खलकी के साथ उनकी लियाकत के मुताबिक बात करनी चाहिये। जाहील से मुश्किल बात न करों। बुढ़े कमजोर की इज्ज़त करों और बच्चों पर शफक़त करों।

दो आदमी लड़ें तो उनमें सुलह (मैल मिलाप) करा दे । दो दिलों में सुलह करना बहुत बड़ा काम है। और दो दीलो में नफरत डालना सबसे खराब काम हैं।

इन्सान को चाहियें की दुसरो के ऐब छुपाये किसी पर जाहीर ना करें और अपने ऐब भी जाहिर ना करे। जो ऐब या जो गुनाह उस से हो गया उसे जाहिर न करे कि जब खुदा ने उसकी पर्दा पोशी कि है

तो वह खुद क्यों अपनी पर्दा दरी कर रहा हैं।

(अहयाऐ उलुमुद्दिन इज़ इमाम गजाली)

तुहमत की जगह से परहेज करें। वरना लोग बदगुमान होगें। ओर ग़ीबत करेंगे। ऐसी जगह भी खड़े नही होना चाहियें कि जहाँ तुहमत लगने का डर हो। जहां तक हो सके अपने मुसलमान भाईयों की मदद करें उसके काम आये। बिमार हो तो इलाज करा दें दवा ला दें। उसे पुछने जायें।

एक इन्सान के लिये इससे बढ़कर और कोई खूबी नहीं कि वह आम इन्सानों में अखलाक व मोहब्बत व हर दिल अजीजी के साथ उनमें धुल–मिल कर रहें। शगुफता रूई (हंसी हंसी) जिन्दगी गुजारे।

दोस्त व दुश्मन सब से कुशादा दिल होकर मिले। सलाम करे और सलाम का जवाब दे। (अहयाऐ उलुमुदी॰. इमाम गज़ाली)

याद रखो किसी मुसलमान को ज़लील ना समझो न किसी का मजाक उड़ायें न किसी का रोब व हैबत अपने दिल पर महसूस करें।

आम आदमियों में वकार के साथ रहना बेहतर हैं। मगर ऐसा न हो कि तक्कब्बुर करने लगे। तवाजुउ इख़्तियार करों मगर ऐसा और इतना नहीं कि लोग ज़लील कहने लगें या बेइज्जती करने लगें। (अहयाऐ उलुमुदीन)

किसी मजमा के पास न खड़े रहो । किसी के पास बैठो तो इतमीनान से बैठो । ऐसा मेहसुस न हो कि अभी उठकर भागना चाहता है।

अच्छी बात लोगो को बताते रहो। जो जानते हो लोंगो को बताओ अगर खामोश रहोगे और न बताओगे तो कियामत के दिन आग की लगाम मुंह में लगाई जायेगी। बुरी बातों से लोगो को रोको उन्हें समझाओ कि यह कुरआन का हुक्म हैं। वगैरा

(अहयाऐ उलुमुद्दीन इमाम गजाली रह अलैह)

ज़्यादा तर मालदारों के पास उनकी मजलिस में न रहें। गरीबो मिसकीनों और छोटे लोगो से मिलता रहे। हदीस शरीफ में है कि जिससे मसाकिन और गरीब राजी है यह निशानी है कि उस से खुदा राजी हैं।

हर मुसलमान भाई की भलाई और बेहतरी का ख्याल रखों। हदीस शरीफ में है कि तुममे से उस वक्त तक कोई मौमीन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिये वह चीज़ न चाहे जो वह अपने लिये चाहता हैं।

किसी मुसलमान भाई के लिए को दो कदम चलाना भी इबादत हैं। अल्लाह तआला उस शख्स से बहुत खुश होता है जो किसी गमज़दा के काम आये। और किसी मजलुम की मदद करें।

खुदा को सबसे ज़्यादा ना पंसदिदा यह से बात लगती हैं कि कोई शख्स खुदा की मखलूक को सताये। (अहयाऐ उलुमुद्दीन इमाम गजाली रह अलैह)

कोई भाई बिमार हो तो मिजाज पुर्सी करनी चाहिये मगर देर तक न ठहरे। उससे सुवालात न करें। उसकी तन्दरूस्ती की दिल में पक्की तमन्ना करें/और दुआ मागें। अगर मरीज़ का बिस्तर कमरा और आम हालात कुछ खराब है तो ना गवारी का ऐहसास ना होने दे। पैशानी पर हाथ रखकर पुछना चाहिये। कि तुम कैसे हो? फिर उसे हिम्मत बंधाओ और कहो की घबराओ मत जल्दी ठीक हो जाओगें।

हुजुर का इर्शाद है जिस ने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने खुदा को तकलिफ दी। मुसलमान की कोई चीज उसकी इजाज़त के बगैर लेना हराम हैं।

रास्ते में चारपाई कुर्सी या दुसरा सामान बर्तन पत्थर वग़ैरा मत डालो की किसी को तकलिफ हो। गलियों में और नाली में कचरा और गन्दगी मत फेको की इससे भी मुसलमान को तकलीफ होती है।

मौहल्ले की गलिया और नालियों में बच्चों को टट्टी के लिये बैठाना और नालियों में पाखाना बहाना की दुसरो के मकान के सामने जाये और बदबु पैदा करे। सख्त हराम है। (अहयाऐ उलुमुद्दीन)

किसी का खत न पढ़ों किसी का नाम बदल कर बुरे नाम से ना पुकारों जिससे उसे तकलीफ़ पहुंचे। कुरआन मजीद में इसकी सख़्त मुमानिअत आई हैं।

हदीस शरीफ

1.मुसलमान को गाली देना हराम और उसे क़तल करना कुफ्र हैं। (शैरवीय इज इबन मसउद)

2. खुदा के नज़दीक जाहिल सख़ी सखावत करने वाला इबादत गुज़ार बख़ील (कन्जुस) से बेहतर है। (तरमीजी)

ख़्वाब का बयान
अच्छा ख़्वाब देखे तो क्या करें

सरकारे कौनैन ताजदारे दारैन सलल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जब अच्छा ख्वाब देखे तो बेदार होने पर अल्लाह तआ़ला की हमद बजा लायें और कहें "अलहम्दु लिल्लाह" और सिर्फ दोस्त या आलिमें दीन से बयान करें। इलमें ताबीर जानने वाले इमाम फरमाते हैं। कि ख्वाब ना औरत से बयान किया जाये ना दुश्मन से बयान करें।

बुरा ख्वाब देखें तो क्या करें

मेहबुबे खुदा सरकार मुस्तफा सलल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जब बुरा ख्वाब देखें तो बेदार (जागने) होने के बाद बायें (उलटे हाथ की तरफ) तीन बार "थू" "थू" कर दे और तीन मर्तबा "अऊजो बिल्लाही मिनश्शैतानी रंजिम" पढ़े और करवट बदल ले और यह ख्वाब किसी को बयान न करें तो ख़्वाब (सपना) का बुरा नुकसान न पहुँचेगा।

जिससे ख़्वाब बयान करे वह क्या कहें

फारूके आज़म अमीरूल मौमीनीन हज़रत उमर रज़िअल्लाह तआला अन्हों ने अबू मूसा रज़ि अल्लाह तआला अनहों [illegible] को शहर बसरा में बाहेसियत हाकिम मुकर्रर फरमाया था।

उन्हें एक खत लिखा कि मुसलमानों में से जब कोई ख्वाब देखकर भाई से बयान करें तो भाई को चाहियें कि यूँ कहें।

"खैरूलना व शरूरना लि अअ़दाइना"।

तर्जुमा –: "यह हमारे लिये बहतर हो और दुश्मन के लिये बुरा" मुकामें ग़ौर है कि फारूके आज़म रज़ि अल्लाह तआला अन्हों की नज़र में इसलामी आदाब कैसी ऐहमीयत रखते थें। कि दारूल ख़िलाफा की तरफ से जो मुरासिला जा रहा हैं। उन्हें अबू मूसा अशअरी रज़ि अल्लाह तआला अन्हों को हुक्म दिया जाता हैं कि मुसलमानों को यह इसलामी तरका सीखा दिया जायें।

यहां से मुसलमान अपने नफ्स का जाईजा लें कि "इसलामी आदाब की तरफ रूगबत" रखता हैं। या गैर मुस्लिम कौम के तरीकों को पसन्द करता हैं। इल्म ताबीर के जानने वाले इमाम फरमाते हैं। कि

ताबीर वाले को चाहिये की सूरज निकलते वक्त और सूरज डूबते वक्त और जुवाल के वक्त और रात में ताबीर न दें।

(फतहउलबारी शरह बुखारी)

झूंठा ख़्वाब बयान करने का हुक्म

हजरत इब्न अब्बास रज़ि अल्लाह तआला अन्हों फरमाते है कि अशरफें अम्बिया हबीबे किबरिया सलल्ला हु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि ज़िस ने झूंठा ख्वाब बयान किया तो कियामत के दिन उस वक्त तक अज़ाब में गिरफ्तार रहने का मुस्तहक होगा। जब तक जौ के दो दानो में गीरह लगाये ओर गीरह हरगीज़ ना लगा सकेगा। और जो शख्स ऐसे लोगों कि बातों कि तरफ कान लगायेगा जो उसे सुनना नहीं चाहते तो कयामत के दिन उसके कानों में सीसा पिघला कर डाला जायेगा। (यानि किसी की बातो को छुपकर सुनने वाले के कानों में सीसा पिघला कर डाला जायेगा) और जो शख्स तस्वीर बनायेगा तो कियामत में उस वक्त तक अज़ाब में मुबतला रहने का सज़ावार होगा जब तक उसमें रूह फूंके। और हरगीज़ न फुंक सकेगा।

(बुखारी शरीफ)

इसाले स्वाब

हर फर्ज़ हर वाजिब, निफल वग़ैरा का स्वाब मुर्दो को पहुँचता है। और पहुँचाना जाईज़ है। लिहाजा बहारे शरीअत हिस्सा चार पेज 162 पर यह मसला दर्ज है।

मसअला :– नमाज़, रौज़ा, हज़ जकात, हर किस्म की इबादत और हर नैक काम, फर्ज़ व निफल का स्वाब मुर्दो को पहुँचा सकता है। उन सब को पहुँचेगा। और इस पहुँचाने वाले के स्वाब में कुछ कमी नहीं होगी। बल्कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, कि सबको पूरा–पूरा

स्वाब मिलेगा। यह नहीं कि उसी स्वाब को बाँट कर टुकड़ा–टुकड़ा करके मिले। (रद्दुलमुहतार) बल्कि यह उम्मीद है कि उस स्वाब पहुँचाने के लिये उन सब जिन–जिन को स्वाब पहुँचाया कि मजमुआ (टोटल) के बराबर मिलेगा। मसलन कोई नेक काम किया जिस का स्वाब कम इज़ कम दस मिलेगा उसने दस मुर्दो को पहुँचाया तो हर एक को दस–दस मिलेगे। और इस स्वाब पहुँचाने वाले को एक सौ दस का स्वाब मिलेगा। और हज़ार को स्वाब पहुँचाया तो इस स्वाब पहुँचाने वाले को दस हज़ार दस और इसी तरह बढ़ता रहता है।

(बहारे शरीअत हिस्सा 4 पेज 162, फतावा रज़विया)

मसअला :– इसाले स्वाब यानि कुरआन मजीद या दुरूद शरीफ या कलिमा तैयबा या किसी नेक अमल का स्वाब दुसरे को पहुँचाना जाईज़ है। ईबादते मालिया या बदनिया फर्ज़ व निफल सब का स्वाब दुसरों को पहुँचाया जा सकता है।

जिन्दो के इसाले स्वाब से मुर्दो को फायदा पहुँचता है। फिका (मसाईल) व अकीदें की किताबों में इसकी तफसील मौजुद है।

किताब हिदाया और शरह अकाईद **नसफी** में इसका का बयान मौजूद है। इसको बिदअत कहना हठ धर्मी है। हदीस शरीफ में भी इसका जाईज होना साबित है।

हज़रत सअद रज़िअल्लाह त आला अन्हो की वालिदा का जब इन्तकाल हुआ उन्होंने हुज़ुरे अकदस सल्ललल लाहु अलैहि व सल्लम कि खिदमत में अर्ज कि या रसूलल्लाह सअद की माँ का इन्तकाल हो गया। कौनसा सदका अफ्ज़ल है। इर्शाद फरमाया पानी। उन्होंने ने कुँआ खोदा और यह कहा कि यह सअद की माँ के लिये है।

मालूम हुआ कि जिन्दो के आमाल (काम) से मुर्दो को स्वाब मिलता है। और फायदा पहुँचता है।

रही खास तरीका की बात मसलन तीसरे दिन या चालिसवे दिन यह खास तारीखे तय करना न शरई है न इनको शरई समझा जाता है।

यह कोई भी नहीं जानता कि इसी दिन में स्वाब पहुँचेगा और किसी दुसरे दिन में किया जाय तो नहीं पहुँचेगा। यह सिर्फ रिवाजी और उर्फी बात है। जो अपनी सहुलियत के लिये लोगों ने रखी है। बल्कि इन्तेकाल के बाद ही से कुरआन मजीद कि तिलावत और खेर खैरात का सिलसिला जारी होता है। अकसर लोगों के यहाँ उसी दिन से बहुत दिनों तक ये सिल सिला जारी रहता है। इसके होते हुए लोगों का ये ऐतराज के दिनों का खास करना ही जाईज़ है और दिनों में नाजाईज है सिर्फ झूठ बात है। जो मुसलमानों के सर बांधा जाता है। और वहाबीयों की यह बेकार कोशीश है कि ज़िन्दो व मुर्दो को स्वाब से महरूम रखा जाय। जब इसाले स्वाब जाईज व हदीस से साबीत के स्वाब पहुँचाया जा सकता है बल्कि पहुँचता है तभी तो हुजुर ने कुआ खोदने और उसका पानी लोगों को स्वाब के लिये पिलाने का हुक्म दिया। फिर अगर यह काम मखसूस तारीख मैं सहुलियत के लिये कर लिया जाये तो नाजाईज़ किस आयत या हदीस की रू से हो गया। वहाबी के नसीब में स्वाब है ही नहीं इसिलिये वह दुसरों को भी मना करता है।

सौयम, तीजा, जो मरने से तीसरे दिन किया जाता है कुरआन मजीद पढ़वा कर या कलिमा तैय्यबा पढ़वा कर इसाले स्वाब करते हैं। और बच्चों और जरूरत मन्दों को चने पताशे या मिठाई तकसीम करते हैं। और खाना पकवा कर फकीरों व मसाकीन को खिलाते है या उनके घरों पर भेजते है। जाईज व बेहतर है।

फिर पन्जशबा यानि जुमेरात को हेसियत के मुताबिक खाना पका

कर गरीबों को देते या खिलाते हैं। फिर चालिसवें दिन खाना खिलाते हैं। फिर छः महीने पर ईसाले स्वाब करते है। उसके बाद बर्सी होती है। यह सब इसी ईसाले स्वाब के अलग–अलग तरीके हैं।

हाँ यह ज़रूरी है कि यह सब काम अच्छी नियत से किये जायें। लोगों को दिखाने के तौर पर न हों वरना इस तरह स्वाब ही नहीं होगा तो इसाले स्वाब क्या करोगे।

बाज़ लोग इस मौके पर अज़ीज व क़रीब के रिश्तेदारों की दावत करते हैं यह मौका दावत का नहीं बल्कि मोहताजों फक़ीरों को खिलाने का है। जिस से मय्यत को स्वाब पहुँचे। इसी तरह शबे बराअत में हलवा पकता है और उस पर फातिहा दिलाई जाती है।

शबे बराअत का हलवा पकाना भी जाईज़ है और उस पर फातिहा भी उसी इसाले स्वाब में दाखिल है।

माह रजब में बहुत से लोग सुरए मुल्क चालिस मर्तबा पढ़कर रोटीयों या छुहारों पर दम करते हैं। और उनको तकसीम करते हैं। और स्वाब मुर्दो को पहुँचाते हैं। यह भी जाईज है और इसी माह रजब में हजरत जलाल बुखारी अलैहि रहमा के कुण्डे होते हैं। चावल या खीर पकाकर कुण्डों में भरते हैं। और फातिहा दिलाकर लोगों को खिलाते हैं। यह भी जाईज़ है।

हाँ एक बात मज़मूम (खराब) है वह यह कि जहाँ कुण्डे भरे जाते हैं। वहीं खिलाते हैं। वहाँ से हटने नहीं देते। यह एक फालतू बात है। मगर यह जाहीलों का तरीका है। पढ़े लिखे लोगों में यह पाबन्दी नहीं इसी तरह माह रजब में बाज़ जगह हज़रत सैयदना इमाम ज़ाफर सादीक रजिअल्लाह तअला अन्हो को इसाले स्वाब की पुड़ीयों के कुण्डे व खीर के कुण्डे भरे जाते हैं। यह भी जाईज मगर इसमें भी उसी जगह खाने की कुछ लोगों ने पाबन्दी कर रखी है। यह बेजा पाबन्दी है। इस कुण्डे के मुतालिक एक किताब भी पढ़ी जाती है जिसका नाम

"दास्ताने अजीब" है इस किताब में जो कुछ लिखा है उसका कोई सबूत नहीं। वह किताब न पढ़ी जाये। सिर्फ फातिहा दिलाकर इसाले स्वाब करें।

माह मोहर्रम में दस दिनों तक खास तौर से दसवीं को हजरत सैय्यदना इमाम हुसैन रज़िअल्लाह तअला अन्हो व दिगर शोहदाऐ कर्बला को इसाले स्वाब करते हैं। कोई शरबत पर फातिहा दिलाता है। कोई दूध चावल पर कोई मिठाई पर। कोई रोटी गोश्त पर। कोई पुलाव पकवाता है तो कोई खीर पर फातिहा दिलाता है। जिस पर चाहो फातिहा दिलाओ। फातिहा दिलाना जाईज़ है। इनको जिस तरह इसाले स्वाब करो जाईज है। बहुत से पानी और शर्बत की सबील लगाते हैं। सर्दीयों में चाय पिलाते हैं। कोई खिचड़ा पकवाता है। जो भी नेक काम करो स्वाब पहुँचाओं। इन सब को नाजाईज नहीं कहा जा सकता बाज जाहीलो में मशहुर है कि मोहर्रम के दिनों में सिवाऐ शोहदाऐ कर्बला के दूसरों की फातिहा न दिलाई जाये। इनका यह ख्याल गलत है। जिस तरह दुसरे दिनों में सबकी फातिहा हो सकती है। इन दिनों में भी हो सकती है।

माह रबीउल आखीर की ग्यारहवी तारीख बल्कि हर महीना की ग्यारहवी को हुजुर सैय्यद गौस आज़म रज़िअल्लाह तआला अन्हों की फातिहा दिलाई जाती हैं। यह भी इसाले स्वाब की सूरत हैं। बल्कि गौस पाक रज़िअल्लाह तआला अन्हो कि जब कभी फातिहां होती है किसी तारीख में हो अवाम उसे ग्यारहवी की फातिहा ही बोलते हैं।

माह रजब की छठी तारिख को हुजुर ख्वाजा गरीब नवाज़ मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़िअल्लाह तआला अन्हो की फातिहा भी इसाले स्वाब में दाखिल हैं। (बहारे शरीअत)

असहाबे कहफ का तौशा या हजरत गौसे आज़म रज़िअल्लाह

तआला अन्हों का तोशा या हज़रत शैख अहमद अब्दुल हक रूदौलवी कद्दस्सरह अलअजीज़ का तोशा भी जाईज़ हैं। और इसाले स्वाब में दाखिल हैं। (बहारे शरीअत)

मसला –: उर्स बुजर्गाने दिन रज़िअल्लाह तआला अन्हुम अजमईन जो हर साल इनके विसाल के दिन होता हैं। यह भी जाईज़ है कि उस तारिख में कुरआन मजीद खत्म किया जाता हैं। और स्वाब उन बुजुर्गें को पहुँचाया जाता हैं। मीलाद शरीफ पढ़ा जाता हैं। या वाअज़ कहा जाता है ऐसे काम जो बाइसे स्वाब व खैर व बरकत हैं जिस तरह दूसरे दिनों में जाईज है। इन दिनों में भी जाईज़ हैं। हुजुरे अकदस सल्ललाहु तआला अलैहि व सल्लम हर साल के अववल या आखिर में शुहदाऐ ऊहद रज़ि अल्लाह तआला अन्हुम कि जियारत को तशरीफ ले जाते थे। हाँ यह जरूरी है कि उर्स को फालतु व खूराफात जैसी चीजों से पाक रखा जायें । जाहिलों को खिलाफे शरअ हरकतो ये रोका जाये। अगर मना करने से बाज़ ना आये तो इन कामों का गुनाह उनके ज़िम्में हैं। (बहारे शरीअत 16 पेज 208.10)

मजालिसे ख़ेर

मीलाद शरीफ में हुजुरे अकरम सल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की विलादते अकदस का बयान जाईज़ हैं। इसी बारे में इस मजलिसे पाक में हुजुर के फजाईल व मोज़िजात व सीरत व जिन्दगी के हालात रज़ाअत बाअसत वाकिआत बयान होते हैं।

इन सब चीजों का जिक्र हदीस में भी है। और कुरआन मजीद में भी यह सब जिक्र मौजूद है। अगर मुसलमान अपनी मेहफिल में बयान करने के लिये मेहफिल मिलाद का इन्तिजाम करें। तो उसके नाजाईज होने की कोई वजह नहीं।

इस मजलिस के लिये लोगों को बुलाना और शरीक करना अच्छे

काम की तरफ बुलाना हैं। जिस तरह वाअज व जलसो के ऐलान किये जाते हैं। अखबारात में उसके मुताल्लिक खबरे व मज़ामीन लिखे जाते हैं। इनकी वजह से वह वाअज़ व जलसे नाजाईज़ नहीं हो जाते। इसी तरह जिक्र पाक के लिये बुलावा देने से इस मजलिस को नाजाईज व बिदअत नहीं कहा जा सकता इसी तरह मीलाद शरीफ में मिठाई बाँटना भी जाईज है।

मगर अफसोस आज के कठ मुल्ला उन बड़े बड़े आलिमों की इबारतों, हुक्मों और नेक कामों पर पर्दा डालकर अवाम भोले मुसलमानों को इस नेक कामों को बिदअत और शीर्क कह कर मना कर रहे हैं। मुसलमानों इन के धोखे से बचों। हुसुले मकसद और हाजतपुरी करने के लिये मीलाद शरीफ बहुत फायदे मन्द हैं। और क्यों ना हो जब बड़े बड़े आलिम लोग यह काम हजारों बरसों से करते आये हैं। तो जरूरी यह काम बाईसे बरकत व रहमत इलाही का सबब हैं।

(बहारे शरीअत–फतावा रज़िवया)

इस मजलिस में जिक्र विलादत के वक्त कयाम किया जाता है यानि खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। उलमाऐं किराम ने इस कयाम को अच्छा कहा है। खड़े होकर सलात ब सलाम पढ़ना भी जाईज है।

मौत आने का बयान

हर शख्स की जितनी उम्र मुकर्रर है। ना उससे कुछ घटे ना बढ़े। आदमी लाखों जतन करे जग वह मुकर्रर्रह उम्र पूरी हो जाती हैं। तो मलकुलमौत (मौत का फरिश्ता) यानि हज़रत इजराईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिये आते और जान निकाल लेते है। उसी का नाम मौत हैं।

रूह कब्ज़ होने का वक्त बहुत सख़्त वक़्त है कि उसी पर तमाम

आमाल का दरोममादार हैं। और ईमान के तमाम नतीजे जो आख़िरत में ज़ाहिर होगे उसी पर मुतरत्तिब होते हैं। कि एतबार खात्मा ही का हैं और शैतान लईन ईमान लेने की फिक्र में है। जिसे अल्लाह तआला उसके मकर से बचाए और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए वही मुराद को पहुंचा। जब पाँव सुस्त हो जायें कि खड़े ना हो सकें। नाक टेढ़ी और मुँह की खाल सख़्त हो जाये और दोनो कंपटियां बैठ जायें तो सुन्नत यह हैं। कि दाहिनी करवट पर लिटा कर क़िबला की तरफ मुँह कर दें। और यह भी जाइज़ है कि चित लिटायें और क़िबला को पाँव करें कि यूं भी क़िबला को मुँह हो जायेगा मगर उस सूरत में सर को कदरे ऊँचा रखें और क़िबला को मुँह करना दुशवार हो कि उसको तकलिफ होती हो तो जिस हालत पर हैं। उस हालत पर छोड़ दें।

मसला —: जांकनी की हालत में जब तक रूह गले को न आई हो उसे तलकीन करें यानि उसके पास बुलंद आवाज़ से कलिमा तैय्यब या कलिमा शहादत पढ़े कि वह सुन कर पढ़े। मगर उससे यह न कहे कि कलिमा पढ़ो तुम्हे क्या मालुम कि वह किस तकलीफ सख़्ती में हैं। मुबादा इसके मुँह से कोई ग़लत बात निकल जायें तो उसकि उम्रभर की कमाई मिट्टी में मिल जायेंगी, तलकीन के वक्त उसके पास नेक और परहेज़गार लोगों का होना बहुत अच्छी बात हैं। और उस वक्त वहां सूरः यासीन शरीफ की तिलावत और खुश्बू होना मुस्तहब हैं। मसलन लुबान या अगरबत्तियां सुलगा दें। (आलमगीरी) और वह दोनों जुज़ कलम तैयबा के कह ले तो उससे दोबारा कहने या पढ़ने का इसरार ना करें कि कहीं उक्ता ना जायें। हां अगर कलिमा पढ़ने के बाद कोई और बात उसने की तो फिर तलक़ीन करें कि उसका आखिरी कलाम लाइलाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसुलुल्लाह हो।

कि "लाइलाहा इल्लल्लाह" बगैर "मुहम्मदुर रसुलुल्लाह" के मकबूल नहीं।

(हुलिया वगैरह)

मसला –: मौत के वक्त हैज़ व निफास वाली औरतें उसके पास हाज़िर हो सकती हैं। (आलमगीरी) मगर जिसका हैंज व निफास बन्द हों गया और गुस्ल नहीं किया उसे और जुनुब को ना आना चाहिए। कोशिश करें कि मकान में कोई तस्वीर और कुत्ता ना हो कि जहां यह होते हैं। रहमत के फरिश्ते नही आते। नज़अ के वक्त अपने और उसके लिए दुआए खैर करते रहें। कोई बुरा कलिमा जुबान से ना निकालें कि उस वक्त जो कुछ कहा जाता हैं। फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। नज़अ में सख़्ती देखें तो सूरः यासीन और सूरः रअद पढ़े। (बहारे शरीअत)

जब रूह निकल जाये तो एक चौड़ी पट्टी जबड़े के निचे से सर पर ले जाकर गिरह दे दें कि मुँह खुला ना रहे ओर आँखे बन्द करदी जायें और उंगलियां और हाथ पांव सीधे कर दिये जायें। यह काम उसके घर वालों में से जो ज़्यादा नर्मी के साथ कर सकता हो। बाप या बेटा वह करे। (जोहरा नैयरा) और उसके पेट पर लोहा या गीली मिट्टी या और कोई भारी चीज़ रख दें कि पेट फूल ना जाए।(आलमगीरी) मगर ज़रूरत से ज़्यादा वजनी ना हो कि बाइसे तकलीफ हैं। (दुर्रे मुख़्तार) मैय्यत के सारे बदन को किसी कपड़ें से छुपा दें। और जमीन की सील से बचायें। (आलमगीरी–दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– आँखें बन्द करते वक्त यह दुआ पढ़े

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهٗ وَاَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ

अल्लाह के नाम के साथ और रसुलूल्लाह की मिल्लत पर ऐ अल्लाह तू इसके काम को इस पर आसान कर ओर उसके माबाद को

उस पर आसान कर और अपनी मुलाकात से तू उसे नेक बख्त कर और जिसकी तरफ निकला (आख़िरत) इसे उससे बेहतर कर जिससे निकला। (गुनिया)

मसला –: उसके जिम्में कर्ज़ या किसी का माली मुतालबा हो तो जलद से जलद अदा करें कि हदीस शरीफ में हैं। मैय्यत अपने दैन में गिरफतार रहती हैं। ओर एक रिवायत में हैं कि उसकी रूह मुअल्लक रहती हैं। जब तक दैन अदा ना कर दिया जायें।

(रददुलमुहतार)

मसला –: मैय्यत के पास तिलावत कुरआन मजीद जाइज़ है। जब कि उसका तमाम बदन कपड़े से छुपा हो और तस्बीह व दीगर अज़कार में मुतलकन कोई हर्ज़ नही। (रददुलमुहतार)

मसला –: नागहानी मौत से कोई मरा तो जब तक मौत का यकीन ना हो तजहीज़ व तकफीन (कफन–दफन वग़ैरह) मुलतवी रखें। (आलमगीरी) हो सकता हैं। कि यह सक्ता हो जो तूल पकड़ गया।

मसला –: औरत मर गई और पेट में बच्चा हरकत कर रहा हैं। तो बायें जानिब से पेट चाक कर के बच्चा निकाला जाये और अगर औरत जिन्दा हैं। और उसके पेट में बच्चा मर गया। औरत की जान पर बनी हो तो बच्चा काट कर निकाला जाए। और बच्चा भी जिन्दा हो तो कैसी ही तकलिफ हो बच्चा काट कर निकालना जाईज नहीं।

(दुर्रे मुख्तार वगैरह)

मसला –: पड़ौसियों और उसके दोस्त अहबाब को मौत की इत्तला दे कि नमाज़ियों की कसरत होगी। मैय्यत के लिए दुआ करेगें कि उन पर हक हैं कि उसकी नमाज़ पढ़े ओर दुआ करें। (आलमगीरी)

मसला –: मैय्यत के पास जमीन पर बैठना अफजल हैं। और चार पाई तख़्त कुर्सी वग़ैराह पर बैठे तो उसकी मुमानीअत भी नहीं

(फतावा रिज़विया)

मसला –: जिस घर में मौत हो जायें वहां चुल्हा जलाना खाना पकाना, शरअन मना नहीं हैं। ना उसमें कोई गुनाह हैं। हां चूकि मौत की परेशानी के सबब वह लोग पकाते नहीं। इसलिये यह सुन्नत है कि पहले दिन सिर्फ घर वालों के लिये खाना भेंजा जाए और उन्हे इसरार करके खिलाया जाए ना दुसरे दिन भेंजे ना घर में ज़्यादा आदमियों के लिए भेजे, ना और लोग उसमें से खायें। (फतावा रिज़विया)

मय्यत का गुस्ल व कफन

मसला –: मैय्यत को नहलाना फर्ज़ किफाया हैं। बाज़ लोगो ने गुस्ल दे दिया तो सबसे साकित हो गया। (आलमगीरी)

मसला –: जहां मौत हुई अगर वहां उसके सिवा कोई और भी नहलाने वाले हो तो नहलाने पर उजरत ले सकता हैं। मगर अफ्ज़ल यह है कि ना ले और अगर नहलाने वाला ना हो तो उजरत लेना जाईज़ नही। (आलमगीरी)

मसला –: मैय्यत को नहलाने का तरीका यह है कि जिस तख्त या तख्ते पर नहलाने का इरादा हो उसको तीन या पाच या सात बार धुनी दें। यानि जिस चीज़ में वह खुशबू सुलगती है उसे इतनी बार तख्त या तख्ते के गिर्द फिरायें और उस पर मैय्यत को लिटा कर नाफ से घुटनों तक किसी कपड़े से छुपा दें। फिर नहलाने वाला हाथ पर कपड़ा लपेट कर इस्तिंजा कराऐ। फिर नमाज़ का सा वुजू कराए यानी मुँह धोए फिर कुहनियों समेत हाथ धोए। फिर सर का मसह करे फिर पाव धोए मगर मैय्यत के वजु में पहले गट्टों तक हाथ धोना और कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं हैं। कोई कपड़ा या रूई की फुरैरी भिगोकर दाँतो और मसूड़ो और होटों और नथनो पर फेर दें। फिर सर और दाड़ी के बाल हो तो गुल खेरू से धोए। यह ना हो तो

पाक साबुन, इस्लामी कारखाने का बना हुआ या बेसन या किसी और चीज़ से वरना खाली पानी ही काफी हैं। फिर बायें करवट से लिटा कर पांव तक बेरी में गर्म किया हुवा जायें वरना खालिस नीम गर्म (गुनगुना) पानी इस तरहा बहायें कि उस तख्ता तक पहुंच जाए फिर दाहिनी करवट लेटा कर यूं ही करें फिर टेक लगा कर बैठायें और नर्मी के साथ नीचे को पेट पर हाथ फेरें अगर कुछ निकले धो डालें। फिर से वुजू व गुस्ल ना दें। फिर आखिर में सर से पांव तक काफूर का पानी बहायें फिर उसके बदन को किसी पाक कपड़े से आहिस्ता से पोंछ दें।
(आमए कुतुब)

मसला —: एक मर्तबा सारे बदन पर पानी बहाना फर्ज़ है और तीन मर्तबा सुन्नत हैं। जहां गुस्ल दे मुसतहब यह हैं कि पर्दा कर लें। नहलाने वालों और मद्दगारो के सिवा दूसरा कोई ना देखे। नहलाते वक्त इस तरहा लिटायें जैसे कब्र में रखते हैं। यानि मैय्यत दाहिनी करवट पर लिटायें और उसका मुँह क़िबला को करें। ना हो तो किबले कि तरफ पांव करके या जो आसान हों। (आलमगीरी)

मसला —: नहलाने वाला बातहारत हो जुनुब या हैज़ वाली ने गुस्ल दिया तो कराहत हैं। मगर गुस्ल हो जायेगा और बे वुजू नहलाया तो कराहत भी नहीं।

बहतर यह हैं कि नहलाने वाला मैय्यत का सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हो। वह ना हो या नहलाना ना जानता हो तो कोई और शख्स जो अमानत दार व परहैजगार हो । (आलमगीरी)

मसला —: औरत मर जाये तो शोहर ना नहला सकता हैं। ना छू सकता हैं। और देखने की मुमानिअत नहीं।(दुर्रे मुख्तार) और अवाम में जो यह मशहूर है कि शोहर औरत के जनाज़े को न कंधा दे सकता हैं। न कब्र मे उतार सकता हैं। ना मुँह देख सकता है यह महज़ गलत

हैं। सिर्फ नहलाना या उसके बदन को हाथ लगाना मना है जनाजे को महज़ अजनबी हाथ लगाते कधों पर उठाते और कब्र तक ले जाते है। शोहर ने क्या कुसूर किया है। (फतावा रिज़विया)

मसला —: जुनूब या हैज़ व निफास वाली औरत को इंतकाल हुआ तो एक ही गुस्ल काफी है कि गुस्ल वाजिब होने के कितने ही असबाब हो सब एक ही गुस्ल से अदा हो जाते हैं। (दुर्रे मुख्तार)

मसला —: मैय्यत का बदन अगर ऐसा हो गया हो कि हाथ लगाने से खाल उधड़ेगी तो हाथ ना लगायें सिर्फ पानी बहा दें।(आलमगीरी)

मसला —: नहलाने के बाद अगर नाक कान मुँह और दूसरे सुराखों में रूई रख दें तो हर्ज़ नहीं मगर बेहतर यह हैं कि ना रखें। और मैय्यत के बालों में कंघा करना या नाखुन तराशना या किसी जगह के बाल मूंढ़ना या कतरना या उखाड़ना नाजायज़ और मकरूह तहरीमी और गुनाह है। और बल्कि हुक्म यह है कि जिस हालत में है। उसी पर दफन करदें। और अगर नाखुन या बाल तराश लिये तो कफन में रख दें। (आलमगीरी दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

मसला —: मैय्यत के दोनो हाथ करवटों में रखें सीने पर ना रखें कि यह कुफ्फार का तरीका हैं। बाज़ जगह नाफ के नीचे इस तरह रखते है। जैसे नमाज़ के कयाम में यह भी ना करें।

मसला —: औरत अपने शोहर को गुस्ल दे सकती हैं। (आलमगीरी)

मसला —: मैय्यत के गुस्ल के लिए कोरे घड़े, लोटे की ज़रूरत नहीं। घर के इस्तेमाली घड़े लोटे से भी गुस्ल दे सकते हैं। और बाज़ यह जिहालत करते है। कि गुस्ल के बाद उन्हें तोड़ डालते हैं यह नाजायज़ व हराम है कि माल को ज़ाया करना है। और यह ख्याल कि वह नजिस हो गए यह फुजूल बात है। जिस तरह ज़िन्दो के गुस्ल व वुजू का पानी और अगर फर्ज़ किया जाय कि नजस पानी की छींटे

पड़ी तो धो डाले। धोने से पाक हो जायेगी। और अकसर जगह घड़े लोटे मस्जि़दो में रख देते हैं। अगर यह नीयत हो कि नमाजि़यों को आराम और उसका सवाब मुर्दे को पहुंचेगा तो अच्छी नीयत और अगर ख़्याल हो कि घर में रखना नहूसत है तो यह निरी हिमाकत है और बाज़ लोग घड़े का पानी फेंक देते है यह भी हराम हैं। इसे काम में लायें। (बहारे शरीअत)

मसला –: मैय्यत को कफन देना फर्ज़ किफाया हैं। (आमए कुतूब)

मसला –: मर्द के लिये सुन्नत तीन कपड़े है । लिफाफा अज़ार कमीज और औरतो के लिए सुन्नत यह है कि उसे पांच कपड़ो में दफना दिया जायें। लिफाफा यानी चादर, अजार यानि तह बन्द कमीज़ जिसे कफनी कहते हैं। औढ़नी और सीना बन्द (आमऐ कुतुब) उसके सिवा कफनी में कोई तह बन्द या रूमाल रखना बिद्‌अत व ममनून हैं।

मसला –: लिफ़ाफा यानि चादर की मिकदार यह है कि मैय्यत के कद से इस कद्र ज़्यादा हो कि दोनों तरफ बांध सके। और अज़ार यानि तह बन्द चोटी से कदम तक यानी लिफ़ाफा से इतनी जो बांधने के लिए ज़्यादा था। और कमीज़ यानि कफ़नी गर्दन से घुटनों के निचे तक और यह आगे पीछे दोनों तरफ बराबर हो और जाहिलों में जो रिवाज हैं कि पीछे कम रखते है। यह गलत है चाक और आस्तीन उसमें ना हो और औरत के लिए कफ़न सीना की तरफ चीरे और औढ़नी तीन हाथ यानि डेढ़ गज़ की होनी चाहिए। सीना बन्द पिस्तान से नाफ तक और बेहतर यह है कि रान तक हो । (आलमगीरी रद्‌दुलमुहतार वगैरह) सुर्मा कंघी अगर फकीर को बतौर सदका दें तो कोई हरज़ नही और कफ़न में रखना हराम हैं। (फतावा रिज़विया)

मसला –: कफ़न पहनाने का तरीका यह है कि मैय्यत को गुस्ल

देने के बाद, उसका बदन किसी पाक कपड़े से आहिस्तगी से पोंछ दे कि कफ़्न तर ना हो और कफ़्न को एक या तीन या पांच बार या सात बार धुनी दे लें उससे ज़्यादा नहीं। फिर कफ़्न यूं बिछाये कि पहले बड़ी चादर, फिर तह बन्द फिर कफ़्नी। फिर मैय्यत को उस पर लिटायें और कफ़्नी पहनाऐ और तमाम बदन पर खुशबू डाले और माथे नाक हाथ घुटने कदम पर काफूर लगायें। कफ़्नी पहना कर औरत के सर के बाल के दो हिस्से करके कफ़्नी के ऊपर सीने पर डाल दें। एक हिस्सा दायें जानिब और एक हिस्सा बायें तरफ, और औढ़नी आधी पीठ के नीचे से बिछाकर सर पर लायें और मुँह पर नकाब की तरहा डाल दें कि सीना पर रहे कि उसकी लम्बाई पुश्त से सीना तक है और चौड़ाई एक कान की लो से दुसरे कान की लो तक और यह जो बाज़ औरते करती है कि जिन्दगी की तरहा औढ़ाती है। यह महज़ बेजा और खिलाफे सुन्नत हैं। फिर तहबन्द लपेटें। पहले बायें जानिब से फिर दाय़े जानिब से फिर लिफाफा लपेटें। पहले बायें तरफ से फिर दाहिनी तरफ से ताकि दाहिना ऊपर रहे और सर और पांव की तरफ बांध दे ताकि उड़ने का अन्देशा ना रहे। फिर सबके ऊपर सीना बन्द पिस्तान के ऊपर से रान तक लाकर बांध दे। (आलमगीरी दुर्रे मुख्तार वग़ैराह)

मसला —: सुन्नत के मुताबिक कफ़्न का इन्तजाम न हो सके तो औरत के लिये लिफाफा, अजार, औढ़नी, या लिफाफा कमीज़ औढ़नी तीन ही कपड़े काफी हैं। और यह भी ना हो सके तो जो मयस्सर आए और कम अज़ कम इतना तो हो कि सारा बदन ढक जाए। (आलमगीरी) और बिला ज़रूरत औरत को तीन कपड़ो से कम कफन देना नाजायज़ व मकरूह हैं। (आलमगीरी)

मसला —: कफ़्न अच्छा होना चाहियें यानि मर्द इदैन व जुमा के लिय जैसे कपड़े पहनता था। और औरत जैसे कपड़े पहन कर मैके

जाती थी। उस कीमत का होना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि मुर्दो को अच्छा कफन दो कि वह बाहम मुलाकात करते वक्त अच्छे कफ्न से खुश होते है। सफेद कफ्न बेहतर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया "अपने मुर्दे सफेद कपड़ो में दफनाओं" (रद्दुल मुख्तार वगैरह) पुराने कपड़ो का भी कफन हो सकता है। जबकि धुला हुआ हो कि कफन साफ सुथरा होना मरगुब व मतलूब हैं। (जोहरा)

मसला –: बाज़ मोहताज और ज़रूरत मन्द, वुरसा कफ्न जरूर पर कादिर होता हैं। (यानि कम अज़ कम इतना जिससे सारा सर ढक जाए) मगर सुन्नत के मुताबिक कफ्न देना उन्हे मुयस्सर नहीं होता। वे कफ्न मसनून के लिए लोगों से सवाल करते हैं। यह नाजायज़ है कि सुवाल बिला ज़रूरत जाइज़ नहीं और यहाँ ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर कफ्न ज़रूरत पर भी कादिर न हो तो जितनी ज़रूरत हो उतने के लिए सुवाल करें। ज़्यादा नहीं हां बगैर मागें मुसलमान खुद कफ्न मसनून पुरा कर दे तों इन्शाअल्लाह तआला पूरा सवाब पायेंगे। (फतावा रिज़विया)

मसला –: कुसुम या जाफरान का रंगा हुआ या रेशम का कफ्न मर्द को ममनूअ है (मनाई) और औरत के लिये जाइज़ यानी जो कपड़े मर्द जिन्दगी में पहन सकता है। उसका कफ्न दिया जा सकता है और जो जिन्दगी में नाजायज़ उसका कफ्न भी नाजायज़। (आलमगीरी)

मसला –: कफन के लिए सवाल करके उसमें से कुछ बच रहा है अगर मालूम है कि यह फलां शख्स ने दिया है। तो उसे वापिस कर दें वरना दूसरे मोहताज के कफ्न में सर्फ् कर दें। यह भी ना हो तो सदका कर दें। (दुर्रे मुख्तार)

मसला –: फूलों की चादर बालाए कफ्न (कफन के उपर) डालने में शरअन कोई हर्ज नहीं। बल्कि नीयत हसन से हसन है। जैसे कब्रों पर फूल डालना की वह जब तक तर है तस्बीह करते हैं। उससे

मैय्यत का दिल बहलता है। और रहमत उतरती हैं। यूंही तबर्रुक के लिए गिलाफ़ं काअबा मौअज्जमा का कलील टुकड़ा सीने या चेहरे पर रखना बिला शुबा जाइज़ है। उसे राफज़ियो का रिवाज बताना महज़ झूठ है। (फतावा रिज़विया)

मसला —: जो नाबालिग़ लंड़की हदे शहवत को पहुँच गई। (कि उसे देखकर मर्द को उसकी तरफ मीलान पैदा हो और अन्दाजा लड़कि नौ बरस हैं) वह बालिग़ के हुक्म में है यानि बालिग़ को कफ़्न में जितने कपड़े दिये जाते है। उसे भी दिये जायें और उससे छोटी लड़की को दो कपड़े दे सकते है। और बेहतर यह है कि पूरा कफ़्न अगरचे एक दिन का बच्चा हो। (रद्दुलमुहतार)

मसला —: किताबिया जो किसी मुसलमान के निकाह में है उसका या मुसलमान औरत का बच्चा ज़िन्दा पैदा हुआ यानि अकसर हिस्सा बाहर आ जाने के वक्त ज़िन्दा था। फिर मर गया उसका गुस्ल व कफ़्न देगें और उसकी नमाज़ पढ़ेगे. वरना ऐसे वैसे ही नहलाकर एक कपड़े में लपेट कर दफ़न कर देगे। उसके लिये गुस्ल व कफ़्न बतरीका मसनून नहीं। और नमाज़ भी उसकि नहीं पढ़ी जायेगी अक्सर की मिकदार यह है कि सर की जानिब से हो तो सीना तक अक्सर है और पांव के जानिब से हो तो कमर तक । (रद्दुल मुहतार)

मसला ज़रूरिया

पाकिस्तान व हिन्दुस्तान में आम रिवाज है कि कफ़्न मसनून के अलावा ऊपर से एक और चादर उढ़ाते हैं वह तकियादार या किसी मिसकीन पर सदका करते हैं। और एक जा नमाज़ होती हैं। जिस पर इमाम जनाज़ा की नमाज़ पढ़ता है। वह भी सद्का कर देतें हैं/अगर चादर व जा नमाज़ मैय्यत के माल से ना हो बल्कि किसी ने अपनी तरफ

से दिया है और आदतन वही देता है जिसने कफ़न दिया और कफ़न के लिए जो कपड़ा लाया जाता है। वह उसी अन्दाज़ से लाया जाता है। जिसमें यह दोनों भी हो जायें जब तो जाहिर है कि उसकी इजाज़त है और उसमें कोई हर्ज़ नहीं और अगर मैय्यत के माल से है। तो दो सूरतें है एक यह कि वारिस बालिग़ हो और सबकी इजाज़त हो जब भी जायज़ हैं। अगर इजाज़त से ना हो तो जिसने मैय्यत के माल से मंगाया और तसद्दुक किया और उसके जिम्मा यह दोनो चीज़े है। उनमें जो कीमत सर्फ हुई तर्के में शुमार की जायेगी और वह किमत ख़र्च करने वाला अपने पास से देगा।

दूसरी सूरत यह है कि वुरसा में कुल या बाज़ नाबलिग है तो दोनो चीज़े तर्के से हरगिज़ नही दी जा सकती। अगर उसे नाबालिग़ वारिस ने इजाज़त भी दे दी हो कि नाबालिग़ के माल को सर्फ कर लेना हराम है।

उसी तरह घर में लोटे घड़े होते हुए मैय्यत के नहलाने के लिए खरीदे तो उसमें भी तफसील है। तीजा, सातवां, दसवां, चालीसवां, शशमाही, बरसी, के मसारिफ में भी यही तफसील है कि अपने माल से जो चाहे ख़र्च करे और मैय्यत को सवाब पहुंचाए और मैय्यत के माल से यह मसारिफ उसी वक्त किये जायें कि सब वारिस बालिग़ हो और सबकी इजाज़त हो वरना नही, मगर जो बालिग़ हो अपने हिस्से से कर सकता है।

एक सूरत और भी है कि मैय्यत ने वसीयत की हो तो दैन (माली मुतालबा) अदा करने के बाद जो बचे उसकी तिहाई में वसीयत जारी होगी। अक्सर लोग उससे ग़ाफिल है। या ना वाकिफ़ कि इस किस्म के तमाम मसारिफ लेने के बाद अब जो बाकी रहता है उसे तर्का समझते है। उन मसारिफ में ना वारिसों से इजाज़त लेते है ना वारिस

के नाबालिग़ होने का कुछ ख्याल रखते है। और यह सख़्त गलती हैं। इन बातों से कोई यह ना समझे कि तीजा वग़ैरा को मना किया जा रहा है। कि यह तो ईसाले सवाब है। उससे कौन मना करेगा। मना वह करे जो वहाबी हो बल्कि नाजायज़ तौर पर उसमें जो ख़र्च किया जाता है। उससे मना किया जा रहा है। कोई अपने माल से करे या सब वारिस बालिग़ हो और उनमें इजाज़त लेकर करे तो मुमानिअत नहीं।

(बहारे शरीअत)

मसला —: औरतो को जनाज़े के साथ जाना, नाजायज़ व ममनूअ (मना) है। और नौहा करने वाली साथ में हो उसे सख़्ती से मना किया जाए। अगर ना माने तो मर्द उसकि वजह से जनाज़ा के साथ जाना ना छोड़े कि उसके नाजायज़ फेल से वे क्यों सुन्नत तर्क करे। बल्कि दिल से बुरा माने और शरीक हों। (दुर्रे मुख्तार सगीरी)

नमाज़ जनाज़ा और कब्र व दफन से मुताल्लिक बाज़ मसाइल

इन अबवाब से मुतल्लिक मसाइल का ज़्यादा तर ताल्लुक चूंकि मुर्दो से है इसलिए मुख्तसर चन्द मसाइल ज़िक्र किये जाते है।

मसला —: हर मुसलमान की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी। अगरचे वह कैसा ही गुनाहगार और बदचलन क्यों ना हो (बशर्ते कि कोई कौल या फेल खिलाफे इस्लाम ज़ाहिर ना किया हो) मगर चन्द किस्म के लोग है कि उनकी नमाज़ नहीं मसलन जो लोग ना हक़ पासदारी में लड़े और मरजायें या जिसने अपने माँ या बाप को मार डाला। या डाकू कि डाका में मारा गया कि ना उसे गुस्ल दिया जाये, ना नमाज़ पढ़ी जायें। (आलमगीरी)

मसला —: जिसने खुदकशी की हांलाकि यह बहुत बड़ा गुनाह है। मगर उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जाएगी अगरचे क़सदन खुदकशी की हो। (आलमगीरी)

मसला —: मैय्यत को बगैर नमाज़ पढ़े दफ्न किया गया और मिट्टी भी दे दी गई तो अब उसकी कब्र पर नमाज़ पढ़े जब तक कि फटने का गुमान ना हो और मिट्टी ना दी गई हो तो निकाले और नमाज़ पढ़ कर दफन करें और कब्र पर नमाज़ पढ़ने में दिनों की ताअदाद मुकर्रर नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसला —: बगैर गुस्ल नमाज़ पढ़ी गई तो ना हुई। उसे गुस्ल दे कर फिर पढ़े और अगर कब्र में रख चुके मगर मिट्टी अभी नही डाली गई तो कब्र से निकालें और गुस्ल देकर नमाज़ पढ़े और मिट्टी दे चुके तो अब नहीं निकाल सकते। लेहाज़ा अब उसकी कब्र पर नमाज़ पढ़े कि पहली नमाज़ ना हुई थी। और अब चुंकि गुस्ल ना मुमकिन है। लेहाजा अब हो जायेगी। (रद्दुलमुहतार)

तम्बीह जरूरी

ईमान व दुरूस्तगी अकाइद के बाद जुमला अल्लाह के हकों में सबसे अहम व आज़म नमाज़ है। जिसने क्सदन एक वक्त की छोड़ी हजारों बरस जहन्नम में रहने का मुस्तहिक हुआ। जब तक तौबा ना करे और उस कज़ा को अदा ना कर ले। मुसलमान अगर उसकी जिन्दगी में उसे सक लख्त छोड़ दे। उससे बात ना करें। उसके पास ना बैठें तो जरूर वह उसका सजावार है। मगर बाद मौत हर सुन्नी अकीदा मर्द या औरत को गुस्ल व कफ्न देना उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ना (अलावा उसके जो शख्स उसके हुक्म से मुसतसना है) फर्ज़ कतइ अललकिफाया है। अगर सब छोड़ दे जिन जिन को इत्तला थी। सब गुनाहगार फर्ज़ के तारिक और मुस्तहिक अज़ाब होगें। बेनमाज़ी, कि नमाज़ फर्ज़ जानता हो। उसकी तहकीर न करता हो अगरचे नफस व शैतान के फन्दों में आकर ना पढ़ता हो । गुनाह कबीरा का मुरतकिब है। अज़ाब जहन्नम का मुस्तहिक है। मगर काफिर नहीं बागी नहीं। डाकू नहीं, एक तबाह

कार मुसलमान है उसके जनाज़े की नमाज़ मुसलमानों पर फर्ज़ है। उसने फर्ज़ तर्क किया यह क्यों तारिके फर्ज़ बने। हां अगर ज़जर के लिए कि दूसरों को तंबीह हो तो उलेमा खुद न पढ़े दूसरो से पढ़वा दे, तो बेजा नहीं। और अगर उनके न पढ़ने से और भी कोई न पढ़े या उनको भी मना करें तो यह भी मुस्तहिक अज़ाब जहन्नुम होगें। बल्कि जाहिलों से ज़्यादा। (फतावा रिज़विया)

अल्लाह तआला हम सबको अपनी पनाह में रखें और सच्चा नमाज़ी बनाए। आमीन।

मसला —: हामला औरत मर गई और दफन कर दी गई किसी ने ख्वाब में देखा कि उसके बच्चा पैदा हुआ। तो महज़ उस ख्वाब की बिना पर कब्र खोदना जायज़ नही। (आलमगीरी)

मसला —: जुमा के दिन किसी का इंतकाल हुआ तो अगर जुमा से पहले तजहीज़ व तकफीन हो सके तो पहले ही क॰ लें। इस को रोके रखना कि जुमा के बाद मजमा ज़्यादा होगा। मकरूह हैं। (आलमगीरी)

मसला —: ऐसे मक़बरा में दफन करना बेहतर है। जहां सालेहीन की कब्रें हों। (दुर्रे मुख्तार)

मसला —: औरत को किसी वारिस ने ज़ेवर समेत दफना दिया और बाज़ वारिस मौजूद ना थें। तो उन वुरसा को कब्र खोदने की इजाज़त हैं। यूंही किसी का कुछ माल कब्र में गिर गया मिट्टी देने के बाद याद आया तो कब्र खोद कर निकाल सकते हैं। (आलमगीरी)

मसला —: अपने लिए कफन तैयार रखे तो हर्ज़ नहीं। और कब्र खुदवा रखना बे मानी है। क्या मालुम मौत कहां आएगी। (दुर्रे मुख्तार)

मसला —: औरतो के लिए भी बाज़ उलेमा ने जियारत कबूर को जायज़ फरमाया है। दुर्रे मुख्तार में यही कौल इख्तियार किया मगर अजीज़ों की कब्र पर जायें तो रोना पीटना मचायेंगी लेहाजा ममनूअ

(मना) है। और सालेहीन की कब्रों पर जायेगी तो ताअज़ीम में हद से गुज़र जायेगी या बे अदबी करेगीं कि औरतों में दोनों बातें बकसरत पाई जाती है। लेहाज़ा आफियत व सलामती की राह यही है कि औरतों को रोका जायें। (फतावारिज़विया)

मसला –: औरतो के लिये जिन उलमाए किराम ने जियारत कबूर या और ऐसे ही दूसरे दीनी या दुनियावी उमूर में शिर्कत को जायज़ बताया हैं। उनके नजदीक भी जरूरी है। कि उन मौको पर बे परदगी न हो। वहां फासिको और ना खुदा तरसों का मजमा ना हों। मर्दो से खलत मलत ना हो। वह तकरीब शरअन ममनूअ ना हो। नाच गाने की महफिल ना हो, बेबाक व बे लिहाज़ औरतें मौजूद न हो। ब्याह शादियों की महफिलों में शैतानी गीत न हो। **समधनों** की गालियां सुनना–सुनाना ना हो। तजगे वगैरह में ढोल बजाना गाना न हो। ऐसी महफिलों में जाने से शोहरदार औरतो को उनका शोहर रोक सकता है। बल्कि रोके और न जाने दें। और जो लड़कियां **नाकतखुदा(नाबालिग़)** है, उनके माँ बाप उन्हें रोके हरगिज़ हरगिज़ न जाने दें। कि नाज़ुक शीशियां है जरा सी ठेस में टूट जायेगी।(फतावारिज़विया) गालिबन इन्ही हालात के पेशे नज़र मशहुर उलमाए किराम से सवाल हुआ कि क्या औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज़ है? जवाब दिया कि ऐसी बात में जायज़ ना जायज़ नहीं पूछते यह पुछो के जायेगी तो उस पर कितनी लाअनत और उसके फरिश्ते उस पर लाअनत करते है। और जब वह घर से चलती हैं। सब तरफ शैतान उसे घेर लेते है। और जब कब्र पर आती है तो मैय्यत की रूह उसे लाअनत करती है। और जब पलटती है। अल्लाह की लाअनत के साथ पलटती है। (तातार ख़ानिया)

मसला –: मुर्दा के साथ चीनी या कोई मीठी चीज़ जैसे मिठाई, या रोटी या गल्ला ले जाना, एक अबस (बेकार) व लायानी फेल

(फजुल काम) है। मकान पर जिस कद्र चाहे सदका व खैरात करें। कब्रिस्तान में अकसर देखा गया है। कि अनाज तक्सीम होते वक्त बच्चो और औरतें वग़ैरा गुल मचाते और मुसलमानों की कब्रो पर दौड़ते फिरते है। और यह हराम है कि इससे मुर्दो को सख़्त ईज़ा (तकलीफ) होती है। वह मिठाई वग़ैराह चीटीयों को उस नीयत से डालना के मैय्यत को तकलीफ ना पहुंचाए महज़ जिहालत है। और नीयत ना भी हो जब भी बजाए उसके मसाकीन, सालेहीन पर तकसीम करना बेहतर है। (मलफूजात रिज़विया)

मसला –: कब्र पर कुरआन करीम पढ़ने के लिए हाफिज़ मुकर्रर करना जायज़ है। (दुर्रेमुख़्तार) यानि जबकि पढ़ने वाले उजरत पर ना पढ़ते हों कि उजरत पर कुरआन करीम पढ़ना और पढ़ाना, ना जायज़ है। देने वाला लेने वाला दोनों गुनहगार हैं। उजरत सिर्फ यही नहीं कि पेशतर मुकर्रर करलें कि यह लेगे या देगे। बल्कि अगर मालूम है कि यहां कुछ मिलता है। अगरचे उससे तय ना हुआ हो यह भी नाजायज़ हैं। हां अगर कहदे कि कुछ नहीं दूगा और कूछ नहीं लूगा फिर पढ़े। और उसकी खिदमत करें तो उसमें हर्ज़ नही और अगर इस तरहा कुछ पढ़ने वाला ना मिले और उजरत पर पढ़वाना पढ़े तो उससे अपने काम–काज के लिए उजरत ठहरा लें। फिर यह काम उससे लें और वक्त की पाबंदी की उजरत दे दें। (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

मसला –: शजरा या अहद नामा कब्र में रखना जायज़ है। और बेहतर यह है कि मैय्यत के मुँह के सामने क़िबला की जानिब ताक खोदकर उसमें रखें बल्कि दुर्रे मुख़्तार में कफ़न पर अहद नामा लिखना जायज़ कहा है। और फरमाया उससे मगफिरत की उम्मीद है। और मैय्यत के सीना और पेशानी पर *बिस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्रहीम* लिखना जायज़ है। एक शख़्स ने उसकि वसीयत की थी। इंतकाल के बाद

सीना और पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिख दी गई फिर किसी ने उसे ख्वाब में देखा हाल पूछा तो जवाब दिया कि जब में कब्र में रखा गया अज़ाब के फरिश्ते आये फरिश्तों ने जब पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ देखी तो अज़ाब से बच गया। (दुर्रे मुख्तार–गुनीया तातार खानिया) यूं भी हो सकता है कि पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखें और सीने पर कलिमा तैय्यबा ला–इला–ह–इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मगर नहलाने के बाद कफन पहनाने से पेशतर कलिमा की उंगली से लिखें। रोशनाई से ना लिखे। (रद्दुल मुहतार)

मसला –: कब्र पर फूल डालना बेहतर है कि जब तक तर रहेगे तस्बीह करेगें और मैय्यत का दिल बहलेगा। (रद्दूलमुहतार) यूंही जनाज़े पर फूलों की चादर डालने में हर्ज़ नही। (बहारे शरीअत)

मसला –: औद लोबान, अगरबत्ती वगैरह कोई चीज़ खास कब्र पर रखकर जलाना ना चाहिये अगरचे किसी बरतन में हो और कब्र के करीब सुलगाना कि जो लोग वहां मौजूद हैं। या ज़ियारत के लिये आने वाले हैं उन्हें सुकून व उन्स हासिल हो। बेशक बेहतर व मुस्तहसन है। इसे ख्वा मख्वाह बिदअत बताने वाले नई शरीअत गढ़ते हैं। (फतावा रिज़विया)

तम्बीह ज़रूरी

बाज़ औरतें बल्कि नावाकिफ़ मुसलमान कहते है कि फलां दरख्त पर शहीद मर्द है। और फुलाने ताक़ में शहिद रहते है। और उस दरख्त और उस ताक़ के पास जाकर हर जुमेरात को फातिहा शीरीनी, चावल वगैरह पर दिलाते है। हार लटकाते है, लोबान सुलगाते है, मुरादें मॉंगते है यह सब वाही तबाहि बातें, खुराफात और जाहिलाना

हिमाकतें है। इस किस्म के अफआल व हरकात से हमेशा बचते रहना चाहिये और जाहिलो की बातों में आकर खिलाफे शरअ कोई बात ना करनी चाहिये।

ताज़ियत का बयान

किसी मुसीबत ज़दह मुसलमान भाई या बहन के पास जाकर उसकी तसल्ली व तशफ्फी के लिए मुनासिब अलफाज कहना और मैय्यत के हक में दुआए खैर करना ताज़ियत है। और यह ताज़ियत नबी करीम सल्ल० की सुन्नत करीमा है और कारे सवाब भी हदीस शरीफ में है। जो अपने भाई मुसलमान की मुसीबत में ताज़ियत करे कयामत के दिन अल्लाह तआला उसे करामत का जोड़ा पहनायेगा और दूसरी हदीस में है जो किसी मुसीबत ज़दह की ताज़ियत करे उसे उसके मिस्ल सवाब मिलेगा (इब्नी माजा) यानी जबकि मुसीबत ज़दा सब्रो शुक्र से काम ले।

मसला –: मुस्तहब है कि मैय्यत के तमाम अकारिब (रिश्तेदार) छोटे बड़े मर्द औरत सब की ताज़ियत करें और ताजियत में यह अलफाज़ कहे "अल्लाह तआला मैय्यत की मगफिरत फरमाए" उसे अपनी रहमत में ढांके तुम को सब्र अता करें और उस मुसीबत पर सवाब अता फरमाये। (आलमगीरी)

मसला –: मैय्यत के पड़ौसी या दूर के रिश्तेदार अगर मैय्यत के घर वालों के लिए उस दिन खाना लाएं तो बेहतर है और उन्हें इसरार करके खिलाएं। (रद्दुलमुख्तार)

मसला –. मैय्यत के करीबी रिश्तेदारों का घर में बैठना कि लोग उनकी ताजियत को आएं इसमें कोई हर्ज नहीं। हां मकान के दरवाजो या आम गुजरगाहो पर बिछौने बिछाकर बैठना बुरी बात है। (आलमगीरी)

मसला –: मैय्यत के घर वाले तीजा, दसवां, चालीसवां वग़ैरा के दिन रिश्तेदारों या दोस्त अहबाब की दावत करें यह नाजायज़ है। व बिदअत कबीर है कि दावत तो खुशी के मौके पर की जाती हैं ना कि गमी कि मौको पर (फलहुलकदीर)

उलमाए किराम अहले सुन्नत व जामअत ऐसी ही आदतों के मुताल्लिक फरमाते है कि यह सब दिखावे और नामवरी के काम है। इनसे बचना लाज़िम व जरूरी है। कशफुलगिता में फरमाया कि ताज़ियत के लिए अकसर औरते रिश्तेदार जमा होती है और रोती पीटती नौहा करती है। उन्हें खाना ना दिया जाए कि गुनाह पर मदद देना है। हदीसों में आया है। कि हज़रते सहाबा किराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहुम पहले मैय्यत में जमा होने और उनके खाना तैयार कराने को मुर्दे के लिए नौहा करने में शुमार करते थे। (इब्ने माजा वग़ैराह) और जाहिर है कि नौहा हराम है हां अगर मुहताजों को देने के लिए खाना पकवाया तो हर्ज़ नहीं बल्कि खूब हैं। बशर्ते कि यह काम कोई वारिस मौजूद व **बालिग़ व राज़ी हों**। और अगर वारिसों में कोई बच्चा नाबालिग़ हो या बालिग़ है मगर सब मौजूद नहीं या मौजूद है और सबसे इजाज़त ना ली और खाना पकवाना और ख़ेर ख़ैरात करना शुरू कर दिया तो यह बात और भी ज़्यादा हराम और सख़्त नाजायज़ है कि यतीमों का माल यूं बे दरेग़ उडाना दूसरो का माल बिला इजाज़त तसर्रुफ में लाना है। और यह खुद नाजाईज़ व हराम है और अगर इनमें कोई यतीम हुआ तो आफत और सख़्त तर हैं। (फतावारिज़विया)

मसला –: हिंद व पाक के अकसर घरानों में रिवाज है कि मैय्यत के रोज वफात से उसके अइज़्ज़ा व अकारिब या अहबाब की औरतें भी जाती है। और बाज़ चालीसवें तक बैठी रहती है। इस मुद्दते इकामत में औरतों के खाने पीने ओर पान छालिया का एहतिमाम अहले मैय्यत

करते है। जिसके बाइस वह ज़ेरे बार होते हैं। उनके मुताल्लिक उलमाए किराम ने फरमाया कि यह औरते कि जमा होती है, नापसंदीदा व खिलाफे शरअ काम करती हैं। मसलन चिल्लाकर रोना–पीटना, बनावट से मुंह ढांपना वग़ैरह वग़ैरह और यह सब नौहा है और हराम, मैय्यत के अज़ीज़ो और दोस्तों को भी जायज़ नहीं कि उन्हें खाना भेजें कि गुनाह की इमदाद होगी, ना यह कि अहले मैय्यत खाने वगैरह का एहतमाम करे कि सिरे से नाजायज़ है। तो इस नाजायज़ मजमा के लिए और ज़्यादा नाजायज़ होगा। फिर भी अक्सर लोगों को इस रस्मे शनीअ और बेहुदा रिवाज के बाइस अपनी ताकत से ज़्यादा ज़ियाफ़त का एहतमाम करना पड़ता हैं। यहां तक कि मैय्यत वाले बेचारे अपने ग़म अपनी मुसीबत को भूल कर इस नई आफत में मुबतिला हो जाते है कि इस मेले कि लिए खाना, पान छालियां कहां से लाएं और बारहा ज़रूरत कर्ज़ लेने की पड़ती है। इस तकल्लुफ शरीअत को किसी जायज़ काम, किसी अम्रे मुबाह के लिए भी पंसद नहीं और हरगिज़ पंसद नहीं ना कि एक रस्में ममनूअ के लिए।

फिर इसके बाइस जो दिक्कतें पड़ती हैं। बिल्कुल जाहिर है। फिर अगर सूदी कर्ज़ मिला तो हराम खालिस हो गया। और गम लागते इलाही से पूरा हिस्सा मिला कि बिला ज़रूरते शरआी सूद देना भी सूद लेने के मानिंद, बाइसे ञानत है, गर्ज इस बेहूदा रस्म की मुमानिअत में कोई शक शुबहा नहीं। अल्लाह अज़्ज़ोजल मुसलमानो को तौफीक बख़्शे कि ऐसी तमाम रस्में यकलख़्त तर्क करदें। जिसमें उनके दीन व दुनिया का नुकसान हैं।

तम्बीह –: अगरचे सिर्फ एक दिन यानि पहले ही रोज़, अजीजो व हमसायों को मसनून है कि अहले मैय्यत के लिए इतना खाना पकवाकर भेजें जिसे वह दो वक्त खा सकें और इसरार करके उन्हे

खिलाएं। मगर यह खाना सिर्फ अहले मैय्यत ही के काबिल होना सुन्नत है उस मेले के लिए हरगिज़ भेजने का हुक्म नहीं उनके लिए भी फकत रोजे अव्वल का हुक्म है और नहीं, जैसा कि फतावा आलमगीरी, कशफुलाग़ता और फतावा रिज़विया में मजकूर है। वल्लाहुल हादी।

सोग और नौहा का बयान

मसला –: नौहा यानि मैय्यत के औसाफ मुबालगा के साथ बयान करके आवाज़ में रोना जिसको बैन कहते हैं। सबके नज़दीक हराम हैं। यूंही वावेला, या मुसीबत कहकर चिल्लाना, (जोहरा नय्यरा) गरेबा फाड़ना, मुँह नोचना, बाल खोलना, सिर पर खाक डालना, सीना कूटना, रान पर हाथ मारना, एड़िया रगड़ना गर्ज़ इज़हारे ग़म के काम है। और सख़्त हराम (आलमगीरी) और सौग तीन दिन से ज़्यादा जायज़ नही मगर औरत शौहर मरने के बाद चार महीने दस दिन सोग करेगी। (हदीस)

मसल –: आवाज़ से रोना मना है और आवाज़ बुलंद ना हो तो इसकी मुमानिअत नहीं बल्कि हुजूर अकदस सल्ल० ने अपने साहबज़ादे हजरत इब्राहिम रजि० की वफात पर बुका फरमाया कि मुबारक आँखों से आँसू रवां हुए। (जौहरा)

मसला –: शौहर की मोत या तलाके बाइन की इद्दत में आकिला बालिग़ा मुसलमान औरत पर सोग वाजिब है। उसके मायने यह है कि औरत, जीनत को तर्क करदे यानि हर किस्म के ज़ेवर चाँदी सोने जवाहर वगैरहा के और हर किस्म और हर रंग के रेशम के कपड़े अगरचे सियाह हों, ना पहने, और खूश्बू बदन या कपड़ो में इस्तेमाल ना करे और ना तेल का इस्तेमाल करे अगरचे उसमें खूश्बू ना हो जैसे रौगन जैतून। यूं ही कंघा करना ओर सियाह सुर्मा लगाना या सफेद खूश्बूदार सुर्मा लगाना और जाफरान या कुसुम या गेरू, या गुलाबी, धानी, चम्पई और

तरह–तरह के रंग जिनमें जीनत पाई जाती है। उन में रंगा हुआ कपड़ा पहनना मना है। औरत पर वाजिब है कि इन सब चीजों को जमान–ए–इद्दत में छोड़े रखें। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी वग़ैराह)

मसला –: ऊज़्र अगर वाकई हो तो उसकी वजह से इन सब चीज़ो का इस्तेमाल कर सकती है मगर इस हाल में इसका इस्तेमाल ज़ीनत के कस्द (नीयत) से ना हो। मसलन दर्दे सर की वज़ह से तेल लगा सकती है। या तेल लगाने की आदी है जानती है ना लगाने से दर्दे सर हो जाएगा तो लगाना जाइज़ है। यूंही दर्दे सर के वक्त कंघा कर सकती है मगर उस तरफ से जिधर के दंदाने मोटे है उधर से नहीं जिधर बारीक हो कि यह बाल संवारने के लिये होते है। और ये ममनूअ है। या सुर्मा लगाने कि ज़रूरत है कि आँखो में दर्द है तो सुर्मा लगा सकती है। या खारिश है तो रेशमी कपड़े पहन सक.. है, या उसके पास और कपड़ा नहीं है। तो यही रेशमी और रंगा हुआ, तो यही पहन सकती हैं। मगर यह जरूरी हैं कि इनकी इजाज़त ज़रूरत के वक्त बकदरे ज़रूरत हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ममनूअ, मसलन आँख की बिमारी में सुर्मा लगाने की ज़रूरत है तो यह लिहाज़ जरूरी है कि सियाह सुर्मा उसी वक्त लगा सकती है। जब सफेद सुर्मा से काम ना चले और अगर सिर्फ रात में लगाना काफी है तो दिन में लगाने की इजाज़त नही। (आलमगीरी और रद्दुलमुहतार वग़ैरा)

मसला –: नाबालिग़ पर सोग नहीं हां अगर दौराने इद्दत, नाबालिग़ा, बालिग़ा हो गई हो तो जो दिन बाकी रह गये हैं उनमें सोग करे। (रद्दुल मुहतार)

मसला –: किसी करीबी रिश्तेदार के मर जाने पर औरत को तीन दिन तक सोग करने की इजाज़त है, इससे ज़्यादा की नहीं, और औरत शौहर वाली हो तो उससे भी मना कर सकता है। (रद्दुल मुहतार)

मसला –: इद्दत के अन्दर औरत चार पाई पर सो सकती है कि यह जीनत में दाखिल नहीं। (बहारे शरीअत)

इस मौका पर बाज़ अहादीस जो नौहा वग़ैरह के बारे में वारिद है। जिक्र की जाती है ताकि औरतें बग़ैर देखें और उन पर अमल करें और अपनी पराई दूसरी औरतों को सुनाए कि यह बला अकसर औरतों में हिंदुओ की तकलीद से पाई जाती है। फरमाते है रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम

1.जो मुँह पर तमांचा मारे और गरेबां फाड़े और जाहिलियत का पुकारना पुकारे (नौहा करे) वह हम में से नहीं (बुखारी व मुस्लिम)

2.जो सर मुंडाए (यानि किसी के मरने पर जैसे हिन्दू भदर करते है) और नौहा करे और कपड़े फाड़े, मै उससे बरी (व बेज़ार) हुँ। (बुखारी व मुस्लिम)

कब्र व दफ़न का बयान

मसला –: मैय्यत को दफन करना फर्ज़ किफाया है। यह जायज़ नही की मैय्यत को ज़मीन पर रख दें। और चारों तरफ दिवारे कायम करके बन्द करदें। (आलमगीरी)

मसला –: कब्र की लम्बाई मैय्यत के कद के बराबर और चौडाई आधे कद के बराबर। और गहराई कम से कम आधे कद के और अच्छा यह है कि गहराई भी कद बराबर हो। और दरमयाना यह की सीना तक गहराई हो।

मसला –: कब्र दो किस्म की होती है। लहद कि कब्र खोद कर उसमें किबला की तरफ मैय्यत रखने की जगह खोदे (इसी को बगली कहते है) और सन्दूक वह जो हिन्दुस्तान में आम तौर पर खोदी जाती है।

लहद खोदकर दफन करना सुन्नत है अगर जमीन इस काबील

हो तो लहद (बगली) ही खोदें। और ज़मीन नर्म हो तो सन्दूक में हर्ज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसला –: ताबूत की मैय्यत को लकड़ी वग़ैरा के सन्दूक में रखकर दफ्न करना मकरूह है। मगर जब ज़रूरत हो हर्ज़ नहीं मसलन जमीन बहुत तर है वग़ैरा मगर ताबूत में दफन करे उसमें मिट्टी बिछादे और दाऐ बाऐ कच्ची ईटे लगा दे यह सुन्नत है।

मसला –: कब्र के उस हिस्सा में जो मैय्यत के बदन के पास है। पक्की ईट लगाना मकरूह है क्योकि ईंट आग से पकती है। (आलमगीरी)

मसला –: मैय्यत को कब्र में रखते वक्त यह दुआ पढ़े "बिस्मिल्लाही व बिल्लाहि व अला मिल्लते रसुल्लाहि" और एक रिवायत में "बिस्मिल्लाही व फि सबीलिल्लाही भी आया है। (आलमगीरी)

मसला –: मैय्यत को दाहनी करवट पर लिटाये और उस का मुँह क़िबला को करें। अगर मुँह क़िबला को करना भूल गये तो तख्ते हटा कर क़िबला की तरफ कर दें। और मिट्टी देने के बाद याद आया तो अब नही कर सकते। इसी तरह सिरहाने की तरफ पांव किये और मीट्टी देने से पहले याद आ गया तो ठीक करदें वरना नहीं। (दुर्रे मुख्तार)

मसला –: कब्र में रखने के बाद कफन की बन्दिशे खोलदे और ना खोली तो भी हर्ज़ नहीं। (जोहरा)

मसला –: कब्र चोखूंटी ना बनाऐ बल्कि उस में ढाल रखें ऊँट के कोहान की तरह और उस पर पानी छिड़कने में हर्ज़ नही और एक बालिश्त ऊँची हो या थोड़ी सी ज़्यादा। (आलमगीरी)

मसला –: ज़रूरत हो तो कब्र पर निशान के लिये कुछ लिख सकते हैं। मगर ऐसी जगह ना लिखे कि बे अदबी हों।

मसला –: मुस्तहब है कि दफन के बाद कब्र पर सुरा: बक्र का अव्वल व आखीर पढ़े। सिरहाने "अलिफलाम मीम" से मुफलिहुन तक

और पायन्ती (पांव के पास) आमनर रसूल से खत्म सूरत तक पढ़ें।

मसला –: दफन के बाद कब्र के पास इतनी देर तक ठहरना मुस्तहब है कि जितनी देर में ऊँट ज़िब्ह करके गौश्त तकसीम कर दिया जाय। इतनी देर रहने में मैय्यत को उन्स होगा और नकीरैन के जवाब देने में ना घबराऐगा। इतनी देर तक तिलावते कुरआन और मैय्यत के लिये दुआ व इस्तिग़फार करें और यह दुआ करे कि नकीरैन को जवाब देने में साबित कदम रहे। (जोहरा वग़ैरा) (फ) और मेरा कयास है कि ऊँट जिब्ह करके तकसीम करने में कम से कम चार पांच घण्टे जरूर लग सकते हैं। तो कम से कम तीन–चार घण्टे रूकना मुस्तहब होगा।

मसला –: अपने किसी रिश्तेदार की कब्र तक जाना चाहता है। मगर कब्रो पर गुजरना पड़ेगा तो वहां तक जाना मना हैं। दूर ही से फातिहा पढ़ दें। कब्रिस्तान में जुतिया पहन कर ना जाए। हुजुर ने इससे मना किया हैं।

मसला –: ज़ियारत कबुर मुस्तहब हैं। हर हफता में एक दिन ज़ियारजत करे। जुमा या जुमेरात या हफता या सोमवार यानि पीर के दिन अच्छा हैं। मगर सबसे अफज़ल जुमा के दिन सुबह का वक्त हैं।

मसला –: ज़ियारत कब्र का तरीका यह है कि पायन्ती की तरफ से जाकर मैय्यत के मुँह के सामने खड़ा हो। सिरहाने की तरफ से ना आये कि मैय्यत को तकलीफ होगी। कि मैय्यत को मुँह फेर कर देखना पड़ेगा की कौन आता है। और यह कहे ।

السلام عليكم يا اهل القبور انتم لنا
سلف ونحن لكم تبع وانا ان شاء الله بكم
لاحقون نسئل الله لنا ولكم العافية
يغفر الله لنا ولكم يرحمنا الله
ايانا واياكم

अस्सलामु अलैकुम या अहल्ल कुबूरि अन्तुम लना स–ल–फुंव व नह्नुलकुम त–ब–उंव इन्ना इन शाअल्लाहुबिकुम ल–लाहिकून नस्‌- अलुल्ला–ह ल ना व लकुमुल आफि–य–तव यग़्फ़िरूल्लाहुल–ना व लकुम व यर्हमुनल्लाहु इय्याना व इय्या कुम।

तर्जुमा :– तुम पर सलाम ऐ क़ब्रों वालो ! तुम हम से पहले चले गये और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। हम अपने और तुम्हारे लिए खुदा से राहत मांगते हैं और अल्लाह हमें और तुम्हें बख्शे और रहमत करे अल्लाह हम पर और तुम पर।

मसला –: नमाज़, रोज़ा, हज ज़कात हर किस्म की इबादत का सवाब मुर्दो को पहुंचा सकता हैं। इन सब को मिलेगा और खुद के सवाब में कोई कमी नहीं होगी।(तफसील के लिये देखों इसाले स्वाब का बयान)

-: तलकीन :-

मसला–: दफन के बाद मुर्दा को तलकीन करना ऐहले सुन्नत के नजदीक सुन्नत है। (जोहरा) हदीस शरीफ में है कि हजुरें अकदस सलल्लाहु अलैयही व सल्लम फरमाते है। जब तुम्हारा कोई भाई मुसलमान मरे और उसको मिट्टी दे चुको तुम में एक शख्स कब्र में सिरहाने खड़े होकर कहें "या फला बिन फला" वह सुनेगा और जवाब ना देगा। फिर कहें "या फला बिन फला" वह सिधा होकर बैठ जायेगा। फिर कहें " या फला बिन फला वह कहेगा हमें इर्शाद कर अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। मगर तुम्हे उसके कहने की खबर नही होती। फिर कहे "يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" "या फला बिन फला" कुल लाइलाहाइल्ल को तीन बार फिर कहे

بار بار کہا جائے قُلْ رَبِّيَ اللّٰهُ وَدِيْنِيَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّ

''कुल مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रब्बीयायल्लाहु व दीनिल इस्लाम'' व नबीयी मुहम्मद सल्ललाहु तआला अलैहि व सल्लम फिर कहे

اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا

شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ

رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا

नकीरैन एक दुसरे का हाथ पकड़ कर कहेगे चलो हम उस के पास क्यों बैठे। जब लोग उसको हुज्ज़त सिखा चुके। इस पर किसी ने कहा हजुर अगर उसकी माँ का नाम मालूम न हो तो ''फरमाया माँ हव्वा' की तरफ निस्बत करे (मसलन यूं कहे जैद बिन हव्वा अगर माँ का नाम मालुम हो तो यूं कहे मसलन ''बकर बिन राबिया'') वग़ैरा जो भी हों।

—: ताजीयादारी :—

कश्तीऐ इस्लाम की लिजिए खबर

या हुसैन इब्ने अली फरयाद है।

पाक व हीन्द में आशुरा के दिन धुम धाम से ताज़िया दारी का एहतमाम किया जाता है। एहले मुहब्बत हजार हा रूपये खर्च करके ताज़िये बना कर उस पर चढ़ावे चढ़ाते है। खुब ढोल बाजे और उछल कुद के साथ इसका जलुस निकाल कर बिल आखीर तौड़ नौच कर समुन्द्र की नज़र कर दिया जाता है। जो हजरात ऐसा करते है उनकी खिदमत में मौदबाना सुवाल है कि ईमाम आलीमुकाम के रोज़ाऐ

अकदस की तौहीन करने वाला कैसा है।

यकीनन आप तौहीन करने वाले की मजम्मत (बुराई) करेंगे।

तो खुदारा ! ठण्डे दिल से गौर फरमाऐ ताज़िये को हज़रत इमाम हुसैन रज़ि अल्लाह अन्हो के मज़ार पुर अनवार की तरफ मनसुब करके तौड़ फौड़ कर समुन्द्र की लहरो के हवाले करना (पानी में डूबो देना) तौहीन है या नहीं?

फिर लफ्ज़ "ताज़िया" ताअज़ियत से लिया गया हैं। और ताअज़ियत के माने इज़्हार अफसोस होता है। तो ढ़ोल बाजे और कुद फांद के जरिये किसी मुसिबत ज़दा के साथ इजहार अफसौस करना कैसा हैं?

क्या किसी के यहाँ मैय्यत हो जाए तो इस तरह ताज़ियत करना आप पसन्द फरमायेंगे? जाहिर है आप हरगिज ऐसा नहीं करेगें।

तो फिर ऐहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की मुसिबतों की याद मनाने का जो तरीका आप ने ईख्तयार किया है। वह कैसे सही हो सकता हैं।

मज़ारात औलिया पर चढ़ावे चढ़ाना बैशक जाईज़ है। लेकिन असल मजार पर। और ताजिया तो नकल है और नकल भी सरासर गलत। हम में कितने को ईमाम आलीमुकाम के रोज़े को भी नही पहचानते अफसौस।

मुसलमानों से दर्द भरी अपील है कि ऐहलेबैत से इज़हारे मुहब्बत के इस गैर शरई तरीके को तर्क करें और इसाले स्वाब के जाईज़ जराऐ मसलन कुरआन ख्वानी, नअत खुवानी, सबील लगाना, शर्बत पिलाना और नियाज़ नजर करना वगैरा को अपनाऐं। ऊलमाऐ अहलेसुन्नत के नज़दिक ताजिया दारी खुराफात और नाजाईज़ हरकात की वजह से ना जाईज है। (मगर हिन्दुस्तान में तो हराम काम यह भी किया जाता

है की मुरत यानी बुराक और ना जाने क्या क्या जानवर वग़ैरा बनाऐ जाते है यह सख़्त हराम है तौबा करनी चाहिऐ) इसमें किसी क़िस्म की शिरकत जाईज़ नहीं। यहां तक के अलमलफुज हिंस्सा दुवुम में है कि आला हज़रत ईमाम ऐहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ाँ फाज़िल बरेलवी रहमतुल्ला अलैह की खिदमत मैं सुवाल हुआ कि हम अगर ताज़िया दारी में लहव व लअ़ब (खैल तमाशा) समझ कर जाये तो कैसा है? आला हजरत ने जवाबन ईरशाद फरमाया कि "नहीं चाहीऐ ना जाईज़ बात का तमाशा देखना भी ना जाईज़ है।"

मुसलमानों गौर करो जब खेल तमाशा समझ कर भी इस में शिरकत करना ना जाईज़ तो जो लोग इसको कारे ख़ैर (नेक काम) और बाईसे स्वाब समझ कर करते है वह गौया गुनाह को नैकी और अ़जाब बनाने के मुजरिम हैं।

अल्लाह तआला मुसलमानो को ऐसी नाजाईज़ हरकात और अफआले हराम (हराम काम) से बचने की तौफ़िक अता करे ! आमीन (माखूज़)

—: फरेब :—

दुश्मनाने दीन जो कि खुद दीन की जरूरियात से इन्कार करते है। और खुले हुऐ कुफ्र के होते हुऐ अपने ऊपर से कुफ्र का नाम मिटाने के लिये इस्लाम व कुरआन व खुदा और रसुल व ईमान के साथ मज़ाक करते है। और शैतान के बहकाने और उसकी शागीर्दी में ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं। के किसी तरह से "दीन" मानने की कैद खत्म हो जाय। इस्लाम सिर्फ तोते की तरह ज़बान से कलमा रट लेने का नाम रह जाय। रसुल को सड़ी सड़ी गालियाँ दे। इस्लाम किसी तरह न जाय। ये मुसलमानों व इस्लाम के दुश्मन अवाम आम लोगों को धोखा देने और खुदाऐ वाहीद का दीन बदलने के लिये चन्द शैतानी मकर

(फरेब) पेश करते है।

पहला फरेब (धोखा)

इस्लाम सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम है हदीस में फरमाया (तर्जुमा) जिस ने लाईला इल्लल्लाह कह लिया जन्नत में जायेगा। फिर किसी कौल (बात) या फैल (काम) की वज़ह से कैसे काफिर हो सकता हैं।

मुसलमानों –: ज़रा होश्यार खबरदार इस मकर (फरेब) का हासिल ये है कि जबान से "लाइला इलल्लाह" कह लेना गोया खुदा का बैंटा बन जाना है। आदमी का बैटा अगर गालियाँ दे जुतियां मारे कुछ करे वह बेटा होने से नहीं निकल सकता इसी तरह जिस ने "लाईलाह इलल्लाह" कह लिया अब वह चाहे खुदा को झुठा कज्ज़ाब कहे, चाहे रसुल को सड़ी सड़ी गालियाँ दे उस का इस्लाम नहीं बदल सकता। इस मकर का जवाब तो कुरआन मजीद में आया हैं (तर्जुमा) **क्या लोग इस घमण्ड में है के इतना कहने पर छोड़ दियें जायेगे के हम ईमान लाये ओर उनकी आज़माईश ना होगी।**

यह आयत मुसलमानों को होशीयार कर रहीं है। कि देखों कलमा गोई और ज़ुबानी इकरार मुसलमानी पर तुम्हारा छुटकारा न होगा। हाँ हाँ सुनते हो आजमाऐ जाओगे आजमाईश में पुरे निकले तो मुसलमान ठहरोगे हर चीज की आज़माईश में यही देखा जाता है कि जो बाते उसके हक़ीकी वाकई होने को जरूरी है। वह उसमें है या नहीं। अभी कुरआन सुन चुके अब हदीस भी सुन लो हमारे प्यारे नबी फरमाते है (तर्जुमा) **तुम में कोई मुसलमान ना होगा जब तक मैं उस के पास उसके माँ बाप औलाद और सब आदमीयों से ज़्यादा प्यारा ना हूँ। सलल्लाह अलैहि व सल्लम यह हदिश शरीफ सही बुखारी व सही मुसलिम में हैं।**

मुसलमानों अब कहो मुहम्मद रसुलल्लाह सलल्लाहु अलैहि व सल्लम को तमाम जहाँन से ज़्यादा महबुब रखना मदारे ईमान व मदारे निजात हुआ या नहीं।

कुरआन व हदीस में इर्शाद फरमाया कि **इमान** के हकीकी वाकई होने को दो बाते ,जरूरी है।

1. मुहम्मद सल्लल्लाह अलैही व सल्लम की ताअज़ीम।
2. मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की मुहब्बत को तमाम जहान पर तकदीम (यानि तमाम जहां से बरतरी देना है।)

कुरान पाक मैं साफ फरमा दिया कि **सिर्फ तुम्हारी कलमा गौई काम की नहीं जबकी तुम रसुल और इस्लाम की बुराई करते रहते थे। लेकिन जब हुजुर के दरबार में हाजिर होते तो कहते के हम मुसलमान है।**

मुसलमानों बताओ अगर इस्लाम फकत कलमा गौई का नाम था तो वह बेशक हासिल था फिर लोगो का घमण्ड़ क्यो गलत था। (जैसे के उपर के तर्जुमा मैं ब्रयान हुआ) कुरआन अज़ीम फर्मा रहा है। (तर्जुमा) **"ये गंवार कहते है हम ईमान लाये तुम फरमा दों इमान तो तुम ना लाये हां यूं कहो के हम मुती इस्लाम हुऐ ईमान अभी तुम्हारे दिलों में कहां दाखील हुआ"** और फरमाता है। (तर्जुमा)

"मुनाफिकीन जब तुम्हारे हुजुर हाजिर होते है कहते है हम गवाही देते है" कि बैशक हुजुर यकीनन खुदा के रसुल है। और अल्लाह खूब जानता है कि बेशक ये मुनाफिक ज़रूर झुठे है।

देखो कैसी लम्बी चौड़ी कलमा गौई, कैसी कैसी ताकिदो से मौकद, कैसी कैसी कसमों के साथ हरगीज़ इस्लाम का बाईस न हुई, और अल्लाह तआला ने उनके झूठे कज्ज़ाब होने की गवाही दी। क्या यह मुनाफिक कलमा नहीं पढ़ते थे? नमाज़ नहीं पढ़ते थे? मगर उनकी कलमा गौई काम ना आई "मन काला लाइला इल्लला हो दख़लल

जन्नत" का यह मतलब गढ़ना साफ साफ कुरआन अज़ीम का रद करना है।

हां जो कलमा पढ़ता अपने आपको मुसलमान कहता हो। हम उसे मुसलमान जानेंगे जब तक उस से कोई काम इस्लाम के खिलाफ न हुआ हो। मगर इस्लाम के खिलाफ कोई बात या काम या हरकत होने के बाद कलमा गौई काम ना देगी। (फतावा रिज़विया)

"ख्वाब में मालुम होगा या इशारा होगा"

-:नुकसान,एक्सीडेन्ट, रंज व गम से निजातः-

यानी

"इस्तिख़ारा"

सही हदीस जिस को इमाम मुसलिम के इलावा जमाते मुहदीसीन ने रिवायत किया है कि।

"रसुलल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि व सल्लम हमको तमाम कामों के लिये इस्तिखारा" की तालीम फरमाते जिस तरहा हमें कुरआन की तालीम फरमाते थे। फरमाते है जब कोई काम का इरादा करो तो दो रकात निफल पढ़ो फिर कहे।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ
دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَعَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدِرْهُ
لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ
شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَعَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَ
اصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ

ओर अपनी हाजत का ज़िक्र करे चाहे बजायें "हाज अमर" के काम का नाम ले। मसलन शादी करना, या ट्रक, बस, कार वग़ैरा खरीदनी हो या फला बिजनिस शुरू करना चाहते हो। वग़ैरा वग़ैरा (बहारे शरीअत जि.4 पे. 26–27)

मसला –: हज और जिहाद और दुसरे नेक कामो के लिये इस्तिख़ारा नहीं हो सकता। हाँ वक्त मुकर्रर करने के लिये कर सकते हैं। (गुनीया)

मसला –: मुस्तहब है कि इस दुआ के अव्वल व आखीर अलहम्द व दुरूद शरीफ पढ़े। और पहली रकात में "कुल या अय्योहल काफीरून" और दुसरी रकअत में "कुलहुवल्लाह" पढ़े।

मसला –: बहतर है कि सात बार तक इस्तिख़ारा करे। हदीस शरीफ में है कि जो इन्सान जब किसी काम को करना चाहता है तो अपने रब से सात बार इस्तिख़ारा करें। फिर ग़ौर करे कि तेरे दिल में क्या गुज़रा कि बेशक इसी में भलाई है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि ऊपर लिखी नमाज़ व दुआ पढ़कर पाक साफ बिस्तर पर बावजु क़िबला कि तरफ मुहँ करके सो जाये (जैसे मसलन मुर्दा को क़िबला रूख कब्र में लिटाते है) अगर ख्वाब में सफैदी या सबज़ी (हरी चिज़) देखे तो वह काम बहतर है। और काली या लाल रंग देखे तो बुरा है। उससे बचे। (रद्दुल मुहतार–बहारे शरीअत जि.4 पे.27)

नोट –: इस्तिख़ारा का वक्त उस वक्त है कि आप की राय उस काम करने के लिये पुरी तरहा एक तरफ ना जम चुकि हो। अगर पहले से तय कर लिया की काम करना ही है तो इस्तिख़ारा करने का वक्त ना रहा।

आला हजरत अज़ीमुल बरकत के तजुर्बा शुदा कुछ "इस्तिख़ारा" आपकी ख़िदमत में पेश है। किजिये और नुकसान

व हादसात (एकसीडेन्ट) से बचीये।

"इस्तिख़ारा" जो शख्स किसी चिज़ का अन्जाम मालुम करना चाहे। कि ख्वाब में मालुम हो जाये। वह रात को अच्छा वजु करके पाक व साफ कपड़े पहने और दाहनी करवट पर लैटे। रू बा क़िबला (क़िबला की तरफ मुहँ करके)

सात बार वश्शमस (वश्शमसिव दु हा हा पुरी सुरत) और सात बार वललैन (वललैल इज़ा यगशा पुरी) और सात बार "वततीन" और सात बार "कुलहुवल्लाह अहद" पढ़े और खुदा ताआला से इलतिजा करे कि फलाँ काम का अन्जाम तेरे ओन व इनायत व फज़ल व करम से मुझे मालुम हो जाये। फिर किसी से बातचीत ना करे और चुपचाप सो जाऐ सात दिन तक करें।

इस्तिख़ारा अजीब –: बाद नमाज़ इशा गुसल करके पाक व साफ लिबास पहन कर खुश्बू लगा कर यह दुआ (100) सौ बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े।

"बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिनो व हुवा बि कुल्ली शइन अ़लीम"

इस के बाद पाँच सौ (500) मर्तबा "अल्लाहुम्मा सल्लेअला मुहम्मदिंव व अला आलि मुहम्मद बि अददि मा इन्दक मिनल अददि फी कुलले लख्त व लम्ह मिनल अज़ालि वल अबदि" इसके बाद सो जाये। जो मतलब होगा हुज़ुरे अकदस सल्लाहु अलैहिय व सल्लम की जुबाने मुबारक से मुफस्सिल मालुम होगा।

तजुर्बा शुदा व कई दफा अज़माया हुआ "इस्तिख़ारा"

दो रकात नमाज़ "इस्तिख़ारा" की निय्यत करके "अल्लाहु अकबर" कह कर हाथ बाँध ले और आँखे बन्द करके सुराऐ

फातिहा यानी "अलहम्दु लिल्लाह" शुरू करे जब "इय्याक न अ़ बुदु व इय्याक नस्तईन" पर पहुँचे इसी आयत को बार बार पढ़ता रहे। अगर अपने आप दाहीनी तरफ फिर जाये तो उस काम का करना अच्छा है। और अगर बाँयी तरफ फिर जाये तो ना मुबारक है। फिर सुराऐ फातिहा पुरा करके सुराऐ अखलास (यानी कुल हु वल्लाहु अहद) ग्यारह बार या तीन बार पढ़ कर पहली रकात पुरी करे। फिर दुसरी रकअत में सुराऐ फातिहा बगैर तकरार (यानी बार बार नही पढ़ना है) पढ़ कर सुराऐ अखलास ग्यारह बार पढ़ कर नमाज़ पुरी करे। और अगर किसी तरफ ना फिरे और ज़्यादा तकरार (बार बार पढ़ना) करनी पढ़े। तो हालत इजमाली है (मिली जुली) है। करने और ना करने में मर्जी का मालिक है। यानो करे ना करे इख्तियार है। इसके अलावा और कई इस्तिखारे मजमुआ आमाले रज़ा में दर्ज है जो हजरात शोक रखते है वहाँ से मालुम करे।

मालुमात

1.हमारे आका सल्ल ला हु अलैहि व सल्लम का नामे नामी इस्मे गरामी ज़मीन पर "मुहम्म्द" व आसमानो में "अहमद"व ज़मीन के निचे मेहमुद हैं।

2.आप के वालीद (बाप) का नाम –: हजरत अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाह तआला अन्हु था।

3.आप की वालीदा (माँ) का नाम –: हज़रत आमना रज़ि अल्लाह तआला अन्हा था।

4.आप के दादा का नाम –: अब्दुल मुतल्लिब व परदादा

का नाम उमरू था। लोग उन्हे हाशीम कहते थे।

5. आप की दादी का नाम –: फातमा और परदादी का नाम सलमा था। आपकी कुल दादीयों की तादाद 14 थी।

6. आप के नाना का नाम –: बहब व परनाना का नाम अब्दे मनाफ था।

7. आप की नानी का नाम –: बर्रा था परनानी का नाम उम्मे हबीब था।

8. आप के चाचा का नाम –: 1 अब्बास 2 हमज़ा 3 अबुतालीब 4जुबैर 5 अलहारिस 6 हजल 7 अलमक़्व्वम 8 ज़रार 9. अबुलहब 10. क़शम 11. ग़ीदाक ।

9.आप की फुफीयों के नाम –: 1 सफीया 2 उम्मे हकीम 3 अलबैज़ा 4 आतिका 5 अमीमा 6 अरवा 7 बर्रा था।

10. आप को दुध पिलाने वाली दाईयों के नाम –: 1 सूबीया 2 हलीमा सादीया 4 खूला 5. उम्मेऐमन 6 सादीया 7 कबीला अवतिक की तीन औरते और है।

11. आप की विलादत हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ की वालीदा "शिफा" के हाथो हुई वही आप की "दाया" थी।

12. आप की उगलियों से 13 दफा पानी के चश्में जारी हुऐ।

13. आपने आखरी नमाज़ बुध के दिन मगरीब पढ़ाई और उसमें सुराए मुरसिलात तिलावत की थी।

14. हुज़ुरे अकरम से हजरत अबुबकर रजिअल्लाह के तीन रिश्ते थे। 1 सहाबी थे 2 ससुर थे 3 साढू थे।

15. हजरत उस्मान गनी रजिअल्लाह तआला आपके दामाद थे। दो लड़कीयां एक के बाद एक अपकी निकाह में दी थी।

16. हजरत उमर फारूके आज़म रज़िअल्लाह आपके ससुर थे।

17. हज़रत अली करम अल्ला वजहु भी आपके दामाद थे। बीबी फातिमा र.त.अ. आपके निकाह में आई।

18. हजरत अलि व हजरत उस्मान गनी र.त.अ. आपस में साढ़ू थे।

19. हजरत अलि हजरत उमर रज़िअल्लाह तआला के ससुर थे। यानी ह. उमर फारूक र.त.अ. हजरत अली के दामाद थे। और ईमाम हसन व ईमाम हुसैन र.त.अ. के बहनोई थे।

20. आप सल्ललाह अलैहि व सल्लम की विलादते मुबारक बरोज सोमवार 12 रबिउल अव्वल हिजरत से 53 साल पहले ब मुताबिक 20 अपैल 571 ई. को सुबह सादीक के वक्त हुई। एक कोल है कि 20 अगस्त 571 ई. को हुई।

21. विसाल –: बरोज सोमवार मुताबिक 12 रबीउलअव्वल 11 हिजर्र 632 ईस्वी को आपने पर्दा फरमाया।

22. हुजुरे अकदस स.अ. व सल्लम की औलाद मुबारक –: लड़के तीन 1 हजरत कासीम 2 हजरत इब्राहीम 3 हजरत अब्दुल्लाह। लड़कीयां चार 1 हज़रत जैनब रज़िअल्लाह तआला अन्हा 2. हजरत रूकैया रज़ि अल्लाह तआला अन्हा। 3. हजरम उम्मे कुलसुम रज़ि अल्लाह तआला अन्हा। 4 फातमा ज़हरा रज़ि अल्लाह तआला अन्हा।

23. हुजुरे अकदस को मैराजे जिस्मानी हिजरत से एक साल पहले 27 रजब सोमवार की रात हुई। हुजुरे अकदस सल्लाहु अलैहि व सल्लम को तैंतीस (33) बार मेराज रूहानी हुई।

24. आप का सीना मुबारक चार बार खोला गया (शक्के सदर) 1. जब दायी हलीमा के घर पर थे 2. जवानी के

करीब जब दस साल के थे। 3 तीसरी बार वही नाज़िल होने से पहले 4 चौथी बार शबे मैराज में।

25. हुजुरे अकरम के सर मुबारक और रेश मुकद्दस (दाढ़ी में) सिर्फ चौवदह सफैद बाल थे।

26. आप ने सारी ज़िन्दगी में कभी प्याज व लहसुन इस्तैमाल नही किया।

27. आपकी पैदाईश के वक्त यह मौअज़िज़ात ज़ाहीर हुऐ।

1. शहनशाह फारस के महल में ज़लज़ला आ गया। और उसके चौदह कुगरे गिर पड़े।
2. फलिस्तीन में बुहेरा तबरिया यकायक खुश्क हो गया।
3. फारस का आतीश कदा बुझ गया। जिसके मुताल्लिक कहा जाता था कि एक हजार साल ; एक लम्हा भी उसकी आग ना बुझी थी।
4. शहाब शाक़ीब के जरीये आसमान की मज़ीद हिफाजत करदी गई।
5. पैदाईश के वक्त सारी दुनिया के बुत औन्धे मुँह गिर गये।
6. एक खास बात यह हुई कि खानाऐ काबा आपके मकान की तरफ झुक गया। इसी बात को आलाहज़रत फाज़िले बरेलवी इस तरहा अपने मशहुर सलाम में इशारा करके फरमाते है।

   जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी ।
   उन भवों की लताफत पै लाखो सलाम ।।

7. आप सल्ललल्लाहु अलैहि व सल्लम खतना शुदा व नाफ बुरीदा पैदा हुऐ।

खास खास कुछ मसलो का खुलासा

नोट -: यह सारे मसले आलाहजरत व दिगर आलिमों की किताबो से मुख्तसर तरीके से लिख रहे है। जो हज़रात तफसील देखना चाहे वह मूल किताबो में देख सकते है।

1. आलीम की तारीफ यह है। कि अकाइद से पुरे तौर पर आगाह हो। और मुस्तकील हो। और अपनी ज़रूरत को किताब से निकाल सके बगैर किसी की मदद के। (आलमगिरी पे.9)

2. ढोल ताशो सांरगी पर हराम बाजो के साथ कव्वाली सुनना हराम है और बुज़र्गान चिश्त पर हराम बाजो के साथ कव्वाली सुन्ने का इलजाम लगाना गलत है। इन बुजुर्गो ने कभी हराम बाज़ो के साथ कव्वाली नही सुनी।

(अहकामे शरीअत हि. 1 पे 27.28.29, अलमलफूज)

3. दाड़ी मुण्डवाना या मुट्ठी से कम कराना हराम है और ऐसे इमाम की इमामत भी हराम है। ऐसे के पिछे नमाज़ पढ़ना भी हराम है। (अलमलफूज जि.1 पे. 102 – ऐहकामें शरीअत हि 1 पेज 104)

4. मुसलमानो को तकलीफ पहुँचाना, गालीया देना, गिबत करना सताना, धमकाना बेइज्ज़ती करना उन्हे अपने से कमतर समझना हराम हैं। (फतवारज़विया, ऐहयाये उलुमुद्दिन)

5. हिन्दुस्तान "दारूल इस्लाम है" मगर यहा के कुफ्फार ना तो ज़िम्मी है। ना मुस्तामिन लिहाजा यहां के कुफ्फार हरबी है (बहारे शरीअत हीस्सा11)

6. जिस सख्श की कज़ा नमाज़े बाकी है। वह पहले कज़ा नमाजे पढ़े। जब तक फर्ज़ नमाज़े जिम्मे पर बाकी है।

कोई निफल कबुल नही किया जाता। (अलमलफूज–एहकामें शरीअत जि.2 पेज 83)

7. मुनाफिको को रसूले अकरम ने नाम बनाम मस्जि़द से निकाल दिया लिहाजा मुर्तदिन मुनाफेक़ीन जैसे देव बन्दी, वहावी, राफजी़यों बोहरों शीयाओं को मस्जि़द से निकालना रसूलल्लाह की सुन्नत है। (फतावा रज़विया–अलमफूज जि.1पे.57)

8. राफजी (बोहरे) शीया काफीर है। इनसे सलाम करना, कलाम करना, सौदा सलफ खरीदना बेचना इनके साथ उठ़ना, बैठ़ना सब हराम है। (ऐहकामे शरीअत ज़ि.2 पेज 112)

9. जुमैरात शनीचर व सोमवार सफर के लिये अच्छे दिन है। खास कर सोमवार का दिन क्योकिं हुजुरे अकरम ने जमानत ली है।

10. मैराज में नअलैन शरीफ ले जाने की हिकायत झूठी व मनगढ़न है। जैसा कि मिलाद शरीफ की किताबो में लिखा और अकसर मिलादख्वां इसको पढ़ते है सो गलत है।

(अलमलफूज 2 पेज 126)

11. हदीस शरीफ में है कि "तलवार" की धार पर पाँव रखना मुझे आसान है कि मुसलमान की कब्र पर पाँव रखूँ। लिहाजा कब्र पर पाँव रखकर चलना हराम है। (अलमलफूज)

12. मर्द को चोटी रखना हराम है। और कंधो से निचे तक औरतो की तरह बाल भी मर्द को रखना हराम है।

(फतावा रज़विया–अलमलफूज़)

13. हदीस शरीफ में है कि फरमाया इस हाल में सुबह कर कि तु आलिम हो या इल्म सिखाने वाला या आलिम की बाते सुनने वाला या आलिम से मुहब्बत करने वाला और

पाँचवा ना हो कि हलाक (बर्बाद) हो जायेगा। (अलमलफूज)

14. शौहर अपनी बीबी को कंधा दे सकता है। कब्र में उतार सकता है। और कोई ना हो तो हाथ पर कपड़ा लपेट कर मैय्यत को तय्यमुम करा सकता है। और औरत अपने शौहर के जिस्म को छू सकती है। (अलमलफूज 2 पेज 118)

15. स्याह खिज़ाब लगाना हराम हैं।

(अलमलफूज 2 पेज 130 ज़ि 3 पे. 22)

16. कुरआन अज़ीम एक हर्फ नहीं चल सकता तावक़्त में कि अहादिस और अईम्मा का कौल ना माना जाये।

(अलमलफूज ज़ि 3 पेज 9)

(फ) यहाँ पर आइम्मा से मुराद अइम्मा तफसीर हैं। अइम्मा तफसीर सहाबा हैं। और ताबेइन उजाम ताबेइन में भी उजाम की तखसीस हैं। इसका यह मतलब है कि कुर्आन पाक पर आप हरगीज़ हरगीज़ अमल नहीं कर सकते उस पर अमल नहीं कर सकते जब तक कुर्आन पाक को हदीस व तफसीर की मदद से न समझें। इसलिये कहा गया कि कुर्आन एक हर्फ नहीं चल सकता यानि हम उसके हुकम पर बग़ैर तफसीर व हदीस के अमल नहीं कर सकते।

17. सूफियाऐ कराम फरमाते हैं। सूफि बे इल्म "मसखराऐ शैतान अस्त" वह जानता ही नहीं शैतान अपनी बाग डोर पर लगा लेता हैं। हदीस शरीफ में इर्शाद हुआ" (अलमुत्तअब्बीद बगैर फिका क लहम्मार फि त्ताहुन) यानि बगैर फिक (मसाईल) सिखे आबिद बनने वाला ऐसा है, जैसे घाणी का गधा कि खुब मेहनत करे और फायदा कुछ नहीं।

(अलमलफूज जि 3 पेज 30)

18. अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर बन्दुक मारी और ज़िब्ह करने से पहले मर गया तो हराम हैं। इस वास्ते कि बन्दुक में तोड़ है काट नहीं और तीर में काट हैं लिहाजा तीर बिस्मिल्लाह पढ़कर चलाया और जानवर के पास पहुचने से पहले बगैर जिब्ह मर गया तो जाईज़ हैं।(एहकाम शरीअत हिजि. अव्वल पेज 10)

19. सिर्फ दो पानीयों को खड़े होकर पीने का हुक्म हैं।

1. जम जम का पानी 2. वजु का बचा हुआ पानी।

(अलमलफूज जि.4 पेज 7)

20. मस्जिद से वजु के लिये घर पर पानी ले जाना हराम हैं।

(अलमलफूज जि. 4 पेज 14)

21. मुनकिर नकिर का सुवाल कब्र में सुरयानी जुबान में होगा। इब्रानी व सुरयानी अलग अलग है। इब्रानी में इन्जिल नाजिल हुई और सुरयानी में तौरेत । (अलमलफूज जि. 4 पेज 16–17)

22. खाना खाते वक्त ना बोलने का तहीय्या कर लेना यह आदत हैं मजूसियों की । और यह मकरूह हैं। ज़रूरत कि बातचीत कर सकते हैं। (अलमलफूज जि. 4 पेज 18)

23. मस्जिद में कुर्सी बिछा कर उस पर बैठकर वाअ़ज करना जाईज़ है हुजुर अकदस सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने ईदगाह में कुर्सी बिछा कर उस पर वाज़ फरमाया।

(अलमलफूज जि. 4 पेज 18)

24. किसी को ज़ानी (बलात्कारी) कहना हराम हैं। अगर चार गवाह शरइ ना ला सके तो काजिफ (सजा के लायक) हैं। "यानी उसे 80 कोडे की सजा दी जायेंगी"।

(अलमलफूज जि. 4 पेज 19)

25. ओझड़ी खाना मकरूह हैं।(अलमलफूज जि. 4 पेज 29)

26. उत्तर कि तरफ पाँव करने में कोई हर्ज़ नही और इस तरफ मुँह करके लेटरींन वग़ैरा करना भी मना नहीं। "यह बात जाहिलो में मशहुर हैं" (अलमलफूज जि. 2 पेज 67)

27. मसाईल का ना जानना उज़्र नहीं की "जिहालत" खुद गुनाह हैं। कुरआन पाक में हैं। "तुम्हे मालुम न हो तो जानने वालो से पुछों" अब ना जानने वालों कि गलती हैं। उसने क्यों न पुछा क्यों न सिखा। (अलमलफूज जि. 1पेज 29)

28. बारिक कपड़े, दुपट्टे, साड़ी जिसमें बदन या बालो की रंगत नजर आये तो औरत की नमाज़ हरगीज ना होगी। (अलमलफूज जि. 1 पेज 30)

29. हुजुर सलल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी बला रसीदा को देखकर यह दुआ पढ़े लेगा। उस बला से मेहफुज रहेगा। वह दुआ यह हैं। "अलहम्दु लिल्लाही ल्लजी आफानी मिम्मा ब त ल क बिह व फज़्ज़ालनी अला कसिरूम मिम्मन ख़लक तफ ज़िला"।

आला हजरत ने फरमाया –: जिन जिन मर्ज़ो के मरीजो, जिन जिन बलाओं के मुबतलाओं को देखकर मैने इसे पढ़ा बहम्दही तआला आजतक इन सब (मर्जो व बलाओं) से मेहफूज़ हुँ। (फ) मुसलमानों को चाहीये कि वह भी इस दुआ को हिफ्ज़ करलें। मरीज व मुसीबत जदा को देखें तो 3 बार पढ़ लिया करें।

30. हाफिज अपने अजीज़ों में से दस (10) की शफाअत करेगा। और उसके माँ बाप को कियामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जायेगा जिस से मगरीब व मशरीक तक रौशन हो जायें।

शहीद पचास शख्सों की, हाजी सत्तर की, और उलेमा बे गिनती लोगो की शफाअत करेगे। कोई कहेंगा कि मैने वजु के लिये पानी दिया था। कोई कहेगा मैने फला काम किया था। (अलमलफूज जि. 1 पेज 47)

31. अकीका का गौश्त बच्चो के माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, मामू, चाचा, वग़ैरा वग़ैरा सब खा सकते हैं।

(अलमलफूज जि. 1 पेज 51)

32. बहरूल राईक वग़ैरा में तशरीह है। कि काफिर हरबी पर कुछ तसद्दुक करना (खेरात या सदका वग़ैरा) हरगीज जाईज़ नहीं। कुरआन में हैं। "अकीमु स्सलात" नमाज़ पढो तो क्या उससे यह मतलब है चाहे वजु हो या ना हो। शर्त भी तो मौजूद होना चाहिये ना कि मुतलक। (अलमलफूज)

33. वहाबियों, राफजियों, शीयाओं (बोहरों) एहले हदीस वग़ैरा मुरतदीन की बनवाई हुई मस्जिद मिसल घर के हैं।

(अलमलफूज जि. 1 पेज 132)

34. अल्लाह तआला को "अल्लाह मीयाँ" कहना मना है।

(अलमलफूज जि. 1 पेज 140)

35. "या मुहम्मद और या अहमद" (सल्ललाहु अलैहि व सल्लम) कहना हराम हैं। यूँ कह सकते है। बल्कि इसी तरह कहना है कि "या रसुल्लाह या हबीब अल्लाह या नबीअल्लाह या रहमतल लिल आलैमीन या खातमुन्नबियीन"वग़ैरा सिर्फ दोनों ज़ाती नामों के साथ लफज "या" हरगीज इस्तेमाल ना करें क्योकि कुरआन पाक में अल्लाह तआला ने मना फरमा दिया हैं। देखो सूरऐ नूर की आख़री आयात का तर्जुमा।

(बहारे शरीअत जि.1)

36. मस्जिद में भीख माँगने वालो को एक रूपया खैरात दें। तो बाहर निकल कर 70 सित्तर रूपया और कफ्फारे में दे। तो उसका कफ्फारा अदा हो जायेगा। लिहाजा मस्जिद में हरगीज़ भीख न दें। (ऐहकामे शरीअत हिस्सा 1 पेज 64)

37. जो गौश्त खटीक या हिन्दु बेचे और जिस गौश्त पर मुसलमान की निगरानी न हो। जब से ज़िब्हा हुआ तब से मुसलमान के खरीद तक बराबर निगाहे मुसलिम में हो, और वह यह गवाही दे सके कि यह वही बकरा हैं। जो मुसलमान ने जिब्हा किया था। तो उसका गौश्त खाना जाईज़ हैं। वरना हराम। काफिर का यह कहना यह वही बकरा हैं। जिसे मुसलमान ने ज़िब्ह किया था। मौअतबीर नहीं इस गौश्त का खरीदना व खाना जाईज़ नहीं। (ऐहकामे शरीअत हिस्सा 1 पेज 73)

38. हराम काम जिस से मना किया गया हो इन सब से नमाज़ मकरूह तेहरीमी हैं। और ऐसे कि इमामत भी जाईज नहीं अगर पढ़ी तो तोबा करनी। और नमाज़ वापस दौहरानी पड़ेगी। हराम काम जैसे दाड़ी मुन्डवाना, सोने चाँदी की चेन या अंगूठीयाँ पहनना, कव्वाली सुनना (ढोल सारंगी के साथ) वग़ैरा हराम काम करने वालो की इमामत सही नहीं हैं।

(ऐहकामे शरीअत हिस्सा 2 पेज 105)

39. शिकारी कुत्ते का शिकार जबकि बिस्मिल्लाह पढ़कर शिकार पर छोड़ा हो और दिगर दुसरी शर्ते भी पाई जावें, तो अगर शिकार तडपता मिले जिब्ह करले हलाल है। और जब शिकार के पास पहुंचा ओर कुत्ते ने ही मार दिया तो भी हलाल हैं खाया जायेगा बाकी शर्ते वग़ैरा की तफसील ऐहकाम शरीअत आला हजरत हिस्सा अव्वल पेज. 22–23 देखें।

40. अज़ान में नामें अक़दस सुनकर नाखून चूम कर आँखो से लगाने को आलीमो ने मुस्तहब फरमाया। पहली दफा जब नाम अकदस सुनें "सल्ललाहु अलैयक या रसुलल्लाह" जब दुबारा सुने पढ़े "कुर्रतो ऐनी बिका या रसुल्लाह" यानी मेरी आँखें हुजुर से ठण्ड़ी हुई या रसुल्लाह फिर कहें "अल्लाहुम्म मुत्तअनी बिस्समी वल बसरी" इलाही मुझको बिनाई व शुनवाई से बहरामन फर्मा। और यह कहना अंगुठो को आँखो पर रखने के बाद हो नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम उसे अपने साथ जन्नत में ले जाऐगे। (ऐहकामे शरीअत हिस्सा 1 पेज 30)

41.अगर कोई शख्स बा निय्यत आजीज़ी नगें सर नमाज़ पढ़े कोई हर्ज़ नहीं। और बहारे शरीअत में खूसूअ व खूजूअ की निय्यत से नगें सर नमाज़ पढ़ना मुस्तहब लिखा हैं।(ऐहकामे शरीअत हिस्सा 1 पेज 74)

42. अगर ईतिकाफ की निय्यत कर रखी हो तो उसको मस्ज़िद में खाना, पीना जाईज़ हैं। ईतिकाफ की निय्यत यह हैं "नवैयतो सुन्नतुल ईतिकाफ" अब नमाज़ वग़ैरा पढ़े जिक्र वग़ैरा करे। और हाजत हो तो खा पी भी सकता हैं। और जब तक इस निय्यत से मस्ज़िद में रहेगा। इबादत में शुमार होगा। (ऐहकामे शरीअत हिस्सा 2 पेज 80)

43. यह जो मशहुर है कि मौला अली ने लाल काफिर को मारा और वह भागा और अब तक ज़िन्दा हैं। यह सब बेअसल बाते हैं। (ऐहकामे शरीअत हिस्सा 2 पेज 96)

44. अज़ान सानी (दुसरी अज़ान) मस्ज़िद में मकरूह हैं। हुजुरे अकरम ने या खुलफाऐ राशीदीन ने कभी मस्ज़िद के अन्दर नहीं दिलवाई तफसील के लिये देखों।

(ऐहकामे शरीअत इज आलाहज़रत हिस्सा–2 पेज132 से 137)

45. इब्ने जरीज़ रहमतुल्लाह का कौल हैं। कि "सिवाऐ काफिरों के और कोई जादू सीखने की हिम्मत नहीं करता। हदीसों में है कि जो शख्स किसी काहिन या जादूगर के पास जाये और उसकी बातों को सच समझे उसने रसूले अकरम पर उतरी हुई वही (कुरआन) के साथ कुफ्र किया।

(तफसीर इबने कसीर सुरऐ बकर पेज 156)

46. हदीस में है "यह उम्मत तिहोत्तर (73) फिरके हो जायेगी एक को छोडकर सब के सब जहन्नमी होगे" सहाबा ने पुछा वह कौन लोग होगें? आप ने फरमाया जो मेरे व मेरे सहाबा के रास्ते पर होगें यानी सुन्नत के तरीके पर चलने वाले इसलिये इस फिरके का नाम ऐहले सुन्नत वल जमाअ़त हुआ।

(तफसीर इबने कसीर पारा 3 पेज 44)

47. जो इल्म को जान बुझ कर छुपाये उसके मुँह में अल्लाह तआला आग की लगाम पहनाऐगा। (हदीश शरीफ)

48. चार बच्चों ने गहवारे में बातचीत की (1) फिरऔन की लड़की मशाता का बच्चा (2) एक वह जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की शहादत दी (3) एक वह जिसने हजरत जरीज अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की शहादत दी (3) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। (तफसीर इब्ने कसीर पारा 15 पेज 14)

मगर हदीस सुसिमार (गोह) में एक बच्चा का जिक्र किया है जिस ने माँ की गौद में हुजुर के नबी होने की शहादत दी थी। इस तरह पाँच हुऐ। (मोईनुद्दीन अहमद रजिवी नूरी)

49. मुसलमानों को चाहिये कि मुसलमानों के इलावा औरो दुसरों से दोस्ती न करें। (पारा 28 पेज 103 तफसीर कसीर)

50. पांच जानवर जन्नत में जायेगे। (1) असहाबे कहफ का कुत्ता (2) हजरत इस्माइल अलैहिस्लल्म का मैढ़ा (3) हजरत सालैह अलैहीस्सलाम की ऊँटनी (4) हजरत उज़ीर अलैहिस्सलाम का गधा (5) सरकार अकदस सल्ललाहु अलैहि व सल्लम का बुराक। (इश्बाह व लनज़ाइर सफा 382)

51. कियामत के नाम जो कुरआन मजीद में आयें। साअत, कियामत, करिआ, खाफिज़ा, राफिआ, तामा, सामा, ज़लज़ला, यौमलग़रक़ा, यौम मौउद, यौमल अरज़ यौमलमफर, यौम असीर।

52. कुरआन पाक में पांच सुरतो क़े शुरू में अलहम्दु लिल्लाह हैं। फातिहा, सूराऐ इनआम, सूराऐ कहफ, सूराऐ सबा और सूराऐ फातीर।

53. महीनो में सिर्फ रमजान का नाम कुरआन में लिया गया हैं। औरतो में सिर्फ बीबी मरीयम अलैहिस्सलाम का और सहाबा में सिर्फ हज़रत जैद इब्न हारसा का नाम आया हैं।

54. कुरआन अज़ीम से फाल लेना मकरूह तेहरीमी (हराम) हैं।

55. तमाम कुरआन में बारह जगह इमाम का लफ्ज़ आया हैं।

56. हर बुरी खबर या रंज की खबर सुनकर या मुसलमान की मौत की खबर सुनकर "इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैयही राजिउन" पढ़ना चाहिये। हुजुरे अकरम चिरागा गुल होने पर, नाअलैन का तसमा टुट जाने पर हाथ में फांस लग जाने पर भी "इन्ना लिल्लाहि" पढ़ते थें।

57. जन्नते आठ हैं।

(1) दारूल जलाल (2) दारूल सलाम (3) जन्नतुल मावा (4) जन्नतुल खुलद (5) जन्नतुल नईम (6) दारूल करार (7) जन्नतुल फिरदौस (8) जन्नतुल अदन जन्नत में नहर

कौसर है जो हुजुर के लिये मखसुस हैं। इसके अलावा नहरे काफूर, नहरे तसनीम नहरे सलसबील, नहरे रहीक, पानी दुध और शहद की नहरें भी हैं। (वकाईकुल अखबार)

58. वह तनूर जिससे तूफान नूह शुरू हुआ। कुफ़ा में वाके है।

59. राफजीयों ने मौला अली और ऐहले बैत अतहार के मनाकिब (तारीफ) में तीन लाख के करीब झुठी हदीसे गढ़ी है।

60. बुखारी शरीफ वह किताब है। जिसे ऐहले इल्म कुरआन मजीद के बाद इस आसमान के निचे सब से ज़्यादा सही किताब मानते हैं। इस किताब को इमाम बुखारी से इन के नब्बे 90 हजार शागीर्दो ने पढ़ा और सुना और रिवायत किया।

61. इमाम बुख़ारी को छः लाख हदीसें जुबानी याद थी। उनमें से चुनचुन कर सोलह साल में जामें बुखारी मुरत्तबा फरमाई, इसमें कुल मिला कर नौ हजार ब्यासी (9082) हदीसें हैं।

62. इमाम बुख़ारी चोबीस घण्टे में सिर्फ दो तीन बादाम पर गुजारा करते थे। कभी सिर्फ सुखी घास पर। और चालीस साल तक बिना शोरबे के सूखी रोटी खाई। मगर फय्याज़ी का यह आलम था। कि कभी कभी एक दिन में तीन तीन सौ दरहम सदका कर दिया करते थें।

63. हदीस शरीफ की मशहुर किताबे यह है।

(1) बुखारी शरीफ (2) मुस्लिम शरीफ (3) तरमीजी शरीफ (4) अबुदाअद (5) निसाई (6) इब्न माजा (7) तहावी शरीफ (8) मूता इमाम मालिक (9) मसनद इमाम आज़म (10) मसनद इमाम अहमद (11) दारमी शरीफ आदि।

64. हदीस शरीफ में हैं। जिससे दीन की बात पूछी और

ना बताई तो अल्लाह तआला कयामत के दिन उसे आग की लगाम लगायेगा।

65. सरवरे आलम सलल्लाहु अलैहिव सल्लम ने फरमाया जो शख्स रमजान के महीने में इलमें दीन की मजलिस में हाज़ीर हो उसके नामाऐ आमाल में हर कदम के बदले एक साल की इबादत लिखी जाती हैं। और वह अर्श के निचे मेरे साथ होगा।

66. रसुलल्लाह ने फरमाया जिसको वुसअत हो और वह कुर्बानी ना करे वह चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर।

67. अश्‍रा मुबश्शरा में दस सहाबा हैं। जिन को रसुलल्लाह ने इनकी जिन्दगी में जन्नत की बशारत दे दी थी।

(1) हजरत अबु बकर (2) हजरत उमर

(3) हजरत उस्मान (4) हजरत अली

(5) हजरत तलहा (6) हजरत जुबैर

(7) हजरत साद बिन जराह

(8) हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ

(9) हजरत अबुअबैदा बिन जराह (10) हजरत सइद बिल ज़ैद रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमइन।

68. नबी करीम ने फरमाया आलीम को आबिद (इबादत करने वाला) पर इतनी फजीलत है। जितनी मुझे एक अदना मुसलमान पर ।

69. आप सल्ललल्लाह अलैहि व सल्लम का फरमान हैं कि तीन तरह के आदमीयों से बचते रहों । (1) ग़ाफिल आलीमों से (2) खुशआमदी फकीरों से और (3) जाहील सूफियों से।

70. नबी ऐ करीम का इर्शाद है सूद (ब्याज) खाने में 73

तिहोत्तर गुनाह है। सबसे कम दर्जा का गुनाह यह है। गोया उसने अपनी माँ के साथ ज़िना किया।

71. माँ बाप के ना फरमान (हुक्म ना मानने वाला) का कोई फर्ज़ (जैसे नमाज़,रोज़ा,हज,जकात,वग़ैरा) कोई वाजिब (कुर्बानी फितरा,वित्रा की नमाज़) कोई निफल कोई सदका खैरात अल्लाह तआला कबुल नहीं करता। (फतावा रज़विया आला हजरत)

72. हदीस शरीफ में हैं कि "औलाद अपने वालदैन (माँ बाप)" की तरफ मुहब्बत से देखें तो अल्लाह तआला उसके लिये हर नज़र के बदले एक "हज़" मबरूर (मकबूल किया गया) का स्वाब लिखता हैं। अगर दिन में सौ मर्तबा माँ बाप को मुहब्बत से देखे तो अल्लाह तआला उसे सौ हज का स्वाब अता फरमाता हैं। (बहारे शरीअत जिल्द. 16 पे. 144)

73. और इर्शाद है कि "आदमी के लिये यह हलाल नहीं" कि उसे अपने मुसलमान भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ रखे यानि बातचीत बन्द करदे। अगर किसी ने ऐसा किया और अगर मर गया तो जहन्नम में जायेगा।

74. जिसको यह बात पसन्द हो कि उसकि उम्र लम्बी हो और रिज़क में बरकत हो और बुरी मौत न मरे तो वह रिश्ते दारो के साथ अच्छा सलूक करे।यानि पैसो से मदद करे, उनका हुक्म माने, उनकी ताजीम करे उनकी तौकीर (इज्जत) करे (हदीस शरीफ)

75. सारी उम्मत का इस पर इत्तफाक है। सिला रहम वाज़िब हैं। और कताअ रहम (रिश्ता काटना) हराम हैं।

76. इर्शाद है कि "वह शख्स जन्नत में नहीं जायेगा" जिस का पड़ौसी उसकी आफतों से अमन में नहीं है।

77. नबी करीम ने फरमाया :– मुसलमान मुसलमान का भाई है ना उस पर जुल्म करे ना उसकी मदद छोड़े। और जो आदमी अपने भाई की मदद में लगा हैं। उसका अल्लाह मददगार है। और जो आदमी मुसलमान की किसी एक तकलीफ को दुर करें, अल्लाह तआला कियामत के दिन कियामत की तकलीफ में से एक तकलीफ दुर करेगा। और जो शख्स मुसलिम की पर्दा पोशी करेगा। यानी उसके ऐब छुपाऐगा। अल्लाह तआला कियामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा।

78. (1) जिसमें नर्मी व मेहरबानी नहीं होगी वह सारी खूबीयों से महरूम हैं।

(2) फजुल बातों से परहैज करों। सिर्फ इतनी बात करो जितनी ज़रूरत हो।

(3) पड़ौसी का हक उसी को उसी से अदा होता हैं। जिस पर खुदा की रहमत होती हैं।

(4) मुसलमान की गीबत और उसकी बेइज्जती करना हराम हैं। यह काम जिना (बलात्कार) और सूद (ब्याज) से ज़्यादा बदतर (ख़राब) हैं। और सूद खाना अपनी माँ से ज़िना करने से भी बुरा हैं। सूद का एक पैसा लेना पैतीस बार ज़िना (बलात्कार) के गुनाह से ज़्यादा बुरा हैं। और किसी मुसलमान की बे इज्ज़ती करना इन सब गुनाहो से ज़्यादा बुरी बात हैं। (तरगीब व तरहीब)

(5) जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी घमण्ड यानि तकब्बुर होगा। वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा।

(6) जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। उसको अल्लाह तआला उधें मुँह दौजख़ में डाल देगा।

(7) जो शख्स जुमा के दिन गुसल करता है। उसके तमाम गुनाह झड़ जाते हैं। और जब मस्ज़िद की तरफ चलता है तो हर कदम के बदले बीस साल की इबादत का स्वाब लिखा जाता है। और जब नमाज़ पढ़ लेता है। तो दौ सौ बरस के आमाल की नेकिया मिलती है।

79. शुरू इस्लाम में "मैराज" से पहले तेराह 13 साल तक कोई इबादत न थी। सिर्फ अल्लाह और रसुल सल्लललाहु अलैहि व सल्लम को मानना ही ईबादत था। उस वक्त फौत होने वाले मौमीनीन सब जन्नती थें।

80. नमाज़ के अलावा नौ जगह अजान मुस्तहब है।

(1) बच्चें के कान में (चार बार दाहीनी तरफ अज़ान और तीन बार इकामत बाई तरफ पढ़नी चाहियें) (2) आग लग जाने पर (3) जंग में (4) जिन्नात के गल्बे के वक्त (5) गमज़दा (6) गुस्से वाले के कान में (7) मुसाफिर जब रास्ता भूल जायें (8) मिर्गी वाले के पास (9) मय्यत को दफन करने के बाद कब्र पर।

81. शराब पीने, ज़िना करने, चोरी करने, जुआँ खेलने (ताश वग़ैरा) के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र हैं। यानि जबकी हराम कतई करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना हलाल समझे ।(बहारे शरीअत जि. 9 पेज. 172 और आलमगीरी जि. 2 पेज 245)

82. हराम कत्तइ करने और चोरी करने वग़ैरा ना जाईज माल इस्तेमाल करने के वक्त "बिस्मिल्लाह" पढ़ना हराम हैं। जबकी पढ़ने को हलाल ना समझे। इसी तरह हैज़ वाली औरत से हमबिस्तरी करते वक्त पढ़ना हराम हैं। और वह शख्स जिस पर गुसल फर्ज़ है। उसे तिलावत की नियत से बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम हैं। अलबत्ता इसे ज़िक्र व दुआ की नियत से पढ़ना जाईज़ हैं। (तहतावी अला मराकी सफा 3)

83. हुक्का, बीड़ी सिगरेट पीने और लहसुन, प्याज़ जैसी चीज खाने के वक्त और निजासत की जगहो में और शर्मगाह खोलने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह हैं।

(तहतावी अला मराकी पेज 3 और शामी जिल्द अव्वल पेज 7)

84. हजरत हसन रज़ि अल्लाह का कौल है कि जिस की नमाज़ उसको बे हयाई और ममनूआत (हराम कामों) से ना रोके वह नमाज़ ही नहीं हैं।

85. मगरीब व इशा के दरमियान जागना सुन्नते मौकिदा हैं।

86.यौम अरफा के दस नाम हैं। (1) अरफा (2) यौम अयास (3) यौम अकमाल (4) यौम इतमाम (5) यौम रिज़वान (6) यौम हज्ज अकबर (7) यौम शफअ (8) वित्रा (9) शाहीद (10) मशहुद यह सब नाम कुरआन पाक में आते हैं।

88. सुराऐ फातीहा, को फातिहा इस लिये कहते है कि फातिहा शुरू करने को कहते हैं। उसके और नाम भी हैं। (1) उम्मुल किताब (2) उम्मुल कुरआन (3) सबअ मसानी (4) कुरआने अज़ीम (5) अलहम्द (6) सूरतुस्सलात (7) सुरते शिफा (8) सुरतुर्रकिया (यानि पढ़ कर फुँकने की सुरत) (9) असासुल कुरआन (10) वाकिया (11) वाफिया (12) सुरते कुन्ज

(तफसीर इब्ने कसीर)

90. बच्चा पैदा हो तो दायें कान में चार मर्तबा अज़ान और बाये कान में चार मर्तबा इकामत (तकबीर) कही जायें।

(बहारे शरीअत हि 15 पेज 127)

91. औरत को भी तलाक का इख्तियार है

वह हस तरह कि "औरत इस शर्त पर निकाह करें मैं जब कभी चाहुँगी अपने उपर तलाक बाइन वाकै कर लूंगी तो इस शर्त से निकाह करने पर औरत जब चाहे अपने आपको तलाक दे सकती है।(गाज़ल फिका पेज 214) औरत जब चाहे तब आज़ाद हो जाये तो उसका बहतर और असान तरीका यह है कि "इस शर्त पर निकाह करें मुझे हर वक्त अपने नफ्स का इख्तियार हो कि जब कभी चाहूँ अपने आपको एक तलाक बाइन दे लूँ ओर मर्द कहे मैंने कबूल किया इसी शर्त पर जबकि जब कभी भी तु चाहे तूझे हर वक्त अपने नफ्स का इख़्तियार होगा और जब कभी तू चाहे अपने आपको तलाक बाइन देले।" इस तरह औरत को हमेशा इख्तियार रहेगा कि चाहे बीबी बनकर रहे और अगर मर्जी न हो तो अपने आप तलाक बाइन देकर जुदा हो जाये। (फतावा रज़विया जिल्द 4 पेज 681–684 बहारे शरीअत हिस्सा 7 पेज 9)

92. यहाँ के कुफ्फार हर्बी हैं लिहाजा कुर्बानी का गौश्त इन्हें ना दे।

(बहारे शरीअत हिस्सा 15 पेज 119)

93. छिपकली और गिरगीट मारना स्वाब है।

(बहारे शरीअत हि. 15 पेज 102)

94. जान बुझकर बिस्मिल्लाह ना कही और जनावर ज़िब्हा कर दिया खाना हराम है। और अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया तो हलाल है। (बहार शरीअत हि. 15 पेज 97)

95. यहाँ के कुफ्फार से जो ज़्यादती उसकी राजी खुशी से मिले उसे सूद कहना जाईज़ नहीं। और जो ज़्यादा रकम हासील हुई वह मुसलमान के लिये जाईज़ है। मसलन यहां के कुफ्फार को हजार रूपय उधार दिये और वापस उसे 2% या कुछ ज्याादा लेना तय किया तो यह सूद नही कहा जायेगा। क्योंकि मुसलिम व हर्बी कुफ्फार के बीच में सूद होता ही नहीं। लिहाजा कुफ्फार की खुशी से जिस कद्र माल हासिल करे जाईज़ हैं। (बहारे शरीअत हि.11 पेज 129)

96. जिन जानवरो का गौश्त नही खाया जाता ज़िब्ह शरइ से उन का गौश्त चर्बी और चमड़ा पाक हो जाता हैं। मगर खन्जीर (सुअर) कि उस का हर हिस्सा (जुज) नजीस (नापाक) हैं। अगर खाने के इलावा खारजी बाहरी तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो जिब्ह करले। इस सुरत में उसके इस्तेमाल से बदन या कपड़ा ना पाक नहीं होंगा। (फ) लिहाजा चमड़े के जेकेट मोजे जुराबे, बेल्ट, पर्स का इस्तमाल जाईज़ हैं। और नमाज़ की हालत में भी इस्तैमाल कर सकते हैं। (सिवाऐ सुअर के)

97. ज़िब्ह करते वक्त सर जुदा हो जाये तो जानवर खाया जायेगा। (बहारे शरीअत हि. 15 पेज 97)

98. बाज़ लोग सिर्फ नाक कि नोक पर सज्दा करते हैं।

जब कि हुक्म हैं। कि जहां तक हडड़ी का सख़्त हिस्सा हैं ,ज़मीन से लगना चाहीयें। वरना नमाज़ मकरूह तहरीमी होगी। जिसका लौटाना वाज़िब हैं। (अलमलफूज 2 पेज 123)

99.शराब हराम और पैशाब की तरहा ना पाक और उस का पीना सख़्त गुनाहे कबीरा। और पीने वाला फासीक फाजिर ना पाक बेबाक मरदूद मलउन हैं। सख़्त अज़ाब का हकदार है। हदीस शरीफ में है कि फरमाया रसूलेअकरम सलल्लाहु अलैयही व सल्लम ने -:

(1) शराब पीते वक़्त शराबी का इमान सही नहीं रहता।

(2) जो जिना (बलत्कार) करे या शराब पीये अल्लाह तआला उस से इमान खींच लेंता है।

(3) तीन शख्स जन्नत में ना जायेगें (1) शराबी (2) अपने करीब के रिश्तेदारो से बदसलूकी करने वाला (3) जादू की तस्दीक करने वाला।

और जो शराबी बेतौबा मर जाये अल्लाह तआला उसे वह खून और पीप पिलायेगा। जो दोज़ख में फाहीशा (बेहया बदकार) औरत की बुरी जगह से इतनी ज़्यादा बहेगा की एक नहर हो जायेगी। दोज़खीयों को उन की फुर्ज की बदबु अजाब पर अजाब होगी। वह सख़्त बदबू, गन्दी पीप जो बदकार औरतो की फुर्ज (पैशाब की जगह) से बहेगी। उस शराबी को पीनी पड़ेगी। वलअयाज़ बिल्लाही तआला।

मुसलमान ज़रा आँखे बन्द करके गौर करे कि शराब छोड़ना मन्जुर हैं या उस पीप के घुँट निगलना।

(4) जो शख्स शराब की एक बूदं पिये चालिस रोज़ तक

उसकी कोई नमाज़ कबूल न हो। और जो मर जाये और उसके पैट में शराब का एक ज़र्रा भी हो तो जन्नत उस पर हराम करदी जायेगी। और जो शराब पीने से चालीस दिन के अन्दर मरेगा वह ज़मानाऐ कुफ्र की मौत मरेगा।

(फतावा रज़विया जि.11 पेज 47.48)

मसनुन व मकबूल दुआऐं

दुआ घर में दाखिल होते वक़्त पढ़े ।

اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُكَ خَیۡرَ الۡمَوۡلِجِ وَخَیۡرَ الۡمَخۡرَجِ بِسۡمِ اللّٰہِ وَلَجۡنَا وَعَلَی اللّٰہِ تَوَکَّلۡنَا۔

अल्लाहुम्मा इन्नी अस अ लु क ख़ैरल मौलिजि व ख़ैरल मखरिजि बिस्मिल्लाहि व लज्ना व अलल्लाहि तवक्क लना (मिश्कात)

तर्जुमा —: ऐ अल्लाह मैं तुझसे स्वाल करता हुँ। अच्छें दाखिल होने और बेहतर निकलने का अल्लाह के नाम से दाखिल हुआ। और हम ने अल्लाह पर भरोसा किया। (फिर घर वालो को सलाम करें) और फिर घर में दाखिल हों।

घर से निकलते वक्त पढ़े

بِسۡمِ اللّٰہِ تَوَکَّلۡتُ عَلَی اللّٰہِ وَلَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ ؕ

बिस्मिल्लाहि त वक्कलतु अलल्लाहि व ला हौ ल वला कू व त इल्ला बिल्लाह :—

तर्जुमा —: मैं अल्लाह का नाम लेकर निकला, मैं ने अल्लाह पर

इल्ला किया गुनाहों से बाज़ करने और इबादत व नेकी करने।

जब निंद से बेदार हो

الحمد لله الذی احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور

अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाअद मा अमा त ना व एलैहिन नुशूर (बुखारी व मुस्लिम)

तर्जुमा –: सब खुबियाँ उस अल्लाह के लिये हैं जिसने हमको जिन्दा किया बाद मौत देने के और उसकि तरफ जाना जामा हैं।(बुखारी व मुस्लिम)

पाखना जाते वक्त اللهم انی اعوذبك من الخبث والخبائث

अल्लाहुम्मा इन्नी अ ऊ जु बि क मिनल खुब्सि वल खबाइसि

तर्जुमा –: ऐ अल्लाह में पनाह चाहता हुं। खबिस जिन्नं से मर्द हों या औरत (बुखारी जिल्द2 सफा 936)

غفرانك *(गुफ्रा न क) कहे इसके बाद यह दुआ पढ़े*

पाख़ाने से निकलते वक्त الحمد لله الذی اذهب عنی الاذی وعافانی

(गुफ्र ना क) कहे इसके बाद यह दुआ पढ़े :–

आलहम्दु लिल्लाहिल लजी अज़ ह ब अन्निल अज़ा व आफानी

तर्जुमा –: सब ताअरीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझको इज़ा देने वाली चीज़ दुर की और मुझे आफियत दी।

الحمد لله الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی

जब नया लिबास पहने तो यह पढे

अलहम्दु लिल्लाहिल लजी कसानी मा ओवारी बिही औ़रत व अ त जम्मलु बिही फी हयाती (मिश्कात)

तर्जुमा –: सब ताअरीफे उस अल्लाह के लिये हैं। जिसने मुझको कपड़ा पहनाया जिससे मैं अपनी शर्मगाह को छुपाता हुँ। ओर अपनी जिन्दगी में इससे खुबसूरती हासिल करता हुँ।

सफर का इरादा हो तो यह पढ़े اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَسِيْرُ

अल्लाहुम्म बि क असूलु व बि क अहूलु व बिक असीरू

तर्जुमा –: ऐ अल्लाह मैं। तेरी ही मदद से दुशमनों पर हमला करता हुँ। और तेरी ही रहमत से उनके दफअ् करने की तदबीर करता हुँ। और तेरे ही फज़्ल से चलता हुँ। (हसने हसी)

जिस मस्ज़िद में दाखिल हो اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"अल्लाहुम्मफ तहली अबवाब रहमतिका"

तर्जुमा –: ऐ अल्लाह मेरे लिये रहमत के दरवाजें खौंल दें।

जब मस्ज़िद से निकले

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ
اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل
مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ ط
مانگتا ہوں اور تیری رحمت

"अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक मिन फज़्लिक व रहमतिक"

तर्जुमा –: ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरा फज़्ल मॉंगता हूँ। और तेरी रहमत

जब सवार होने लगें तो पढ़ेया कश्ती जहाज़ में सवार हो पढ़े।

किसी चिज़ पर सवार हो तो बिस्मिल्लाह कहे और बैठ जाये तो अलहम्दु लिल्लाह कहें फिर यह दुआ पढ़े।

سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ۔

"'सुब्हानल्लज़ी सख्ख़ र लना हाजा व मा कुन्ना लहू मुकरेनीन"

तर्जुमा की सतर दौयम् बग़ौर पढ़ें। तर्जुमा –: अल्लाह पाक हैं जिसने कब्जा में कर दिया और हम उसकि कुदरत के बिगैर इसको कब्ज़ा में न करने वाले थें।

स्टेशन पर उतरते वक्त اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۔

"अऊजु बि कलिमातिल्लाहित ताम्माति मिन शर्रि मा ख ल क "

तर्जुमा –: अल्लाह के पुरे कलिमात के साथ अल्लाह की पनाह माँगता हुँ। उसकि मख्लूक के शर से

(हसने हसी)

किसी बस्ती या शहर में दाखिल हो

अल्लाहहम्म बारिक लना फीहा कहे इसके बाद यह पढ़े

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیْهَا

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا

اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِیْ اَهْلِهَا اِلَیْنَا ۔

"अललाहुम्मर जुक्ना जनाहा व हब्बिना इला अहलिहा व हब्बिब सालिही अहलिहा इलैन" (तिब्बरानी)

तर्जुमा –: ऐ अल्लाह तू हमें इसके मेवे नसीब कर ओर यहां के रहने वालों के दिलो में हमारी मुहब्बत पैदा फरमा और यहां के नेक

बन्दों की मुहब्बत हमारे दिल में डाल

जब कोई नेअ़मत मिले तो यह पढ़े

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ بِنِعْمَتِہٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

"अलहम्दु लिल्लाहिल लजी बि ने अमतिहि ततिमुस्सालिहातु"

तर्जुमा –: तमाम ताअ़रिफें उस अल्लाह के लिए है जिसकी नैअ़मत अच्छी चीज़े मुकम्मल होती हैं–

बाजार में दाखिल हो तो यह पढ़े

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ
لَہٗ لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ وَھُوَ
حَیٌّ لَّا یَمُوْتُ بِیَدِہِ الْخَیْرُ وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

"लाइलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरी क लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हु व हय्युल ला यमूतु बि यदिहिल खैरू व हु व अला कुल्ले शयइन कदीर"

तर्जुमा –: अल्लाह के सिवा कोई माअबूद नहीं वह तनहा हैं उसका कोई शरीक नहीं उसके लिए मुल्क है और उसके लिए हम्द वही जिन्दा करता है। और मारता है और खुद ज़िन्दा हैं उसे मौत ना आयेगी। उसके हाथ में भलाई है। वह हर चीज़ पर कादिर हैं।

जब कोई मुसीबत पहुँचे या रंज गम की ख़बर मिले या कोई चीज़ गुम हो जाए तो यह पढ़े–

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
بیشک ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی
رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِيْ
طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ میں اپنی اس مصیبت میں تجھ سے ثواب کا
فَأْجُرْنِيْ فِيْهَا وَأَبْدِلْنِيْ مِنْهَا خَيْرًا ط
امیدوار ہوں پس مجھے اسمیں اجر دے اور اسکا بہتر بدلہ دے

"इन्न लिल्लाही व इन्ना इन्नयहि राजिऊन अल्लाहुम्मा इनदक अह्तसिबु मुसीबती फअ्जिरनी फीहा व अबदिलनी मिन्हा खैरा।"

तर्जुमा –: बेशक हम अल्लाह के हैं और हम उसी की तरफ लौटने वालें हैं। ऐ अल्लाह मैं अपनी इस मुसीबत में तुझसे स्वाब का उम्मीदवार हुँ। पस मुझे इसमें अज़्र (स्वाब) दे और इसका बेहतर बदला दे।

शबे कद्र सबे बराअत में पढ़े

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ
اے اللہ بیشک تو
عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ يَا غَفُوْرُ
معاف کرنیوالا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے پس مجھ کو معاف فرما دے اے بخشنے والے

"अल्लाहुम्म इन्नक अफूवन तुहिब्बुल अफ्व फअ्फु अन्नी या गफूर"

तर्जुमा –: ऐ अल्लाह बेशक तू मुआफ करने वाला हैं। और मुआफी को पसंद करता है बस मुझको मुआफ फरमादे ऐ बख़्शने वाले।

आईना देखकर यह पढ़े

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

"अलहम्दु लिल्लाहिअल्लाहुम्म अन्त कमा हस्सन त ख़ल्की फहस्सिन खुलकी"

तर्जुमा –: ऐ अल्लाह जिस तरह तू ने मेरी जाहिरी सूरत अच्छी बनायी उसी तरह मेरी आदत व सीरत भी अच्छी बनादें।

आँखों में सुर्मा लगाते वक़्त

"अल्लाहुम्म मत्तेअ्नी बिस्मअे वल ब स रि"

तर्जुमा –: ऐ अल्लाह मुझे फायदा दे कान और आँख से

मुसाफा के वक्त यह कहें

"यगफिरूल्लाह लना व लकुम"

तर्जुमा –: अल्लाह हमारी और तुम्हारी मगफिरत करें।

खाली घर में दाखिल होते वक्त

"अस्स़लातु वस्सलामु अलै क या रसूलल्लाह"

तर्जुमा –: ऐ अल्लाह के रसुल आप पर दुरूद व सलाम हों।

जब कब़रिस्तान जाए

"अस्सलामु अलैकुम या अहलल्कुबुरि यगफिरूल्लाह लना व लकुम व अनतुम सल फुनाव नहनु बिल्असरि ।"

तर्जुमा –: सलाम हो तुम पर ऐ कब्रो वाले अल्लाह हमें और तुम्हे बख्से तुम आगे जा चुके हो, और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं।

बाज़ार में पढ़ने की दुआ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ
لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ
حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

खाना खाने के बाद की दुआ

الحمد لله الذي اطعمنا
وسقانا وجعلنا
من المسلمين

माह मोहर्रम में रहलत फरमाने वाले बुजुर्गानेदीन

1.	हज़रत उमर फारूके आज़म	–	1 मुहर्रम	गुम्बदे खिज़रा
2.	ह. बाबा फरीद शकरगंज	–	5 मुहर्रम 664 हिज़री	पाकपटन पाकिस्तान
3.	शहादत हज़रत ईमाम हुसैन यौम आशुरा		10 मुहर्रम 3–4 ही	कर्बला बगदाद
4.	सोयम की फातिहा	–	12 मुहर्रम	कर्बला बगदाद
5.	हजरत मुफ्ती आज़म हिन्द मुस्तुफा रज़ा खाँ बरेलवी	–	13 मुहर्रम	बरेली शरीफ
6.	हज़रत ईमाम जैनुल आबदीन	33,36या38	18 मुहर्रम 93 या 95 हि.	जन्तुल बकी
7.	विसाल हज़रत बिलाल हबशी		20 मुहर्रम	शाम

माह सफर या तेज़ी में रहलम फरमाने वाले बुजुर्ग

1	हजरत हाजी वारिस अली	–	1 सफर	देवा शरीफ
2	हजरत ईमाम अली मूसा रज़ा	148 हिजरी	7 सफर 205	मशहद (ईरान)
3	विलास सलमान फारसी	–	11 सफर	तुर्की

4	चलहम	–	20 सफर	चालिसवे की फातिहा
5	हज़रत ईमाम मूसारजा र अ	7 शव्वाल आखरी सफर 153 हाजरी	203 हाजरी	मशहद(ईरान)
6	हजरत ईमाम बाकिर र अ	3 सफर 57 हि	23 सफर मदीना मुनव्वरा 114 हि	
7	उर्स आला हज़रत अहमद रजा बरेलवी	–	25 सिफर बरैली शरीफ	

माह रबीउल अव्वल अव्वल में रहलत फरमाने वाले बुजुर्गानेदीन

इदमिलादुन्नबी का महीना

1.	सुफी सरमद शहीद देहलवी	10	देहली
2	विलादत व रहलत खातमुन्नबीईन हज़रत मुहम्मद मुसतुफा सल्ललाहु अलेयहिवसल्लम।	12 रबिऊल	मदीना मुनव्वरा गुम्बद खिजरा
3.	उर्स ख्वाज़ा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी र.अ.	14 रबीऊल अव्वल	देहली (महरौली)
4.	उर्स साबिर पिया कलयरी	15 " "	"कलियर शरीफ
5.	उर्स हज़रत शैख अब्दुल हक मुहद्दीस देहलवी	21 "	देहली
6.	ह. ईमाम हसन र.त.अ.	15 रमजान	11 रबिऊल मदीना मुनव्वरा

माह रबीऊल आख़िर (बड़े पीर सा.का महीना) रहलत फरमाने वाले बुजुर्गानेदीन

1	गौस पाक हज़रत पीर दस्तगीर सैय्यद अब्दुल कादीर जिलानी र.अ.	1 रमज़ान 471 हि.	9 या 11 रबिउलसानी 561 हिजरी बगदाद शरीफ
2	ग्यारवीं शरीफ की फातिहा गौस पाक बड़े पीर सा		11 रबिऊलसानी
3	उर्स निजामुद्दीन औलीया		17 " देहली
4	हजरत ईमाम मलिक र त अ		7–179 हि मक्का

माह जमादिल अव्वल(मदार साहब का महिना) में रहलत फरमाने वाले बुजुर्गाने दीन

क्र.	नाम			
1.	उर्स मौलाना आसी गाज़ीपुरी		2 जमा अव्वल	गाज़ीपुरा युपी..
2	ह. शैख बदीउद्दीन शाह मदार मकनपुर युपी		57 हिजरी	18 जमा अव्वल 716 हिजरी
3.	हज़रत कासिम बिन हजरत मोहम्मद सल्ललाहो अलैही वसल्लम		24 जमा अव्वल	–

जमादिल उस्सानी में (छट्टी का महीना) में रहलत फरमाने वाले बुजुर्गानेदीन

क्र.	नाम			
1	ह. मौलाना जलालुद्दीन रूमी मोलाना रूम कुनिया(रूम)		6 जमादि उस्सानी	5 जमा उस्सानी
2.	ह. शमसुद्दीन तुर्क पानीपति	–	9 जमादि उस्सानी	पानीपत
3.	ईमाम गज़ाली र.त.अ.	–	14" 1226 हिजरी	
4	हज़रत अबूबकर सिद्दिकी र.त.अ.	15 रबि उस्सानी	24 जमादि उस्सानी 13 हिजरी	गुम्बदे खिजरा मदीना शरीफ

माह रजब (ख्वाजा साहब का महीना) में रहलत फरमाने वाले बुजुर्ग

क्र.	नाम				
1	विसाल हज़रत अमीर मुआविया र.त.अ.		1 रजब		दमिश्क
2.	उर्स ईमाम शाफई र.त.अ.		204 हि.	4 रजब	मिस्र
3.	उर्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी		537 हि.	6 रजब 633 हि.	अजमेर शरीफ
4.	बिसाल हजरत अब्बास र.त.अ.		32 हि.	12 रजब	मदीना मुनव्वरा
5.	नज़र ईमाम जाफर सादीक रजि.त.अ. कुण्डे की फातीहा		8 रमजान 15 हि.	22 रजब 48 हि.	जन्नतुल बकी
6.	रजबी शरीफ मेराजुन्नबी (हजारी व लखी के रोजे रखिये)		26 रजब व 27 रजब		–
7	ईमाम अलिनकी बिन ईमाम मोहम्म्द तकी	212 हि.	3 रजब	55हि.	बगदाद शरीफ
8	उर्स जुनैद बगदादी र.त.अ.		–	27 रजब	बगदाद शरीफ
9	ईमाम आज़म अबु हनीफा र.त.अ.		4 शाबन 70 हिज़री	4 रजब 105 हि.	बगदाद शरीफ
10	ईमाम मूसा काजिम	5 सिफर 12 हि.	25 रजब 183 हि.		बगदाद शरीफ

माह शाबान या शबे बराअत

1.	ह बायजीद बुस्तामी र.अ		15 शाबान 361	बुस्ताम
2.	शबे बराअत		14 शाबान	हलवे पर फातिहा दिलाये।

माह रमज़ानुल मुबारक में रहलत फरमाने वाले बुजुर्गानेदीन

1	हज़रत बीबी फातिमा जहरा र.त.अ		3 रमजान 11 हि.	जन्नतुल बकी मदीना शरीफ
2.	उम्मुल मौमीनीन हजरत खदीजा – तुल कुबरा रजि अल्लाह तआल्लाह		10 रमजान	मदीना शरीफ
3.	काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी		10 रमजान	नागौर
4.	ह.बू अली कलन्दर		9 रमजान	पानीपत
5.	ह. सैय्यद मोहम्मद गौस		14 रमजान	ग्वालियर
6.	हजरत अली करम अल्लाह वजहू	13 रजब	21 रमजान 40 हि.	नजफ अशरफ
7.	उर्स चिराग देहली		16 रमजान	देहली
8.	बिलादत हज़रत इमाम हसन		15 रमजान	मदीना शरीफ
9.	विसाल हज़रत आयशा सिद्धिका र.त. अन्हा		16 रमजान	मदीना शरीफ
10.	यौमे बदर (जंगे बदर)		17 रमजान	मैदाने बद्र
11.	वफात सरकार बुरहानपुर		20 रमजान	बुरहानपुर
12.	उर्स सलीम चिश्ती		27 रमजान	फतेहपुर सिकरी आगरा

माह शव्वाल (मीठी ईद)

1.	ख़्वाजा उस्मान हारूनी		6 शव्वाल 677	मक्का मोअज्जमा
2.	ख़्वाजा उवैस करनी	–	7 शव्वाल 39 हि	
3.	हजरत अमीर हमजा र.त.अ	–	14 शव्वाल	मदीना
4.	हजरत अमीर खूसरो देहलवी	660 हि.	17 शव्वाल 735 हि	देहली
5.	उर्स सैयद अल्लाउद्दीन		2 शव्वाल	सण्डेला
6.	उर्स शैख सादी शिराजी		3 शव्वाल	शिराज ईरान
7.	विसाल मखदूम यहया मुनिरी		5 शव्वाल	–

8.	विसाल शाह अब्दुल अजीज मुहद्दीस दैहलवी र.त.अ		7 शव्वाल	दिल्ली
9.	विलादत सरकार आला हजरत र.त.अ.		10 शव्वाल	बरैली शरीफ
10	उर्स बाबा ताजुद्दीन व शाह अल्लाउद्दीन		20 शव्वाल	नागपुर

महिज़िकादा (खाली)

1	ईमाम मोहम्मद बिन ईमाम अली मूसा रज़ा	–	1 ज़िकादा 484	–
2	उर्स मौलाना अमजद अली घौसी आज़म गढ़	–	2 "	
3.	हुसैन बिन मन्सूर हल्लाज	189हि.	24 ज़िकादा 286	
4.	उर्स बन्दां नवाज़ गैसू दराज		12 ज़िकादा या 16 ज़िकादा	गुलबर्गा
5.	उर्स आसी गाज़ीपुरी		7 ज़िकादा	गाज़ीपुर,यु.पी.
6.	उर्स शाह भिकारी र.त.अ.		9 ज़िकादा	काकौरी लखनऊ

ज़िलहिज्जा (ईद बकरा)

1.	ह. ईमाम मोहम्मद बाकिर बिन जैनुल आबदिन र.त.अ.	57 हि.	7 जिल हिज्जा 114 हि.	मदीना मुनव्वरा
2.	ह. मुसलिम बिंन अकील	–	8 जिल हिज्जा	कुफा
3.	ह. उस्मान गनी र.अ. 6 साल बाद वाकिया फील		13 या 18 ज़िल हिज्जा	मदीना मुनवरा

मसाइले फातेहा :

तरीकाऐ फातिहा बयान करने से पहले बहुत मुना –

सिब मालुम होता है कि फातिहा के चन्द मसाईल बयान कर दिये जायें। ताकि अवाम इसका खातीर ख्वाह फायदा हासील कर सकें। यह कि याद रखें कि:—ना बालिग ने कुछ पढ़ कर या कोई नेक काम करके उसका स्वाब मुर्दे पहुँचाया तो उसे पहुंचेगा। कुछ लोगो का यह ख़्याल है कि औरते फातिहा नहीं पढ़ सकती और औरतो को फातेहा नही पढ़ना चाहिये, सो यह बात गलत हैं। औरते भी फातेहा पढ़ सकती है। औरतो को फातेहा पढ़ना और उसका स्वाब पहुँचाना जाईज़ है। लिहाज़ा औरतो को भी चाहिये की फातेहा पढ़ना सीखें और अपने बच्चों बच्चियों को भी सिखाएं।

हर पाक और हलाल रिज़्क पर फातिहा पढ़ी जा सकती है। बहुत से लोग कहते है कि मछली पर फातिहा नही होती सो यह भी ग़लत बात है। मछली हो 'बकरे वगैरा की सीरी या अण्डे वगैरा सब पर फातिहा पढ़ना जायज है।

मसअलह:— हर फर्ज नमाज़, ज़कात, हज़ वगैरा हर वाजिब, हर निफल व नेक काम वगैरा का स्वाब मुर्दे को पहुँचता है और पहुँचाना जाईज़ है। (बहारे शरीयत)

मसअलह:— नमाज़ रोज़ा हज़ जकात हर किस्म की इबादत और हर नैक काम का स्वाब मुर्दो को पहुँचा सकता है। उन सब को पहुँचेगा और इस पहुँचाने वाले के स्वाब में कुछ कमी नहीं आएगी बल्कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि सबको पुरा—पुरा स्वाब मिलेगा। यह नही कि उसी स्वाब को बांट कर टुकड़ा—टुकड़ा करके मिले।

(रद्दुल मोहतर)

बल्कि यह उम्मीद है कि उन सब को जिस—जिस को स्वाब

पहुँचाया उस सब के टोटल के बराबर स्वाब मिलेगा। मसलन कोइ नेक काम किया जिसका स्वाब कम इज कम दस मिलेगा तो अगर उसने दस मुर्दो को पहुँचाया तो हर एक को दस-दस मिलेगा। और इस स्वाब पहुँचाने वाले को एक सौ दस का स्वाब मिलेगा और एक हज़ार मुर्दो को स्वाब पहुँचाया तो इस स्वाब पहुंचाने वालो को दस हजार दस का स्वाब मिलेगा और इसी तरह बढ़ता रहता है। लिहाजा अगर आपने दो रक्अत नमाज़ पढ़ कर उसका स्वाब एक करोड़ मुसलमानो को पहुँचाया तो आपको दो करोड़ दो नमाजों का स्वाब मिलेगा।

(बहारे शरीअत, फतावा रिजविया)

मसअलहः— उर्स बुज़ुर्गो-ने दीन रज़िअल्लाह तआला उन्हुम अजमईन जो हर साल इनके विसाल के दिन होता है। यह भी जाईज है कि उस तारीख मे कुर्आन पाक पढ़ा जाता है। मीलाद शरीफ पढ़ा जाता है, या वाअज़ कहा जाता है, और बहुत खैर खैरात के काम किये जाते हैं, वगैरा जिस तरह दुसरे दिनो में जाईज़ है। इन दिनों में भी जाईज़ है। हुजुरे अकदस स्वलल्लाह तआला अलैयाहिव सल्लम हर साल के अव्वल आखिर में शौहदाये ओहद रदी अल्लाह तआला अनहूम कि ज़ियारत को तशारिफ ले जाते थे। (लिहाजा उर्स हदिस शरिफ से साबीत हुआ) तो यह ज़रूरी है कि उर्स को फालतु व खुराफत जैसी चीजो से पाक रखा जाये।

जाहिलो को खिलाफे शरअ हरकतों से रोका जाय अगर मना करने से बाज़ न आयें तो इन कामो का गुनाह उनके ज़िम्मे है। जब इसाले स्वाब जाईज़ व हदीस व कुरान से साबित हो गया तो जितने तरीके इसाले स्वाब के है। सब जाईज़ चाहे तारिख मुकर्रर करके पहुचाएं यह तो एक रिवाजी बात है। कोइ भी मुसलमान यह नही

समझता की और दिनो में स्वाब नही पहुंचेगा और सिर्फ मुकर्रर तारिख को ही पहुंचेगा।

यह तो सहुलियत के लिये तारिखें वगैरा मुकर्रर कर ली जाती है।सौयम, तीजा जो मरने के तीसरे दिन किया जाता है। कुर्आन मजीद पढ़वा कर या कलीमा तैययबा पढ़वा कर इसाले स्वाब करते है और बच्चो और जरूरत मन्दों को चने या पताशे या मिठाई बांटते है। खाना पका कर फकीरों व गरीबो को खिलाते है या उनके घरो पर भेजते है। सब जाईज व बहुत अच्छा है इसी तरह जुमेरात को हैसियत के मुताबीक खाना पका कर गरीबो को देते है फिर चालिसवें दिन यह काम करते है फिर छः महीने पर और बर्सी पर करते है। यह सब इसी इसाले स्वाब के अलग अलग तरीके हैं। हां यह ज़रूरी है कि यह काम अच्छी नियत से किये जावें। लोगों को दिखावे के लिए न हों वरना स्वाब ही न होगा,तो क्या ईसाले स्वाब करोगे?शबे बराअत का हलवा पकाना और स्वाब पहुंचाना यह भी जाईज़ है और यह भी इसाले स्वाब का एक तरीका है। रजब में बहुत लोग कुण्डे वगैरा करते है चांवल या खीर पका कर कुण्डो में भरते है। और फातिहा दिला कर लोगो को खीलाते है। यह सब भी जाईज है मगर यह पाबन्दि की जहां कुण्डे भरे जाते है वही खिलाते है। वहां से हटने नहीं देते यह एक फालतु बात है। यह जाहिलो का तरीका है किसी जगह सैयदे इमाम जाफ़र के लिये पुड़ियों व खीर के कुण्डे भरते है यह सब जाईज़ है। इसमें एक किताब पढ़ी जाती है जिसे "दास्ताने अजीब" कहते है। इस किताब में जो कुछ लिखा है, उसका कोई सबुत नही है। वह किताब न पढ़ी जाये।

इसी तरह माह मोहर्रम में दस दिनो तक अकसर खास तौर से

दसवी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ि अल्लाह तआला अन्हु व दुसरे शहीदों को इसाले स्वाब करते है। कोई शरबत पर फातिहा दिलाता है। कोई रोटीया तकसीम करता है ,कोई पुलाव या खीर, चाय वगैरा का इन्तेज़ाम करता है इन बुजुर्गो को जिस तरह चाहे इसाले स्वाब करो

सब जाईज और अच्छा है। चाहे खिचड़ा पकवाओ चाहे गोश्त रोटी कीसी चीज़ की मुमानियत नही है। इसी तरह रबीअल आखिर की तारिख बल्कि हर महीने

ग्यारहवी को हुजुर सैयदना गोसुल आज़म रज़िअल्लाह तआला उन्हो की फातिहा दिलाई जाती है। यह भी इसाले स्वाब की कि सूरत है बल्कि गौस पाक की फतिहा चाहे किसी तारिख में दिलाओ लोग उसे ग्यारहवीं की फातिहा ही बोलते हैं।

माह रजब की छटी और हर माह की छठी तारिख को हुजुर ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुदीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा होती है यह भी इसाले स्वाब में दाखिल है और जाईज है।

असहाबे कहफ का तोहफा या हजरत गोसे आज़म रदिअल्लाह तआला अन्हु का तोशाया या हज़रत शैख अहमद अब्दुल हक रूदौलवी का तौश भी जाईज है। और इसाले स्वाब में दाखिल है।

आदाबे फातिहा

हलाल और पाक चीजो पर फातिहा देना चाहिए। जूटी चीज़ न हो लोगो को दिखाने और अपनी तारीफ व नाम करने की गरज़ से न हो। कच्ची प्याज, लहसून, मूली या बदबूदार और हराम व नशा की चीजें न हों फातिहा की चीजें सड़ी गली और ना पसन्द न हों।

खुशबदार और पाक चीजों का बहुत लिहाज रखा जाये ।

बेहतर यह है कि फातिहा की चीज़े घर में पकाई जाये क्योंकी घर की चीज़ों में सफाई व एहतियात का बहुत ख्याल रखा जा सकता है। जो दुकान की चीज़ों में ना मुमकिन है। अकसर देखा गया है की दुकानदार सफाई का ध्यान नही रखते पैशाब करके ऐसे ही हाथ धोये बगैर मिठाई बनाने में लग जाते है। यह भी देखा जाता है चाश्नी की कड़ाइ में चुहा मरा पाया तो चूहे को फेंक दिया और चाश्नी मिठाई बनाने के काम में लेते है। लिहाज़ा जहां तक मुमकिन हो घर की बनाई चीजों पर ही फातिहा दिलाये।

फातिहा की चीजे

हलवा, मिठाई, खीर और वह चीज़ जिसमें शक्कर पड़ी हो, क्योंकि हज़रत रसूले खुदा स्वलल्लाहु अलैह व सललम ने फरमाया है कि मौमिन मीठे हैं। और मीठी चीजों को पसन्द करते हैं। कुर्आन पाक में आया है कि "हर्गिज़ भलाई को नही पहुंच सकते जब तक खुदा के रास्ते में प्यारी चीजों को खर्च न करो। और उससे ज़्यादा प्यारी चीज़ कौन सी होगी जिसको आकाऐ नामदार ने पसन्द फरमाया हो।

इसी तरह गोश्त पर फातिहा देना है कि हज़रत स्वलल्लाहु अलैहिव सल्लम ने गोश्त बहुत पसन्द फरमाया है। और मीठे नए फल और शहद, शरबत,

दुध, पुलाव, ज़र्दा, गरज़ यह कि जितनी अच्छी और लज़ीज़ चीज़े है। सब पर फातिहा दुरस्त है लेकिन मीठी चीज़ सब से बेहतर है। फातिहा का जो तरीका सूलफ और बुज़ुर्गों ने दीन सैकड़ो बर्सो से करते आऐ है उसी तरकीब से फातिहा पढ़ना चाहिए।

सबूते फातिहा

इबादते बदनी के स्वाब पहुँचाने के मुतल्लीक कुर्आन पाक में है:– 1. तर्जुमा: "और वह लोग जो इनके बाद आए कहते है कि ऐ हमारे रब मग़फिरत फर्मा हमारी और हमारे उन भाईयों की जो हमसे पहले बहालते इमान गुज़र चुके" (पारा 28, सूरह हश्र आयत 10)

हजुरे अकरम स्वललल्लाहु अलैयहि व सल्लम का इर्शाद है।

2. "मुर्दा की हालत कब्र में डुबते हुए फर्याद करने वाले की तरह होती है। वह इन्तजार करता है कि उसके बाप या मा या भाई की या दोस्त की तरफ से उसको दुआ पहुँचे। और जब उसको किसी की दुआ पहुँचती है। तो वह दुआ का पहुँचना उसको दुनिया व माफिहा से मेहबुब तर होता है। और बेशक, अल्लाह तआला! ऐहले ज़मीन की दुआ से अहले कबूर को पहाड़ो के बराबर अज्र व रहमत अता करता है और बेशक! जिन्दो का तोहफा मुर्दो की तरफ यही है कि उन के लिये बखशीश की दुआ मांगी जाऐ।

मिश्कातशरीफ:

3.. और फरमाया स्वललाहु अलैही स्वललम ने कि "कियामत के दिन पहाड़ो जैसी नेनकिया इन्सान के आअमाल से लाहक होगी तो वह कहेगा कि यह कहाँ से है। तो फरमाया जाएगा कि यह तुम्हारी औलाद के इस्तिग़फार की वजह से है। जो तुम्हारे लिये किया गया।

(अल्अदबुल मुफरिद लिल बुखारी पेज 9)

4. एक और हसीद शरीफ में है कि :– अल्लाह तआला ने जन्नत में अपने एक नेक बन्दे का दर्जा बुलन्द फरमाया तो वह अर्ज़ करता है। ऐ मेरे रब मेरा दर्जा किस वजह से बुलन्द हुआ ईर्शाद हुआ कि

तेरा बेटा जो तेरे लिये दुआए बख्शीश मांगता है। इस वजह से इस हसीद से साबीत हुआ की अगर किसी नेक बन्दे या किसी बुजुर्ग के लिये दुआए बख्शीश की जावे तो उस के दर्जे बुलन्द हो जाते है। और गुनाहगार के लिये कि जावे तो उस से सख्ती और अज़ाब दूर हो जाता है।

5 और इर्शाद फरमाया हुजूर स्वलल्लाहु अलैही व सललम ने कि :– जो शख्श कबरो पर गुज़रा और उस ने सूरः अखलास को ग्यारह मर्तबा पढ़ा। फिर उस का स्वाब मुर्दो को बख्शा तो उस को मुर्दो की तादाद के बराबर अज्र व स्वाब मीलेगा।

(दार कितनी, दुर्रे मुख्तार, शरहहुस्सुदुर पेज 130)

6. हुजूर अबू हुसैन रज़ि अल्लाह उन्हो फरमाते है– कि हज़ूर पुर नुर स्वलल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया:– जो शख्श कब्रिस्तान जाऐ फिर एक मर्तबा सूरः फातिहा और कुलहु व ललाहु अहद और "अलहाकुमुतत का सूरः पढ़ कर कहे की ऐ अल्लाह! जो कुछ मेने तेरे कलाम में पढ़ा है उसका स्वाब मेंने इन कबरों वाले मोमिनीन को बख्शा तो वह तमाम मुर्दे अल्लाह तआला की बारगाह में इसके लिए शिफारिश करते है। (शरहहुस्सुदुर पेज 130)

7. इमाम अहमद बिन हम्बल रहम तुललाह अलैहि फरमाते है। कि "जब तुम मकाबिर यानि कब्रिस्तान जाओ तो सूरः फातिहा और सूरः अखलास पढ़ो और इन का स्वाब अहले मकाबिर को पहुँचाओ। क्योंकि वह उन को पहुँचता है।

8. इमाम नूवी रहमतुललाह अलैहि फरमाते है। "कबरों की ज़ियारत करने वालो के लिये मुस्तहब है कि जितना उससे हो सके कुर्आन पढ़े। और अहले कबुर के लिये दुआ करे। इमाम शाफई ने इस पर नस पैश की है। और तमाम शाफई हज़रात इस पर

मुत्तफिक है। और अगर कब्र पर कुर्आन शरिफ खत्म किया जाय तो और भी अफज़ल है।

9. हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुललाह अलैह औलिया कबार में हैं। फरमाते है कि में जुम्आ की रात को कब्रिस्तान में आया। मैंने देखा कि वहां नुर चमक रहा है मेने ख्याल किया कि अल्लाह तआला ने कब्रिस्तान वालों को बख्श दिया है। गैब से आवाज़ आई! ऐ मालिक बिन दिनार यह मुसलमानो का तोहफा है जो उन्होने कब्र वालो को भेजा है। मैंने कहा तुम्हे खुदा की कसम है। मुझे बताओ मुसलमानो ने क्या तोहफा भेजा है। उसने कहा कि एक मौमीन मर्द ने उस रात इस कब्रिस्तान में कियाम किया। तो उसने वजु करके दौ रकअते पढ़ी और इन दौ रकअतों में सूरः फातिहा के बाद पहली रकअत में कुल हु व ललाहु अहद पढ़ा और कहा ऐ अल्लाह! इन दो रकअतों का स्वाब मैंने तमाम कब्रो वाले मौमीनीन को बख्शा। इसी वजह से अल्लाह तआला ने हम पर ये रोशनी और नूर भेजा है। और हमारी कब्रो में कुशादगी और फरहत पैदा फरमा दी है। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते है इसके बाद में हमैशा दो रकअतें पढ़ कर हर जुमेरात में मौमीनीन को बख्शता रहा। एक रात मे ने नबीए करीम अलैहि तहीय्यतो व तसलीम को ख्वाब में देखा। फरमाया ऐ मालिक बिन दिनार बेशक अल्लाह ने तुझको बख्श दिया। जितनी मर्तबा तुने मेरी उम्मत को नूर का हदिया भेजा है। उतनाही अल्लाह ने तेरे लिये स्वाब किया है। और इसके अलावा अल्लाह तआला ने तेरे लिये जन्नत में एक मकान बनाया है। जिसका नाम "मुनीफ" है मैने अर्ज किया "मुनीफ" क्या है। फरमाया जिस पर अहले जन्नत भी झांकेंगे।

मयत के लिए तस्बिह व कलमा पढ़ना

10. हज़रत जाबिर रज़ि अल्लाह तआला उन्हु फरमाते है कि जब हज़रत साअद इब्ने मुआज़ रज़ि अल्लाह उन्हु की वफात हुई तो हम ने हुजुर अकरम स्वलल्लाहू अलैहि व सललम के साथ इन पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। फिर उनको कब्र में उतारकर उन पर मिट्‌टी डाल दी। बाद में हुजूरे अकरम स्वलल्लाहू अलैहि व सललम तकबीर व तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। हम ने भी अपके साथ पढ़ना शुरू कर दिया देर तक पढ़ते रहै। तो किसी ने अर्ज़ किया। या रसूलल्लाह आप ने तकबीर क्यों पढ़ी । फरमाया इस नेक बन्दे पर उस की कब्र तंग हो गई थी। हमारी तिस्बीह व तकबीर की वजह से अल्लाह ने उस को फराख कर दिया।

(मिश्कात पेज 26)

इस हदिस से हुजुरे अकरम स्वलल्लाहु अलैहि सललम व सहाबाए किराम रिज़वानुलल्लाह अलैयहिम का कब्र पर तिस्बीह व तकबीर पढ़ना और उन की तिस्बीह व तकबीर से साहिबें कब्र को फायदा पहुंचना अज़हर मिनश्शमस है। अगर गौर किया जाये तो इस से दफन के बाद कब्र के पास अज़ान पढ़ने का मसअला भी समझ में आ सकता है।

"हज़रत जुनैद"रज़ि अल्लाह तआला के किसी मुरीद का रंगयकायक बदल गया आपने वजह पुछी तो उसने मुकाशिफा की रू से कहा की में अपनी मां को दौज़ख में देखता हुं । हज़रत जुनैद रज़िअल्लाह तआला ने एक लाख पांच हज़ार बार कलीमा शरीफ कभी पढ़ रखा था। युं समझ कर की कुछ रिवायतों में इस कदर कलमा के स्वाब पर वादाए मगफिरत हैं। अपने दिल में ही उस मुरीद की मां को बख्श दिया। मगर बख्शते ही क्या देखते है कि वह

नौजवान (हश्शाश बशशाश) बहुत खुश है। आपने वजह पुछी उसने अर्ज़ किया की अब अपनी वालिदा को जन्नत में देखता हुं । सो आपने इस पर यह फरमाया की इस नौजवान के मुकाशफे की सेहत तो मुझको हदीस से मालुम हुइ। और हदीस के सही होने का सबूत उसके मुकाश्फे से हो गया।

11 हज़रत साअद बिन इबादा रज़िअल्लाह तआला अन्हुमा ने हाज़िर होकर अर्ज़ किया या रसूलुललाह ! मेरी माँ मर गई है। "तो! कौन सा सदका अफज़ल है, जो माँ के लिए करूँ फरमाया 'पानी'। तो हज़रत साअद रज़िअल्लाह ने कुआं खुंदवाया और कहा कि यह साअद की माँ के लिए है। (अबु दाउद)

इस हदीस शरीफ में निहायत ही काबिले गोर बात यह है कि हज़रत साअद रज़िअल्लाह अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी फरमा रहें है। "हाजिहि लि उम्मे साअद" कि यह कुआं 'साअद' की माँ के लिए है। यानी उनकी रूह को स्वाब पहुंचाने के लिए ही बनवाया गया है। इस से साबित हुआ की जिसकी रूह को स्वाब पहुंचाने की गरज़ से कोई सदका व खैरात की जाये अगर इस सदका और खैरात और नियाज़ पर मजाज़ी तौर पर उसका नाम लिया जाय। यानि अगर युं कह दिया जाये कि यह सबील हज़रत इमाम हुसैन और शुहदांए कर्बला रज़िअल्लाह अन्हुम के लिये है। या यह खाना, यह नियाज़ सहाबऐ कबार या ऐहले बैत अतहार या गौसे आज़म, या ख्वाजा ग़रीबनवाज के लिए है। तो हरगीज़ हरगीज़ इस सबील का, और वह खाना, और नियाज़ वगैराह हराम न होगा। वरना फिर यह कहना पढ़ेगा कि इस कुएं का पानी हराम था। हांलाकी इस कुएं का पानी नबी करीम स्वलल्लाहु अलैही व आलिही व सललम और सहाबा ऐ किराम रिज्वानु अल्लाह अलैयहीम अजमईन और

बाद में ताबिईन, तबअ ताबीईन और ऐहले मदीना ने पीया। क्या कोई मुसलमान कह सकता है कि इन सब मुकद्दस हज़रात ने हराम पानी पीया था ? मुआज़ अल्लाह कोई मुसलमान तो ऐसा हरगीज़ नही कह सकता।

जिस कुएं के लिये यह कहा गया कि यह 'साअद' की मां के लिये है। उस कुएं का पानी नबी करीम स्वलल्लाहु अलैही व सललम और सहाबाऐ किराम के नज़दिक हलाल व तैयब है। तो जिस सबिल के पानी के लिये यह कहा जाये कि यह इमाम हुसैन और शुहदाऐ कर्बला रज़िअल्लाह अन्हु के लिये है या यह नियाज़ वगैरा फलां के लिये है तो वह मुसलमानो के नज़दीक भी हलाल व तैय्यब है।

तीजा, दसवा, ग्यारहवी, चैहलुम का सबुतः

जब आपने मसअला इसाले स्वाब को अच्छी तरह समझ लिया है। तो यह भी मान लिजीये कि ग्यारहवी, शरीफ, कुण्डे, सबील तीजा, साता, चहल्लुम और बर्सी वगैरा सब यही इसाले स्वाब यानि स्वाब पहुचाने के नाम हैं। और इसाले स्वाब कुर्आन व हदीस से साबित है। जैसा कि उपर ब्यान हुआ। तो अब इन सब के जाईज होने में क्या शक रहा । मैयत पर तीन दिन खास कर सोग किया जाता है। बुजुर्गाने दीन ने फरमाया तीन दिन सोग यह है कि तीन दिन बाद उठने से पहले घर के कुछ लोग मिल कर मैय्यत के लिये सदका करो, कुछ पढ़ो और उसका स्वाब मैय्यत की रूह को पहुँचा कर उठो। इसी का नाम सोयम या तीजा मशहुर हो गया। हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस हेलवी र.तु. अ.का भी तीजा हुआ अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी फरमाते है।

12. रोज़े सीवुम कसरते हजुमे मर्दम आ कदर बूद कि बिरून अज़ हिसाब अस्त हश्ताद व यक कलामुलल्लाह बशुमार आमदा व ज़ियादा हम शुदा बाशद व कलमा रा हसर नेस्त"

यानि तीसरे दिन लोगों का हजुम इस क़दर था कि शुमार से बाहर है। इक्यासी कुर्आन पाक खत्म हुऐ बल्कि इस से भी ज्यादा हुऐ होंगे। और कलमाऐ तैयबा का तो अन्दाज़ ही नही कि कितना पढ़ा गया। यह याद रहे कि हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी वहाबियों देवबन्दियों के नज़दिक काफि बड़ी शान रखते हैं और मुअज़्ज़म है।

13. इसका सबूत भी हदीस शरीफ में है। मलफुजात मखदुम जहानिया जिल्द 2 पेज 762 में है कि:– तर्जुमा:– सरदारे दो आलम स्वलल्लाहु अलैहि व सललम का फरमान आलिशान है कि जिस शख्स ने एक लाख मर्तबा कलिमाऐ तैय्यब पढ़ा और उस का स्वाब मैयत को बख्श दिया तो मैय्यत की मगफिरत फर्मा दि जायेगी। अगरचे वह मैय्यत सज़ा के लाय़क ही क्यों न हो।

इस हदिसे पाक से एक लाख मर्तबा कलिमा तैय्यब का पढ़ना भी साबित है और मैयत के लिये उसका स्वाब पहुंचाना भी साबित है। और इस की बरकत से अल्लाह तआला मैयत की मगफिरत फर्मा देता है। अगरचे मुस्तहके सज़ा हो यह भी साबित और इसी को तीजा कहते है। मालुम हुआ कि तीजा करना बिदअत व नाजाईज नही बल्कि यह हदिस पाक से साबित है।

उर्स व बर्सी का सबूत

दुल्हा और दुल्हन को अरूस कहते है। बुजुर्गाने दीन की तारिखे वफात को इसी लिये "उर्स कहते है।" मिश्कात बाब अस्बात अजाबुल्कब्र में है कि जब नकीरैन मैय्यत का इम्तिहान लेते है"

और वह कामयाब होता है तो वह कहते है" "नम कनुमाति उरूसी ललजी ला यु कि जुहि लला अहिब्बा अहले हि इलैयहि"

"तू उस दुल्हन की तरह सो जा जिस को सिवाय उसके प्यारे के कोई नहीं उठा सकता तो क्योकि उस दिन नक़ीरेन ने उसको उरूस कहा"। इसलिये वह दिन रोजे उर्स कहलाया।

उर्स की हकीकत सिर्फ इस कद्र है कि हर साल तारिखे वफात पर कब्र की जियारत करना और कुर्आन ख्वानी व सदकात का स्वाब पहुंचाना। इसका सबूत हदीस पाक और अकवाले फुकहा से है।

14. शामी जिल्द अव्वल बाब जियारत कबूर में है। कि "इब्ने अबि शैबा ने रियावत किया कि हुजुर अलैहिस्सलात वस्सलाम हर साल शुहदाऐं ऊहद की कब्रो पर तशरिफ ले जाते थे।"

15. तफसीर कबीर और तफसीर दुर्रे मन्शुर में है किः– हुजुर अलैहिस्सलात वस्सलाम से साबित है कि आप हर साल शहिदों की कब्रो पर तश्रीफ ले जाते थे। और उनको सलाम फरमाते थे। और चारों खलीफा भी ऐसाही किया करते थे। अब बिल्कुल हक जाहिर हो गया कि उसे जाईज बल्कि सुन्न्त से साबित और इसके लिये सफर करके जाना भी साबित की हुजुर खुद सफर करके मकामें ओहद जाया करते थे।

16. जनाब रसुलल्लाह सल्ललाह अलैह व सल्लम ने अपने चचा हजरत हमजा रज़िअल्लाह तआला अन्हो की रूहेपाक को इसाले स्वाब करने के लिये तिसरे दिन–दसवें दिन, चालिसवें दिन–छटे महीने और साल भर के बाद खाना दिया। और सहाबाऐ किराम रिजवानुल्लाह तआला अन्हुम अजमईन भी ऐसा ही किया करते थे।

(रियाजुल मकासिद पेज 12)

सामने रख कर फातिहा देने का सबुत

अहले सुन्नत के सारे मुहद्दिदसीन व फुक़हा और जुमला अईम्माऐ इस्लाम और मशाईखे तरीकत का मुत्तफिका अकिदा है कि "अपने हर अमल खेर का स्वाब किसी भी मोंमिन मर्द व औरत को पहुंचाया जा सकता है"।

इसी का नाम इसाले स्वाब है। फातिहा मुरव्विजा, उर्स शरीफ, ग्यारहवी शरीफ, खत्म ख्वाजा, फातिहा मोहर्रम, तीजा, चालीसंवा वग़ैरा यह सारी चीज़ें इसाले स्वाब ही की अलग–अलग शकलें है। और अगर इन सारी चीज़ों का आप जाईज़ा लें तो यह बात साफ तौर पर आपके सामने आ जाएगी कि यह सारे काम तिलावते कुर्आनपाक सदका, खेरात गरीबो को खाना खिलाना जिक्र व अज़्कार पर मुश्तमिल है। और इस बात से कोई इन्कार नही कर सकता कि इन सारी चीजों के ज़रीये इसाले स्वाब की बुनियाद व सबूत किताब व सुन्नत और फिका हनफी मैं मौजुद है।

17. फिकह हनफी की मुस्तन्द किताब हिदाया में है कि:– यानि अहले सुन्नत का अकीदा है कि आदमी अपने अमल का स्वाब दुसरे शख्स को बख्श सकता है। चाहे नमाज़ का हो या रोज़ा का हो या सदका का। और उसके अलावा किसी भी अमले खैर का, जैसे तिलावत कुर्आन अज़्कार वगैरा। (हिदाया)

18. शरह फिकह अकबर में है– यानि इमाम आज़म अबुहनिफा और इमाम अहमद बिन हम्बल और जम्हुर सलफ साले हीन का मज़हब यह है कि इबादत बदनी व माली का स्वाब मुर्दो को पहुंचता है। अब रह गई बात इस मखसुस तरीके की तो वह इसाले स्वाब के लिये कोई शर्त लाज़मी नही है। लेकिन इसकी सनद भी कई हदीसो मैं मौजूद है! जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की कई रिवायतों में आया है कि "हजुरे अकरम ने कई मौको पर खाने की चीज़ों को जमा करके अपने सामने रखा और इन पर बरकत की

दुआ फरमाई ।

19. इसाले स्वाब ही के सिलसिले में ये हदीस भी आई है कि हज़रत "साअद" रज़िअल्लाह अन्हु ने जब अपनी वालिदाऐ मरहुमा के इसाले स्वाब के लिये कुआ खुदवाया और वह तैयार हो गया तो हुजुरे अकरम कुऐं पर तश्रीफ ले गये। और उस के सामने खड़े हो कर इर्शाद फरमाया। "इस कुऐं का पानी साअद की मां के इसालें स्वाब के लिये है"

खाना वगैरा सामने रख कर स्वाब पहुंचाना

खाने की चीज़ को सामने रख कर स्वाब पहुंचाने की गरज़ से दुआ करने की एक और मज़बुत दलील तो ज़िब्ह कुर्बानी के बाद की यह दुआ है। जो इतनी आम व मशहुर है कि फातिहा के न मानने वाले भी इस पर अमल करते है। और वह दुआ यह है इस दुंआ की तालीम खुद हुजुरे अकरम सललाह अलैयहि व सल्लम ने दी है।

ऐ अल्लाह इस कुर्बानी का जानवर फला की तरफ से कबूल फर्मा" हाजिही अरबी जुबान मं सामने की चीज़ के लिये बोला जाता है। इस से भी बखुबी साबित हो गया कि जिस चीज़ का स्वाब पहुंचाना हो या जिस पर कुछ पढ़ना हो उसे सामने रहना चाहिये। इसमें कोई हर्ज नही है लेकीन अगर कोई खाने वगैराह को सामने न भी रखे और खाने व कुर्आन वगैरा जो कुछ पढ़ा हो उसका स्वाब पहुंचायेगा तो भी पहुंचेगा। और जितने मुसलमानो को पहुंचायेगा सबको बराबर–बराबर मिलेगा। यह नही की उसके हिस्से होकर मिले और सब के बराबर भेजने वाले को भी स्वाब मिलेगा। मसलन अगर अव्वल से आखिर तक होने वाले तमाम मौमिनीन मर्द व औरतों को स्वाब पहुंचाया तो इन सब को पहुंचेगा और सब के बराबर हमें भी स्वाब मिलेगा। वल्लाह यूअति मन्यशा बगैरून हिसाब।

फातिहा पढ़ने का आसान तरीका

वजु करने के बाद किबलारू बैठ कर जिस चीज़ पर फातिहा देना हो उसको सामने रख लें। सामने रखना सिर्फ मुबाह और जाइज है। अगर वह चीज़ ढ़की है तो खोल लें और लोबान अगरबत्ती सुलगायें फिर ग्यारह बार दुरूद शरीफ पंज आयत शरीफ की तिलावत करें।

ग्यारह बार दुरूद शरीफ

अऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिररजिम्

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

دُرُوْدِ غَوْثِيَّہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ
الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

अल्लाहुम्म सल्ले अ़ला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिंव मअदनिल जुदि व करमि व अला आलेहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम्

पंज आयत शरीफ एक बार

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ
هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम्

लकद जा अकुम् रसूलम् मिन् अनफुसिकुम अज़ीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मु अमिनीनर्रउफुर्र रहीम। फ इन तवल्लू फ कुल हसबीयल्लाहु ला इलाह इल्ला हुव अलैहि तवक्कल्तु व हुव रब्बुल्अर्शिल अजीम। (पारा ग्यारह)

सुरए काफिरून एक बार–

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम्

0 कुल या अय्युहल काफ़िरू न 0 ला आअबुदु मां ताअबुदून 0 वला अनतुम आबिदु न म आ अअबुद 0 वला अन्तुम आबिदुन मा अबत्तुम 0 वला अन्तुम आबिदुन मा आ अबुद 0 लकुम दीनुकुम व लि यदीन 0

सुरह अखलास तीन बार–

سُورَةُ الْإِخْلَاصِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम्

0 कुलहुवल्लाहु अहद 0 अल्लाहु ससमद 0 लम यलिद 0 व लम यू लद 0 वलम यकुँल्लहू 0 कुफुवन अहद 0

सुरउ फलक एक बार–

سُورَةُ الفَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम्

0 कुल अऊजु बिरब्बिल फ़ ल कि 0 मिन शर्रि मा खलक 0 मिन शर्रि ग़ास्किन इजा वक़ब 0 व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल ओ क़ दि 0 व मिन शर्रि हासिदिन इजा हसद 0

سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴿٦﴾

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम्

कुल अऊज़ु बिरब्बिन नासि 0 म लिकिन नासि0 इलाहिन्ना सि0 मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नासिल लज़ी यु वस्विसु फ़ी सुदूरिन्नासि 0 मिमल जिन्नति वन्नास 0

सुरए फातिहा एक बार–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٤
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٥ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٦ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम्

अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ ल मीन 0 अर्रहमानिर रहीम 0 मालिकि यौमिद्दीन 0 ई य्या क न अ बुदु व ईय्या क नस्तईनु 0 इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम 0 सिरातल्लज़ी न अनअम् त अलैहिम ग़ैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन 0 (आमीन)

सुरए बक्रह अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक १ बार

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى
لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ
إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝
أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम्

अलिफ लाम मीम 0 जालिकल किताबु लारै ब फीहि हुदल्लिल मुत्तकीनल लजी न युअ मिनू न बिल गैबि व युकीमू नस्सला त व मिम्मा रजकनाहुम युनफिकून 0 वल्लजी न युअ मिनू न बिमा उनजि ल इलै क वमा उनजि ल मिन कब्लिक व बिल आखि र ति हुम यूकिनून 0 ऊ ला इ क अला हुदम्मिर–रब्बिहम व ऊ ला ई क हुमुल मुफ्लिहन 0

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝
اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا
رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ
وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيْمًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

व एलाहुकुम एलाहूं वाहिदून लाइला ह इल्ला हु वर्रहमानुर रहीम 0 इन्न रहमतल्लाहि करीबुम्मिनल मुहसिनीन 0 व मा अरसल्ना क इल्ला रहमतल लिल आ़ ल मीन 0 मा का न मुहम्मदुन अबा अ ह दिम्मिर रिजालि कुम व लाकिर रसूलल्लाह हि व खातेमन्नबी इन व कानल्लाहु बिकुल्लि शयइन अ़लीमा 0 इन्नल्ला ह व मला ए क त हू यु सल्लु नअलन्नबि 0 या अय्युहल लज़ीना आ मनू सल्लू अलेहे व़सल्लिम् तस्लीमा 0

इसके बाद ग्यारह बार दुरूद शरीफ पढ़े।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

अल्लाहुम्म सल्ले अलन्नबीयिल्उम्मीये व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम् सलातंव व सलामन अलैक या रसूलल्लाहि

सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जते अम्मा यसीफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हमदूलिल्लाहे रब्बिल आलमीन 0

इसके बाद अगर दुरूदे ताज एक मरतबा पढ़ ले तो बेहतर है।

दुरूदे ताज

درود تاج

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق
والعلم ○ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم ○ اسمه مكتوب
مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم ○ سيد العرب والعجم
جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم ○ شمس الضحى
بدر الدجى صدر العلى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم ○ جميل
الشيم ○ شفيع الامم ○ صاحب الجود والكرم ○ والله عاصمه ○ وجبرئيل
خادمه ○ والبراق مركبه ○ والمعراج سفره ○ وسدرة المنتهى مقامه ○
وقاب قوسين مطلوبه ○ والمطلوب مقصوده ○ والمقصود موجوده ○
سيد المرسلين ○ خاتم النبيين ○ شفيع المذنبين ○ انيس
الغريبين ○ رحمة للعلمين ○ راحة العاشقين ○ مراد المشتاقين ○
شمس العارفين ○ سراج السالكين ○ مصباح المقربين ○ محب
الفقراء والمساكين ○ سيد الثقلين ○ نبي الحرمين ○ امام القبلتين ○
وسيلتنا في الدارين ○ صاحب قاب قوسين ○ محبوب رب المشرقين
والمغربين ○ جد الحسن والحسين ○ مولانا ومولى الثقلين ○ ابي القاسم
محمد ابن عبد الله ○ نور من نور الله ○ يايها المشتاقون بنور
جماله صلوا عليه واله واصحابه وسلموا تسليما ○

अल्लाहुम्म सल्लेअला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित्ताजि वल्मिराजि वल्बुराकि वल्अलमि 0 दाफिईल्बलायि वल्विबायि वल्कहति वल्मर्दि वल्अलमि 0 इस्मुहु मक्तुबुम् मरफूऊम् मस्फूऊम मन्कूशून फिल्लौहि वल्कलमि 0 सय्यिदिल्अरबि वल्अजमि जिस्मुहु मुकद्दसुम् मुअत्तरूम् मुतह्हरूम मुनव्वरूम फिल् बैति वल् हरमि 0 शम्सिद्दुहा बदरिद्दुजा सद्रिल्ओला नूरिलहुदा कह्फिल वरा मिस्बाहिज्जुलमि 0 जमीलिश्शियमि शफीयिल्उममि 0 साहिबिल्जूदि वल्करमि 0 वल्लाहु आसिमुहु 0 व जिब्रिलु खादिमुहु 0 वल्बुराकु मर्कबुहु 0 वल्मिराजु सफरहु 0 व सिद्रतुल्मुन्तहा मकामुहु 0 व का ब

कौसैनि मत्लूबुहु 0 सय्यिदिल् मुरसलीन 0 खातमिन्नबीयीन 0 शफीयील मुज़्निबीन 0 अनीसिल्गरीबीन रहमतल लिल्आलमीन 0 राहतिल्आशिकीन 0 मुरादिल्मुश्ताकीन 0 शम्सिल्आरिफीन 0 सिराजिस्सालिकीन 0 मिस्बाहिल मुकर्रिबीन 0 मुहिब्बिल फुक़रा वल्मसाकीन 0 सय्यिदिससकलैन 0 नबीयिल्हरमैन 0 इमामिलकिब्लतैन 0 वसीलतिना फिद्दारैन 0 साहिबि काअ़बा कौसैनि महबूबि रब्बिलमश्रिकैन वल्मग्रिबीन 0 जद्दिल हसनि वल्हुसैनि मौलाना व मौलस्सकलैन अबिल्कासिम मुहम्मदिब्नि अब्दिलाहि नूरिम्मिन् नूरिल्लाहि या अय्युहल्मुशताकून बिनूरि जमालिही सल्लू अलैहि व वआलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमु तस्लीमा 0

इसके बाद अगर पीर का मुरीद हो तो शजरह शरीफ भी एक बार पढ़ लें अगर पीर न हो तो अच्छा पीर जामें शरीअत आलिम तलाश कर पीर बना ले कि बे पीरे का पीर शैतान है (रिज़्वी)

इसाले सवाब का तरीका

फिर दोनों हाथ उठाकर इस तरह सवाब पहुँचाये और बारगाहे इलाही में अर्ज करें कि इलाहुल आलमीन! तेरे आजीज व गुनाहगार बन्दे ने जो कुछ भी पढ़ा है (नमाजे नफ़्ल, कुरआन पाक, नाअ़त शरफ वगैरह) इसके पढ़ने और अदा करने में जो दानिस्ता और गैर दानिस्ता, गलतियां और खामियां रह गयी है इसको अपने फजलो करम और शाने रहीमी व करीमी से मुआफ और दर गुजर फरमा कर

इस सवाब को अपने मेहबूब व मतलूब बरगजीदा रसूल हुजुर पुरनूर सरवरे आलम, फखे आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम् के सदका व तुफैल में तमाम अम्बियाए किराम व रूस्ले एजाम खुलफाये राशिदीन जुमला शुहादाये कराम, असरए मुबस्सिरह, असहाबे बदारो उहद, मुहाजिरीन व अनसार, जुमला उम्हातुल मोमीनीन, अजवाजे मुतह्हिरात, अहले बैत अतहार औलाद अमजाद, शोहदाये करबला, खुसुसन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्ह की अरवाहे तय्यिबात को पहुंचा दे और उनके वसीले से ताबईन, तबअ ताबईन, अइमए मुजतहदीन बिल खुसुस इमामे आजम रज़ियाल्लाहु अन्ह की रूहे पाक को पहुंचा दे और जुम्ला मशाएखे तरीकत व सिलसिले बैअत सिलसिला आलिया कादरिया, चिश्तिया निज़ामिया, सुहरवर्दिया मदारिया और नक्शबन्दिया के बुजुर्गों तमाम औलियाए उम्मत खुसुसन सैय्यिदना गौसे आज़म मुहियूद्दीन शैख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी आपके वालिदैन करीमैन व तमाम अहले सिलसिला और खुसुसन सुल्तानुलहिन्द हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजियाल्लाहु अन्ह की अरवाहे तैय्यिबा को पहुँचा दे और जुम्ला मोमीनीन व मोमीनात मेरे असातजह वालिदैन पीरों मुरशिद अलैहिमुर्रहमा की अरवाहे पाक को पहुँचा दे। खुसुसन फला (अपने बुजुर्ग या अजीज का नाम ले) जिसकी रूह को स्वाब पहुंचाना मंजुर हो) को पहुंचा दे।

फिर मजकुरह बाला तमाम बुजुरगों के तवस्सुल से अपने हक में फलाहे दारैन, खैरोबरकत, इस्तिकामत अललहक्, इख्लासे अमल, पाबन्दीए शरीयत, इतबाये रयूल अलैहिसलातोवस्सलाम, कुरआन व सुन्नत की पैरवी, मजहब व मसलक से वफादारी

खुसुसन इमान पर खातमा की जरूर दुआ करें। दुआ के इख्तिताम पर यह दुआ पढ़े।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللهُ
تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ وَقَاسِمِ رِزْقِهِ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
إِنَّ اللهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ
عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ۝

रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अन्तस समीयूल अलीम व तुब अलैना इन्नक अन्तत् तव्वाबुर्रहीम वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किहि व नूरि अर्शिहि व कासिमि रिज्किहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिंव व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यू सल्लून अलन्नबीयी 0 या अईयुहल्लजीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा 0 अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिवँ व अला आलि सय्यिदिनामुहम्मदिंव व बारिक वसल्लिम् 0 सुब्हानरब्बिक रब्बिल इज़्जति अम्मा यसिफून 0 व सलामुन अलल मुरसलीन 0 वल्हुम्दु लिल्लाहि रब्बिल्आलमीन।

सामईन व हाजिरीन आमीन कहें और इसाले सवाब व दुआ के बाद दोनों हाथों को मुंह पर फेर लें।

नोट :– अगर किसी को कुरआन पाक की यह सुरतें और आयतें याद न हो तो जो कुछ याद हो या कलमा और दुरूद पढ़ सकता हो

वही पढ़कर सवाब पहुँचाये या दुसरे से फातिहा दिलाये। औरत और नाबालिग बच्चे भी फातिहा दे सकते हैं बशर्ते कि वह अलफाज सही तौर पर अदा कर सकते हों अगर कोई कुर्आन शरीफ सही न पढ़ सकता हो तो वह भी न खुद फातेहा न पढ़े। किसी सुन्नी सहीउल अकीदा से फातिहा दिलाये।

फातिहा इमाम जाफर सादिक रजि.

माहे रज्जब की बाइसवीं तारीख को हजरत इमाम जाफर सादिक इब्ने इमाम बाकीर रजियल्लाहु अन्हो कि फातिहा का एहतेमाम नेहायत ही उम्दह व पाकीजगी से करें। इससे बड़ी--बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं मगर इस जमाने में जो यह रस्म बना लिया गया है कि वहीं पर खाये और उसी कपड़े से हाथ पोंछे या फातिहा की चीज दूसरी जगह नहीं भेजी जा सकती या जब तक लकडहारे का वाकिया न पढ़ा जाय फातिहा दुरूस्त नहीं होती है यह तमाम रसूमात गलत और रवाफिज़ की देन हैं।लिहाजा इन बातों से बचें।

हज़रत इमाम जाफर सादिक की फातिहा के लिए वहीं आयतें तिलावत की जायें जो पिछले सफहात पर मरकूम हैं अव्वल व आखिर ग्यारह ग्यारह बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़े बाद तिलावत दोनों हाथों को उठाकर यूँ अर्ज करें कि मालिका परवर्दीगारा मेरे इस पढ़ने और खाने और शीरनी का सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम् की रूहे अनवर को नज़्र अता फरमाकर उनकी आल औलाद अजवाज मुतह्हिरात रजियल्लाहु अन्हु की अरवाहे पाक को और जुमला अम्बिया व मुरसलीन सलासले अरबह के जुम्ला मशाइखें की अरवाहे पाक को बिल खुसुस

हजरत इमाम जाफर सादिक रजिअल्लाहु अन्हो की रूहे पाक को उनकी आल औलाद और उनके वालिदैन और उनके मुहिब्बीन व मुखलीसिन औ मुरीदीन की अरवाहे पाक को सवाब पहुंचाकर तमाम मोमीनीन व मोमीनात की अरवाह को सवाब पहुंचा। (आमीन)

नोट :– दिगर बुजुरगाने दीन की फातिहा के लिए भी मजकुरह आयात ही तिलावत की जायें बौर उनकी रूह को बिल खुसुस इसाले सवाब किया जाय और उनके वसीले से खातमा बिल खैर की दुआ मांगी जाय। अलग–अलग बुजुर्गाने दीन के लिये अलग–अलग तरीके नहीं हैं। हाँ अगर वक्त हो तो कुरआन शरीफ ज़्यादा पढ़कर इसाले सवाब कर सकता है।

खत्मे ग़ौसिया का सुबूत

हजरत सैय्यदि इस्माइल बिन मुहम्मद सैय्यिदुल कादरी खत्मे कादरी के मुतअल्लिक इस तरह बयान करते हैं खत्मे ग़ोसिया के पढ़ने का वक्त गुरूबे आफताब से तुलुए आफताब तक है। बतौर विर्द वजीफह हर शब बिलानागा एक मर्तबा और हर जाहिरी व बातिनी मुश्किल के लिये जिस वक्त कोई मुहीम व मुसीबत पेश आये हर रात एक बार खत्मे ग़ौसियों पढ़ा जाय यहाँ तक के वह मुहीम सर हो जाये या वह गम व अन्दूह जाता रहे।

دُرُودِ غَوثِيَّه

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

खत्मे गौसिया आलिया यह है

دُرُودِ غَوْثِيَّه

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

अल्लाहुम्म सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिवं मअदनिल जूदे वल करमि व आलिहि व सहिबिहि व सल्लिम (१११ बार)। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व लाइलाह इल्लल्लाहि वल्लाहुअकबर (१११ बार)। शैअन लिल्लाह या हज़रत सुल्तान शैख अब्दुल कादिर जीलानी (१११ बार)। सुरए यासीन– पूरी सूरह (१ बार)। सुरह अलम नशरह पूरी सूरह (१४१ बार)। "या बाकी अन्तलबाकी" (१११ बार)। "या गौस अगसिनी बि इज्निल्लाहि" (१११ बार)। या हज़रत मुहीयूद्दीन मुशकिल कुशा बिल खैर (१११ बार)। अल्ला हुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिवं व मअदनिल जूदे वलकरमि व अला आलिहि व साहिबहि व सल्लिम (१११ बार)।

मजकुरह वजाइफ पढ़ने के बाद बारगाहे रब्बुल इज्जत में ग़ौसे आजम रजियाल्लाहु अन्हु के वसीले से अपने जाइज मकासिद के लिये दुआ करें।

हाजत रवायी के लिये खत्मे कादिरीया

शाह वलियुल्लाह मुहद्दीस देहलवी ने हाजत रवायी के लिये खत्मे कादिरिया तहरीर फरमाया है – वह खत्में कादरिया यह है –

अव्वल दो रकअत निफ्ल नमाज पढ़े उसके बाद १११ बार दुरूदे गोसिया पढे, दुरूदे गोसिया यह है

دُرُوْدِ غَوْثِيَّهْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

फिर 111 बार कलमा तमजीद।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

फिर 111 बार शैअन लिल्लाह या हज़रत सुल्तान शैख अब्दुल क़ादिर जिलानी। यह सब पढ़ कर अपनी जाइज़ हाजत के लिए दुआ करें। सुरए यासीन एक बार – और सूरह अलम नशरह 111 एक बार या बाकी अन्तलबाकी 111 बार या ओस अगसिनी बि इज्निल्लाह 111 बार या हजरत मोहीयुद्दीन मुशकिल कुशा बिल खैर 111 बार – अल्लाह हुम्मा सल्लिअला सैय्यिदिना मुहम्मदिव व अला आलिहि व साहिबही व सल्लिम 111 बार।

मशकुरह बजाइफ पढ़ने के बाद बारगाहे रब्बुल इ़ज्जत में सैय्यदिना गौसे आजम रजियल्लाहु अन्ह के वसीले से अपने जाइज मुकासिद के लिए दुआ करें।

खत्मे ख्वाजगाने चिश्त

किसी अहम् मुहीम अजीम काम के लिये निहायत ही नेक नीयती के साथ बावजू बातहारत पाकीजा लिबास में मलबूस होकर

पाक व साफ मकाम पर मुअदि्दबाना तौर पर बैठ कर खत्मे ख्वाजगाने चिश्तिया निहायत ही अदब और दिल जमयी के साथ पढ़ें इन्शाअल्लाह तमाम मुश्किलात आफात व बल्लियात से महफुज व मामून रहेंगे और जुमला नेक मकासीद में कामियाबी व कामरानी नसीब होगी। खत्मे ख्वाजगाने चिश्तिया यह है –

सुरए फातिहा मअ बिस्मिल्लाह पूरी सूरह (७ बार), दुरूद शरीफ (दुरूदे चिश्तिया ज़्यादा बेहतर है) (१00 बार),

درودِ چشتیہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الٰہی! درود بھیج ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر

بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ مِائَةَ اَلْفِ اَلْفِ مَرَّةٍ ۝

تمام ذرات ... کے برابر دس کروڑ بار

अलम नस्रह म अ बिस्मिल्लाह पूरी सूरह (79 दार) कुल्हुवल्लाह मअ बिस्मिल्लाह (101 बार) सुरए फातेहा मअ बिस्मिल्लाह पुरी सूरह (7 बार), सल्लाल्लाहु अलैक या रसूलल्लाह (100 बार), या काजियल हा जात (100 बार), या काफियल मुहिम्मात (100 बार), या रफिउद्दरजात (100), या दाफियूल बल्लियात (100 बार), या मुफ्तहिल अब्वाब (100 बार), या शाफियूल इमराज (100 बार), या हल्लुलमुशकिलात (100 बार), या मुसब्बिबुल अस्बाब (100 बार), या मुजीबुद्दावात (100 बार), या अर्हमर्राहिमीन (100 बार), फसहिहल या इलाही कुल्ले साअबिन बेहुरमते सैय्यिदिल अबरार फसहिहल (100 बार), इन्नालिल्लाहि व इन्ना ईलैहि राजिऊन (100 बार), या गियासल मुस्तगीसीन अगिस्नी (100 बार), ला इलाह इल्ला

अन् त सुब्हा न क इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालीमीन (100 बार)।

इसके बाद फातिहा पढ़कर तमाम सलासिल के बुजुर्गाने दीन को इसाले सवाब करें खुसुसन ख्वाजगाने चिश्तिया और अपने सिलसिला के बुजुर्गान दीन को इसाले सवाब करें और अपने नेक मकासीद के लिए उनके तवस्सुल से दुआ करें।

बुजुर्गाने दीन के तसर्रुफात

हज़रत शैख अब्दुल हक मुहद्दीस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते है कि "सुलतानुल औलिया शैख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दुस सिर्रहू और बुजुर्गाने दीन अपनी कबरों में तसर्रुफ करते है जिन्दों के तसर्रुफ करने की तरह"।

शाह वलियुल्लाह देहलवी तहरीर करते हैं कि हजरत पीराने पीर रोशन ज़मीर शैख मुहीयुद्दीन कुद्दुस सिर्रहु अपने मज़ारे मुकद्दस में ज़िन्दों की तरह तसर्रुफ फरमाते है जिस तरह ज़ाहिरी हयात में आप से बेशुमार कश्फ व करामात और खवारिके आदात ज़ुहूर में आए उसी तरह अब भी आप के तसर्रुफात और अहकाम जारी है और अपने मुरीदों की हर वक्त इमदाद फरमाते और मुअत्केदीन की मुरादें बर लातें हैं।

नोट : याद रहे कि हजरत शेख अब्दुलहकमोहद्दीस देहलवी और हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी वाहवियों देवबंदियों के भी पेशवा है और वह भी उनको इ़ज़्जत व एहतराम की नजर से देखते है।

मकरूह वक़्तों का बयान

(1) सूरज निकलते समय (2) डूबते समय (3) उस्तवा के समय (यानी दोपहर को जब सूरज बिल्कुल सर पर हो, यानी सूरज ढलने से पहले का समय) में नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिये (4) सुब्ह सादिक़ से लेकर सूरज निकलने तक सिवाए फ़ज्र की दो रकअ़त सुन्नत के और कोई नमाज़ नहीं। इसी प्रकार अस्र की नमाज़ के बाद से सूरज डूबने तक कोई नफ़्ल नहीं है। (5) इमाम के जुमा के खुत्बा के लिये खड़े होने से लेकर जुमा की फ़र्ज़ नमाज़ तक कोई नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिये।

रकअ़तों की संख्या का बयान

नाम नमाज़	ग़ैर मुअक्कदा सुन्नत क़ब्ल फ़र्ज़	मुअक्कदा सुन्नत क़ब्ल फ़र्ज़	फ़र्ज़	मुअक्कदा सुन्नत बाद फ़र्ज़	नफ़्ल	कुल रकअ़तें
फ़ज्र	X	2	2	X	X	4
ज़ुहर	X	4	4	2	2	12
अस्र	4	X	4	X	X	8
मग़रिब	X	X	3	2	2	7
अ़िशा	4	X	4	2 3 वित्र वाजिब	4 2 वित्र से पहले 2 वित्र के बाद	17
योग	8	6	17	3-6	8	48

خواص دُعائے عاشورہ

یہ دُعا بہت مجرب ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورۂ محرم کو طلوعِ آفتاب سے غروبِ آفتاب تک اس دُعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا۔ ہرگز موت نہ آئے گی اور اگر موت آنی ہی ہے تو عجیب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔

دُعائے عاشورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

يَا قَابِلَ تَوْبَةِ اٰدَمَ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ

يَا فَارِجَ كَرْبِ ذِي النُّوْنِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ

يَا جَامِعَ شَمْلِ يَعْقُوْبَ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ

يَا سَامِعَ دَعْوَةِ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ

يَا مُغِيْثَ اِبْرَاهِيْمَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ

يَا رَافِعَ اِدْرِيْسَ اِلَى السَّمَآءِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ
يَا مُجِيْبَ دَعْوَةِ صَالِحٍ فِي النَّاقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ
يَا نَاصِرَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا
صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَّصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاقْضِ
حَاجَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَطِلْ عُمْرَنَا فِيْ
طَاعَتِكَ وَمُحَبَّتِكَ وَرِضَاكَ وَاَحْيِنَا حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَّتَوَفَّنَا عَلَى الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ بِرَحْمَتِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط اَللّٰهُمَّ بِعِزِّ الْحَسَنِ وَاَخِيْهِ
وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَجَدِّهٖ وَبَنِيْهِ فَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ
فِيْهِ پھر سات بار پڑھے سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ الْمِيْزَانِ
وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضٰى وَزِنَةَ الْعَرْشِ
لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَاءَ مِنَ اللهِ اِلَّا اِلَيْهِ ط سُبْحَانَ

اللهِ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا نَسْئَلُكَ السَّلَامَةَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ؕ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ؕ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ؕ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ عَدَدَ ذَرَّاتِ الْوُجُوْدِ وَعَدَدَ مَعْلُوْمَاتِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ؕ

ये दुआ बहुत मुजर्रिब है, हजरत इमाम जैनुलआबिदिन रजि अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है जो शख्श आशुराए मोहर्रम को तुलुअ आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक इस दुआ को पढ़ ले या किसी से पढ़वाकर सुन ले तो इन्शाह अल्लाह तआला यकीनन साल भर तक इसकी जिन्दगी का बीमा हो जाएगा – हरगिज मौत न आएगी और अगर मौत आनी ही हे तो अजीब इत्तफाक है कि पढ़ने की तोफिक न होगी।

दूआ—ए—आ़शूरा

बिसमिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम

या क़ाबे—ल तौ—बति आ—द—म यौ—म आशूरा—अ,या फारि—ज करबि जिन्नूनि यौ—म आशूरा—अ,या जामि—अ,शमलि याकू—व यौ—म आ़शूरा—अ, या सामि—अ ददअ्—वति मूसा वहारू—न यौ—म आशूरा—अ, या मुग़ी—स इबराही—म मि—नन्नारियौ—म आ़शूरा—अ, या राफ़ि—अ इद्‌री—स लस्समाइ यौ—म आशूरा—अ, या मुजी—ब द्‌दा—वति सालिहिन् फिन्ना—क़ति यौ—म आशूरा—अ, या नासि—र सय्यिदिना मु—हम्मदिन सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यौ—म आ़शूरा—अ, या रहमानु द्‌दूनिया वल्आखि़—रति व रही—महुमा सल्लि अ़ला सय्यिदिना मु—हम्मदिव्व—अ़ला आलि सय्यिदिना मु—हम्मदिव्व—सल्लि अ़ला जमीअ़िल अम्बियाह वल् मुर—सली—न वक़्ज़ि हाजातिना फिददुनिया वल् आख़ि—रति व—अ़तिल् अम्—रना फ़ी ता—अ़ति—क व—म—हब्बति—क वरज़ा—क व—अह्‌यिना हया—तयि—ब—तन् व—त वफ्फ़ाना अ़—लल् ईमानि वल् इस्‌लामि बि—रह्—मति—क या अर्—ह मर्राहिमी—न

अल्लाहुम्म बिअ़िज़्ज़िल् ह—सनि व—अख़ीहि वउम्मिही व—अबीहि व—जद्दिही व—बनीहि फ़रिज् अ़न्ना मा नहनु फ़ीहि+ फिर सात मर्तबा पढ़ें————सुब्‌हा—नन्लाहि मिल्—अल् मीज़ानि वमुन्—त—हल् अ़िल्मि व—मब्—ल—ग़रिज़ा वज़ि—नतिल् अर्‌शि ला मल्—ज—अ वला मन्—ज—अ मि—नल्ला इलैहि+सुब्‌हा—नल्लाहि अ़—द—

दश्शफ़अ़ि वल्—वत्‌रि व—अ—द—द कलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा नस्—अलु—कस्सला—म—त बि रह्—मति—क या अर्—ह—मर्राहिमी—न+वहु—व हसबुना वने—मल् वकीलु + ने मल् मौला वने—मन्नसीरू+वला हौ—ल वला कुव्व—त इल्ला बिल्लाहिल् अ़लिय्यिल् अज़ीमि+व—अ

सल्लल्लाहु त—आ़ला अ़ला सयिदिना मु—हम्मदिव्व—अ़ला आलिही सहबिही व—अ़लल् मुअ्मिनी—न वलमुअमिनाति वल् मुस्‌लिमी—न वल् मुस्‌लिमाति अ़—द—दज़र्रातिल् वुजूदि व—अ—द—द मालूमातिल्लाहि+वल्—हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आ़—लमी—न